Index

FORM - D

<table>
<tr><td colspan="2">न्यायालय—अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग (छत्तीसगढ़)
(पीठासीन—शैलेश कुमार तिवारी)</td></tr>
<tr><td colspan="2">निर्णय दिनांक : 23 जनवरी, 2023
संस्थित दिनांक : 16.04.2018
सत्र प्रकरण क्रमांक 56/2018
CNR No-CGDU01-001240-2018
आरक्षी केन्द्र—दुर्ग कोतवाली, जिला—दुर्ग (छ.ग.)
अपराध क्रमांक—01/2018</td></tr>
<tr><td>शिकायतकर्ता</td><td>सौरभ गोलछा</td></tr>
<tr><td>राज्य की ओर से</td><td>श्री सुरेश प्रसाद शर्मा, विशेष लोक अभियोजक</td></tr>
<tr><td>अभियुक्तगण</td><td>01. संदीप जैन आ. स्व. रावलमल जैन, आयु लगभग—42 वर्ष, साकिन—गंजपारा आलोकचंद त्रिलोकचंद ज्वेलर्स के सामने, दुर्ग, थाना—दुर्ग, जिला—दुर्ग(छ.ग.)
....
02. भगत सिंह गुरूदत्ता आ. सतनाम सिंग गुरूदत्ता, आयु लगभग—47 वर्ष, साकिन—काली बाड़ी के पास, थाना—मोहन नगर, दुर्ग, जिला—दुर्ग(छ.ग.)
....
03. शैलेन्द्र सागर पिता अवतार सिंग, आयु लगभग—47 वर्ष, साकिन— गुरूनानक नगर, थाना—मोहन नगर, दुर्ग, जिला—दुर्ग (छ.ग.)</td></tr>
<tr><td>अभियुक्तगण की ओर से</td><td>01. अभियुक्त संदीप जैन न्यायिक अभिरक्षा में, सहित श्री तारेन्द्र जैन, अधिवक्ता।
02. अभियुक्त भगत सिंह गुरूदत्ता जमानत पर, सहित श्री ललित तिवारी, अधिवक्ता।
03. अभियुक्त शैलेन्द्र सागर जमानत पर, सहित श्री दुष्यन्त देवांगन, अधिवक्ता।</td></tr>
</table>

उपार्पण आदेश

न्यायालय– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग, जिला–दुर्ग (छ.ग.) द्वारा दांडिक प्रकरण क्रमांक–2496/2018, राज्य वि. संदीप जैन वगैरह, में पारित उपार्पण आदेश दिनांक 13.04.2018 से उद्भूत।

FORM - E

घटना दिनांक	01.01.2018
प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक	01.01.2018
अभियोग प्रस्तुति दिनांक	28.03.2018
आरोप विरचित करने का दिनांक	02.05.2018
साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि	26.05.2018
निर्णय सुरक्षित रखने का दिनांक	09.01.2023
निर्णय की तिथि	23.01.2023
सजा आदेश की तिथि, यदि कोई हो	

आरोपी का रैंक	आरोपी का नाम	गिरफ्तारी दिनांक	जमानत पर मुक्त होने का दिनांक	आरोपित अपराध	दोषमुक्त या दोषसिद्ध	दी गई सजा	धारा 428 के प्रयोजन के लिए विचारण के दौरान की गई निरोध की अवधि
01.	संदीप जैन आ. स्व. रावलमल जैन	01.01. 2018		भा.दं.सं. की धारा 302 (दो बार), आयुध अधिनियम की धारा 25(1–ख) (क) एवं 27(2)	दोषसिद्ध	निर्णय की कंडिका 247, 248 अनुसार	01.01.2018 से 30.05.2020 एवं 26.08.2020 से आज निर्णय दिनांक 23.01. 2023 तक
02.	भगत सिंह गुरूदत्ता आ. सतनाम सिंग गुरूदत्ता	03.01. 2018	30.05. 2018	आयुध अधिनियम की धारा 25 (1–ख) (क)	दोषसिद्ध	निर्णय की कंडिका 249 अनुसार	03.01.2018 से 30.05.2018 तक
03.	शैलेन्द्र सागर पिता अवतार सिंग	03.01. 2018	30.05. 2018	आयुध अधिनियम की धारा 25 (1–ख) (क)	दोषसिद्ध	निर्णय की कंडिका 250 अनुसार	03.01.2018 से 30.05.2018 तक

"ज्ञान दूर कुछ, क्रिया भिन्न है,
इच्छा क्यों पूरी हो मन की ;
एक दूसरे से न मिल सके,
यह विडंबना है जीवन की।"

-- जयशंकर प्रसाद

।। निर्णय ।।

(आज दिनांक 23 जनवरी, 2023 को घोषित)

01— प्रकरण में **आरोपी संदीप जैन** के विरूद्ध रावलमल जैन के मकान में रावलमल जैन एवं सूरजीबाई को साशय व ज्ञानपूर्वक पिस्टल 7.65 कैलीबर से गोली मारकर उनकी मृत्यु कारित कर हत्या का अपराध कारित करने तथा ऐसा अपराध किये जाने में बिना किसी अनुज्ञप्ति या आज्ञापत्र के आयुध अधिनियम की धारा 3 के उल्लंघन में एक पिस्टल 7.65 कैलीबर को अपने आधिपत्य में रखकर आयुध अधिनियम की धारा 7 के उल्लंघन में एक पिस्टल 7.65 कैलीबर का प्रयोग किये जाने तथा **अभियुक्तगण भगत सिंह गुरूदत्ता एवं शैलेन्द्र सागर** के विरूद्ध आयुध अधिनियम की धारा 3 के उल्लंघन में एक पिस्टल 7.65 कैलीबर को अपने आधिपत्य में रखने तथा अवैध उद्देश्यों के लिए उपलब्ध कराये जाने के लिये निम्नानुसार आरोप का विचारण किया गया है :—

कमांक	**नाम अभियुक्त**	**अभियुक्त व्दारा कारित अपराध अंतर्गत धारा**
(1)	**(2)**	**(3)**
1.	**संदीप जैन आ. स्व. रावलमल जैन**	अभियुक्त के विरूद्ध **भा.दं.सं. की धारा 302 (दो बार), आयुध अधिनियम की धारा 25 (1—ख) (क) एवं 27 (2)** के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि, उसने दिनांक 01/01/2018 के प्रातः 04:30 बजे से 05:54 बजे के मध्य

		गंजपारा स्थित रावलमल जैन के मकान में रावलमल जैन एवं सूरजीबाई को साशय व ज्ञानपूर्वक पिस्टल 7.65 कैलीबर से गोली मारकर उनकी मृत्यु कारित कर हत्या का अपराध कारित किया, जिसे किये जाने में बिना किसी अनुज्ञप्ति या आज्ञापत्र के आयुध अधिनियम की धारा 3 के उल्लंघन में एक पिस्टल 7.65 कैलीबर को अपने आधिपत्य में रखकर आयुध अधिनियम की धारा 7 के उल्लंघन में एक पिस्टल 7.65 कैलीबर का प्रयोग अपने अवैध उद्देश्यों के लिए करके दण्डनीय अपराध कारित किया।

2.	**भगत सिंह गुरूदत्ता आ. सतनाम सिंग गुरूदत्ता**	अभियुक्त के विरूद्ध **आयुध अधिनियम की धारा 25 (1–ख) (क)** अंतर्गत यह आरोप है कि, दिनांक 03/01/2018 के 5–6 माह पूर्व या उसके लगभग बिना किसी अनुज्ञप्ति या आज्ञापत्र के आयुध अधिनियम की धारा 3 के उल्लंघन में एक पिस्टल 7.65 कैलीबर अपने आधिपत्य में रखा, जिसे अन्य आरोपी संदीप जैन को अवैध उद्देश्यों के लिए उपलब्ध कराकर दण्डनीय अपराध कारित किया।

3.	**शैलेन्द्र सागर पिता अवतार सिंग**	आरोपी के विरूद्ध **आयुध अधिनियम की धारा 25 (1–ख)**

		(क) अंतर्गत यह आरोप है कि, दिनांक 03/01/2018 के 5–6 माह पूर्व या उसके लगभग बिना किसी अनुज्ञप्ति या आज्ञापत्र के आयुध अधिनियम की धारा 3 के उल्लंघन में एक पिस्टल 7.65 कैलीबर अपने आधिपत्य में रखा, जिसे अन्य आरोपी भगत सिंह गुरूदत्ता को अवैध उद्देश्यों के लिए उपलब्ध कराकर दण्डनीय अपराध कारित किया।

(भारतीय दण्ड संहिता को एतद् पश्चात् भा.दं.वि. उल्लिखित किया गया है एवं आयुध अधिनियम को एतद् पश्चात् अधिनियम उल्लिखित किया गया है)

2– प्रकरण में यह तथ्य स्वीकृत है कि :–

(i) आरोपी संदीप जैन, मृतकगण रावलमल जैन एवं श्रीमती सूरजी बाई जैन का पुत्र है।

(ii) आरोपी संदीप जैन उसके भांजे सौरभ गोलछा के साथ साड़ी व्यापार का कार्य करता था।

(iii) घटना स्थल वाले मकान में घटना दिनांक को, घटना के पूर्व तक रावलमल जैन, श्रीमती सूरजी बाई एवं आरोपी संदीप जैन के अलावा अन्य कोई मौजूद नहीं था।

(iv) प्रकरण में यह भी अविवादित है कि, मृतक रावलमल के घर के अगल—बगल में मकान बने हुये हैं, खाली जगह नहीं है।

(v) प्रकरण में यह भी अविवादित है कि, मृतक रावलमल कारीडोर में गोली लगने से तथा मृतिका सूरजी बाई अपने कमरे में गोली लगने से मृत पाई गई।

(vi) प्रकरण में यह भी अविवादित है कि, मृतक रावलमल एवं मृतिका सूरजी बाई की हत्या के मध्य 08 मिनट का अंतराल था।

(vii) प्रकरण में यह भी अविवादित है कि, चौकीदार रोहित कुमार देशमुख (अ.सा.07) को घटना दिनांक 31.12.2017 की रात को आरोपी संदीप जैन व्दारा ड्यूटी में आने से मना किया गया था इस कारण वह दिनांक 31.12.2017 को मृतक रावलमल जैन के यहां ड्यूटी करने नहीं आया था।

(viii) प्रकरण में यह भी अविवादित है कि, घटना दिनांक को आरोपी संदीप जैन की पत्नि श्रीमती संतोष जैन एवं उसका पुत्र संयम जैन गंजपारा स्थित उनके घर में नहीं थे बल्कि उन्हें आरोपी संदीप जैन व्दारा दल्ली राजहरा छोड़ दिया गया था तथा सुसंगत समय पर वे घटना स्थल में नहीं थे।

(ix) प्रकरण में यह भी अविवादित है कि, घटना के बाद रावलमल जैन के घर का दरवाजा खुला था एवं घर में किसी भी स्थान

में तोड़फोड़ नहीं हुई थी, घर का सामान सुरक्षित था अर्थात् घर में सम्पत्ति संबंधी अपराध जैसे लूट अथवा डकैती न होना प्रमाणित है।

(x) **प्रकरण में यह भी अविवादित है कि, घटना दिनांक 31.12. 2017 की रात्रि से लेकर घटना के पूर्व तक, घटना स्थल में आरोपी अकेले ही था।**

03—(1). अभियोजन का वृतान्त संक्षेप में इस प्रकार हैं कि :—

आरोपी संदीप जैन, मृतक गण रावलमल जैन एवं सूरजी बाई का पुत्र है तथा अन्य आरोपीगण भगत सिंह गुरूदत्ता एवं शैलेन्द्र सागर, आरोपी संदीप जैन के साथीगण हैं। **प्रार्थी सौरभ गोलछा आ. सतीश चंद गोलछा, उम्र—31 वर्ष, साकिन—ऋषभ नगर 14/9, दुर्ग, जिला—दुर्ग द्वारा दिनांक—01.01.2018 को समय 06:25 बजे सुबह, थाना—दुर्ग में** इस आशय की सूचना दिया कि, प्रार्थी की नानी सूरजी बाई का उनके मोबाईल नंबर 9406419291 से प्रार्थी के मोबाईल नंबर 7000291510 में सुबह 05:54 बजे फोन आया कि, नाना जी को कुछ हो गया है, आवाज आयी है, जल्दी से गंजपारा स्थित घर में आओ, तो प्रार्थी तुरंत अपनी कार से गंजपारा स्थित अपनी नानी के घर पहुंचा, जहॉ जाकर देखा तो बाहर एवं अंदर के दरवाजे खुले थे। प्रार्थी घर के अंदर गया तो उसने उसके नाना जी को कारीडोर में बाथरूम के पास जमीन में गिरे पड़े देखा, वहॉ अंधेरा

था, लेकिन कुछ समझ नहीं आया तो नानी को आवाज दिया। उनके बेडरूम में लाईट जल रही थी और नानी बिस्तर में मृत पड़ी थी, उनको किसी ने गोली मार दिया था। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना दुर्ग में **अप0क्0–1/2018 अंतर्गत धारा 302 भा.दं.सं.** के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया।

03–(2). अभियोजन वृतान्त के अनुसार दिनांक 01/01/2018 के प्रातः 06.15 बजे प्रार्थी सौरभ गोलछा अ.सा.8, निवासी ऋषभ नगर, दुर्ग की सूचना एवं रिपोर्ट पर प्रकरण के विवेचक **अ.सा. 15 निरीक्षक भावेश साव** के द्वारा मृतिका सूरजी बाई का प्रदर्श पी. 28 का मर्ग इंटीमेशन दर्ज किया गया। इसी दिनांक को 06.20 बजे सौरभ गोलछा ने रावलमल जैन की मृत्यु के संबंध में मर्ग सूचना प्रदर्श पी.29 दर्ज कराया। मर्ग सूचना के उपरांत दिनांक 01.01.2018 को प्रातः 06.25 बजे सौरभ गोलछा की रिपोर्ट पर **प्रदर्श पी. 27 की प्रथम सूचना रिपोर्ट,** मृतिका सूरजी बाई एवं मृतक रावलमल जैन के संबंध में **धारा 302 भा.दं.सं.** के अंतर्गत पंजीबद्ध की गई। विवेचक के द्वारा घटना की जानकारी तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों एवं काईम ब्रांच तथा एफ.एस.एल. रायपुर को दी गई एवं कंट्रोल रूम को भी अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया। तत्पश्चात् मौके पर रावलमल जैन के निवास स्थान गंजपारा, दुर्ग में पहुंचकर धारा 175 **दं.प्र.सं. का नोटिस प्रपी. 30 एवं 31** साक्षियों

को घटना स्थल पर उनकी उपस्थिति हेतु जारी किया। उसके पश्चात् प्रदर्श पी. 32 के अनुसार सूरजी बाई एवं प्रपी. 33 के अनुसार रावलमल जैन का शव पंचनामा तैयार किया गया। विवेचक व्दारा शव पंचनामा में सूरजी बाई को तीन गोली तथा रावलमल जैन को तीन गोली मारकर हत्या करना पाया गया। रावलमल जैन का शव गलियारे में बाथरूम के पास तथा सूरजी बाई का शव कमरे में पलंग पर चित्त हालत में पड़ा था, जिसमें रावलमल जैन के पीठ में गोली लगने के निशान थे एवं सूरजी बाई के बांये छाती में, दाहिने हाथ के कोहनी के पास एवं सिर के पास गोली लगने के निशान थे। उसने उक्त दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल, दुर्ग रवाना किया। उसके पश्चात् शव परीक्षा के लिए दिए गए आवेदन पत्र प्रदर्श पी.3 और प्रदर्श पी.5 की कार्यवाही उपनिरीक्षक आर.डी. मिश्रा के व्दारा की गई। पोस्टमार्टम उपरांत दोनों शव का सुपुर्दनामा **मृतक के भाई भीखमचंद जैन** को प्रदर्श पी. 61 एवं 62 दिया गया।

03—(3). आगे अभियोजन वृतान्त के अनुसार घटनास्थल का नक्शा प्रदर्श पी.63 तैयार किया गया है, जिसमें घटनास्थल का पूर्ण विवरण, प्रदर्श पी.64 रावलमल जैन के घर के पीछे का नजरी नक्शा अनुसार घटनास्थल के पीछे एक वाहन का नक्शा बनाया गया जिसमें वाहन का डाला, वाहन की छत को नक्शे में दर्शाया गया है और दीवार से जो वाहन टाटा—एस खड़ी है, उसकी दूरी दर्शायी गई

है, साथ ही इसमें 5.8 मीटर की दीवार की दूरी से 'सी' दर्शाया गया है और एक अन्य 4.3 मीटर की दूरी पर पुनः 'सी' दर्शाया गया है, जिसमें 'सी' का अर्थ कारतूस से है एवं बनाये गये नक्शे में ''मकान के पीछे गली, जहां से पिस्टल और कारतूस बरामद हुए'', लेखबद्ध किया गया है, संकेत में 'एम' का अर्थ मैग्जीन, 'पी' का अर्थ पिस्तौल एवं 'सी' का अर्थ कारतूस दर्शाया गया है, साथ ही जहां टाटा-एस की छत पर पिस्टल पड़ी थी, वहां से आरोपी के घर की रैलिंग की उंचाई 8.5 फीट लेखबद्ध है। विवेचना के दौरान मृतक के निवास स्थान की वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी कराई गई। मौके पर घटनास्थल निरीक्षण के दौरान मृतिका सूरजी बाई एवं रावलमल जैन के शव के आसपास चले हुए गोली के खाली खोखे, कॉटन, खून आलूदा कॉटन को गवाहों के समक्ष जप्त किया गया, उसे सुरक्षित रखते हुए एफ.एस.एल. टीम, जो रायपुर से आ रही थी, उनके आने तक उसी तरह से सुरक्षित रहने दिया गया। एफ.एस.एल. टीम के पूरा घटनास्थल का मुआयना करने एवं मकान के पीछे का हिस्सा जहां पर पिस्टल, कारतूस, मैग्जीन आदि पड़ी थी, का मुआयना करने एवं फोटोग्राफी, विडियोग्राफी कराने के बाद सुरक्षित एफ.एस.एल. टीम के आने तक रखा गया। एफ.एस.एल. टीम के आने के पश्चात् ही मौके पर जप्तशुदा सामग्री को सीलबंद किया गया।

03—(4). आगे अभियोजन वृतान्त के अनुसार दिनांक 01.01.2018 को गवाहों के समक्ष घटनास्थल मृतिका सूरजी बाई के शव के सिर के पास से पिस्टल की गोली का बुलेट खून लगा 01 नग, सूरजी देवी के बांए हाथ के कोहनी के पास से गोली का खाली खोखा, एक कॉटन के टुकड़े में लिया गया तथा मृतिका सूरजी देवी के सीने के पास बिस्तर से गोली का खाली खोखा, दोनों खाली खोखे के पेंदे में 7.65 के.एफ. लिखा था, मृतिका के बिस्तर जहां मृतिका मृत पड़ी थी, के पास मृतिका का सैमसंग कंपनी का एक मोबाईल, एक मेहरून कलर का चादर का टुकडा जिसमें खून का दाग लगा था, एक कॉटन के टुकड़े में बिस्तर में फैले खून के अंश, एक कॉटन के टुकड़े में बिस्तर के पास के सादी मिट्टी के अंश जप्ती पत्र प्रदर्श पी.50 अनुसार जप्त किया गया। घटनास्थल जहां मृतक रावलमल जैन के लाश के पास घटनास्थल से दरवाजे के चौखट के पास गोली का एक खाली खोखा, मृतक के पैर के पास एक खोखा, दाहिने पैर के एक फीट पर एक खोखा, दरवाजे के चौखट से 5—6 ईंच दूर एक खाली खोखा, कुल गलियारे में चार नग खाली खोखा सभी खोखे के पेंदे में 7.65 के.एफ. लिखा था, एक कॉटन के टुकडा में मृतक रावलमल के शव के पास फैले खून के अंश, एक कॉटन के टुकडा में घटनास्थल के पास से सादी मिट्टी का अंश जप्ती पत्र प्रदर्श पी.51 अनुसार जप्त किया गया। विवेचना

के दौरान डॉग स्कॉड को तलब कर घटनास्थल का निरीक्षण कराया गया। डॉग मास्टर के द्वारा दिए गए सर्टिफिकेट प्रदर्श पी.11 में बताया गया कि, डॉग घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद मृतक के पुत्र संदीप जैन के कमरे में जाकर भौंका था। उसके पश्चात विवेचक व्दारा दिनांक 01.01.18 के 07.30 बजे पूरे घटनास्थल का मुआयना कर नक्शा पंचनामा प्रदर्श पी.48 तैयार किया गया। प्रदर्श पी. 48 में पाया गया कि, **मृतक के घर में घुसने का सिर्फ एक मुख्यद्वार है, जो कि ताला से अंदर से बंद रहता है, जिसे घर के अंदर का कोई सदस्य ही खोल सकता था, पीछे तरफ उपर ग्रील लगा था जिसमें हाथ डालकर नीचे खड़े टाटा–एस में हत्या में प्रयुक्त पिस्टल को फेंका गया था जो कि स्पष्ट रूप से मृतक के घर जहां मृतक के पुत्र आरोपी संदीप का कमरा है, उससे जुडा था।** मृतक के मकान के दांये हिस्से में लोकेश शर्मा का तथा बांये पर प्रहलाद रूंगटा का मकान था जो पैक्ड था, पीछे उपर ग्रिल में पैक्ड जंग लगा ताला था जिसमें से कोई प्रवेश नहीं कर सकता, जिसको देखने से कभी खोला नहीं गया, दिख रहा था, कहीं भी आगे और पीछे के हिस्से किसी भी बाहरी व्यक्ति के घर के अंदर प्रवेश करने का कोई साक्ष्य नहीं था।

03–(5). आगे अभियोजन वृतान्त के अनुसार घटनास्थल का पृथक से फोटोग्राफ्स विवेचक के द्वारा तथा एफ.एस.एल. टीम के

द्वारा भी लिया गया एवं पुष्टि की गई। **विवेचना के दौरान परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी संदीप जैन से पूछताछ करने पर उसने अपने मेमोरेण्डम में गवाहों के समक्ष बताया कि "वह स्वतंत्र तथा खुले विचारों का इंसान है एवं उसके पिता रावलमल जैन पुरानी रूढीवादी विचारधारा के व्यक्ति थे, वे अक्सर इसे हर काम पर टोका करते थे, जैसे पूजा के लिए शिवनाथ नदी से प्रतिदिन नौकर से पानी मंगवाते थे, तथा उसके द्वारा घर के नल के पानी को ही उपयोग करने को कहने पर उसे डांट–डपट करते थे, आरोपी के पिता को उसकी महिला मित्रो से मिलना नागवार गुजरता था एवं कई बार संपत्ति से बेदखल करने की धमकी देते थे, जिसके कारण उसने व्यथित होकर अपने पिता को मारने की योजना बनाया, इस कारण उसने एक देसी पिस्टल और कारतूस अग्रसेन चौक निवासी भगत सिंह गुरूदत्ता से 1,35,000/– रू. में खरीदा एवं 27.12.2017 को पत्नी और बच्चो को मायके दल्ली राजहरा भेज दिया और नौकर रोहित देशमुख जो रात्रि में घर में रोज सोने आता था, उसे 31.12.2017 की रात्रि घर आने से मना कर दिया।**

03–(6). आगे अभियोजन कहानी के अनुक्रम में योजनानुसार सुबह 05.45 बजे वह उपर से नीचे आकर मां के दरवाजे को बाहर से बंद किया, उस समय उसके पिता कॉरीडोर में बाथरूम से वापस आ रहे थे और कॉरीडोर का दरवाजा बंद कर रहे

थे, उनकी पीठ उसकी तरफ थी, तभी उसने अपने पिता को पीछे से पीठ में गोली मार दिया, गोली की आवाज सुनकर उसकी मां के चिल्लाने पर वह अपने कमरे में उपर भाग गया, फिर उसके मोबाईल पर उसकी मां का फोन आने लगा, लेकिन उसने नहीं उठाया और नीचे मां के कमरे के पास पुनः वापस आया तो वह सौरभ को फोन लगाकर बुला रही थी, तब उसने मां के कमरे का दरवाजा खोला और उसका राज खुल जाने के डर से मां को भी गोली मारकर हत्या कर दिया। उसके बाद उसने बाहर जाने वाले कॉरीडोर का दरवाजा और फिर बैठक का दरवाजा खोल दिया तथा सबसे बाहर मेनगेट का ताला खोलकर चाबी उसी में छोड़ दिया, ताकि लगे कि कोई बाहर का आदमी आकर हत्या कर चला गया है, उसने गोली मारते समय काले रंग के दस्ताने पहन रखे थे, जो उसके कमरे में बिस्तर के सिरहाने के नीचे रखे हैं तथा घटना के समय पहना गया चेक आसमानी कलर का हाफ कुर्ता जिसमें खून के दाग लगे हैं, को बिस्तर के नीचे छिपाकर रखा है एवं जिस पिस्टल से उसने अपने माता–पिता की हत्या की है, उसे घर के पीछे उपर बाल्कनी से नीचे फेंक दिया, जो नीचे खड़ी टाटा–एस गाड़ी में गिरा है, साथ में एक लोडेड मैग्जीन और दो झिल्ली में जिंदा कारतूस को भी नीचें गली में फेंक दिया।

03—(7). विवेचना के दौरान आरोपी द्वारा मेमोरेण्डम प्रदर्श पी.52 में बताए गए तथ्यों के खुलासा के आधार पर आरोपी के बताये अनुसार मकान के पीछे घटना कारित करने के बाद फेंके गए 01 नग 7.65 कैलीबर का देसी पिस्टल सिल्वर कलर का खाली मैग्जीन सहित, वाहन टाटा—एस क्रं. सी.जी. 04/जे.ए—8984 के केबिन के उपर से एक झिल्ली में 14 नग कारतूस एवं 02 नग खाली खोखा, सभी में 7.65 के.एफ. लिखा हुआ, एक झिल्ली में 12 नग कारतूस, 7.65 कैलीबर का, एक सिल्वर कलर का मैग्जीन जिसमें 06 नग कारतूस हैं, वाहन टाटा—एस क्रं. सी.जी. 04/जे.ए—8984 के डाला के पीछे दरवाजे के पास जिसमें 7.65 कैलीबर लिखा है, समक्ष गवाहान जप्तीपत्र प्रदर्श पी. 53 अनुसार जप्त किया गया। आरोपी संदीप जैन के मेमोरेण्डम के आधार पर प्रदर्श पी. 54 के अनुसार 02 नग काले रंग का उलन का दस्ताना, 02 नग नोज मास्क क्रीम रंग का, एक आसमानी रंग चेकदार गोल कॉलर का कुर्ता जिसके दाहिने तरफ जेब के पास खून के दाग लगे हैं, एक ओप्पो कंपनी का मोबाईल, एक नग ताला एवं चाबी जिसमें अंग्रेजी में ''shubh'' लिखा था, समक्ष गवाहान जप्त किया गया।

03—(8). आगे अभियोजन वृतान्त के अनुसार विवेचक के द्वारा विवेचना के दौरान् आरक्षक क्रं. 1291 मुन्ना यादव के द्वारा

डॉक्टर द्वारा सीलबंद किये गये पैकेट जिसमें सीलबंद डिब्बी में पर्ची में दो नग बुलेट लिखा था, एक सीलबंद पैकेट में मृतिका सूरजी देवी के घटना के समय पहने साडी एवं ब्लाउज खून लगा हुआ शासकीय अस्पताल, दुर्ग से आरक्षक मुन्ना लाल के पेश करने पर जप्ती पत्र प्रदर्श पी–65 के मुताबिक जप्त किया गया। आरक्षक मुन्नालाल द्वारा शासकीय अस्पताल से लाये गये सीलबंद डिब्बी के उपर पर्ची में पी.एम. के दौरान मृतक रावलमल जैन के शरीर से निकाली गई बुलेट थी तथा एक सीलबंद पैकेट में मृतक रावलमल द्वारा घटना के समय पहने हुए कपडे जिसमें खून लगे हुए दाग थे, जप्तीपत्र प्रदर्श पी. 66 के अनुसार जप्त किया गया। विवेचना के दौरान दिनांक 24.01.2018 को फोटोग्राफर प्रभात वर्मा के पेश करने पर वजह सबूत में घटनास्थल मृतक रावलमल जैन, दुर्ग के निवास स्थान दुगड़ निवास गंजपारा में खीचें गए अंदर, बाहर के फोटोग्राफ्स एवं मृतक तथा मृतिका के कुल 45 नग फोटोग्राफस को जप्ती पत्र प्रदर्श पी. 67 के अनुसार जप्त किया गया। विवेचना के दौरान डॉ0 बी.एन. देवांगन, जिला अस्पताल, दुर्ग को आरोपी के द्वारा चलाई गई पिस्टल की क्यूरी बाबत **प्रदर्श पी–6ए** प्रेषित किया गया तथा आरोपी के पेश करने पर जप्तशुदा कुर्ता जिसमें खून के दाग लगे थे, को मुलाहिजा हेतु जिला चिकित्सालय, दुर्ग प्रदर्श पी.7–ए अनुसार भेजा गया। डॉ0 बी0एन0 देवांगन, जिला अस्पताल, दुर्ग को पोस्टमार्टम के

दौरान रावलमल जैन के शरीर के पी0एम0 के पूर्व कराए गए एक्स–रे में तीन गोलियॉ दिखाई दे रही थी, किन्तु पी0एम0 के दौरान एक गोली मिली एवं शेष दो गोली क्यों नहीं मिली, इसके लिए राय प्रदर्श पी–8ए मांगा गया था। विवेचना के दौरान् आरोपी संदीप जैन के मेमोरेण्डम के आधार पर उसने जिस कट्टे से सूरजी देवी एवं रावलमल जैन की हत्या किया, उसे आरोपी भगत सिंह गुरूदत्ता से खरीदना बताने पर, आरोपी भगत सिंह गुरूदत्ता को हिरासत में लिया गया। दिनांक 03.01.18 को 09.15 बजे आरोपी भगत सिंह गुरूदत्ता से पूछताछ करने पर मेमोरेण्डम प्रदर्श पी–56 में उसने बताया कि – **''संदीप जैन निवासी गंजपारा दुर्ग जो उसका बचपन का दोस्त था जो घटना से पांच–छः माह पूर्व उसके पास आया था और उससे एक लाख पैंतीस हजार रूपये में एक पिस्टल सिल्वर 7.65 कैलीबर का एवं उसने उसे 38 रांउड भी दिया था''।**

03–(9). आगे अभियोजन अनुसार दिनांक 03.01.18 के 10.35 बजे विवेचक के द्वारा आरोपी शैलेन्द्र सागर का मेमोरेण्डम प्रदर्श पी. 57 लिया गया था जिसमें आरोपी शैलेन्द्र सागर ने बताया था कि **''उससे भगत सिंह ने एक पिस्टल संदीप जैन को देने के लिए मांगी थी जो कि, वह सागर तरफ काम करने गया था तो दो तीन साल पहले एक व्यक्ति से 38 कारतूस और 01 पिस्टल उस समय 40–50 हजार रूपये में खरीदी थी, जिससे खरीदा था उससे**

खास पहचान नही थी, वर्तमान में वह कहाँ रहता है, नहीं जानता जिस पिस्टल से संदीप जैन ने हत्या की है, वह वही पिस्टल है, बताया था"। विवेचक के द्वारा दिनांक 03.01.18 को गवाहों के समक्ष आरोपी भगत सिंह गुरूदत्ता के द्वारा पिस्टल पहचान पंचनामा प्रदर्श पी. 58 तैयार किया था, जिसने जप्तशुदा पिस्टल को ही बेचना बताया था। विवेचना के दौरान दिनांक–01.01.2018 के 20.15 बजे आरोपी संदीप जैन को गिरफतार कर गिरफतारी पंचनामा प्रदर्श पी. 69 बनाया गया था।

03–(10). विवेचक के द्वारा आरोपी भगत सिंह गुरूदत्ता एवं शैलेन्द्र सागर को दिनांक 03.01.2018 को गिरफतार कर गिरफतारी पंचनामा क्रमशः प्रदर्श पी. 70 एवं 71 बनाया था उसने आरोपीगण संदीप जैन, भगत सिंह गुरूदत्ता एवं शैलेन्द्र सागर के परिजनों को उनकी गिरफतारी की सूचना क्रमशः प्रदर्श पी–72, प्रदर्श पी–73 एवं प्रदर्श पी–74 के अनुसार दी थी। उसके द्वारा तहसीलदार, तहसील दुर्ग को घटनास्थल पटवारी नक्शा के लिए पत्र प्रदर्श पी–75 जारी किया गया था। उसके द्वारा पुलिस अधीक्षक, दुर्ग को इस प्रकरण में साक्ष्य की दृष्टिकोण से चलाई गई कारतूसों के बैलेस्टिक परीक्षण के लिए मिलान हेतु 04 नग कारतूस खरीदने हेतु अनुमति बाबत पत्र प्रदर्श पी–76 लिखा गया, जिला दंडाधिकारी द्वारा दिनांक 10.01.2018 को 04 कारतूस खरीदने की अनुमति प्रदान किया

गया था, जिसके आधार पर उसने मॉ शारदा ट्रेडर्स, आर्म्स एवं ऐमोनिसन डीलर से दिनांक 11.01.2018 को 500/—रूपये में 04 कारतूस 7.65 बोर का पिस्टल कारतूस खरीदा था, डीलर द्वारा दिया गया बिल प्रदर्श पी—39 सी होना जिसमें विवेचक के द्वारा पेड बाई मी लिखकर हस्ताक्षर किया गया था। इसके बाद विवेचक ने पुलिस अधीक्षक, दुर्ग को दिनांक 12.01.2018 को उक्त बिल के अनुसार खरीदे गए कारतूस की कीमत के आहरण के लिए पत्र प्रदर्श पी—77 लिखा तथा वरिष्ठ वैज्ञानिक एफ.एस.एल., रायपुर को प्रदर्श पी—03 का पत्र लिखकर घटनास्थल निरीक्षण के लिए आवेदन किया था। पुलिस अधीक्षक, दुर्ग कार्यालय द्वारा प्रदर्श पी—78, प्रदर्श पी—79 एवं प्रदर्श पी—80 का पत्र नोडल आफिसर जियो, आईडिया एवं रिलायंस को लिखा था, जिसके परिपालन में नोडल आफिसरों द्वारा सी.डी.आर. और 65 बी का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था।

03—(11). अभियोजन अनुसार पुलिस अधीक्षक, दुर्ग द्वारा प्रदर्श पी—60 सी का पत्र जिला दंडाधिकारी, दुर्ग को आरोपी संदीप जैन, आरोपी भगत सिंह गुरूदत्ता एवं आरोपी शैलेन्द्र सागर के विरूद्ध आर्म्स एक्ट में अभियोजन अनुमति बाबत पत्र लिखा गया था एवं पत्र के साथ प्रकरण की डायरी एवं दस्तावेज भेजे गए थे, जिसके आधार पर अभियोजन अनुमति जिला दंडाधिकारी द्वारा दिया गया था। उसके पश्चात् प्रकरण में विवेचना के दौरान् जप्तशुदा

संपत्तियों को रासायनिक परीक्षण हेतु पुलिस अधीक्षक, दुर्ग के माध्यम से विधि विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर प्रदर्श पी–81 अनुसार भेजा गया, उक्त संपत्तियों की जांच पश्चात् विधि विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर से परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श पी. 82 प्राप्त हुआ। राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर के परीक्षण प्रतिवेदन **प्रदर्श पी–82** के अनुसार जप्तशुदा काटन–A, चादर का टुकड़ा–C, काटन–E, हाफ कुर्ता–G, साड़ी–H-1, ब्लाउज–H-2, पेटीकोट–H-3, ब्रा–H-4, अंडरवियर–I1, बनियान–I2, स्वेटर–I3, एवं बुलेट–J-1 में रक्त पाया गया तथा जप्तशुदा काटन–A, चादर का टुकड़ा–C, कॉटन–E, हाफ कुर्ता–G, साड़ी–H-1, ब्लाउज–H-2, पेटीकोट–H-3, ब्रा–H-4, अंडरवियर–I1, बनियान–I2, स्वेटर I3 एवं बुलेट–J1 पर मानव रक्त होना पाया गया। उक्त कार्यवाही पश्चात् प्रकरण में विवेचना पूर्ण होने के पश्चात् विवेचक के द्वारा **धारा–302/34 भा.दं.सं. एवं धारा 25, 27 आयुध अधिनियम** अंतर्गत अंतिम प्रतिवेदन तैयार कर न्यायालय में पेश किया था।

03–(12). प्रकरण में विवेचना कार्यवाही के दौरान विवेचक व्दारा दस्तावेज **नजरी नक्शा प्रदर्श पी–1, शव परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श पी–2, 3, 4, 5, थाना प्रभारी दुर्ग द्वारा डॉ. बी.एन. देवांगन, असि.सर्जन, जिला– अस्पताल, दुर्ग को प्रेषित पत्र प्रदर्श पी–6,**

मुलाहिजा फार्म प्रदर्श पी–7, 7ए, डॉ. बी.एन. देवांगन, वरि. चिकित्सा अधिकारी, जिला–चिकित्सालय, दुर्ग द्वारा थाना प्रभारी, दुर्ग को मृतक के प्राप्त एक्सरे रिपोर्ट की क्यूरी के संबंध में प्रेषित पत्र प्रदर्श पी–8, 8ए, मृतकों की पर्ची पत्रक प्रदर्श पी–9, 10, अपराध अनुसंधान फार्म प्रदर्श पी–11, साक्षी राजू सोनवानी का पुलिस कथन प्रदर्श पी–12, फोटोग्राफस प्रदर्श पी–13,14,15,16,17,18,19, एफ.एस.एल. से प्राप्त प्रतिवेदन प्रदर्श पी–20, 21, कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला–दुर्ग द्वारा एफएसएल, रायपुर को प्रेषित जप्त सामग्रियों के परीक्षण के संबंध में पत्र प्रदर्श पी–22, कार्यालय राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, छ.ग. शासन रायपुर से प्राप्त परीक्षण प्रतिवदेन/ अभिमत पत्र प्रदर्श पी–22 एवं 24, मेन रोड गंजपारा, दुर्ग का रेखाचित्र प्रदर्श पी–25 एवं 26, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–27, अकाल एवं अकास्मिक मृत्यु की सूचना पंजी प्रदर्श पी–28 एवं 29, नोटिस प्रदर्श पी–30 एवं 31, नक्शा पंचायतनामा प्रदर्श पी–32 एवं 33, पंचनामा घटनास्थल के सामने सी.सी.टी.व्ही. संबंधित प्रदर्श पी–34, सबस्काइबर डिटेल्स रिकार्डर प्रदर्श पी–35 एवं 36, आईडिया सेलुलर लिमिटेड रायपुर का प्रमाण पत्र प्रदर्श पी–37 एवं 38, मॉ शारदा ट्रेडर्स आर्म्स एडं एमोनिसन डीलर का रसीद प्रदर्श पी–39 सी, दैनिक विक्रय पुस्तक प्रदर्श पी–40, रिलायंस जियो इनफोकॉम लिमिटेड का पत्र प्रदर्श पी–41 एवं प्रमाण पत्र प्रदर्श पी–42, सौरभ

गोलछा का प्रीपेड कस्टमर आवेदन फार्म प्रदर्श पी–43, सौरभ गोलछा का आधार कार्ड प्रदर्श पी–44, कार्यालय पुलिस अधीक्षक, दुर्ग द्वारा नोडल आफिसर रिलायंस जिओ, रिलायंस जिओ इंफोकाम लिमिटेड से मोबाईल नंबर 7000291510 का सी.डी.आर., कैप एवं साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी का प्रमाण पत्र हेतु प्रेषित पत्र प्रदर्श पी–45 एवं डिटेल्स प्रदर्श पी–46 एवं 47, घटनास्थल का नक्शा पंचायतनामा प्रदर्श पी–48, नोटिस प्रदर्श पी–49, जप्तीपत्रक प्रदर्श पी–50 एवं 51, मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी–52,जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–53 एवं 54, जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–55, मेमोरेण्डम प्रदर्श पी–56 एवं 57, पहचान पंचनामा प्रदर्श पी–58, कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट,दुर्ग का आदेश प्रदर्श पी–59, कार्यालय पुलिस अधीक्षक, दुर्ग द्वारा कलेक्टर, दुर्ग को आरोपीगण के विरूद्ध अभियोजन चलाने की अनुमति बाबत् प्रेषित पत्र प्रदर्श पी–60 सी, शव सुपुर्दनामा प्रदर्श पी–61 एवं 62, मौका नजरी नक्शा प्रदर्श पी–63 एवं 64, जप्तीपत्रक प्रदर्श पी–65, 66, 67, कार्यालय थाना प्रभारी दुर्ग द्वारा प्रभारी डॉग स्क्वाड, पुलिस लाईन, दुर्ग को प्रेषित पत्र प्रदर्श पी–68, गिरफतारी पत्रक प्रदर्श पी–69, 70, 71, गिरफतारी की सूचना प्रदर्श पी–72, 73, 74, कार्यालय थाना प्रभारी दुर्ग द्वारा श्रीमान् तहसीलदार दुर्ग को पटवारी नक्शा चाहने बाबत् प्रेषित पत्र प्रदर्श पी–75, कार्यालय थाना प्रभारी, थाना दुर्ग द्वारा पुलिस अधीक्षक, दुर्ग से थाना दुर्ग के अप.क्र.

01/2018 धारा 302, 34 एवं 25, 27 आयुध अधिनियम में 04 नग 7.65 कैलिबर के जिंदा कारतूस खरीदने की अनुमति चाहने बाबत् प्रेषित पत्र प्रदर्श पी–76, कार्यालय थाना प्रभारी, दुर्ग द्वारा पुलिस अधीक्षक, दुर्ग से थाना दुर्ग के अप.क्र. 01/2018, धारा 302, 34 भारतीय दंड संहिता एवं 25, 27 आयुध अधिनियम में परीक्षण हेतु खरीदा गया कारतूस के बिल भुगतान के संबंध में प्रेषित पत्र प्रदर्श पी–77, कार्यालय पुलिस अधीक्षक,दुर्ग द्वारा नोडल आफिसर रिलायंस जिओ, रिलायंस जिओ इंफोकाम लिमिटेड, रायपुर से थाना दुर्ग के अप.क्रं. 01/2018, धारा 302, 34 एवं 25, 27 आयुध अधिनियम में आरोपी संदीप जैन के मो.नं. 7000831319 का सी.डी.आर. एवं 65 बी का प्रमाण पत्र चाहने बाबत् पत्र प्रदर्श पी–78, कार्यालय पुलिस अधीक्षक, दुर्ग द्वारा नोडल आफिसर, आईडिया रिलायंस कम्युनिकेशन्स, रायपुर से थाना दुर्ग के अप.क्रं. 01/2018, धारा 302, 34 एवं 25, 27 आयुध अधिनियम में आरोपी संदीप जैन के मो. नं. 7697562121 का सी.डी.आर.एवं 65 बी का प्रमाण पत्र चाहने बाबत् पत्र प्रदर्श पी–79, कार्यालय पुलिस अधीक्षक,दुर्ग द्वारा नोडल आफिसर, रिलायंस, रिलायंस कम्युनिकेशन्स, रायपुर से थाना दुर्ग के अप.क्र. 01/2018 धारा 302, 34 एवं 25, 27 आयुध अधिनियम में आरोपी संदीप जैन के मो.नं. 9301801008 का सी.डी.आर.एवं 65 बी का प्रमाण पत्र चाहने बाबत् पत्र प्रदर्श पी–80, कार्यालय पुलिस

अधीक्षक, जिला–दुर्ग द्वारा संचालक, राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोग शाला टिकरापारा रायपुर को थाना दुर्ग के अप.क्र. 01/2018 धारा 302, 34 एवं 25, 27 आयुध अधिनियम के प्रकरण में जप्त सामग्रियों का परीक्षण रिपोर्ट देने बाबत् प्रेषित पत्र प्रदर्श पी–81, एफ.एस.एल. रायपुर से प्राप्त परीक्षण प्रतिवेदन अभिमत पत्र प्रदर्श पी–82, आरोपी संदीप जैन द्वारा आदरणीय भैया भंवर लाल जी बोहरा को प्रेषित पत्र प्रदर्श पी–83, कार्यालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, दुर्ग का आदेश प्रदर्श पी–84 सी एवं साक्षी सौरभ गोलछा का पुलिस कथन प्रदर्श पी–85 एवं पुलिस द्वारा प्रस्तुत सी.सी.टी.व्ही. फुटेज की रिकार्डिंग 10 डी.व्ही.डी. में आर्टिकल अंकित किया गया है, को पेश किया गया है।

03–(13). तत्पश्चात विवेचना उपरांत अभियोग पत्र **न्यायालय–मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उनके व्दारा प्रकरण** दिनांक 13.04.2018 को सत्र न्यायालय के विचारण योग्य होने से प्रकरण माननीय सत्र न्यायाधीश, दुर्ग को उपार्पित किया गया, जिसके पश्चात **यह प्रकरण दिनांक 16.04.2018 को माननीय सत्र न्यायाधीश** को प्राप्ति उपरांत **सत्र प्रकरण क्रमांक–56/2018** के तौर पर दर्ज किया गया और तत्पश्चात यह प्रकरण अंतरण पर **दिनांक 16.04.2018** को ही इस न्यायालय को प्रारंभिक स्तर पर विचारण हेतु प्राप्त हुआ।

04— मेरे पूर्वाधिकारी व्दारा आरोपी संदीप जैन को उसके विरूद्ध **धारा 302 (दो बार) भारतीय दंड संहिता एवं आयुध अधिनियम की धारा 25(1—ख) (क) एवं 27 (2)** तथा आरोपीगण भगत सिंह गुरूदत्ता एवं शैलेन्द्र सागर के विरूद्ध **आयुध अधिनियम की धारा 25(1—ख) (क)** के आरोप को पढ़कर सुनाया गया, जिसे उन्होंने अस्वीकार किया है। अभियोजन की ओर से **कुल 15 साक्षियों** का परीक्षण कराया गया है, तदुपरांत **धारा 313 दं0प्र0सं0** के अंतर्गत आरोपीगण का परीक्षण किया गया। जिस पर आरोपीगण ने स्वयं को निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना कहा। अभियुक्तगण से बचाव साक्ष्य की अपेक्षा किये जाने पर अभियुक्तगण भगत सिंह गुरूदत्ता एवं शैलेन्द्र सिंह सागर की ओर से बचाव साक्ष्य नहीं दिया जाना तथा आरोपी संदीप जैन व्दारा बचाव साक्ष्य दिया जाना व्यक्त किये जाने पर उनका अभिवाक् दर्ज किया गया। आरोपी संदीप जैन की ओर से **श्रीमती संतोष जैन (ब.सा.1)** का न्यायालय में परीक्षण कराया गया है।

05— अभियोजन की ओर से **अ.सा.1 छगन लाल सिन्हा (पटवारी), अ.सा.2 प्रभात कुमार वर्मा (रिटायर्ड पुलिस फोटोग्राफर), अ.सा.3 डॉ. बी.एन. देवांगन (मेडिकल आफिसर), अ.सा.4 अमित कुमार कुर्रे (आरक्षक), अ.सा.5 राजू सोनवानी, अ.सा.6 डॉ. टी.एल. चंद्रा (वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी), अ.सा.7 रोहित कुमार**

देशमुख (चपरासी कार्य–रावलमल के घर), अ.सा.8 सौरभ गोलछा, अ.सा.–9 सुरेन्द्र साहू (आरक्षक), अ.सा.10 हुसैन एम. जैदी (नोडल आफिसर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड), अ.सा.11 कुशल प्रसाद दुबे (गन डीलर), अ.सा.12 संजीव नेमा (नोडल आफिसर), अ.सा.13 शेख कलीम, अ.सा.14 नरसिंह राम एवं अ.सा.15 भावेश साव (निरीक्षक) का कथन कराया गया है।

06– उभयपक्ष व्दारा साक्ष्य की समाप्ति के उपरांत लिखित तर्क प्रस्तुत किया गया है और अपने–अपने पक्ष समर्थन में न्याय दृष्टान्त भी प्रस्तुत किये गये हैं। उभय पक्ष व्दारा मौखिक अंतिम तर्क भी प्रस्तुत किये गये है, जिनका संक्षेप में उल्लेख यहां किया जा रहा है, ताकि प्रकरण का न्यायसंगत निराकरण हो सके।

राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री सुरेश प्रसाद शर्मा व्दारा प्रकरण में विस्तृत मौखिक तथा लिखित तर्क पेश किया गया है, जो इस प्रकार है :–

01. रावलमल जैन का कारीडोर पर गोली लगने से मृत मिलना एवं मृतिका सूरजी बाई का अपने कमरे में गोली लगने से बिस्तर पर मृत मिलना एवं चोंट से खून बहना यह प्रमाणित करता है कि, चोंट तत्काल कारित की गई थी।

02. समय 05.54 मिनट 50 सेकंड में सूरजी बाई का फोन सौरभ गोलछा को आना और यह कहना कि, नाना गिर गये है जल्दी आओं, यह प्रमाणित करता है कि, 05.54 मिनट 50 सेकंड के तुरंत पहले रावलमल की हत्या कारित की गई थी एवं 06.02 मिनट 36 सेकंड के पूर्व सूरजी बाई की हत्या कारित किया है। यह तथ्य अकाट्य रूप से प्रमाणित है क्योकि कॉल डिटेल को फर्जी तैयार नहीं किया जा सकता और उपरोक्त के संबंध में कॉल डिटेल विधि अनुसार प्रमाणित हो चुका है जिसे आरोपी ने भी चुनौती नहीं दिया है।

03. घटना स्थल घर में दिनांक 31.12.2017 के शाम से एवं दिनांक 31.12.2017 के रात्रि तक एवं 01.01.2018 के सुबह सौरभ गोलछा के आने तक आरोपी संदीप जैन घटना स्थल पर अकेला मौजूद था। जिसकी पुष्टि आरोपी संदीप जैन के मोबाईल के सीडीआर से होती है जिससे यह सहज रूप से सिद्ध हो जाता है कि, आरोपी ने अपने माता–पिता सूरजी देवी एवं रावलमल का हत्या कारित किया है।

04. साक्ष्य अधिनियम धारा 106 – विशेषतः – ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार– जबकि कोई तथ्य विशेषतः किसी व्यक्ति के ज्ञान में है, तब, उस तथ्य को साबित करने का भार उस पर है। जब घर में सिर्फ आरोपी एवं उसके

माता–पिता है तब हत्या किसने किया, यह बताने का दायित्व आरोपी का है क्योकि यह मान्य तथ्य है कि, घर का दरवाजा स्वाभाविक रूप से अंदर से बंद रहता है, दरवाजा किसने खोला, उसके दस्ताना में बारूद का कण कैसे आया। इन सभी तथ्यों का स्पष्टीकरण सिर्फ आरोपी दे सकता है, इस बिन्दु पर आरोपी ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है।

05. इस प्रकरण में आरोपी का आचरण एक अभ्यस्त अपराधी की तरह है क्योकि इसने 294 द.प्र.सं. के तहत् अभियोजन द्वारा पेश आवेदन पत्र पर वर्णित समस्त तथ्यों को इंकार किया है। जिसमें घटना स्थल का नक्शा जहॉ आरोपी निवास करता है। माता–पिता का शव पंचनामा एवं सीन ऑफ क्राईम में पाई गई वस्तुयें सम्मिलित हैं।

06. मृतकगण की हत्या किये जाने का हेतुक सिर्फ आरोपी संदीप जैन के पास है अन्य किसी के पास नहीं है क्योकि रावलमल एवं सूरजी देवी के हत्या हो जाने से समस्त संपत्ति का मालिक आरोपी संदीप जैन हो गया है जो कि, रावलमल एवं सूरजी देवी के रहते संभव नहीं था एवं रावलमल ने संदीप के आचरणों को देखते हुये संपत्ति से बेदखल करने की धमकी दिया था, जिसके कारण आरोपी रावलमल की हत्या

किया एवं सूरजी देवी ने इसके संबंध में अपने नाती सौरभ गोलछा को फोन किया, जिसके कारण आरोपी ने अपने विरूद्ध साक्ष्य आ जायेगा समझकर अपने मॉ की हत्या कारित कर दिया। पूरे प्रकरण में किसी बाहरी व्यक्ति का अपराध कारित करने का उद्धेश्य नहीं है, जो कि बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण की कंडिका 15 से भी स्पष्ट है। जिसमें बताया गया है, कि, यह कहना सही है कि जब वह अपने नाना रावलमल जैन के घर गया तो बाहर का दरवाजा खुला था और कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था और यह कहना भी सही है कि घर के सभी सामान सुरक्षित अवस्था में थे।

07— अभियोजन पक्ष की ओर से अपने पक्ष के समर्थन में प्रस्तुत न्यायदृष्टांत **Supreme Court of India. Trimukh Maroti Kirkan vs State of Maharashtra on 11 October 2006, Appeal** (crl) 1341 of 2005 की कंडिका क्रं. 12, 13, 16 एवं 17 अवलोकनीय है। -

Para. 12 If an offence takes place inside the privacy of a house and n such circumstances where the assailants have all the opportunity to plan and commit the offence at the time and in circumstances of their choice, it will be extremely difficult for the prosecution to lead evidence to establish the guilt of the ac-

cused if the strict principle of circumstantial evidence, as noticed above, is insisted upon by the Courts. A Judge does not preside over a criminal trial merely to see that no innocent man is punished. A Judge also presides to see that a guilty man does not escape. Both are public duties. (see Stirland v. Director of Public Prosecution 1944 AC 315 quoted with approval by Arjit by Arijit pasayat, J. in state of Punjab vs. Karnail Singh (2003) 11 SCC 271). The law does not enjion a duty on the prosecution to lead evidence of such character which is almost impossible to be lead or at any rate extremely difficult to be lead. the duty on the prosecution is to lead such evidence which it is capable of leading, having regard to the facts and circumstances of the case. Here it is necessary to keep in mind Section 106 of the Evidence Act which says that when any fact is especially within the knowledge of any person, the burden of proving that fact is upon him.

The law does not require the prosecution to prove the impossible. All that it requires is the establishment of such a degree of probability that a prudent man may, on its basis, believe in the existence of the fact in issue. Thus, legal proof is not necessarily perfect proof; often it is nothing more than a prudent man's estimate as to the probabilities of the case.

31. The other cardinal principle having an important bearing on incidence of burden of proof is that sufficiency and weight of the evidence is to be considered- to use the words of Lord Mansfield in Blatch v. Archer (1774) I cowp 63 at p.65 " according to the proof which it was in the power of one side to prove and in the power of the have contradicted". Since it is exceedingly difficult, if not absolutely impossible for the prosecution to prove facts which are especially within the knowledge of the opponent or the accused, it is not obloged to prove them as parts of its primary burden.

16. In a case based on circumstantial evidence where no eye- witness account is available, there is another principle of law which must be kept in mind. The principle is that an incriminating circumstance is put to the accused and the said accused either offers no explanation or offers an explanation which is found to be untrue, then the same becomes an additional link in the chain of circumstances to make it complete. This view has been taken in a catena of decisions of this Court. (see State of Tamil Nadu v. jajendran (199) 8 SCC 679 (para6); State of U.P. v. Dr. Ravindra Prakash Mittal AIR 1992 SC 2045 (para 40); State of Maharashtra v. Suresh (2000) I SCC 471 (para27); Ganesh lal V. State of Rajashthan (2002) I SCC 731 (para15) and Gulab Chand v. State of M.P. (199) 3 SCC 574 (para 4)}

08— माननीय **उच्च न्यायालय, गुवाहाटी के निर्णय 2016 क्रिमिनल लॉ जनरल पेज 4627 की कंडिका 35 एवं 36** अवलोकनीय होना बताया गया है। इसके अलावा **माननीय उच्च**

न्यायालय छ.ग. बिलासपुर के निर्णय सी.जी.एल.जे. 2011(1) पेज नं. 149 (डी.बी.) में माननीय न्यायाधीश ने व्यक्त किया है कि,

Admittedly this is a special circumstance and it must be within the knowledge of the accused, therefore, in accordance with Section 106 of the Evidence Act, the appellant was under obligation to prove the fact that how his wife received injury and how she died. While dealing with the same question in the matter of Trimukh Maroti Kiran Vs. State of Maharashtra (supra), the Supreme Court held that if the offence was commited in the dwelling house. where the husband also resided and if the accused husnand did not offer any explanation as to the injuries received by his wife of the explanation is false, then there is strong circumstance which indicates that he committed the crime.

09— माननीय उच्च न्यायालय, छ.ग. बिलासपुर का निर्णय सी.जी.एल.जे. 2018 (1) पेज नं. 72 (डी.बी.) की कंडिका 10 में माननीय न्यायाधीश ने व्यक्त किया है कि,

If an offence takes place inside the privacy of a house and such circumstances where the asailants have all the opportunity to plan and commit the offence at the time and in circumstances of their choice, it will be extremely difficult for the prosecution to lead evidence to establish the guilt of the accused if the strict principle of circumstantail evidence, as noticed above, is insisted upon by the courts. A judge does not preside over a criminal trial merely to see that no innocent man is punished. A judge also presides to see that a guilty man does not ascape. Both are public duties. (See Stirland v. Director of public prosecutions (1944 AC 315)- quoted with approval by Arjit Pasayat, J in Satte of Punjab v. Karnail Singh (2003) 11 SCC 271). The law does not enjion a duty on the prosecution to lead evidence of such character which is almost impossible to be led or at any rate extermely difficult to be held. The duty on the prosecution is to lead such evidence which it is capable of leading, having regard to the facts and circumstances of the case. Here it is

necessary to keep in mind Section 106 of the Evidence Act Which says that then any fact is especially within the knowledge of any person, the burden of proving that fact is upon him.

10— माननीय उच्च न्यायालय मद्रास हाईकोर्ट (मदुरई बैंच) 2018 क्रिमिनल लॉ जनरल पेज नं. 2627 की कंडिका 18(2) अवलोकनीय है :—

When the deceased was under the care and custody of the first accused having taken asylum under one roof, it is within the personal knowledge of the first accused to explain the circumstances under which the deceased sustained penile injury. This is expected of the accused under Section (sic) 106 of the Indian Evidence Act. In the absence of the explanation comming from the mouth of the first accused. Then the first accused is impliedly responsible for the penile injuries sustained by the deceased.

11— माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत 2014 क्रिमिनल लॉ जनरल पेज नं. 4238 की कंडिका 7 अवलोकनीय है :—

We have also carefully considered the conspectus of the case and we do not harbour any doubt as to the guilt of the Convict. We reiterate the series of Judments passed by this Court Which effectively transfer the burden of proving innocence to those accused. who were living with the deceased within the confines of the home. In the present case, the bodies of the three deceased victims were exhumed after three to six weeks of their unnatral deat and no convincing explanation has been proffered by the Convict as to why he did not report their prolonged absence to the police.

12— माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत 2014 राजस्थान शासन विरूद्ध ठाकुर सिंह, निर्णय दिनांक 30. 06.2014 के कंडिका 16 एवं 17 अवलोकनीय है।

16. " This [Section 101] lays down the general rule that in a criminal case the burden of proof is on the prosecution and Section 106 is certainly not intended to relieve it of that duty. on the contrary, it is designed to meet ceratain exceptional cases in which it would be impossible, or at any rate disprotionately difficult, for the prosecution to establish facts which are "especially" within the knowledge of the accused and which he could prove without

difficulty or inconvenience. the word "especially" stresses that. It means facts that are pre-eminently or exceptionally within his knowledge. If the section were to be interprected otherwise, it would lead to the very starling conclusion that in a murder case the burden lies on the accused to prove that he did not commit the murder because who could know better than he whether he did or did not.

17. In a spcific instance in Trimukh Maroti Kirkan v. State of Maharashtra{3} this court held that when the wife is injured in the dwelling home where the husband ordinarily resides, and the husband offers no explanation for the injuries to his wife, then the cicumstances sould indicate that the husband is responsible for the injuries. It was said : " Where an accused is alleged to have committed the murder of his wife and the prosecution succeeds in leading evidence to show that shortly before the commission of crime they seen together of the offence takes place in the dwelling home where the husband also normally resided, it has been consistently held that if the accused does not offer any explanation how the wife received injuries or offer an explanation which is found to be false, it is a strong circumstance which indicates that he is responsible for commission of the crime.

13— मेमोरेंडम और जप्ती कार्यवाही के संबंध में न्याय दृष्टान्त **Rameshbhai Mohanbhai Koli & Ors vs State Of Gujarat on 20 October, 2010 Para 7 and 8** पेश किया गया है :—

7) In the instant case, all the eye-witnesses examined on the prosecution side have en bloc turned hostile due to influence and pressure of the accused persons which included a sitting MLA of the ruling party. This aspect has been analyzed by the trial Court while convicting and awardingsentence on the accused/appellants. This Court has noted and observed in a large number of cases that witnesses may lie but circumstances do not. On going through the entire materials, particularly, the chain of circumstances, we are satisfied that the prosecution has been successful in bringing home the guilt of the appellants herein for the commission of murder of Prakashbhai Raveshia and the eye-witnesses turning hostile, do not, in any manner, crate a dent in the case of the prosecution.

Hostile witness-

8) It is settled legal proposition that the evidence of a prosecution witness cannot be rejected in toto merely because the prosecution chose to treat him as hostile and cross examine him. The evidence of such witnesses cannot be treated as effaced or washed off the record altogether but the same can be accepted to the extent that their version is found to be dependable on a careful scrutiny thereof. (vide

Bhagwan Singh v. The State of Haryana, AIR 1976 SC 202; Rabindra Kumar Dey v. State of Orissa, AIR 1977 SC 170; Syad Akbar v. State of Karnataka, AIR 1979 SC 1848 and Khujji @ Surendra Tiwari v. State of Madhya Pradesh, AIR 1991 SC 1853).

9) In State of U.P. v. Ramesh Prasad Misra and Anr., AIR 1996 SC 2766, this Court held that evidence of a hostile witness would not be totally rejected if spoken in favour of the prosecution or the accused but required to be subjected to close scrutiny and that portion of the evidence which is consistent with the case of the prosecution or defence can be relied upon. A similar view has been reiterated by this Court in Balu Sonba Shinde v. State of Maharashtra, (2002) 7 SCC 543;Gagan Kanojia and Anr. v. State of Punjab, (2006) 13 SCC 516; Radha Mohan Singh @ Lal Saheb and Ors. v. State of U.P., AIR 2006 SC 951; Sarvesh Naraian Shukla v. Daroga Singh and Ors., AIR 2008 SC 320 and Subbu Singh v. State, (2009) 6 SCC 462.

10)In C. Muniappan & Ors. vs. State of Tamil Nadu, JT 2010 (9) SC 95, this Court, after considering all the earlier decisions on this point, summarized the law applicable to the case of hostile witnesses as under:

"70.1 The evidence of a hostile witness cannot be discarded as a whole, and relevant parts thereof which are admissible in law, can be used by the prosecution or the defence.

70.2 In the instant case, some of the material witnesses i.e. B. Kamal (PW.86); and R. Maruthu (PW.51) turned hostile. Their evidence has been taken into consideration by the courts below strictly in accordance with law.

70.3 Some omissions, improvements in the evidence of the PWs have been pointed out by the learned Counsel for the appellants, but we find them to be very trivial in nature.

71. It is settled proposition of law that even if there are some omissions, contradictions and discrepancies, the entire evidence cannot be disregarded. After exercising care and caution and sifting through the evidence to separate truth from untruth,exaggeration and improvements, the court comes to a conclusion as to whether the residuary evidence is sufficient to convict the accused. Thus, an undue importance should not be attached to omissions, contradictions and discrepancies which do not go to the

heart of the matter and shake the basic version of the prosecution's witness. As the mental abilities of a human being cannot be expected to be attuned to absorb all the details of the incident, minor discrepancies are bound to occur in the statements of witnesses.(vide Sohrab and Anr. v. The State of M.P., AIR 1972 SC 2020; State of U.P. v. M.K. Anthony, AIR 1985 SC 48; Bharwada Bhogini Bhai Hirji Bhai v. State of Gujarat, AIR 1983 SC 753; State of Rajasthan v. Om Prakash, AIR 2007 SC 2257;Prithu @ Prithi Chand and Anr. v. State of Himachal Pradesh, (2009) 11 SCC 588; State of U.P. v. Santosh Kumar and Ors., (2009) 9 SCC 626 and State v. Saravanan and Anr, AIR 2009 SC 151)"11) From the analysis of the statements, answers in the cross-examination, earlier statement under Section 164 of Cr.P.C. before the Magistrate and in the light of the above principles, we agree with the conclusion arrived at by the trial Court and approved by the High Court.

14— माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय **(2000) Supreme (SC) 1913 में कंडिका 19 एवं 20** में व्यक्त किये है कि, **The court has to consider the evidence of the Investigating officer who deposed to the fact of recovery bassed on the statement elicited from the accuesd on its own worth**. इसी तरह का न्यायिक दृष्टांत **CRLJ 2012 पेज नं0 672** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस को विश्वसनीय साक्षी माना है। मेमोरेंडम जप्ती के साक्षी जो कि, किसी अन्य प्रकरण में साक्षी रहा हो तो उसके साक्ष्य को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मान्य किया है। इस संबंध में न्याय दृष्टान्त **CRLJ 2012 पेज नंबर 4011** अवलोकनीय है।

The court cannot start with the presumption that the police record are untrustworthy. As a proposition of law the presumption should be the other way around. that official acts of the police have been regulary performed is a wise principle of presumption and recogised even by the legistaiture. Hence when a police officer gives evidence in court that a certion article was recovered by him on the strength of the statement made by the accused it is open to the court to believe the version to be correct if it is not otherwise shown to be unreliable. It is for the accused.

15– उपरोक्त बिन्दु पर **पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय** के न्याय दृष्टांत **Om pal Singh vs The State of U.T. Chhandigarh** on 3 July 2012 **की कंडिका** 23 में व्यक्त है कि, **मेमोरंडम जप्ती के लिए स्वतंत्र साक्षी का होना नियम में नहीं है। इस हेतु इस निर्णय की कंडिका 23** अवलोकनीय है :–

There is no such requirement of law that it is imperative to join an independent witness at the time of recovery under Section 27 of the Evidence act. The recovery in pursuance of disclosure statement under Section 27 of the Evidence act stands on a different footing than recoveries made on search, as envisaged under Section 100 cr.p.c.. In this view of the matter, the failure of PW-17 Mehboob Khan to support the case of the prosecution, does not cause any dent in the testimonies of the official witnesses, who have successfully withstood the test of cross examination, to shich they were subjected.

16– इसी तरह खुले स्थान से जप्ती के संबंध में उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत की कंडिका 24 अवलोकनीय है :–

There is another aspect of the case with reference to the recovery effected from the appellant. The recovery has been effected from an open place,

which may be accessible to the public. Recoveries effected from a place which is open and accessible to all, cannot be rendered doubtfull. if contrary view is taken by the court, most crimanals would be able to escape by keeping incriminating articles at a place which can be accessible to others. Reference in this context can made to limbaji v. State of maharashtra 2002(1) RCR (Crl.) 266.

17— अभियुक्त संदीप जैन के विद्वान अधिवक्ता श्री तारेन्द्र जैन व्दारा भी प्रकरण में विस्तृत मौखिक तर्क तथा लिखित तर्क भी पेश किया गया है, जो इस प्रकार है :—

प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अवलंबित है, प्रकरण के न्यायिक निराकरण के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सरद विरदीचंद सारडा वि. महाराष्ट्र राज्य** के प्रकरण में बनाए गए सिद्धांत की पूर्ति किया जाना अति आवश्यक है जो निम्नवत् है :—

A The circumstance from which the conclusion of guilt is to be drawn should be fully established.

B The facts so established should be consistent only with the hypothesis of the guilt of the accused that is to say they should not

explainable on any others hypothesis except that the accused is guilty.

C The circumstance should be of conclusive nature and tendency.

D They should exclude every possible hypothesis except the one to be proved and

E There must be a chain of evidence so complete as not to leave any reasonable ground for the conclusion consistent with the innocence of the accused and must so that in all human probability that the act must have been done by the accused.

A case can be said to be proved only when this is certain and explicit evidence and no person can be convicted and pure moral conviction.

18— एक अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय व्दारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि :—

Where though a grave suspicion arowse that the accused might have committed the crime but the circumstances established in case did not lead to the irresistible and the only conclusion that the accused was the author of crime and was the

murderer, the accused is entitle to get benefit of doubt.

Mere suspicion, however strong cannot take the place of legal proof 1979 Cri.L.J.566 (S.C.), 1981 Cr. L.J. (NOC) 188 (Orissa) Arjun Charan Jena Vs. The State

19– निराधार अभिकथनों के आधार पर ऐसे संगीन अपराध में किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता निष्कर्षित करते हुये अपीलार्थी को दोषमुक्त घोषित किया गया है। इस संबंध में न्याय दृष्टान्त **2003(2) C.G.L.J. - Page – 104 RAJKUMAR Vs. STATE OF M.P.(NOW C.G.)** पेश किया गया है।

20– परीक्षण हेतु लाए गए कपड़े को सीलबंद नहीं होने का कथन किया है जो कि, अभियोजन की कहानी को संदिग्ध बनाती है और ऐसे साक्षी के संबंध में निम्न न्यायदृष्टांत पेश किया गया है :–

Evidence Act. 1872–S.45 – Doctor examined as a witness– no presumption that doctor is always a witness of truth his statement has to be appreciated and examined like that of any witness-1983 J.L.J (S.N.12) Supreme Court. MAYUR PANABHAISHAH Vs. STATE OF GUJRAT.

21– दाण्डिक प्रथा–शंका कितनी भी बलवान क्यों न हो, निश्चयात्मक साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकती। इस संबंध में न्याय

दृष्टान्त 1999(1) MPWN Note–61 KARANLAL Vs. STATE OF MP अवलोकनीय होना उल्लेखित किया गया है।

22– अभियुक्त संदीप जैन की ओर से विशेषज्ञ साक्षी की राय के संबंध में उसकी राय अन्य साक्षियों के साथ सुसंगत हो सकना किंतु निर्णायक नहीं होना व्यक्त किया गया है, इस संबंध में निम्न न्यायदृष्टांत अवलोकनीय है :–

Acquittal - Murder Trial - Case based on circumstantial evidence -Chain not complete and conclusive-Conviction, set aside.

Indian Penal Code, 1860-Sec.300-Murder-Circumstatantial evidence -No independent witness was joined at the time of recovery despite presence of many persons on the spot-Statements of witnesses on the mode of travelling to the place of recovery inconsistent-**Report of the ballistic expert with respect to the fire arm belonging to the appellant used for committing the offence inconclusive**-Having accepted the views of the rial court holding that the last seen theory has not been proved, the High Court could not render conviction on the basis of evidence, which was rejected qua motive, through the mouth of PW2-No sufficient link to come to the irresistible conclusion pointing the guilt only to the appellant-Conviction, set aside.**2022 SAR (CRI.)**

Page- 932 (S.C.) RAVI SHARMA Vs. STATE (GOVT. OF NCT OF DELHI & ANR.

23– अन्वेषण अधिकारी द्वारा पिस्टल बदलकर साक्ष्य गढ़ा गया है, इस संबंध में निम्न न्याय दृष्टांत अवलोकनीय है :–

Criminal Trial–Fingerprints–Failure to examine the weapon of Murder for fingerprints to connect the accused with it extremely fatal to prosecution case. 1975 S.C.C.(Cri.) 530 – 531(Para-23) DATAR SINGH Vs. THE STATE OF PUNJAB

24– **मध्यप्रदेश पुलिस विनियमन तथा दण्ड संहिता** – धारा–302– अन्वेषण पक्षपात रीति से आरंभ हुआ– अन्वेषण अधिकारी उपस्थित नहीं होने से रोजनामचे में विलंब से प्रविष्टि हुई– अभियुक्त को कब बुलाने भेजा का समय उल्लेखित नहीं – **<u>पांव के खोजों की छाप लेने हेतु प्रयत्न नहीं किए गए</u>** – नाखूनों की कतरन, लूंछित केस और रक्त के दाग लगी वस्तुयें खो गई – प्रविष्टियों के लिखित होने के पश्चात् भी अभियुक्त को चिकित्सकीय परीक्षा हेतु नहीं भेजा– अभिनिर्धारित की दोषसिद्धि अपास्त करने योग्य है। **1990 Cr.L.R.(M.P.) 99 ISHWAR SINGH Vs. SATE OF M.P.**

25– साक्षी के बयान को प्रकरण में प्रस्तुत ना करना एवं उन्हें छिपाया जाना अभियोजन की कहानी एवं विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है एवं संदिग्ध बनाता है, इस संबंध में निम्न न्यायदृष्टांत अवलोकनीय है :–

Where the prosecution did not choose to rely on the earlier version of the prosecution witness recorded by the Head Constable after the receipt of first Information but relied on their statement subsequently related by the Sub-Inspector the suppression of the earlier statement is serious flow in the prosecution case and makes the court reasonably suspect that the earliest statements were not in line with the prosecution case and were deliberately suppressed. 1978 Cr.L.J. NOC – 134 (M.P.) GANPAT LAL & ORS. Vs. THE STATE OF M.P.

26– जहां तक पुलिस कथन का प्रश्न है तो उसका उद्देश्य केवल लोप एवं खण्डन के लिए होता है, इस संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की निम्न धारायें अवलोकनीय होना उल्लेखित किया गया है :–

धारा–161, 162(2) द.प्र.सं.– अन्वेषण के दौरान पुलिस को दिया गया बयान साक्ष्य का सारवान भाग नहीं होने एवं इसे केवल

कर्ता का विरोध करने के लिए किया जा सकता है, इस संबंध में न्याय दृष्टान्त **2022(2) CDHC-862 PARASRAM Vs. STATE OF CHHATTISGARH** उल्लेखनीय होना व्यक्त किया गया है।

27— आपराधिक ट्रायल — अभियुक्त द्वारा निरपराध प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं किन्तु अभियोजन को संदेह से परे अपराध स्थापित करना होता है। इस संबंध में न्याय दृष्टान्त **1987 CR.LR.(MP) Page No.- 69 BHANGADIYA Vs. STATE OF MP** अवलोकनीय होना उल्लेखित किया है।

28— दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा—100(4) — जहाँ जप्ती धारा—100(4) के उपबंधों के अनुसार नहीं की गई है और दो या अधिक स्वतंत्र प्रतिष्ठित साक्षी उसी क्षेत्र के नहीं बुलवाए गए हैं वहाँ जब तक की स्थानीय दो स्वतंत्र प्रतिष्ठित व्यक्तियों को न बुलाने के बारे में स्पष्टीकरण नहीं दिया जावे, वहाँ जप्ती संदेहात्मक हो जाती है। इस संबंध में न्याय दृष्टान्त मध्यप्रदेश राज्य विरूद्ध रामप्रकाश और अन्य 1989 मनिसा नोट नं.—50, पेज नं.—209—210 अवलोकनीय होना उल्लेखित किया है।

29— भारतीय दण्ड संहिता—1860 की धारा—302 के प्रकरण में अभियुक्त के कपड़ों के रासायनिक परीक्षण या सीरम विज्ञानी के रिपोर्ट के अभाव में तथा खुले स्थान से लोहे के रॉड की जब्ती के

आधार पर किसी अभियुक्त को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इस संबंध में न्याय दृष्टान्त 2003(1) C.G.L.J.320(C.G.) LALOO YADAV & ANR. Vs. STATE OF C.G अवलोकनीय होना उल्लेखित किया है।

30— साक्ष्य अधिनियम की धारा–27 के संबंध में सभी व्यक्तियों का उस स्थान तक जाना सुलभ होने की स्थिति में ऐसी बरामदगी को वर्जित होना उल्लेखित किया गया है तथा इस संबंध में न्याय दृष्टान्त 1990 Cr.L.R.(M.P.) 99 ISHWAR SINGH Vs. STATE OF M.P. अवलोकनीय होना उल्लेखित किया गया है।

31— साथ ही यह भी स्पष्ट है कि, **अभियुक्त के मेमोरेण्डम के पूर्व ही उन वस्तुओं की फोटोग्राफी, उन्हें हटाया जाना, वैज्ञानिक अधिकारियों द्वारा उनका परीक्षण कर लिया जाना इस तथ्य का शाश्वत प्रमाण है कि, उक्त वस्तुओं की जप्ती अभियुक्त की निशानदेही (मेमोरेण्डम) के आधार पर नहीं हुई है।** अतः ऐसे मेमोरेण्डम को साक्ष्य की श्रृंखला के रूप में नहीं जोड़ा जा सकता। इस संबंध में उनके व्दारा न्याय दृष्टान्त **ISHWAR SINGH Vs. STATE OF M.P. (उपरोक्त) अवलोकनीय होना उल्लेखित किया गया है।**

32— अभिकथित बरामद की गई सामग्रियाँ उस समय पुलिस के कब्जे में थी जब शव की मृत्यु समीक्षा तैयार की गई। इस प्रकार सामग्रियों के पूर्व में ही खोजे जाने तथा बरामदगी के एक दिन पूर्व पुलिस के कब्जे में होने के कारण यह नहीं कहा जा सकता है कि, अभिकथित बरामदगी अपीलार्थीगण के ज्ञापन पर की गई। इस प्रकार अभिकथित अपराधों को करने हेतु उन्हें फंसाने के लिए अपीलार्थीगण के विरूद्ध प्रयोग किए जाने हेतु ईप्सित परिस्थितियाँ अत्यधिक कमजोर तथा दोषसिद्धि को कायम रखने के लिए वैध रूप से ग्राह्य साक्ष्य के तुल्य नहीं होना इसलिए विचारण न्यायालय ने मृतक की हत्या करने हेतु अपीलार्थीगण को दोषसिद्धि करने के द्वारा विधि की त्रुटि किया तब दोषसिद्धि एवं दण्डादेश अपास्त की गई और अपीलार्थीगण दोषमुक्त किये गये, इस संबंध में न्याय दृष्टान्त **2018(4) C.D.H.C. 1788 (C.G.) SIYARAM & ORS Vs. STATE OF C.G. अवलोकनीय होना उल्लेखित किया है।**

There is no material on record in the case in hand to so that the instrument was ever produced before the sanctioning authority. Mere statement of the Arms Clerk who has been produced as PW-5 can simply prove the signatures of Collector. He could not prove that the Collector had applied his mind while granting the said sanction. The person

who had actually obtained the sanction must be produced. (Para-6) Page-239 & 240

33– न्याय दृष्टान्त 1998(1) J.L.J.236, RAJU DUBEY Vs. STATE OF M.P. में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि :–

साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27 में ज्ञापन का भूमिका स्वरूप भाग साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होना केवल जप्ती का भाग ही अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत साक्ष्य में ग्राह्य होना उल्लेखित किया है।

34– न्याय दृष्टान्त 2013(1) C.G.L.J.– 1 (DB) UTTAM KUMAR Vs. STATE OF C.G. में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि :–

मध्यप्रदेश पुलिस विनियमन तथा दण्ड संहिता की धारा–302 में अन्वेषण पक्षपात रीति से आरंभ हुआ अन्वेषण अधिकारी उपस्थित नहीं होने से रोजनामचे में विलंब से प्रविष्टि हुई – अभियुक्त को कब बुलाने भेजा का समय उल्लेखित नहीं पांव के खोजों की छाप लेने हेतु प्रयत्न नहीं किए गए– नाखुनों की कतरन, लूंछित केस और रक्त के दाग लगी वस्तुएँ खो गई प्रविष्टियों के लिखित होने के पश्चात् भी अभियुक्त को चिकित्सकीय परीक्षा हेतु नहीं भेजा अभिनिर्धारित की दोषसिद्धि अपास्त करने योग्य होना मान्य किया गया है।

35– न्याय दृष्टान्त **1990 Cr.L.R.(M.P.) 99 ISHWAR SINGH Vs. SATE OF M.P** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि :–

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 157 में मजिस्ट्रेट को तत्काल सूचना नहीं भेजे जाने पर धारा 157 की अनुपालना नहीं होना उल्लेखित किया गया है, विलंब से अभियोजन के कथन के संबंध में गंभीर संदेह उत्पन्न होता है और ऐसी रिपोर्ट पर विश्वास भी नहीं किया जा सकना उल्लेखित किया गया है।

36– न्याय दृष्टान्त **1990 Cr.L.R.(M.P.) 99/101 ISHWAR SINGH Vs. STATE OF M.P.** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि :–

साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27 में आग्नेय और खाली कारतूसों की बरामदगी को विशेषज्ञ को भेजे जाने के पूर्व उनका मालखाने में सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाना साबित नहीं बरामद किए जाने का कोई मूल्य नहीं होना उल्लेखित किया गया है।

37– न्याय दृष्टान्त **1998 (1) J.L.J. Page– 217-218 JAGDISH CHANDRA Vs. STATE OF MP** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि :– **शंका कितनी भी बलवान क्यों न हो निश्चात्मक साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकती।**

38— न्याय दृष्टान्त LALOO YADAV & ANOTHER Vs. STATE OF C.G 2003(1) C.G.L.J. 320 (C.G.) में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि, खुले स्थान से जप्ती के आधार पर किसी अभियुक्त को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

39— दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा—41 तथा 155 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि, गिरफ्तार करने वाला अन्वेषण अधिकारी एक ही व्यक्ति नहीं हो सकता।

40— जब परिस्थितिजन्य साक्ष्य की परिस्थितियों की श्रृंखला लुप्त हो और सम्पूर्ण मानवीय अधिसंभाव्यता में यह सिद्ध हो जाये कि, अपराध कारित किया गया था और अभियुक्त के दोष की परिकल्पना को छोड़कर अन्य किसी भी परिकल्पना के बारे में स्पष्टीकरण के अयोग्य हो तो दोषसिद्धि का समर्थन नहीं किया जा सकता है — (विजय शंकर, (2015) 12 एस.सी.सी.644 विश्वासित) (पैरा—17 एवं 18) 2018(2) C.G.L.J. 45(DB) KARTIKRAM DEVANGAN Vs. STATE OF C.G.

Penal code 1860 – SS.300 – Circumstantial evidence – Recovery of clothes stained with human blood from accused - This can not be regarded as conclusive evidence incriminating accused. 1977 A.I.R.(S.C.) Page-381 NAMDEV DAULAT DHAYAGUDE & ORS. Vs. STATE OF M.S.

(स) परिस्थितिजन्य साक्ष्य– परिस्थितिजन्य साक्ष्य न केवल विश्वसनीय होना चाहिए बल्कि तथ्यों की श्रृंखला पूर्णतः जुड़ी होनी चाहिए ताकि उनसे एक ही निष्कर्ष निकाला जा सके कि, अभियुक्त ही दोषी है। इस संबंध में न्याय दृष्टान्त 2013(1) C.G.L.J. – 337 (C.G.) GAUKARAN & ANOTHER Vs. STATE OF C.G अवलोकनीय है।

41– उपरोक्त न्याय दृष्टान्तों में विवेचित तथ्यों के प्रकाश में आरोपी संदीप जैन के विद्वान अधिवक्ता व्दारा प्रकरण के **चिकित्सक साक्षी डॉ. बी.एन. देवांगन (अ.सा.3)** के साक्ष्य में आये बिन्दुओं की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कराया है जो इस प्रकार है :–

यह साक्षी प्रकरण का महत्वपूर्ण साक्षी है जिसने मृतकगण का पोस्टमार्टम किया है, इस साक्षी ने मृतकगण को आई सभी चोटों को मृत्यु पूर्व की होना अपने **मुख्य परीक्षण की कंडिका–5 एवं 15** में बताया है तथा सभी चोंट गनशॉट इन्जुरी में आना बताया है एवं कंडिका–17 में कथन किया है कि, सूरजीबाई के शरीर के अंदर की बुलेट की स्थिति जानने के लिए एक्स–रे फिल्म लिया गया था जो दो बुलेट सीने के दाहिने तरफ था, इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण की कंडिका–3, 4 एवं 5 में मृतक रावलमल के शरीर में एब्रेजन पाया जाना स्वीकार किया है, इस साक्षी ने अपने प्रति परीक्षण की कंडिका–28 में यह स्वीकार किया है कि, दोनों शवों के पोस्टमार्टम

की कोई विडियो रिकार्डिंग नहीं की गई है, इस साक्षी ने पैरा–29 में यह कथन किया है कि, ''यह आवश्यक नहीं है कि, पोस्टमार्टम दो चिकित्सकों द्वारा किया जाए जबकि दो चिकित्सकों द्वारा पोस्टमार्टम किए जाने का सामान्य नियम विधि में निर्धारित है।'' तथा अन्वेषण अधिकारी ने भी अपने पोस्टमार्टम हेतु आवेदन में दो चिकित्सकों से परीक्षण कराए जाने का अनुरोध किया है।

42– इस साक्षी ने अपने प्रति परीक्षण की कंडिका–31 एवं 32 में यह स्वीकार किया है कि, इसने पोस्टमार्टम समाप्ति का समय नहीं लिखा है तथा पैरा–36 में यह स्वीकार किया है कि, ''यह कहना सही है कि, किसी व्यक्ति से हाथापाई होने पर मृतक रावलमल जैन को आई खरोंचे आना संभावित है, ऐसी स्थिति में अभियुक्त संदीप के नाखून आदि का परीक्षण अन्वेषण अधिकारी द्वारा ना कराया जाना संदिग्धता को जन्म देता है कि, मृतक रावलमल जैन और उसे मारने वाले के बीच में हाथापाई हुई होगी परन्तु वास्तविक अपराधी को छोड़कर एवं ढूंढ़ने का प्रयास ना कर अन्वेषण अधिकारी द्वारा आरोपी संदीप के विरूद्ध झूठा अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है और इस हेतु अन्वेषण अधिकारी के पास पर्याप्त हेतुक उपलब्ध था।

43– साक्षी ने कंडिका–38 में एक्स–रे रिपोर्ट को प्र. पी.–9 एवं प्र.पी.10 अंकित कराया है परन्तु अपने प्रति परीक्षण की

कंडिका–40 में यह स्वीकार किया है कि, ''उसने उक्त दोनों शवों का एक्स–रे नहीं किया था तथा आगे यह साक्षी यह भी कथन किया है कि, उसने पुलिस को ऐसी कोई सलाह नहीं दी थी कि, शवों के पोस्टमार्टम के पहले एक्स–रे कराया जाये। इस साक्षी ने पैरा–37 के अंतिम तीन लाईनों में यह भी स्वीकार किया है कि, मृतक रावलमल जैन को उक्त खरोंचे कैसे आई है, वह नहीं बता सकता। पुलिस ने उससे मृतक रावलमल जैन को आई खरोंचों के बारे में कोई क्वेरी नहीं की थी, साक्षी के उक्त कथन से भी संदिग्धता का जन्म होता है कि, प्रकरण में अन्वेषण अधिकारी द्वारा स्वच्छ एवं निष्पक्ष अन्वेषण नहीं किया गया है।

44— यह साक्षी पैरा–38 में यह भी स्वीकार किया है कि, दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई मोड ऑफ डेथ नहीं बताया है, इस साक्षी के प्रति परीक्षण की कंडिका–41 का अवलोकन करें तो साक्षी ने कथन किया है कि, ''उसने मृतक रावलमल जैन के शरीर में फंसी दो गोलियों को नहीं निकाला था, नहीं निकालने का कारण नहीं बता सकता।'' साथ ही इस साक्षी ने अपने प्रति परीक्षण की कंडिका–39 में यह स्वीकार किया है कि, ''उस पर दोनों शवों का पोस्टमार्टम करते समय कोई दबाव शीघ्र करने हेतु नहीं था।'' इसने अपने प्रति परीक्षण की कंडिका–54 में पास से मारने पर गोली प्रवेश करने के भाग जिगजेग जैसा होना एवं कंडिका–53 में लेसरेटेड

जैसा होना बताया है जबकि पैरा–55 में लेसरेटेड वुंड और जिगजेग वुंड की प्रकृति को अलग होना बताया है तथा पैरा–56 में परीक्षण हेतु लाए गए कपड़े को शील बंद नहीं होने का कथन किया है जो कि, अभियोजन की कहानी को संदिग्ध बनाती है।

45– आरोपी संदीप जैन की ओर से उसके लिखित तर्क में उल्लेखित किया गया है कि, अभियोजन द्वारा पिता–पुत्र के मध्य विवाद बताकर इस कारण ही आरोपी संदीप द्वारा रावलमल की हत्या किए जाने की कहानी को बल दिया जा रहा है और इसे ही हेतुक बताने का प्रयास किया जा रहा है जबकि पिता–पुत्र के मध्य विवाद था ऐसा प्रमाणित कर पाने में अभियोजन पूर्णतः असफल रहा है और ऐसा कोई भी साक्ष्य प्रकरण में उपस्थित नहीं है, इसके विपरीत अ.सा.–5 जो कि, स्वतंत्र साक्षी है, ने अपने प्रति परीक्षण की कंडिका–17 में पिछले 4–5 साल से मृतक रावलमल जैन के घर ड्राईवरी करना स्वीकार किया है। अभियोजन द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है कि, आरोपी संदीप जैन ने सम्पत्ति के लालच में रावलमल एवं सूरजीबाई की हत्या करने के आशय से जानबूझकर अपनी पत्नि संतोष जैन एवं पुत्र संयम जैन को दल्ली राजहरा छोड़ दिया था जबकि इस साक्षी ने अपने प्रति परीक्षण की कंडिका–19 में यह स्वीकार किया है कि, ''यह कहना सही है कि, संयम की स्कूल की गर्मी एवं सर्दी की छुट्टी होने पर संतोष जैन

अक्सर अपने मायके अपने पुत्र के साथ जाती थी। यह कहना सही है कि, अधिकांशतः संदीप जैन उन्हें छोड़ने जाता था और छोड़कर आ जाता था। इस साक्षी के उक्त कथन के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि, 26—12—2017 को आरोपी संदीप हत्या करने की नीयत से अपनी पत्नि एवं बच्चे को दल्लीराजहरा छोड़ा था।

46— ऐसी स्थिति में उक्त तथ्य का लाभ अभियोजन प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, इसके अतिरिक्त इस साक्षी ने अपने प्रति परीक्षण की कंडिका—20 एवं 21 में यह स्वीकार किया है कि, जब भी रावलमल की तबियत खराब होती थी तो संदीप जैन उन्हें अस्पताल ले जाता था एवं उनकी हर छोटी—बड़ी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला केवल संदीप जैन ही था तथा इस तथ्य का समर्थन **अ.सा.—7 रोहित कुमार देशमुख एवं अ.सा.8 सौरभ गोलछा तथा ब.सा.—1 श्रीमती संतोष जैन** ने भी किया है।

47— इस प्रकार मृतक रावलमल जैन एवं आरोपी संदीप जैन के बीच विवाद संबंधी अभियोजन की कहानी स्वमेव ध्वस्त हो जाती है। इस साक्षी ने अपने प्रति परीक्षण की कंडिका—22 में यह स्वीकार किया है कि, ''यह कहना सही है कि, कई बार ऐसा अवसर आता था कि, घर में केवल रावलमल, सूरजीबाई एवं संदीप जैन ही अकेले निवास करते थे। यह कहना सही है कि, इस घटना के तीन—चार माह पूर्व भी संतोष जैन व संयम अपने परिवार के साथ

तीर्थ यात्रा पर गए थे, उक्त आठ–दस दिनों में केवल उक्त तीन लोग ही घर पर थे तथा कंडिका–23 में यह भी स्वीकार किया है कि, आरोपी संदीप जैन के घर में पारिवारिक माहौल अच्छा था। उपरोक्त सभी तथ्यों की पुष्टि अ.सा.–7, 8 एवं ब.सा.–1 ने भी की है। इस प्रकार रावलमल द्वारा डांट–डपट करने एंव रावलमल से संदीप के डरने के कारण एवं सम्पत्ति के लालच में संदीप द्वारा अपनी पत्नि एवं बच्चे को मायके भेजकर अपने माता–पिता की हत्या किए जाने की अभियोजन की कहानी मनगढ़ंत सिद्ध होती है। साथ ही अभियोजन द्वारा इस अभियोग पत्र में यह बताने का प्रयास किया गया है कि, रावलमल जैन द्वारा संदीप को सम्पत्ति से बेदखल करने की धमकी दिए जाने के कारण एवं इकलौता वारिस होने से सम्पत्ति हथियाने की गरज से संदीप द्वारा रावलमल जैन की षडयंत्रपूर्वक हत्या की गई है परन्तु अभियोजन अपनी उक्त कहानी को पुष्ट करने के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

48– आरोपी संदीप जैन की ओर से यह भी उल्लेखित किया गया है कि, जहाँ तक संदीप जैन के इकलौते वारिस होने का अभिकथन है तो इस संबंध में बचाव पक्ष का तर्क है कि, यदि वह इकलौता वारिस है तो अंततः सम्पत्ति उसी की ही है, अतः उक्त आधार पर हत्या जैसे जघन्य अपराध की परिकल्पना नहीं की जा सकती, साथ ही प्रकरण में यह भी स्थापित है कि, संदीप,

रावलमल एवं सूरजीबाई की सम्पत्ति का इकलौता वारिस नहीं है क्योंकि अ.सा.–8, रावलमल की सगी पुत्री का बेटा है और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में विवाहित पुत्री को भी अपने माता–पिता की सम्पत्ति में समान अधिकार प्राप्त करने का अधिकार है, ऐसी स्थिति में अभियोजन का यह तर्क भी अविश्वसनीय हो जाता है कि, एक मात्र वारिस होने के कारण सम्पत्ति हथियाने के आशय से संदीप जैन ने अपने माता–पिता की हत्या की है। आरोपी संदीप जैन की ओर से प्रस्तुत लिखित तर्क में यह भी उल्लेखित किया गया है कि, आपराधिक विचारण में अभियोजन की परिकल्पनाओं पर निर्भर होकर आरोपी को दण्डित नहीं किया जा सकता, इसके विपरीत अभियोजन को उसकी कहानी संदेह से परे प्रमाणित करनी होगी जिसे करने में इस प्रकरण में अभियोजन पूर्णतः असफल रहा है।

49– आरोपी संदीप जैन की ओर से प्रकरण में जप्त पिस्टल के संबंध में व्यक्त किया गया है कि, **शस्त्र जाँच प्रतिवेदन प्रदर्श डी–5 में आरमोरर के पास भेजे गए पिस्टल में बाएं साईड पर यू.एस.ए. लिखा तथा बेरल के ऊपर ओनली आर्मी लिखे होने का उल्लेख किया है** एवं उक्त पिस्टल को आरमोरर से जाँच के पश्चात् सीलबंद कर वापस करने का उल्लेख भी प्रदर्श डी–5 में है तत्पश्चात् पिस्टल को बैलेस्टिक एक्सपर्ट को भेजा जाना कहा गया

है तथा बैलेस्टिक एक्सपर्ट ने अपने मुख्य परीक्षण की कंडिका–14 में यह कथन किया है कि, उनके कार्यालय में दिनांक 18–01–2018 को सीलबंद नौ पैकेट प्राप्त हुआ जो क्रमशः A से I तक चिन्हांकित था, पैकेट में पाई गई सील नमूना सील के सदृश्य थी जबकि अन्वेषण अधिकारी भावेश साव ने यह स्वीकार किया है कि, लाईन की अलग सील है, ऐसी स्थिति में उक्त पिस्टल के पैकेट पर आरमोरर अर्थात पुलिस लाईन की सील ना होकर बैलेस्टिक एक्सपर्ट को थाना दुर्ग की सील मिलना संदिग्धता को जन्म देता है, जिससे यह उपधारणा किया जा सकता है कि, कहीं ना कहीं अन्वेषण अधिकारी द्वारा पिस्तौल को बदल दिया गया है और फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट उपलब्ध होने के बाद भी आरोपी के फिंगर प्रिंट नहीं लिए गए क्योकि उक्त पिस्टल का उपयोग आरोपी ने नहीं किया था तथा जप्ती पत्र प्र.पी.53 में पिस्टल में यू.एस.ए. एवं ओनली आर्मी लिखे होने का उल्लेख नहीं है जो इस तथ्य का प्रमाण है कि, अन्वेषण अधिकारी द्वारा पिस्टल बदलकर साक्ष्य निर्मित किया गया है।

50– आरोपी संदीप जैन की ओर से यह भी उल्लेखित किया गया है कि, प्रकरण के साक्षी **अ.सा.7 रोहित कुमार देशमुख** के कथन में आये तथ्यों को उद्धरित किया गया है जिसमें उसके व्दारा यह कथन किया गया है कि,.....**"पुलिस वाले ने स्टेट बैंक के पास, पुराना थाना दुर्ग में तीनों जगह पूछताछ किए थे यह कहना**

सही है कि, तीनों जगह पुलिस वालों ने बयान लिया था'' परन्तु प्रकरण में केवल एक बयान प्रस्तुत किया गया है इससे साधारणः यह अनुमान लगाया जा सकता है कि, पुलिस वाले अपने अनुरूप इस साक्षी का बयान लिखे हैं, यद्यपि इस साक्षी ने पुलिस वालों द्वारा धमकी देने से इंकार किया है परन्तु इस साक्षी के दो बयान को प्रकरण में प्रस्तुत ना करना एवं उन्हें छिपाया जाना अभियोजन की कहानी एवं विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है एवं संदिग्ध बनाता है।

51— आरोपी संदीप जैन की घटना स्थल पर उपस्थिति के संबंध में मुख्य रूप से प्रकरण के साक्षी **सौरभ गोलछा (अ.सा.8)** के साक्ष्य का उल्लेख करते हुये यह वर्णित किया है कि :—

> ''**1.** सौरभ गोलछा इस प्रकरण का अत्यंत महत्वपूर्ण साक्षी है, उसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि, 01.01.2018 को सुबह करीब 6:00 बजे उसकी नानी सूरजीबाई का मेरे मोबाईल पर फोन आया कि, नाना जी गिर गए हैं, जल्दी से आ जाओ फिर वह अपनी कार से उनके घर गंजपारा गया, अंदर जाने पर उसने देखा कि, नाना जी कॉरिडोर में गिर थे, मैंने अपने नाना को हिलाने—डुलाने की कोशिश की मगर वह नहीं उठे तो मैं नानी जी के कमरे में गया तो देखा कि, नानी अपने बिस्तर पर लहु—लुहान अपने बिस्तर पर गिरी थी, नानी की शरीर में गोली लगी थी और बाजू में बुलेट भी पड़ी थी फिर मैं अपने नानाजी के पास गया

तो मैंने देखा उन्हें भी गोली लगी है, उसके बाद मैं अपने मामा आरोपी संदीप जैन के कमरे में उन्हें उठाने गया फिर हम दोनों नीचे आए तो मेरे मामा नाना–नानी जी से लिपटकर फुट–फुटकर रोने लगे मेरे मामा ने कहा कि, सब रिश्तेदारों को फोन करो और फिर पुलिस में खबर करो तब मैंने डॉक्टर संजय गोलछा, गौतमचंद बोथरा आदि लोगों को फोन किया और थाने में जाकर खबर किया उसके बाद मेरे साथ एक हवलदार आए थे।''

''2. उसके मामी का नाम संतोष है, उनके लड़के का नाम संयम है जो कि, घटना दिनांक को दल्लीराजहरा में थे, इस साक्षी ने अपने द्वारा लिखाए गए प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र. पी.–27 से एवं मर्ग इंटीमेशन को प्र.पी.–28 एवं 29 से चिन्हांकित कराया है, शव पंचनामा नोटिस को प्र.पी.–30 एवं 31 तथा शव पंचनामा को क्रमशः प्र.पी.–32 एवं 33 से चिन्हांकित कराया है तथा प्रकरण में 01–01–2018 को बयान देना कहा है। घटना दिनांक को चौकीदार के नहीं आने एवं घर में प्रवेश करने का एक मात्र दरवाजा होने का कथन किया है, अब यदि इस साक्षी के प्रति परीक्षण का अवलोकन करें तो इस साक्षी ने अपने प्रति परीक्षण की कंडिका–13 में यह स्वीकार किया है कि, ''यह कहना सही है कि, आरोपी

संदीप जैन के घर का महौल शांतिप्रिय था, यह कहना सही है कि, मैंने कभी भी आरोपी संदीप जैन एवं उसके माता–पिता का वाद–विवाद होते नहीं देखा था। यह कहना सही है कि, मेरे नाना मृतक रावलमल और आरोपी संदीप जैन प्रत्येक कार्य लगभग साथ–साथ करते थे तथा यह भी स्वीकार किया है कि, **मृतक रावलमल जैन ने अपने जीवन काल में आरोपी संदीप जैन को नगपुरा मंदिर का मैनेजिंग ट्रस्टी एवं आरोग्यम अस्पताल का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए थे तथा पैरा–14 में यह भी स्वीकार किया है कि, मृतक रावलमल जैन के मंदिर का कार्य और उनके ईलाज से संबंधित कार्य आरोपी संदीप जैन ही करता था, इस साक्षी की उक्त स्वीकारोक्ति से अभियोजन की यह कहानी स्वयं ध्वस्त हो जाती है कि, मृतक रावलमल और संदीप के मध्य संबंध अच्छे नहीं थे जिसके कारण संदीप ने रावलमल की हत्या की है। इस प्रकार रावलमल की हत्या के पीछे आरोपी संदीप के हेतुक को प्रमाणित कर पाने में अभियोजन पूर्णतः असफल रहा है।** इस साक्षी ने अपने प्रति परीक्षण की कंडिका–16 में यह भी स्वीकार किया है कि, **"उसके सामने पुलिस वाले ने रावलमल जैन के ऑफिस में काले रंग के बैग में रखे दो–दो हजार के 37 बंडल उठाया था जिसकी पुष्टि बचाव साक्षी संतोष जैन**

के कथनों से एवं दैनिक समाचार पत्र प्र.डी.–8 से भी होती है।" चूंकि रावलमल जैन, सूरजीबाई के मृत्यु के पश्चात् उक्त रकम को क्लेम करने वाला एक मात्र संदीप जैन ही था, अतः उक्त रकम को हड़प करने के आशय से और संदीप क्लेम ना कर सके इस आशय से पुलिस ने संदीप को झूठी कहानी का निर्माण कर जेल भेज दिया, इससे यह स्पष्ट है कि, आरोपी संदीप पर झूठा दोषारोपण करने का पुलिस के पास पर्याप्त हेतुक था तथा इस तथ्य को अभियोजन द्वारा साक्षी सौरभ गोलछा, साक्षी संतोष जैन एवं प्रिंट मिडिया में छपी खबर से लाख प्रयास के बाद भी खण्डित नहीं किया जा सका है।''

"3. इस साक्षी ने अपने प्रति परीक्षण की कंडिका–19 में बचाव पक्ष के इस महत्वपूर्ण सुझाव को जो अभियुक्त संदीप की निर्दोषिता को प्रकट करता है, स्वीकार किया है कि, ''यह कहना सही है कि, जब वह संदीप के कमरे में गया तो बाहर से दरवाजा खटखटाया था, उसे लगा कि, संदीप सोई हुई स्थिति में है उसने कहा कि, कौन है। तब उसने आरोपी संदीप को बताया कि, वह सौरभ है, नीचे नाना–नानी को गोली लग गई है जल्दी दरवाजा खोलो, संदीप ने दरवाजा खोला किन्तु दरवाजा नहीं खुला, उसने देखा कि, बाहर से कुंडी लगी है, तब उसने कुंडी खोला। आरोपी संदीप के कमरे

में जाने का वही एकमात्र दरवाजा है उस दरवाजे के खोले बिना ना तो कोई अंदर जा सकता है ना ही बाहर निकल सकता है। साक्षी की उक्त स्वीकारोक्ति से यह तथ्य संदेह से परे प्रमाणित हो जाता है कि, रावलमल एवं सूरजी देवी को मारने वाला कोई अन्य व्यक्ति था जिसने चालाकी पूर्वक पहले संदीप को उसके कमरे में बाहर से बंद किया और हत्या कर फरार हो गया, क्योंकि संदीप यदि हत्या करता तो अन्य व्यक्ति की सहायता के बैगर उसके रूम के दरवाजे के बाहर की कुंडी लगा पाने की सोच भी नामुमकिन है, जहाँ एक ओर अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष यह प्रकट करने का प्रयास किया गया है कि, घर में एक प्रवेश द्वार है इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति दूसरे रास्ते से प्रवेश नहीं कर सकता, वहीं दूसरी ओर इस साक्षी ने अपने प्रति परीक्षण की कंडिका–20 में स्वीकार किया है कि, ''यह कहना सही है कि, घटना स्थल घर के पीछे गली है उस गली से सीढ़ी आदि के माध्यम से कोई व्यक्ति चढ़कर दीवार के ऊपर लगी जाली में पहुंच सकता है जिससे जाली का ही गेट लगा है जो घटना दिनांक तक खुला रहता था और वहाँ से कोई आदमी घर के भीतर हॉल में प्रवेश कर सकता है और हॉल से नीचे घटना स्थल पर पहुंच सकता है तथा अ.सा.–15 अन्वेषण अधिकारी

भावेश साव ने भी अपने प्रति परीक्षण की कंडिका–47 में यह स्वीकार किया है कि, ''यह कहना सही है कि, टाटा–एस जहाँ खड़ी थी उससे लगी घटना स्थल वाले मकान की रेलिंग तक की ऊँचाई 8.5 फीट है। यह कहना सही है कि, रेलिंग से उसका आशय जाली से है।'' जाली के ऊपर कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ है स्वतः कहा कि, जाली के ऊपर छत है जहाँ जाकर उसने नहीं देखा तथा साक्षी सौरभ अ.सा.–8 ने भी अपने प्रति परीक्षण की अंतिम दो लाईनों में यह कथन किया है कि, ''उसने पुलिस को पूछने पर उक्त बात बता दी थी पर पुलिस वालों ने कोई मुआयना नहीं किया। इसका अर्थ यह कि, पुलिस द्वारा जानबूझकर मकान में प्रवेश के अन्य रास्तों को छिपाने का प्रयास किया है। इस साक्षी ने कंडिका–22 में आरोपी को धार्मिक प्रवृत्ति का होने धार्मिक कार्यों में रूचि लेने तथा समाज में प्रतिष्ठित होने एवं कवि होने के संबंध में भी कथन किया है जो कि, आरोपी के चरित्र को स्पष्ट करता है।''

''4. कंडिका–24 में इस साक्षी ने घटना दिनांक के लगभग माह डेढ़ माह पूर्व अपने पिता के साथ तीर्थ यात्रा पर जाना एवं उसमें आरोपी की पत्नि एवं पुत्र का जाना भी स्वीकार किया है तथा उस समय भी घर पर आरोपी

संदीप एवं नाना–नानी मात्र का रहना व्यक्त किया है जिसकी पुष्टि गवाह रोहित के बयान से होती है इससे यह स्पष्ट है कि, कई मौकों पर संदीप अपने माता–पिता के साथ अकेले घर में निवास करता था, अतः ऐसी स्थिति में अभियोजन की यह उपधारणा खण्डित हो जाती है कि, संदीप ने अपने माता–पिता की हत्या कारित करने के आशय से अपनी पत्नि एवं पुत्र को दल्लीराजहरा छोड़ दिया था।

"**5.** जहाँ एक ओर अ.सा.–7 रोहित ने अपने कथन में दिनांक 30–12–2017 को उसे आरोपी द्वारा 31–12–2017 की रात आने से मना किये जाने का कथन किया है एवं दिनांक 30–12–2017 की शाम संदीप के नहीं होने से इंकार किया है। वहीं दूसरी ओर साक्षी सौरभ ने अपने प्रति परीक्षण की कंडिका–24 में यह स्वीकार किया है कि, यह कहना सही है कि, दिनांक 30–12–2017 एवं 31–12–2017 दोनों दिन आरोपी संदीप रायपुर गया था और शाम 7:00 बजे के बाद घर लौटा था। इस प्रकार साक्षी रोहित देशमुख का बयान भी संदिग्ध एवं अकल्पनीय प्रतीत होता है एवं साक्षी सौरभ के उक्त कथन को अभियोजन द्वारा चुनौती नहीं दी गई है। इस साक्षी के प्रति परीक्षण की समाप्ति के पश्चात विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने इस साक्षी का पुनः परीक्षण एवं प्रति

परीक्षण किया। पुनः परीक्षण के दौरान इस साक्षी ने कंडिका–33 में विशेष लोक अभियोजक के सुझाव से इंकार किया है कि, आरोपी संदीप के कमरे का दरवाजा लुढ़का हुआ था जिसे वह धक्का देकर अंदर घुस गया तथा विशेष लोक अभियोजक के प्रति परीक्षण की कंडिका–58 में भी अपने पुलिस बयान प्र.पी.–85 में संदीप के कमरे का दरवाजा लुढ़का होने तथा धक्का देकर अंदर घुसने और संदीप को उठाकर पूरी बात बताने का कथन नहीं देना व्यक्त किया है तथा कंडिका–64 में भी ऐसा कथन देने से इंकार किया है।''

''6. कंडिका–36 में यह स्वीकार किया है कि, ''यह कहना सही है कि, उसके द्वारा प्रति परीक्षण में यह बताया गया है कि, पुलिस वाले कमरे में रखे 74 लाख रू. को ले गये। वह कोतवाली थाना पुलिस वालों द्वारा 74 लाख रू. ले जाने वाली बात बताने गया था लेकिन पुलिस वालों ने बोला कि, यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, कोर्ट में बताना।''

52– उपरोक्त समीक्षा से यह स्पष्ट है कि, अभियोजन द्वारा साक्षी के इस कथन को कि, पुलिस वाले 74 लाख रू. रावलमल जैन के ऑफिस के कमरे से ले गए थे, साक्षी को विचलित नहीं किया जा सका है बल्कि कंडिका–40 में ले जाने वाले का नाम भावेश साव (अन्वेषण अधिकारी) बताया है तथा पैरा–45 के कथन के संदर्भ में

साक्षी ने पैरा–79 में स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि, वह गलत लिखा है तथा इस साक्षी ने अपने पुनः परीक्षण की कंडिका–47 में यह कथन किया है कि, ''उसने मर्ग एवं एफ.आई.आर. दर्ज कराते हुए 74 लाख रू. ले जाने की बात नहीं बताई थी, स्वतः कहा कि, बयान देते समय बताई थी, वास्तविकता यह है कि, इस साक्षी को 74 लाख रू. पुलिस द्वारा ले जाने के कथन के संबंध में अभियोजन ऐनकेन प्रकारेण तोड़ने का प्रयास किया है परन्तु यह साक्षी अडिग रहा है। वैसे भी पुलिस द्वारा 74 लाख रू. ले जाने की घटना मर्ग और एफ. आई.आर. के बाद की है, अतः मर्ग और एफ.आई.आर. में लिखाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता, पश्चात् इस साक्षी को विशेष लोक अभियोजक द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर प्रति परीक्षण किया है परन्तु यह साक्षी अपने न्यायालयीन कथन में अडिग रहा है एवं अपने पुलिस कथनों का खण्डन किया है जिससे यह स्पष्ट है कि, जब तक साक्षी घटना स्थल पर दोनों शव देखकर आरोपी के कमरे में पहुंचा तो आरोपी के कमरे की बाहर की कुंडी लगी हुई थी तथा पुलिस वाले रावलमल के ऑफिस से 74 लाख रू. ले गये थे, कुत्ते ने जालीदार टोपी सुंघा था उक्त तथ्य सिद्ध होते हैं जो कि, अभियुक्त की निर्दोषिता को इंगित करते हैं।

53– प्रकरण में परीक्षित **अ.सा.10 एम.एम. जैदी, नोडल आफिसर, वोडाफोन आईडिया लिमिटेड** के साक्ष्य में आये तथ्यों

अनुसार संदीप जैन के सीम नं.–7697562121 को प्र.पी.–35 से चिन्हांकित कराया है एवं सी.डी.आर. दिनांक 01–12–2017 से 01–01–2018 को प्र.पी.36 तथा 65(बी) के प्रमाण–पत्र का प्र.पी.–37 टॉवर आई.डी. डिटेल को प्र.पी.–38 से चिन्हांकित कराया है, जिसके अनुसार 31–12–2017 की रात्रि से 01–01–2018 की सुबह 6:43:40 बजे तक आरोपी संदीप का टॉवर लोकेशन गंजपारा दुर्ग होना बताया है, इस संबंध में बचाव पक्ष को विश्लेषित किये जाने की आवश्यकता नहीं है क्योकि घटना की रात्रि से सुबह तक आरोपी संदीप जैन अपने घर में ही था, इस तथ्य से इंकार नहीं किया गया है परन्तु मेमोरेण्डम के अनुसार संदीप के मोबाईल पर उसकी माता का घटना की सुबह फोन आना प्रस्तुत दस्तावेजों से प्रमाणित नहीं होता, उक्त तथ्य भी मेमोरेण्डम कथन एवं अभियोजन की कहानी को ध्वस्त करता है।

54– आरोपी संदीप जैन की ओर से लिखित तर्क में मेमोरेंडम और जप्ती के संबंध में उल्लेखित किया गया है कि, अभियोजन द्वारा अपने पक्ष में जप्ती एवं मेमोरेण्डम के गवाह के रूप अ.सा.–13 शेख कलीम का परीक्षण कराया है, इसने अपने मुख्य परीक्षण में आरोपी संदीप द्वारा मेमोरण्डम कथन दिए जाने तथा इसके समक्ष प्र.पी.–48 का नक्शा पंचनामा, प्र.पी.–49 की नोटिस, जप्ती पत्र प्र.पी.–50 एवं 51 तथा मेमोरेण्डम प्र.पी.–52, जप्ती पत्र प्र.

पी.–53 एवं 54 की कार्यवाही किए जाने का कथन किया है। तत्पश्चात् विशेष लोक अभियोजक द्वारा इस साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर कूट परीक्षण किया गया है जिसमें इस साक्षी ने आरोपी संदीप द्वारा सम्पूर्ण मेमोरेण्डम कथन लेखबद्ध कराया जाना कहा है, परन्तु इस संबंध में बचाव पक्ष का तर्क है कि, मेमोरेण्डम का मात्र वह भाग जो सम्पत्ति के अधिग्रहण के लिए है उतना ही मात्र सुसंगत होता है तथा इस साक्षी ने आरोपी से हाफ कुर्ता, ओप्पो कंपनी का मोबाईल प्र.पी.–54 एवं 55 के जप्ती पत्र के माध्यम से जप्त किया गया है अथवा नहीं याद नहीं होना कहा है तथा आरोपी भगत सिंग गुरूदत्ता के मेमोरेण्डम प्र.पी.–56 एवं आरोपी शैलेन्द्र सागर के मेमोरेण्डम प्र.पी.57 तथा पहचान कार्यवाही प्र.पी.–58 के संबंध में याद होना नहीं कहा है। यह साक्षी पुलिस का पॉकेट विटनेस है और ऐसे साक्षियों का साक्ष्य प्रथम दृष्टया ग्राहय नहीं है।

55– इस साक्षी ने अपने प्रति परीक्षण की कंडिका–27 में यह कथन किया है कि, ''यह कहना सही है कि, सामान्यतः उसे पुलिस वाले प्रकरणों में गवाह बनाते है और वह 20–25 से अधिक मामलों में गवाह बना है।'' यह कहना सही है कि, पुलिस वाले उसे सामान्यतः जप्ती व मेमोरेण्डम का गवाह बनाते है।'' गवाह स्वतः कहता है कि, वह वहाँ मौजूद रहता है, पुलिस वाले हर मामले में नोटिस देकर बुलाते है, इस प्रकार यह साक्षी पुलिस का पॉकेट

विटनेस है जहाँ तक धारा–100(4) द.प्र.सं. का प्रश्न है तो संहिता के अनुसार प्रतिष्ठित व्यक्तियों को गवाह बनाया जाना चाहिए तथा इस साक्षी ने अपने प्रति परीक्षण की कंडिका–28 में यह स्वीकार किया है कि, ''यह कहना सही है कि, जब वह घटना स्थल पर पहुंचा तब वहाँ पर जैन समाज के एवं मोहल्ले के काफी प्रतिष्ठित लोग मौजूद थे।'' उक्त तथ्य को अन्वेषण अधिकारी अ.सा.–15 भावेश साव ने भी अपने प्रति परीक्षण की कंडिका–120 में स्वीकार करते हुए कथन किया है कि, घटना स्थल पर उसके पहुंचने के पहले काफी भीड़ लग गई थी। यह कहना सही है कि, प्रकरण में जप्ती एवं मेमोरेण्डम के दौरान उक्त लोगों में से किसी को गवाह नहीं बनाया है, ऐसी स्थिति में उपस्थित लोगों को गवाह ना बनाकर अन्वेषण अधिकारी द्वारा इस साक्षी को नोटिस देकर बुलाया जाना अपने आप में दूषित कार्यवाही एवं मिथ्या साक्ष्य गढ़ने का प्रयास प्रतीत होता है।

56– आरोपी संदीप जैन की ओर से उसके अधिवक्ता व्दारा साक्षी शेख कलीम (अ.सा.13) के साक्ष्य के संबंध में उल्लेखित किया गया है कि, कंडिका–38 में स्वीकार किया है कि, रावलमल जैन के घर में ही उनकी आफिस है परन्तु आगे कथन करता है कि, उसे जानकारी नहीं है कि, रावलमल जैन के आफिस से क्या–क्या चीजें बरामद हुई थी, इस प्रकार स्पष्ट है, पुलिस का पॉकेट विटनेस होने के कारण यह जानबूझकर रावलमल के आफिस में हुई 74 लाख

रू. की बरामदगी को छिपा रहा है क्योंकि एक ओर यह साक्षी पुलिस द्वारा रचित मेमोरेण्डम एवं जप्ती का उल्लेख करता है परन्तु रावलमल के आफिस से हुई बरामदगी की जानकारी नहीं होना कहता है। इसी प्रकार इस साक्षी ने पैरा–39 में यह स्वीकार किया है कि, वह पुलिस वालों के साथ रावलमल जैन के घर के छत पर गया था परन्तु अभियोजन की कहानी घर पर प्रवेश के अन्य रास्ते नहीं होने की है, इसलिए उक्त तथ्य को छिपाने के आशय से यह साक्षी तत्काल बाद में कहता है कि, वहं छत पर नहीं गया था, इस प्रकार इस साक्षी को विश्वसनीय साक्षी नहीं कहा जा सकता।

57– इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण की कंडिका–7 में आरोपी संदीप के कमरे में एक शर्ट व सफेद रंग का दस्ताना जिसे डॉक्टर लोग हाथ में पहने हुए रहते है, प्र.पी.–54 के अनुसार जप्त किए जाने का कथन किया है परन्तु विशेष लोक अभियोजक द्वारा पक्ष विरोधी घोषित किए जाने के बाद कंडिका–15 में काले रंग के दस्ताने जप्त करने की बात कहता है एवं यह कहता है कि, ''वह मुख्य परीक्षण में समय गुजर जाने कारण सफेद दास्ताना बताया था तथा प्रति परीक्षण की कंडिका–41 में सफेद दस्ताना होने की बात पर पूछने पर उत्तर देता है कि, ऐसे ही मुंह से निकल गया था परन्तु आगे बचाव पक्ष के इस सुझाव को कंडिका–41 में स्वीकार करता है और यह कहता है कि, यह कहना

सही है कि, डॉक्टर द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सफेद दास्ताना एवं काला दस्ताना जो आम लोग पहनते है, उसमें मूलभूत अंतर होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि, यदि इस साक्षी के सामने जप्ती की कार्यवाही होती तो यह अपने मुख्य परीक्षण में मूलभूत अंतर नहीं करता, इस प्रकार भी यह सिद्ध होता है कि यह साक्षी पुलिस का पॉकेट विटनेस है। इस साक्षी ने कंडिका–42 में यह स्वीकार किया है कि, घटना स्थल पर 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक संदीप उनके साथ था एवं संदीप को पुलिस के कुछ वरिष्ठ अधिकारी उसे उसके कमरे में रोक रखे थे, यह कहना सही है कि, जब वे लोग घटना स्थल का मुआयना कर रहे थे तब उनके साथ संदीप नहीं था, यह कहना सही है कि, उसकी अनुपस्थिति में यदि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने संदीप पर बयान देने के लिए कोई दबाव डाला हो उसे उत्पीड़न दिया हो या प्रताड़ित किया गया हो तो वह नहीं बता सकता। इस प्रकार कथित मेमोरेण्डम को स्वतंत्र मेमोरेण्डम नहीं कहा जा सकता तथा कंडिका–43 में **जप्ती पत्र प्र.पी.–50 एवं 51 में सादी मिट्टी जप्त करना लिखा हो तो वह गलत है, कहता है।** इसका अर्थ यह हुआ कि, यह साक्षी पुलिस के कहने पर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किया है तथा पिस्टल खरीदने वालों की पहचान कार्यवाही प्र.पी.–58 में आरोपी संदीप के हस्ताक्षर ही नहीं है, जिसे इस साक्षी के कंडिका–44 में स्वीकार किया है, इस प्रकार

भगत सिंग गुरूदत्ता से आरोपी द्वारा पिस्तौल खरीदने की कहानी परिस्थितियों की श्रृंखला को तोड़ती है क्योंकि अभियोजन ने आरोपी संदीप द्वारा भगत सिंह गुरूदत्ता से पिस्तौल खरीदने का कोई प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत ही नहीं किया है। इस साक्षी ने अपने प्रति परीक्षण की कंडिका–46 में बचाव पक्ष द्वारा यह पूछे जाने पर कि, आरोपी संदीप ने मेमोरेण्डम प्र.पी.–52 में दस्ताना बरामद कराने वाली बात नहीं बताई थी, इस पर गवाह का उत्तर है कि, आज उसे याद नहीं जबकि अपने मुख्य परीक्षण एवं विशेष लोक अभियोजक द्वारा किए गए कूटपरीक्षण में दस्ताना बरामद कराने की बात स्वीकार करता है इस प्रकार यह साक्षी विश्वसनीय साक्षी नहीं कहा जा सकता है, इस साक्षी ने पैरा–46 में भी यह स्वीकार किया है कि, आरोपी के मेमोरेण्डम जप्ती के पूर्व ही सम्पत्तियों की जाँच कर ली थी एवं फोटो खींच लिए थे ऐसी स्थिति में भी कथित मेमोरेण्डम मूल्यहीन हो जाता है।

58– आरोपी संदीप जैन की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता व्दारा मर्ग के समय में आई विसंगतियों बाबत् अन्वेषक साक्षी भावेश साव के साक्ष्य में आये तथ्यों को अपने लिखित तर्क में इस प्रकार उल्लेखित किया है :–

''इस साक्षी ने अपने प्रति परीक्षण की कंडिका–54 में घटना स्थल से शासकीय अस्पताल, दुर्ग की दूरी लगभग 3 से 4 किलो

मीटर होना बताया है जो पूर्णतः गलत है, क्योंकि घटना स्थल से शासकीय अस्पताल की दूरी 1 किलोमीटर से अधिक नहीं है। इस साक्षी ने उक्त कंडिका में दोनों मृतकों के शव को चार पहिया वाहन से पोस्टमार्टम हेतु भेजना बताया है परन्तु आगे यह कथन किया है कि, आज अंदाज से वह समय नहीं बता सकता कि, शव को चार पहिया वाहन से शासकीय अस्पताल, दुर्ग ले जाने में कितना समय लगा होगा इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि, यह कहना सही है कि, किसी भी स्थिति में घटना स्थल से शासकीय अस्पताल दुर्ग चार पहिया वाहन में जाने में एक घण्टे का समय नहीं लगेगा, आगे इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि, उसने दोनों शवों को प्र.पी.–3 एवं 5 के माध्यम से पोस्टमार्टम हेतु दोपहर 1:00 बजे शासकीय अस्पताल, दुर्ग रवाना करने का समय लेख किया था तथा प्र.पी.–3 एवं 5 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि, डॉ. को उक्त शव क्रमशः 2:00 बजे एवं 2:10 बजे प्राप्त हुआ, प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि, आखिर एक घण्टे शव कहाँ रहा जिसका उत्तर यह हो सकता है कि, एक घण्टे की अवधि में अन्वेषण अधिकारी द्वारा साक्ष्य गढ़ा गया है।

59– आरोपी संदीप जैन की ओर से लिखित तर्क में यह भी उल्लेखित किया गया है कि, साक्षी प्रभात वर्मा (फोटोग्राफर) व्दारा बिल भुगतान का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं

किया है और ना ही फोटोग्राफर प्रभात वर्मा के फोटोग्राफर होने के संबंध में कोई दस्तावेज पेश किया है ऐसी स्थिति में प्रस्तुत जप्तशुदा फोटोग्राफ का साक्ष्य की दृष्टि से कोई महत्व नहीं रह जाता और वे दस्तावेज ग्राह्य नहीं हैं। जहां एक ओर इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण की कंडिका–2, 3 एवं 4 में मर्ग सूचना एवं प्रथम सूचना पत्र सौरभ गोलछा के दर्ज कराने पर क्रमशः 6:15, 6:20 एवं 6:25 बजे दर्ज किए जाने का कथन किया है, वहीं दूसरी ओर इस साक्षी ने प्रकरण में सौरभ गोलछा का मोबाईल रिकार्ड प्र.पी.–46 प्रस्तुत किया है, जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि, सौरभ गोलछा का मोबाईल 01–01–2018 को सुबह 6:04:58 बजे से 6:38:23 बजे तक लगातार व्यस्त रहा है तथा इस साक्षी ने अपने प्रति परीक्षण की कंडिका–53 में यह कथन किया है कि, वह आज नहीं बता सकता कि, प्रार्थी सौरभ थाना आने के बाद अन्य लोगों से अपने मोबाईल से बातचीत कर रहा था। वह आज यह भी नहीं बता सकता कि, प्रार्थी सौरभ थाने में मर्ग सूचना लिखाते समय अन्य लोगों से अपने मोबाईल से बातचीत कर रहा था या नहीं। मर्ग सूचना उसने अपनी हस्तलिपि में दर्ज किया है। इस प्रकार यह साक्षी विश्वसनीय साक्षी नहीं कहा जा सकता क्योंकि जब यह स्वतः मर्ग दर्ज किया है ऐसी स्थिति में सौरभ उस समय मोबाईल पर लगातार व्यस्त था या नहीं यह बताने में असमर्थ नहीं रहता तथा दूसरा तथ्य यह भी है

कि, सौरभ के मोबाईल रिकार्ड के अनुसार मर्ग दर्ज कराते समय उसका मोबाईल लगातार व्यस्त था अतः ऐसी स्थिति में उस समय मर्ग दर्ज कराना संभव नहीं था ऐसी स्थिति में भी एन्टीडेटेड–एन्डी टाईम मर्ग एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट की परिकल्पना से इंकार नहीं किया जा सकता।

60– प्रकरण में यह महत्वपूर्ण है एवं विशेष अवलोकनीय है कि, साक्षी डॉ. टी.एल.चन्द्रा ने घटना स्थल पहुंचने का समय 11:30 बजे से 3:00 बजे तक निरीक्षण करना कंडिका–47 में बताया है तथा अ.सा.–15 भावेश साव द्वारा उन्हें प्र.डी.–3 का नोटिस दोपहर 3:00 बजे देना स्वीकार किया है। साक्षी से यह पूछे जाने पर कि, जब डॉ. टी.एल.चन्द्रा 3:00 बजे तक घटना स्थल का मुआयना एवं वस्तुओं की जाँच कर लिए थे तब उन्हें घटना स्थल निरीक्षण करने एवं वस्तुओं की जाँच करने हेतु नोटिस क्यों दिया इस पर साक्षी कहता है कि, उसके द्वारा शासकीय दस्तावेजों कि पूर्ति हेतु नोटिस देना आवश्यक समझा जो कि इस तथ्य का प्रमाण है कि, विधिक नियमों को ताक में रखकर इस अन्वेषण अधिकारी ने कार्यवाही की है, जिसका उद्देश्य मात्र आरोपी संदीप को प्रकरण में झूठा आलिप्त करना रहा है। यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि, इस साक्षी ने अपने प्रति परीक्षण की कंडिका–76 में यह स्वीकार किया है कि, प्रकरण में सामग्रियों को प्र.डी.–3 का नोटिस देने के पूर्व जप्त किया

जा चुका था जप्ती प्र.पी.–53 एवं 54 जप्ती पत्रक में क्रमशः 15:30 एवं 16:00 बजे का समय लिखा गया है, इस प्रकार साक्षी का उक्त उत्तर जप्ती प्र.पी.–53 एवं 54 के फर्जी होने की पुष्टि करता है।

61– इस साक्षी ने अपने प्रति परीक्षण की कंडिका–76 में यह भी स्वीकार किया है कि, प्र.पी.–50 एवं 51 के जप्ती पत्र के द्वारा प्रकरण में सामग्रियों को प्र.डी.–3 की नोटिस देने के पूर्व जप्त किया जा चुका था तथा प्र.पी.–50 एवं 51 इस जप्ती का समय क्रमशः 10:00 बजे एवं 10:30 बजे का उल्लेख है, उक्त दोनों जप्ती पत्रक को यह साक्षी पैरा–72 के अनुसार क्रमशः 10:00 बजे एवं 10:30 बजे लेख करना प्रारंभ करने का कथन किया है और झूठी कार्यवाही से बचने के लिए बिना पूछे ही स्वतः कथन करता है कि, चूंकि एफ.एस.एल. टीम नहीं पहुंची थी इसलिए उसने सामग्रियों को यथास्थिति वैसे ही रखा था और सीलबंद नहीं किया था पर साक्षी पैरा–77 में प्र.पी.–50 का लेखन कब समाप्त किया, यह बताने पाने में भी असमर्थ है, पुनः अपनी फर्जी जप्ती कार्यवाही को ढ़कने के आशय से बिना पूछे स्वतः कथन करता है कि, वैज्ञानिक अधिकारी के जप्ती/निरीक्षण पश्चात् उसने जप्ती एवं सीलबंद की कार्यवाही किया था। आगे यह स्वीकार करता है कि, उसके द्वारा प्र.पी.–50 के लेखन कार्यवाही के पश्चात् प्र.पी.–51 की कार्यवाही प्रारंभ की गई यह

कहना सही है कि, प्र.पी.–50 एवं 51 में ''स से स'' भाग पर मौके पर जप्त सामग्रियों को गवाहों के समक्ष सीलबंद किया गया एवं ''द से द'' भाग पर निम्नलिखित सम्पत्ति पैक एवं सील की गई उल्लेख है। इस प्रकार स्पष्ट है कि, वैज्ञानिक अधिकारी के पहुंचने के पूर्व ही प्र.पी.–50 एवं 51 में उल्लेखित वस्तुएं सीलबंद कर ली गई थी। इसका अभिप्राय यह हुआ कि, जो वस्तुएँ जप्त कर सीलबंद की गई थी वे घटना से संबंधित नहीं थी तथा वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा उपरोक्तानुसार राय देने पर वस्तुएं बदल दी गई क्योंकि सीलबंद वस्तुओं का बिना सील खोले वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा निरीक्षण कर पाना किसी भी स्थिति में संभव नहीं है तथा प्रकरण में वैज्ञानिक अधिकारियों के आने पर प्र.पी.–50 एवं 51 के अनुसार जप्त वस्तुओं के सील खोलने का कोई उल्लेख ना तो प्रकरण में है और ना ही केस डायरी में। इस प्रकार स्पष्ट है कि, न्यायालय में प्रस्तुत प्र.पी.50 एवं 51 अनुसार जप्त सामग्री फर्जी है एवं घटना स्थल से संबंधित नहीं है। उक्त संबंध में इस साक्षी के प्रति परीक्षण की कंडिका–78 एवं 79 अवलोकनीय है, उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट होता है कि, अन्वेषण अधिकारी अ.सा.–15 भावेश साव द्वारा आरोपी संदीप को प्रकरण में झूठा आलिप्त करने के आशय से मिथ्या साक्ष्य गढ़ा गया है, तथा प्र.पी.–50 एवं 51 के जप्ती पत्र एवं प्र.डी.–3 में नोटिस की कार्यवाही फर्जी साक्ष्य गढ़ने एवं परिस्थितियों की चैन टूटे

होने की पुष्टि करता है इसलिए इस साक्षी ने चूंकि वस्तुएं बदल गई थी इसलिए प्र.पी.–22 के प्रतिवेदन के साथ नमूना सील एफ.एस.एल. में नहीं भेजा है, जिसे साक्षी ने अपने प्रति परीक्षण की कंडिका–80 में स्वीकार किया है।

62– इस प्रकरण में यह स्थापित है कि, घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है परन्तु अन्वेषण अधिकारी ने अपने प्रति परीक्षण की कंडिका–135 में पूछे गए प्रश्न की रावलमल जैन के शव पंचनामा प्र.पी.–33 में मृत्यु का समय 5:30 बजे से 5:50 बजे प्रातः लिखा हुआ है, उक्त समय कैसे लिखा है, के उत्तर में साक्षी कहता है कि, उक्त समय उसने पंचानों के बताए अनुसार लिखा है, इसी प्रकार यह साक्षी जैसा पूर्व में विश्लेषण किया गया है कि, मर्ग सूचना एवं प्रथम सूचना पत्र में घटना का समय साक्षी सौरभ के बताए अनुसार लिखना बताया है, साक्षी के उक्त आचरण से यह स्पष्ट होता है कि, इस साक्षी ने स्वच्छ एवं निष्पक्ष अन्वेषण नहीं किया है एवं आरोपी संदीप को प्रकरण में झूठा आलिप्त करने के आशय से बिना अन्वेषण किए एकतरफा कार्यवाही किया है, जिसकी पुष्टि इस बात से भी होती है कि, मृतिका अर्थात सूरजीबाई की मृत्यु का समय निश्चित किया जा सकता था परन्तु उसके शव पंचनामा प्र.पी.–32 में मृत्यु के समय का उल्लेख नहीं है।

63– इस साक्षी ने आरोपी संदीप जैन को प्र.पी.–69 के अनुसार 01–01–2018 के 20:15 बजे गिरफ्तार करना बताया है परन्तु कंडिका–143 के अंतिम लाईनों में यह स्वीकार किया है कि, वह नहीं बता सकता कि, आरोपी संदीप को उसने दिनांक 01–01–2018 को कितने बजे अभिरक्षा में लिया जिसका मुख्य कारण यह है कि, अभिरक्षा की अवधि में इस साक्षी ने आरोपी संदीप के सभी कागजातों में दबावपूर्वक हस्ताक्षर कराए हैं तथा आरोपी संदीप जैन प्रकरण में ना तो कोई मेमोरेण्डम दिया है और ना ही संदीप जैन के मेमोरेण्डम के आधार पर कोई जप्ती की कार्यवाही अभियुक्त से की गई है। प्रकरण में जप्तशुदा कुर्ता एवं दास्ताना बाजार में आम तौर पर मिलता है, इस प्रश्न के उत्तर में कंडिका–147 में साक्षी कहता है कि, वह यह नहीं बता सकता कि, प्रकरण में प्रस्तुत कुर्ता एवं दस्ताना बाजार में आम तौर पर मिलता है अथवा नहीं। यद्यपि इस साक्षी ने कंडिका–147 में कथन किया है कि, यह कहना गलत है जप्तशुदा कुर्ता और दस्ताना दोनों वस्तुएँ आरोपी संदीप जैन का नहीं है परन्तु उक्त दोनों वस्तु संदीप जैन का होने के समर्थन में कोई प्रमाण पेश नहीं किया है। दिनांक 09–03–2022 को इस साक्षी का विशेष लोक अभियोजक द्वारा पुनः परीक्षण किया गया है जिसमें इस साक्षी ने साक्षी सौरभ गोलछा के धारा–161 द.प्र.सं. के कथन की पुष्टि करने का प्रयास किया है एवं न्यायालयीन

कथन को खण्डित करने का प्रयास किया जो कि, विधि में संधार्य नहीं है, क्योंकि विधि का शाश्वत नियम है कि, अन्वेषण के दौरान पुलिस को दिया गया बयान सारवान साक्ष्य नहीं है, इसका प्रयोग केवल साक्षी के अभिकथनों का खण्डन करने के लिए किया जा सकता है।

64— अभियोजन द्वारा प्रकरण में इस तथ्य पर बल दिया जा सकता है कि, घटना स्थल पर एक मात्र अभियुक्त की उपस्थिति सुस्थापित है, ऐसी स्थिति में **धारा—106 साक्ष्य अधिनियम** के प्रावधानों के अंतर्गत अपने आपको निर्दोष साबित करने का भार अभियुक्त पर है परन्तु इस प्रकरण में गौरतलब है कि, उक्त मकान में प्रवेश के अन्य रास्ते है और उन अन्य रास्तों से कोई भी बाहरी व्यक्ति प्रवेश कर घटना को अंजाम दे सकता है। इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता यद्यपि अभियोजन द्वारा मौखिक रूप से यह साबित करने का प्रयास किया गया है कि, घटना स्थल पर प्रवेश के मुख्य द्वार को छोड़कर अन्य कोई रास्ता नहीं है इसके विपरीत बचाव पक्ष ने संदेह से परे घटना स्थल पर पहुंचने के लिए पीछे जाली के रास्ते एवं ऊपर छत के रास्ते के होने को सिद्ध किया है तथा अभियोजन द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य अथवा नक्शा अथवा पटवारी नक्शा प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह अनुमानित किया जा सके कि, मुख्य द्वार को छोड़कर घटना स्थल में प्रवेश का कोई अन्य

रास्ता नहीं है, ऐसी स्थिति में घटना स्थल पर बाहरी व्यक्ति का प्रवेश कर घटना कारित किए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता तथा अभियोजन घटना के कथानक को संदेह से परे सिद्ध करने के भार से विमुक्त नहीं हो सकता।

65— प्रकरण में एक आशंका यह भी बलवती होती है कि, किसी भी बाहरी व्यक्ति द्वारा जो उस घर के संबंध में जानकार थे षडयंत्रपूर्वक रावलमल जैन के द्वारा सुबह दरवाजा खोलने के पश्चात् घर में घुसकर या किसी अन्य रास्ते से प्रवेश कर उनकी हत्या कर दिया हो और सूरजीबाई के देख लेने और सौरभ को फोन करने के बाद साक्ष्य मिटाने के आशय से सूरजीबाई की भी हत्या कर दिया हो। चूंकि अभियुक्त संदीप अपने घर पर अकेले था इसलिए अन्वेषण अधिकारी द्वारा हत्या जैसे जघन्य अपराध का दोष उस पर डाल दिया गया है। जहाँ तक प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य का प्रश्न है तो साक्षी सौरभ गोलछा के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि, जब वह अपने मामा अर्थात् आरोपी संदीप के कमरे में गया तो उसके दरवाजे की कुंडी बाहर से लगी हुई थी ऐसी स्थिति में आरोपी संदीप के द्वारा घ टना कारित किए जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता और परिस्थितियों की श्रृंखला पूर्णतः टूट जाती है।

66— जहाँ तक आरोपी संदीप के कुर्ते में खून मिलने का प्रश्न है तो इस संबंध में बचाव पक्ष का तर्क है कि, अभियोजन

साक्षी सौरभ ने अपने मुख्य परीक्षण की कंडिका–2 में यह कथन किया है कि, ''**वे दोनों नीचे आए तो उसके मामा (आरोपी संदीप) नाना, नानी जी से लिपटकर फूट–फूटकर रोने लगे,** उक्त स्थिति में भी आरोपी संदीप के कुर्ता में खून आने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता तथा दूसरा तथ्य यह है कि, प्रकरण में प्रस्तुत कुर्ता आरोपी संदीप का ही है यह प्रमाणित कर पाने में अभियोजन पूर्णतः असफल रहा है तथा तीसरा तथ्य यह है कि, जप्तशुदा कुर्ते में पाए गए खून का आर.एच.फैक्टर (ब्लड ग्रुप) क्या था तथा क्या वह मृतकों के खून से मिलता था यह प्रमाणित कर पाने में भी अभियोजन पूर्णतः असफल रहा है।

67— अंततः आरोपी संदीप जैन की ओर से उसके अधिवक्ता व्दारा यह उल्लेखित किया गया है कि, परिस्थितिजन्य साक्ष्य के इस मामले में परिस्थितियों की श्रृंखला को जोड़ने में अभियोजन पूर्णतः असफल रहा है और अभियोजन की इस कहानी पर कि, घटना स्थल पर प्रवेश करने का कोई अन्य रास्ता नहीं है, विश्वास नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार आरोपी के मेमोरेण्डम के पूर्व ही सम्पत्ति (हथियार) की जानकारी अभियोजन पक्ष को हो जाना ऐसे मेमोरेण्डम को ध्वस्त कर देता है साथ ही पुलिस द्वारा मृतक रावलमल जैन के आफिस से ले जाई गई रकम 74 लाख रू. हड़प करने की नीयत से आरोपी के विरूद्ध षडयंत्रपूर्वक अभियोग पत्र

प्रस्तुत करना संदेह से परे प्रमाणित होता है, उपरोक्त विवेचन से यह भी स्पष्ट है कि, उक्त प्रकरण में अभियोजन अधिकारी द्वारा कूटरचित दस्तावेजों का निर्माण किया गया है तथा हथियार को बदल दिया गया है, साथ ही मालखाने की कोई पर्ची/रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों को साक्षी ना बनाकर पुलिस ने अपने पॉकेट विटनेस को इस प्रकरण में साक्षी बनाया है। उपरोक्त सभी तथ्य अभियुक्त की निर्दोषिता को प्रकट करते हैं तथा अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध अपना प्रकरण संदेह से परे प्रमाणित कर पाने में पूर्णतः विफल रहा है। अतः प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त संदीप जैन को सभी आरोपों से दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

|| निष्कर्ष के कारण ||

68— सर्वप्रथम यह उल्लेख करना उचित होगा कि, अभियोजन का यह मामला प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य पर आधारित न होकर विशुद्धतः परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है क्योंकि किसी भी साक्षी ने अभियुक्त द्वारा मृतकगण की मृत्यु कारित किये जाते हुए नही देखा है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित प्रकरणों के संबंध में यह स्पष्ट है कि, परिस्थतिजन्य साक्ष्य को स्वीकार किये जाने से पहले यह देखा जाना होगा कि, क्या अभियोजन ठोस/सुसंगत साक्ष्य/निश्चयात्मक साक्ष्य के माध्यम से आरोपी के व्दारा ही कथित

अपराध को कारित करना पूर्ण रूप से सिद्ध कर पाया है या नहीं? यदि हां तो क्या निश्चयात्मक साक्ष्य के संबंध में, साक्ष्य की कड़ियां एक–दूसरे से ऐसी जुड़ी हुई है जिससे कि, आरोपी के अलावा अन्य किसी व्यक्ति व्दारा कथित अपराध को कारित किया जाना माना ही नहीं जा सकता। सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि, परिस्थितिजन्य साक्ष्य के संबंध में लागू होने वाली विधि का उल्लेख किया जावे। इस संबंध में निम्न न्यायिक विनिश्चय अवलोकनीय है :–

69– न्याय दृष्टांत **Bodh Raj alias Bodha and Ors. v. State of Jammu and Kashmir MANU/SC/0723/2002 : 2002 CriLJ 4664** का उल्लेख करना उचित होगा जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण की इन विशिष्ट परिस्थितियों के लिए यह मार्गदर्शक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि :–

> **(1) there is no doubt that conviction can be based solely on circumstantial evidence but the conditions precedent before conviction could be based on circumstantial evidence, must be fully established. They are-(1) the circumstances from which the conclusion of guilt is to be drawn should be fully established. The circumstances concerned**

'must' or 'should' and not 'may' be established;

(2) the facts so established should be consistent only with the hypothesis of the guilt of the accused, that is to say, they should not be explainable on any other hypothesis except that the accused is guilty;**(3)** the circumstances should be of a conclusive nature tendency;

(4) they should exclude every possible hypothesis except the one to be proved; and

(5) there must be a chain of evidence so complete as not to leave any reasonable ground for the conclusion consistent with the innocence of the accused and must show that in all human probability the act must have been done by the accused.

70— इसी प्रकार न्यायदृष्टांत **C. Chenga Reddy and Ors. v. State of A.P. 1996 CriLJ 3461** से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि :—

in a case based on circumstantial evidence, the settled law is that the circumstances from which the conclusion of guilt is drawn should be fully proved and such circumstances must be conclusive in nature. Moreover, all the circumstances should be complete and there

should be no gap left in the chain of evidence. Further, the proved circumstances must be consistent only with the hypothesis of the guilt of the accused and totally inconsistent with his innocence. In the said case, the Apex Court held that the Courts below have overlooked these settled principles and allowed suspicion to take the place of proof besides relying upon some inadmissible evidence. Holding that none of the circumstances relied upon by the prosecution against the appellants can be said to have been proved satisfactorily and all those circumstances which are not of any clinching nature, even if held to be proved do not complete the chain of evidence so complete as to lead to an irresistible conclusion consistent only with the hypothesis of the guilt of the appellant and wholly inconsistent with the innocence and in that manner the prosecution has not established the case against the appellant beyond the reasonable doubt.

71- इसी प्रकार न्यायदृष्टांत **Hanumant Govind Nargundkar and Anr. v.** State of Madhya Pradesh MANU/SC/0037/1952 **: 1953 Cri.L.J.129** से माननीय सर्वोच्च न्यायालय से यह दिशानिर्देश मिलता है कि :—

It is well to remember that in cases where the evidence is of a circumstantial nature, the circumstances from which the conclusion of guilt is to be drawn should be in the first instance be fully established and all the facts so established should be consistent only with the hypothesis of the guilt of the accused. Again, the circumstances should be of a conclusive nature and tendency and they should be such as to exclude every hypothesis but the one proposed to be proved. In other words, there must be a chain of evidence so far complete as not to leave any reasonable ground for a conclusion consistent with the innocence of the accused and it must be such as to show that within all human probability the act must have been done by the accused.

72— इसी प्रकार न्याय दृष्टांत **Sharad Birdhichand Sarda v. State of Maharashtra MANU/SC/0111/ 1984** से मार्गदर्शन लें तो उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिशानिर्देश दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं :—

Onus was on the prosecution to prove that the chain is complete and the infirmity of lacuna in prosecution cannot

be cured by false defence or plea. The conditions precedent in the words of this Court, before conviction could be based on circumstantial evidence, must be fully established. They are:

(1) the circumstances from which the conclusion of guilt is-to be drawn should be fully established. The circumstances concerned 'must' or 'should' and not 'may be' established.

(2) the facts so established should be consistent only with the hypothesis of the guilt of the accused, that is to. say, they should not be explainable on any other hypothesis except that the accused is guilty,

(3) the circumstances should be of a conclusive nature and tendency;

(4) they should exclude every possible hypothesis except the one to be proved, and

(5) there must be a chain of evidence so complete as not to leave any reasonable ground for the conclusion consistent with the innocence of the accused and must show that in all human probability the act must have been done by the accused.

73- इसी तरह न्याय दृष्टांत **Dhananjoy Chatterjee v. State of W.B. MANU/SC/0626/1994 : [1994]1SCR 37**

में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अत्यंत महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं जो इस प्रकार हैं :–

In a case based on circumstantial evidence, the circumstances from which the conclusion of guilt is to be drawn have not only to be fully established but also that all the circumstances so established should be of a conclusive nature and consistent only with the hypothesis of the guilt of the accused. Those circumstances should not be capable of being explained by any other hypothesis except the guilt of the accused and the chain of the evidence must be so complete as not to leave any reasonable ground for the belief consistent with the innocence of the accused. It needs no reminder that legally established circumstances and not merely indignation of the Court can form the basis of conviction and the more serious the crime, the greater should be the care taken to scrutinize the evidence lest suspicion takes the place of proof.

74– अब उक्त दिशानिर्देशों के परिप्रेक्ष्य मे परिस्थितियों की विभिन्न कड़ियों से संबंधित साक्ष्य पर विचार करने के पूर्व सर्वप्रथम देखें कि धारा 299 भा.दं.सं. क्या कहती है।

धारा–299 भा.द.सं. **आपराधिक मानव वध** :– जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से, या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित हो जाना संभाव्य हो, या यह ज्ञान

रखते हुए कि यह संभाब्य है कि वह उस कार्य से मृत्यु कारित कर दे, कोई कार्य करके मृत्यु कारित कर देता है, वह आपराधिक मानव वध का अपराध करता है।

स्पष्टीकरण 1— वह व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति को, जो किसी विकार, रोग या अंग शैथिल्य से ग्रस्त है, शारीरिक क्षति कारित करता है और एतद्द्वारा उस दूसरे व्यक्ति की मृत्यु त्वरित कर देता है, उसकी मृत्यु कारित करता है, यह समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण 2— जहाँ की शारीरिक क्षति से मृत्यु कारित की गयी हो, वहाँ जिस व्यक्ति ने, ऐसी शारीरिक क्षति कारित की हो, उसने वह मृत्यु कारित की है, यह समझा जायेगा, यद्यपि उचित उपचार और कौशलपूर्ण चिकित्सा करने से वह मृत्यु रोकी जा सकती थी।

अभियोजन द्वारा प्रस्तावित परिस्थितियां

75— इस प्रकरण में अभियोजन ने आरोपीगण के अपराध को प्रमाणित करने हेतु निम्नलिखित परिस्थितियों को प्रस्तावित किया है :—

01. मृतकगण की मृत्यु दिनांक 01/01/2018 के प्रातः 04:30 बजे से 05:54 बजे के मध्य की प्रकृति मानवघाती या हत्यात्मक थी।

02. आरोपी संदीप जैन गंजपारा आलोकचंद त्रिलोकचंद ज्वेलर्स के सामने अपने माता—पिता के साथ अपनी

पत्नि और लड़के के साथ मकान के उपर में रहता था, उसके माता–पिता नीचे रहते थे।

03. आरोपी संदीप जैन अपने माता–पिता की इकलौती संतान है तथा अपने घर के बाजू में ही स्थित स्वयं की दुकान में साड़ी विक्रय का व्यवसाय करता था। उसके साथ उसका भांजा सौरभ गोलछा भी व्यवसाय में उसकी मद्द करता था।

04. अपराध का हेतुक– आरोपी संदीप जैन के पिता स्व. रावलमल जैन पुरानी रूढ़ीवादी विचारधारा के व्यक्ति थे तथा वह स्वतंत्र तथा खुले विचारों का इंसान होने से उसके पिता का उससे अक्सर हर काम में टकराव होता था। मृतक रावलमल जैन उसे अक्सर टोका करते थे कि, जैसे पूजा के लिये शिवनाथ नदी से प्रतिदिन नौकर से पानी मंगवाते थे तथा घर के नल के पानी को ही उपयोग करने को कहने पर उसे डॉट–डपट करते थे।

05. अपराध का हेतुक– आरोपी संदीप जैन के पिता को आरोपी संदीप जैन का उसकी महिला मित्रों से मेलजोल काफी नागवार गुजरता था। कई बार मृतक रावलमल जैन अपने पुत्र अर्थात् आरोपी संदीप जैन को संपत्ति से बेदखल करने की धमकी देते थे जिसके कारण में व्यथित होकर पिता को मारने की योजना बनाया।

06. आरोपी संदीप जैन ने इन्हीं कारणों से पहले से ही एक देशी पिस्टल एवं कारतूस भगत सिंग गुरूदत्ता, निवासी अग्रसेन चौक, दुर्ग से 1,35,000/—रू में खरीद कर रखा था।

07. आरोपी संदीप जैन ने योजना को अंजाम देने के लिये दिनांक 27.12.2020 को पत्नि और बच्चे को मायके दल्ली राजहरा भेज दिया और नौकर रोहित देशमुख जो रात्रि में घर में रोज सोता था उसे आगामी रात्रि में घर आने से मना कर दिया।

08. आरोपी संदीप जैन ने उसके बाद योजनानुसार घटना दिनांक को प्रातः लगभग 05.45 बजे अपने रूम से उपर से नीचे आकर अपनी मॉ के कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। उस समय उसके पिता कारीडोर में बाथरूम तरफ से वापस आ रहे थे और कारीडोर का दरवाजा बंद कर रहे थे, तभी उसने अपने पिता को पीछे से पीठ में गोली मार दिया।

09. आरोपी संदीप जैन ने गोली की आवाज सुनकर उसकी मॉ के चिल्लाने पर वह अपने उपर कमरे में भाग गया फिर उसके मोबाईल पर उसकी मॉ का फोन आने लगा लेकिन उसने फोन रिसीव नहीं किया और नीचे मॉ के कमरे के पास पुनः वापस आया तो उसकी मां, सौरभ को फोन करके बुला रही थी तब उसने अपनी मॉ के कमरे का दरवाजा खोला और उसका राज खुल जाने के डर से उन्हे भी गोली मारकर हत्या कर दिया।

10. आरोपी संदीप जैन ने उसके बाद बाहर जाने वाले कारीडोर का दरवाजा और बैठक का दरवाजा खोल दिया तथा सबसे बाहर मेन गेट का ताला खोलकर चाबी उसी में छोड़ दिया ताकि लगे कि कोई बाहर का आदमी आकर हत्या कर चला गया है।

11. आरोपी संदीप जैन ने गोली मारते समय काले रंग के दस्ताने पहन रखे थे जो उसके कमरे के बिस्तर में सिराहने के नीचे रखे मिले थे तथा घटना के समय पहना चेक आसमानी कलर का हॉप कुर्ता जिसमें खून के दाग लगे थे, को बिस्तर के नीचे छिपाकर रखा।

12. आरोपी संदीप जैन ने जिस पिस्टल से अपने माता–पिता की हत्या की उसे घर के पीछे उपर बालकनी के नीचे फेंक दिया। जो वही पर खड़ी टाटा एस. गाड़ी में गिरा तथा साथ में एक लोडेड मैग्जीन और 02 झिल्ली में जिंदा कारतूस को भी नीचे गली में फेंक दिया।

76– अब अभियोजन द्वारा प्रस्तावित परिस्थितियों के संबंध में प्रकरण में प्रस्तुत अभियोजन के साक्ष्य पर विचार किया जा रहा है।

।। परिस्थिति क्रमांक–1 पर निष्कर्ष।।

परिस्थिति :– मृतकगण रावलमल जैन एवं श्रीमती सूरजी बाई की मृत्यु दिनांक 01/01/2018 के प्रातः 04:30

बजे से 05:54 बजे के मध्य की प्रकृति मानवघाती या हत्यात्मक थी।

77— उपरोक्त विवेचित परिस्थितियों के अनुक्रम में यदि इस प्रकरण के संबंध में विचार करें तो **अ.सा. 3 डॉ. बी.एन. देवांगन** का कथन है कि, दिनांक 01/01/18 को आरक्षक मुन्नालाल यादव, थाना दुर्ग द्वारा मृतक रावलमल जैन (मणी) को पोस्टमार्टम के लिए लाया था, पोस्टमार्टम उसी दिनांक को 02:15 बजे प्रांरभ किया, शव की पहचान उसके चचेरे भाई भीखमचंद जैन द्वारा एवं परिचित प्रकाश देशलहरा द्वारा की गयी जांच रिपोर्ट प्रपी. 2 पर उसने पाया कि, दोनो आंखे बंद थी, पुतली फैली हुई थी, कंज्कटिवा पेल था, मुंह थोड़ा सा खुला हुआ था, जीभ थोड़ा सा बाहर निकला हुआ था, उसके हाथ के नाखुनों मे साइनोनिस उपस्थित था। मृतक के शरीर पर निम्न मृत्यु पूर्व चोट के निशान थे —

1 एक प्रवेश चोंट विथ जिगजेग मार्जिन विथ खरोंच उपरी भाग में जिसका आकार 1.5 X 1 सेमी .X सीने के गहरे भाग तक था, जो अंदर एवं नीचे की ओर रास्ता बना रहा था, जो बांया सीने के पिछले मध्य भाग में था।

2. एक प्रवेश वुंड 1.5 X 1 सेमी .X सीने के गहरे भाग तरफ दाहिने तरफ, सीने के पिछले भाग में था तथा सीने के सामने वाले भाग मे सुजन था, जिससे एक मेटेलिक पीला कलर का बुलेट था, जिसें निकालकर सुरक्षित कर सील कर उसी

आरक्षक को सौंप दिया था।

3. एक लीनियर एब्रेजन, दो सेमी. लंबी बाये कलाई के सामने भाग में था ।
4. एब्रेजनस 1 **X** आधा सेमी, 1.5 **X** 1 सेमी, आधा **X** आधा सेमी दाहिने एक्जीला मे था ।
5. एक एब्रेजन आधा **X** आधा सेमी दाहिने सीने के उपरी भाग मे सामने की तरफ था ।

77—(1). इसी साक्षी का कथन है कि, पोस्टमार्टम लिविडिटी विकसित होना शुरू हो गई थी, जो स्थिर नहीं हुई थी, वह चित्त अवस्था की ओर थी, रायगर मार्टिस हाथ एवं पैर दोनों में उपस्थित था, सड़ान विकसित नही हुई थी, उसकी शारीरिक बनावट सामान्य कद काठी की थी अंदरूनी जांच में उसने पाया कि, खोपड़ी झिल्ली स्वस्थ थी, मस्तिष्क पेल था, दाहिने तरफ सीना मे खून उपस्थित था तथा रक्त का थक्का उपस्थित था, फुसफुस एवं श्वास नली स्वस्थ थी, दाहिना फेफड़ा फटा हुआ था फुला हुआ था तथा सीने में खून जमा था तथा खून का थक्का मॉजुद था, बांया फेफड़ा भी फटा हुआ था, हृदय की झिल्ली फटी हुई थी तथा रक्त का थक्का बड़े साइज मे उपस्थित था, हृदय की बायां वेंट्किल फटा हुआ था तथा उसमे भी खून का थक्का पेरिकार्डियल मे उपस्थित था, परदा आंतो की झिल्ली मुंह तथा ग्रसनी मूत्राशय भीतरी एवं बाहरी जनेनइंन्द्रिया तथा छोटी एंव बड़ी आंत स्वस्थ थी, लीवर, राईट लोब फटा हुआ था,

प्लीहा गुर्दा पेल था, शरीर के हड्डियों में कुछ चोट के निशान थे। उपरोक्त सभी चोटें मृत्यु पूर्व की थी, मृत्यु से दो घंटे के अंदर की थी, प्रवेश चोट एवं अंदरूनी चोट गन शाट इंज्युरी से आयी थी, खरोंच कड़े एवं खुरदुरे वस्तु से आयी है। शरीर से एक बुलेट पीला मेटेलिक दाहिने सीने के सामने भाग से निकालकर उसी आरक्षक को सौंपा गया। बुलेट की स्थिति जानने के लिए एक्स रे फिल्म लिया गया था, जिसमे दो मेटेलिक बुलेट सीने के उपरी भाग में तथा एक मेटेलिक बुलेट दाहिने पेट की उपरी भाग में उपस्थित था। उसके पहने हुए कपड़े एक भूरे रंग का हाफ स्वेटर जिसमें एक फटा हुआ था, 1.5 गुणित 1 सेमी. का, दोनो तरफ सीने के मध्य भाग में था, एक फटा 1 गुणित आधा सेमी. सीने के बायें पिछले भाग में था तथा 1.5 गुणित 1 सेमी. राईट साइड फटा हुआ निचला सीने के दाहिना भाग में था, कपड़े में खून जैसे धब्बे उपस्थित थे, एक सफेद रंग का बनियान जिसमें दोनो तरफ सीने के पिछले भाग में फटा हुआ जिसका साइज 1.5 गुणित 1 सेमी. था। दाहिने तरफ भी पिछले भाग में बनियान फटा था उसका साइज 1.5 गुणित आधा सेमी था बनियान में भी खुन जैसे धब्बे उपस्थित थे, एक भूरे रंग का अण्डरवियर था, जो सामान्य था, सभी कपड़ों को सीलबंद कर उसी आरक्षक को सौंप दिया गया था। उसके अभिमत अनुसार उसकी मृत्यु शॉक एवं हेमरेज से हुई होना जो मृत्यु पूर्व सीने मे चोट लगने

के कारण होना जिसे गन शॉट इंज्युरी से आना बताया है एवं मृत्यु का समय उसकी मृत्यु पोस्टमार्टम के समय से 6 से 12 घंटे के बीच का होना बताया है। मृत्यु की प्रकृति हत्यात्मक होना बताते हुये शव परीक्षण के आवेदन पर पावती प्रदर्श पी 03 होना व जिसके निचले हिस्से में उसके हस्ताक्षर होने का कथन किया गया है।

77—(2). आगे इस चिकित्सक साक्षी ने उसी आरक्षक द्वारा उसी तारीख को 02:10 बजे मृतक सूरजी बाई को पोस्टमार्टम के लिए लाया जाना तब पोस्टमार्टम उसी दिनांक को 03:40 बजे प्रांरभ किये जाने का कथन किया है। शव की पहचान उसके जेठ भीखमचंद जैन द्वारा एवं परिचित प्रकाश देशलहरा द्वारा की गयी। परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी. 4 के अनुसार, जांच पर उसने पाया कि बायीं आंख खुली थी, दांयी आंख बंद थी, पुतली फैली हुई थी, कंजक्टिवा कंजस्टेड था, मुंह थोड़ा सा खुला हुआ था, उपरी जबड़े का दांत दिख रहा था, जीभ मुंह के अंदर थी, उसके हाथ के नाखूनों में साइनोनिस उपस्थित था। इसी साक्षी का कथन है कि, उसके शरीर पर निम्न मृत्यु पूर्व चोट के निशान थे :—

1. एक प्रवेश चोंट राईट साइड सिर में जिसका आकार 1.5 X आधा सेमी X मस्तिष्क की गहराई तक था तथा दाहिना पैराइटल हडडी मे अस्थि भंग था तथा मस्तिष्क फटा हुआ था तथा रक्त का थक्का उपस्थित था तथा साथ में एक बाहरी

निकला वुंड बायें सिर की तरफ 2 गुणित 1 सेमी. था तथा कान फटा हुआ था।

2. एक प्रवेश वुंड 1 x आधा सेमी x सीना के गहरे भाग तक दाहिने तरफ, सीने के पिछले भाग में था।
3. एक प्रवेश वुंड 1 x आधा सेमी x सीना की गहराई तक था।
4 एक प्रवेश वुंड 1.5 x आधा सेमी दाहिना भुजा के निचले भाग में था।
5. एक प्रवेश वुंड 1.5 x 1 सेमी जो दाहिना कोहिनी के नीचे था ।.
6.. पोस्टमार्टम लिविडिटी विकसित होना शुरू हो गया था, जो स्थिर नहीं हुआ था, वह चित्त अवस्था की ओर था, रायगर मार्टिस हाथ एवं पैर दोनों मे उपस्थित था, सड़ान विकसित नहीं हुआ था, उसकी शारीरिक बनावट सामान्य कद काठी की थी।

77—(3). आगे साक्षी का कथन है कि, अंदरूनी जांच में उसने पाया कि, खोपड़ी में उपर लिखित चोट नंबर 1 उपस्थित थी, दाहिने तरफ सीना मे खून उपस्थित था तथा रक्त का थक्का उपस्थित था, फुसफुस एवं श्वांस नली स्वस्थ थी, दाहिना फेफड़ा फटा हुआ था, बांया फेफड़ा पेल था एवं हृदय की झिल्ली, हृदय वृहद वाहिका स्वस्थ थी। इसी साक्षी का कथन है कि, परदा, आंतो की झिल्ली, मुंह तथा ग्रसनी, मूत्राशय, भीतरी एवं बाहरी जनेन्द्रिया तथा छोटी एंव बड़ी आंत स्वस्थ थे, लीवर, प्लीहा, गुर्दा पेल थे।

उपरोक्त सभी चोटें मृत्यु पूर्व की थी, मृत्यु से दो घंटे के अंदर की थी, सभी चोट गन शाट इंज्युरी से आयी थी। एक बुलेट सीने के सामने भाग से तथा एक बुलेट सीने के पिछले भाग से निकालकर सीलबंद कर उसी आरक्षक को सौंपा गया एवं एफएसएल से जांच कराने की सलाह दी गयी थी। बुलेट की स्थिति जानने के लिए एक्स रे फिल्म लिया गया था, जिसमे दो बुलेट सीने के दाहिने तरफ थे। उसके पहने हुए कपड़े एक सफेद साड़ी में पिंक कलर का प्रिंट था, साड़ी में खून का धब्बा उपस्थित था, एक सफेद रंग का पेटीकोट था, जिसमें खून के धब्बे उपस्थित थे, एक सफेद रंग का ब्रा था जिसमे खून के धब्बे उपस्थित थे, एक गुलाबी रंग का ब्लाउज था, जिसमें खून के धब्बे उपस्थित थे। सभी कपड़ो को सीलबंद कर उसी आरक्षक को सौंप दिया गया था तथा एफएसएल जांच की सलाह दी गयी थी।

77—(4). इस चिकित्सक साक्षी के अभिमत अनुसार सूरजी बाई की मृत्यु शॉक एवं हेमरेज से होना जो मृत्यु पूर्व सिर एवं सीने में आयी चोट के कारण गन शॉट इंज्युरी से आयी चोट के कारण होना बताया है। मृत्यु का समय उसके पोस्टमार्टम के समय से 6 से 12 घंटे के बीच का होना बताया गया है तथा मृत्यु की प्रकृति हत्यात्मक होने का कथन किया गया है। इस संबंध में शव की पावती प्रदर्श पी 05 होना जिसमें अ से अ भाग पर उसके

हस्ताक्षर होने का कथन किया गया है। आगे इस साक्षी का कथन है कि, दिनांक 08/01/18 को कार्यालय थाना प्रभारी दुर्ग का पत्र प्राप्त हुआ था, जिसके पृष्ठ भाग पर उसके द्वारा, पुलिस द्वारा पूछे गये प्रश्न कितनी दूरी से पिस्टल चलाया गया था, का उत्तर निश्चित रूप से नहीं बता सकना फिर भी जिगजैक मार्जिन होने के कारण यह कहा जा सकता है कि, गोली बहुत नजदीक से चलायी गयी थी, सही दूरी की जानकारी के लिए उसके बैलेस्टिक जांच की सलाह दी थी, उक्त संबंध में क्वेरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 06 होना बताया है ।

77—(5). आगे इस साक्षी का कथन है कि, दिनांक 16/01/18 को प्रधान आरक्षक मुसाफिर सिंह थाना दुर्ग द्वारा एक पेपर के पैकेट में बिना सील लगा पैकेट में अपराध कमांक 01/18, थाना दुर्ग के संबंध में लाया था, जिसमे उसने एक हल्का नीले रंग का एवं सफेद रंग का चेक हॉफ कुर्ता, खून जैसा भूरा रंग का दाग उपस्थित था, जो सीने के दाहिने तरफ था, जिसे उसने गोला करके चिन्हांकित किया था, खून जैसे और दाग दाहिनें भुजा में सामने तरफ था, जिसको भी चिन्हांकित किया था तथा सीने के पिछले भाग में खून जैसा धब्बा उपस्थित था, कपड़ो को सीलबंद कर उनकी रासायनिक जांच की सलाह देते हुए उसी आरक्षक को सौंप दिया था। दिनांक 05/01/18 को थाना प्रभारी, दुर्ग द्वारा क्वेरी चाही

गयी थी कि, मृतक रावलमल जैन के शरीर मे कुल तीन गोली दिखायी दे रही है, पी.एम के दौरान सिर्फ एक गोली निकाली गयी है शेष दो गोली क्यों नही निकली, जिस पर उसने यह अभिमत दिया था कि, पी.एम के पहले आरक्षक द्वारा गोली की स्थिति की जानकारी के लिए दोनों शवों के साथ दोनो का एक्स रे कराकर 01/01/2018 को दो बजे लाया गया था। एक्स रे फिल्म का लेटरेटल व्यू नही लिया गया है, लेटरेटल व्यू नहीं होने के कारण गोली की सही स्थिति अर्थात आगे या पीछे या कितनी गहराई में है, इसका अंदाजा नही लगाया जा सकता, एक्स रे के अनुसार दो गोली सीने के दाहिने तरफ उपरी भाग में तथा एक गोली पेट की उपरी भाग में थी, पी.एम. 2.15 बजे प्रारभं किया गया तथा लगभग 3:35 पर समाप्त हुआ जिसमे लगभग 1 घंटे तक सिर्फ एक ही गोली दाहिने सीने से निकालकर उसी आरक्षक को सौंप दी गई थी। पी.एम. एक घंटा 20 मिनिट शेष दो गोली नहीं मिलने पर गोली ढूढंना बताकर उसके तत्काल पश्चात् पी.एम 3:40 बजे प्रारंभ किया था जिसमें दाहिने सीने मे उपस्थित दोनो गोली मिल गयी थी, उसकी क्वेरी रिपोर्ट प्रपी 08 है। एक्स रे फिल्म का लेटरेटल व्यू नहीं होने के कारण तथा एक घंटे तक गोली ढूंढने से नहीं मिलने के कारण दोनों गोली स्वर्गीय रावलमल जैन के शरीर मे छुट गयी, जो किसी मांसपेशी या हडडी में फंसी होगी। उसने मृतक रावलमल जैन

एवं मृतिका सूरजीबाई के एक्स रे परीक्षण की रिपोर्ट प्रदर्श पी. 9 एवं 10 तथा फिल्म पुलिस को दिया था, उक्त दोनों एक्स रे रिपोर्ट के साथ चार एक्स रे फिल्म भी संलग्न है रावलमल जैन का एक्स रे रिपोर्ट प्रपी. 9 है, जिसमें आर्टिकल 52 से 55 एक्स–रे प्लेट संलग्न है। सूरजीबाई का एक्स रे रिपोर्ट प्रपी. 10 है, जिसमें आर्टिकल 56 से 58 तक है ।

78– तत्समय आरक्षी केन्द्र–दुर्ग में पदस्थ विवेचक **अ.सा. 15 निरीक्षक भावेश साव** के द्वारा मृतिका सूरजी देवी का प्रदर्श पी. 28 का मर्ग इंटीमेशन दर्ज किया गया। इसी दिनांक को 06.20 बजे सौरभ गोलछा ने रावलमल जैन की मृत्यु के संबंध में मर्ग सूचना प्रदर्श पी. 29 दर्ज कराया। मर्ग सूचना के उपरांत दिनांक 01.01.18 को प्रातः 06.25 बजे सौरभ गोलछा की रिपोर्ट पर प्रदर्श पी. 27 की प्रथम सूचना रिपोर्ट, मृतिका सूरजी देवी एवं मृतक रावलमल जैन के संबंध में धारा 302 भा.दं.सं. के अंतर्गत पंजीबद्ध की गई। विवेचक के द्वारा घटना की जानकारी तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों एवं काईम ब्रांच तथा एफ.एस.एल. रायपुर को दी गई एवं कंट्रोल रूम को भी अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया। तत्पश्चात् मौके पर रावलमल जैन के निवास स्थान गंजपारा, दुर्ग में पहुंचकर धारा 175 दं.प्र.सं. का नोटिस प्रपी. 30 एवं 31 साक्षियों को घटना स्थल पर उनकी उपस्थिति हेतु जारी किया। उसके पश्चात् प्रदर्श पी. 32 के अनुसार

सूरजी देवी एवं प्रपी. 33 के अनुसार रावलमल जैन का शव पंचनामा तैयार किया गया। विवेचक व्दारा शव पंचनामा में सूरजी देवी को तीन गोली तथा रावलमल जैन को तीन गोली मारकर हत्या करना पाया गया। रावलमल जैन का शव गलियारे में बाथरूम के पास तथा सूरजी देवी का शव कमरे में पलंग पर चित्त हालत में पड़ा था, जिसमें रावलमल जैन के पीठ में गोली लगने के निशान थे एवं सूरजी देवी के बांये छाती में, दाहिने हाथ के कोहनी के पास एवं सिर के पास गोली लगने के निशान थे। उसने उक्त दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल, दुर्ग रवाना किया। उसके पश्चात् शव परीक्षा के लिए दिए गए आवेदन पत्र प्रदर्श पी 3 और प्रदर्श पी. 5 की कार्यवाही उपनिरीक्षक आर.डी. मिश्रा के व्दारा की गई। पोस्टमार्टम उपरांत दोनों शव का सुपुर्दनामा मृतक के भाई भीखमचंद जैन को प्रदर्श पी. 61 एवं 62 दिया गया।

79— **अ.सा. 3 डॉ. बी.एन. देवांगन** के अभिमत अनुसार रावलमल जैन की मृत्यु शॉक एवं हेमरेज से हुई होना जो मृत्यु पूर्व सीने मे चोट लगने के कारण होना जिसे गन शॉट इंज्युरी से आना बताया है एवं मृत्यु का समय उसकी मृत्यु पोस्टमार्टम के समय से 6 से 12 घंटे के बीच का होना बताया है। मृत्यु की प्रकृति हत्यात्मक होना बताते हुये शव परीक्षण के आवेदन पर पावती प्रदर्श पी 03 होना व जिसके निचले हिस्से में उसके हस्ताक्षर होने का कथन

किया गया है। मृतिका सूरजी देवी के संबंध में इस चिकित्सक साक्षी व्दारा उसके अभिमत अनुसार उसकी मृत्यु शॉक एवं हेमरेज से होना जो मृत्यु पूर्व सिर एवं सीने में आयी चोट के कारण होना जो गन शॉट इंज्युरी से आयी होना व मृत्यु का समय उसके पोस्टमार्टम के समय से 6 से 12 घंटे के बीच की होना तथा मृत्यु की प्रकृति हत्यात्मक होना बताया है।

80— इस तरह उपरोक्त समस्त साक्ष्य के आधार पर मृतकगण रावलमल जैन एवं श्रीमती सूरजी बाई की मृत्यु स्वाभाविक कारणों से या आत्महत्या के कारण या दुर्घटनाजनित न होकर मानव वध कारित प्रतीत होने से इस न्यायालय का निष्कर्ष है कि, मृतक गण रावलमल जैन एवं श्रीमती सूरजी बाई की मृत्यु आपराधिक मानव वध स्वरूप की थी।

<u>।। परिस्थिति क्रमांक–2 से 12 पर निष्कर्ष ।।</u>

81— <u>चूंकि उपरोक्त सभी परिस्थितियॉ अर्थात् परिस्थिति क्रं.2 से लगायत परिस्थिति क्रं.12 (जिन्हें इस निर्णय की कंडिका क्रमांक–75 में उल्लेखित किया गया है) एक–दूसरे से जुडी हुई है इसलिये साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के उद्देश्य से इन सभी परिस्थितियों पर एक साथ विचार किया जा रहा है।</u>

82— उपरोक्त परिस्थितियों के विवेचन/निष्कर्ष के अनुक्रम में सर्वप्रथम प्रकरण के महत्वपूर्ण अभियोजन साक्षी सौरभ गोलछा

(अ.सा.08) के न्यायालयीन कथन का उल्लेख किया जाना उचित प्रतीत हो रहा है जो इस प्रकार है :–

इस अभियोजन साक्षी ने अपने न्यायालयीन कथन में बताया है कि, वह आरोपी संदीप को जानता है, जो उसका मामा हैं, मृतिका सूरजीबाई उसकी नानी एवं मृतक रावलमल उसके नाना थे। वह अपने मामा आरोपी संदीप के साथ साड़ी के व्यापार का कार्य करता था। दिनांक 01 जनवरी, 2018 को सुबह करीब 6.00 बजे उसकी नानी सूरजीबाई का उनके मोबाइल नंबर 9406419291 से, उसके मोबाइल नंबर 7000291510 पर फोन आया कि, नाना जी गिर गये हैं, जल्दी से आ जाओ, तब वह अपनी कार से गंजपारा उनके घर गया। घर के अंदर जाने पर उसने देखा कि, नाना जी कॉरीडोर में गिरे थे, उसने अपने नाना को हिलाने–डुलाने की कोशिश की, मगर वह नहीं उठे फिर वह नानी जी के कमरे में गया, तो देखा कि नानी बिस्तर पर लहुलूहान स्थिति में गिरी थी। उसने देखा कि नानी के शरीर में गोली लगी थी और बाजू में बुलेट भी पड़ी थी, उन्हें भी हिलाने डुलाने की कोशिश की फिर वह अपने नाना जी के पास गया तो देखा कि उन्हें भी गोली लगी थी। उसके बाद वह अपने मामा अर्थात् आरोपी संदीप के कमरे में आरोपी संदीप को उठाने गया फिर वे दोनों नीचे आये, तो उसके मामा, नाना–नानी से लिपटकर फूट फूटकर रोने लगे। आरोपी संदीप ने कहा कि, सब रिश्तेदारों को

फोन करो और पुलिस में खबर करो तब उसने डॉक्टर संजय गोलछा, गौतम चंद बोथरा आदि लोगों को फोन किया और थाने में जाकर खबर किया। उसके बाद उसके साथ एक हवलदार आये थे।

83— अभियोजन साक्षी अ.सा. 8 सौरभ गोलछा ने अपने न्यायालयीन कथन में आगे बताया है कि, उसकी मामी और उनके लड़के घटना दिनांक को दल्ली राजहरा में थे। उसके द्वारा उसकी नानी सूरजी बाई के संबंध में दर्ज कराई गई मर्ग सूचना में उसने बताया था कि, सूरजीबाई बेडरूम में बिस्तर पर लहुलुहान मृत पड़ी थी, किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसी तरह रावलमल से संबंधित मर्ग सूचना प्रदर्श पी 29 उसने लिखाया था कि, उनकी भी किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। दिनांक 01/01/2018 को उसे सूरजीबाई एवं रावलमल के शव पंचनामा के लिए नोटिस प्रदर्श पी. 30 एवं 31 प्राप्त हुआ था। उसके समक्ष पुलिस ने सूरजीबाई का शव पंचनामा प्रदर्श पी. 32 तैयार किया था उसके समक्ष पुलिस ने रावलमल का शव पंचनामा प्रदर्श पी. 33 तैयार किया था। उसके सामने शवों का अवलोकन कर लिखा पढ़ी की गयी थी एवं प्रदर्श पी. 32 एवं प्रदर्श पी. 33 में उनके शरीर में आयी चोटों एवं गोली लगने का उल्लेख किया गया था एवं शव के पास खाली खोखों का पड़ा होने का उल्लेख है, पुलिस ने उससे दिनांक

01/01/2018 को इस प्रकरण से संबंधित बयान लेखबद्ध किया था।

84— आगे इस साक्षी का कहना है कि, घटना दिनांक को चौकीदार, उसके नाना के घर नहीं आया था घर में अंदर प्रवेश करने का एकमात्र दरवाजा है, जो आलोकचंद त्रिलोकचंद ज्वेलर्स के सामने है, जो गंजपारा में है। वह संदीप जैन के साड़ी दुकान में दो साल से काम कर रहा था एवं साक्ष्य तिथि के समय काम नहीं करना बताया है। वह घटना दिनांक 01/01/2018 को आरोपी संदीप जैन की साड़ी दुकान में काम करता था। घटना दिनांक 31/01/2017 एवं 01/01/2018 की दरम्यानी रात्रि में घटना स्थल वाले मकान में उसकी जानकारी के अनुसार मृतक रावलमल जैन, मृतिका सूरजीबाई एवं आरोपी संदीप जैन तीन ही लोग मौजूद थे। उसकी नानी सूरजीबाई का फोन सुबह 05:54:50 बजे उसके मोबाइल पर आया कि, उसके नाना गिर है, जल्दी आओ तब वह तुरंत 06 बजकर 02 मिनट 25 सेंकड पर घर पहुंच गया तब उसने पाया कि, सूरजीबाई एवं रावलमल को गोली लगने से उनकी मृत्यु हो गई थी और आरोपी संदीप जैन कमरे मे सही सलामत मिला था। जब वह घटना स्थल पर पहुंचा तो घर का मुख्य दरवाजा खुला हुआ था, मुख्य दरवाजा से अंदर प्रवेश करने के बाद बैठक के रूम का दरवाजा लुढ़का हुआ था, चिटकनी नही लगी थी, जिसे धक्का देकर

वह गलियारे मे गया उसके बाद वह सीढ़ी चढ़कर आरोपी संदीप जैन के कमरे में गया। आगे इस साक्षी का कहना है कि, पुलिस कुत्ते ने जालीदार टोपी और बैग को सूंघा था उसने जब मर्ग एवं प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कराया था उस समय आरोपी संदीप जैन उसके साथ नही था। वह मकान के नीचे हिस्से में मर्ग कायम के समय था और मकान के उपरी हिस्से में आरोपी संदीप जैन था। मर्ग एवं प्रथम सूचना प्रतिवेदन उसके द्वारा बोल बोल कर लिखाये जाने के बाद दर्ज किया गया था उसके बाद उसने हस्ताक्षर किया था। उसके नाना रावलमल जैन, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे।

85— अभियोजन साक्षी अ.सा. 8 सौरभ गोलछा ने अपने न्यायालयीन कथन में आगे बताया है कि, नाना—नानी की स्थिति देखने के बाद उसने थाना जाकर प्रथम सूचना पत्र एवं मर्ग दर्ज कराया। नगर निरीक्षक भावेश साव ने दिनांक 01/01/2018 को ही उसका कथन लेखबद्ध किया था। उसने पुलिस को दिये कथन मे यह बताया था कि, मृतक रावलमल जैन उसके नाना है, पहले वह उसके पापा के साथ जबलपुर में रहता लेकिन वहॉ बिजनेस नही चलने के कारण उसके नाना—नानी ने यहा बुला लिया और समता साड़ी सेंटर में ही काम करने लगा, उसके नाना—नानी उसे आर्थिक रूप से मदद करते थे। उसने बयान की कंडिका 15 मे यह बताया है कि, जब वह अपने नाना रावलमल जैन के घर गया तो

बाहर का दरवाजा खुला हुआ था और बाहरी कोई व्यक्ति नही था और घर के सभी सामान सुरक्षित अवस्था में थे। आरोपी संदीप जैन, मृतक रावलमल जैन एवं सूरजीबाई का इकलौता पुत्र है। घटना के पहले भी वह हमेशा उसके घर ऋषभनगर से उसने नाना रावलमल जैन के घर स्थित उनकी साड़ी दुकान में सुबह आता था और दिन भर काम करके रात को वह अपने घर ऋषभनगर वापस जाता था।

86– **अ.सा. 5 राजू सोनवानी** ने अपने न्यायालयीन साक्ष्य में बताया है कि, वह आरोपी संदीप जैन के घर में ड्रायवर की नौकरी करता है। वह दिनांक 31/12/2017 को शाम 7 बजे नगपुरा मंदिर से रावलमल जैन को लेकर आने के बाद उन्हे घर पर छोड़ा और वापस अपने घर चला गया। वह रावलमल जैन के यहॉ पहले स्विफ्ट डिजायर चलाता था और अभी आई 10 गाड़ी चलाता है। वह 26/12/2017 को संदीप की पत्नी संतोष जैन, संदीप जैन एवं उसके पुत्र संयम को लेकर दल्ली राजहरा छोडने गया था और दल्ली राजहरा में संतोष जैन एवं संयम को छोड़कर वह और संदीप जैन शाम को 5:30 से 6.00 के बीच वापस आ गये थे। रावलमल जैन गुस्से के तेज व्यक्ति थे उनसे सब डरते थे, आरोपी संदीप बहुत कम बात करता था, जो भी बात करता था अपनी मॉ सूरजीबाई के माध्यम से करता था। दिनांक 31/12/2017 की रात को घर पर केवल आरोपी संदीप जैन, उसके पिता रावलमल जैन एव उसकी मॉ

सूरजीबाई ही थे। जब वह सुबह 9:30 से 10 बजे जब रावलमल जैन के घर काम पर गया, तब उसे जानकारी हुई कि, रावलमल जैन एवं सूरजीबाई की हत्या हो गयी है। उस समय पुलिस जांच के लिए आयी थी और भीड़ लगी थी।

87— **अ.सा. 7 रोहित कुमार देशमुख** ने अपने न्यायालयीन साक्ष्य में बताया है कि, वह पिछले 30 वर्षो से रावलमल जैन के घर पर कार्य कर रहा है, वह उनके घर में स्थित आफिस में भृत्य का कार्य करता है। रावलमल जैन के घर में उनकी पत्नी सूरजी बाई, पुत्र संदीप जैन, उसकी पत्नी संतोष जैन और पुत्र संयम निवास करते थे। वह उनके घर में चौकीदारी का कार्य रात में करता था। दिनांक 30/12/2017 को वह रावलमल जैन के घर कार्य किया और शाम को उसे आरोपी संदीप ने कहा कि **"तुम 31/12/2017 की रात में सोने मत आना"** तब वह दिनांक 31/12/2017 को रावलमल जैन के घर नहीं आया। दिनांक 30/12/2017 को जब वह छुटटी लेकर गया, तब रावलमल जैन के घर, आरोपी संदीप, रावलमल जैन एवं उनकी पत्नी सूरजीबाई केवल तीन लोग थे। उसे दिनांक 01/01/2018 को सुबह व्हाटसएप के जरिए गांव में पता चला कि, सेठ रावलमल जैन एवं उनकी पत्नी का मर्डर हो गया है, तब वह अपने गांव से रावलमल जैन के घर आया, पुलिस वाले उसे घर के अदंर घुसने नहीं दिये। घटना के दो–तीन पहले आरोपी

संदीप जैन अपनी पत्नी और बच्चे को दल्ली राजहरा पहुंचाकर वापस आ गया था। रावलमल जैन शिवनाथ नदी से पूजा के लिए रोज पानी मंगाते थे, आरोपी संदीप ने पानी लाने के लिए मना किया था रात को सोते समय मुख्य गेट पर ताला लगाकर चाबी बैठक मे टांग देते थे।

88— **साक्षी अ.सा. 2 प्रभात कुमार वर्मा, रिटायर्ड पुलिस फोटोग्राफर** ने अपने न्यायालयीन साक्ष्य में बताया है कि, दिनांक 01/01/2018 को सुबह करीब 8:30 बजे थाना दुर्ग से सूचना मिली कि, गंजपारा आ जाईये, तो वह गंजपारा में स्टेट बैंक के बगल से गली है, में घटना स्थल गया थ। घटनास्थल जाकर उसने घ टनास्थल का अवलोकन किया एवं वहां फोटोग्राफस लिए, उसने घ टनास्थल के अंदर का एवं बाहर का फोटोग्राफ लिया था, घटना स्थल घर के अंदर का है उसने फोटो केनन 60 डी डिजीटल कैमरा से लिया है। आगे इस साक्षी का कहना है कि, आर्टिकल ए 1, आर्टिकल ए 5, आर्टिकल ए 6, आर्टिकल ए 7, में लाल स्याही से घेरे गये भाग मकान के पीछे का है आर्टिकल ए 2, आर्टिकल ए 3, आर्टिकल ए 4, आर्टिकल ए 8, आर्टिकल ए 9 में लाल स्याही से घेरा गया भाग मकान के सामने का भाग है आर्टिकल ए 10 में दो फोटोग्राफस है, जो कि घर के पीछे खड़ी हुई वाहन टाटा मैजिक (छोटा हाथी) का है, आर्टिकल ए—11 का फोटोग्राफस गाड़ी के हुड

के उपर रखी हुई रिवाल्वर का है, आर्टिकल ए–12 एवं आर्टिकल ए–13 में रिवाल्वर का क्लोज फोटो है, आर्टिकल ए 14 मकान के पीछे का वह स्थल है, जहॉ रिवाल्वर की गोलियां पड़ी थी, जो अ से अ एवं ब से ब भाग पर है।

89– आगे इस साक्षी का कथन है कि, आर्टिकल ए 15 एवं आर्टिकल ए 16, आर्टिकल ए 17 झिल्ली में रखा हुआ कारतूस, जो पहले मकान के पीछे रखी हुई थी, उसे उठाकर बगल में रखा गया। साक्षी कहता है कि, धूप पड़ रही थी, जिसके कारण फोटो ठीक नहीं आ रही थी, जिसके कारण सरकाकर किनारे रखा गया, उसका फोटोग्राफस है। आर्टिकल ए 18, टाटा मैजिक के डाले में पड़ी हुई रिवाल्वर का वह हिस्सा है जिसमे गोलियां लगती है, आर्टिकल ए 19 एवं आर्टिकल ए 20, बेडरूम के सामने बरामदा का है। आर्टिकल ए 21 से लेकर आर्टिकल ए 24 तक बाथरूम के सामने मृतक की लाश की फोटो है। आर्टिकल ए 25, मृतक के शरीर में जहॉ गोली लगी थी वहॉ की फोटो है, आर्टिकल ए 26 एवं आर्टिकल ए 27 मे पीठ का पिछला हिस्सा है जहॉ खून निकला हुआ था। आर्टिकल ए 28, एवं आर्टिकल ए 29, मृतक के स्वेटर को उठाकर फोटो ली गयी है, जहॉ से गोली बाहर निकली थी, आर्टिकल ए 30 मृतक के पैर के पास खाली कारतूस है, जो नीली स्याही से घिरा हुआ है, की फोटो है आर्टिकल ए 31 से आर्टिकल

33 तक खाली कारतूस की फोटो है जो घटना स्थल पर पड़ी हुई थी।

90— आगे इस साक्षी का कथन है कि, आर्टिकल ए 34, आर्टिकल ए 35, आर्टिकल ए 36 की तीनो फोटो बेडरूम की है, जहॉ मृतिका की बॉडी पलंग पर पड़ी हुई थी। आर्टिकल ए 37, आर्टिकल ए 38, आर्टिकल ए 39, आर्टिकल ए 40, आर्टिकल ए 41, आर्टिकल ए 42, सभी मृतिका की फोटो है, जो नजदीक एवं दूर से ली गयी है आर्टिकल ए 43, आर्टिकल ए 44 ये दोनों फोटो मृतिका के बांये हाथ के तरफ की है, जहॉ दो खाली कारतूस नीली स्याही से घिरे हुये स्थान पर दिख रहे है आर्टिकल ए 45, आर्टिकल ए 46 मृतिका की चोटो के क्लोज अप फोटोग्राफस है आर्टिकल ए 47 से आर्टिकल ए 51 तक मृतिका के शरीर के फोटो है, जिसमें आसपास की चीजे भी दिखायी गयी है आर्टिकल ए 52, आर्टिकल 53 दरवाजे के उपर आये हुए संभावित अंगूल चिन्ह के फोटोग्राफस है।

91— अ.सा. 4 आरक्षक डॉग मास्टर अमित कुमार कुर्रे का कथन है कि, थाना कोतवाली दुर्ग से फोन से सूचना प्राप्त होने पर कि, गंजपारा में मर्डर हो गया है, तो डॉग को लेकर आना है तब वह डॉग लेकर घटना स्थल गंजपारा गया। घटना स्थल जाने पर उसे दो लाश मिली, एक महिला की लाश कमरे के बिस्तर एवं एक

पुरूष की लाश बरामदे मे पड़ी थी। उसने डॉग को महिला के कमरे की सुगंध लेने के लिए चादर, बिस्तर, पैर के निशान की सुंगध सुंघायी एवं बरामदे में पड़ी पुरूष की लाश के आसपास की भी सुगंध दी। **सुगंध लेने के बाद डॉग सीढ़ी चढ़कर उपर के कमरे में गया, जहॉ पर एक आदमी था, उसे देखकर डॉग भोंकने लगा उसने उस आदमी से नाम पूछा तो उसने अपना नाम संदीप जैन बताया, वह उसके बाद प्रदर्श पी 11 का प्रतिवेदन बनाकर पुलिस को दिया था।**

92— **अ.सा. 13 शेख कलीम** ने अपने न्यायालयीन साक्ष्य में बताया है कि, वह एक्सीडेंट केस में थाना गया था, तब वहॉ पर अभियुक्तगण बंद थे, दिनांक 01.01.2018 को जानकारी होने पर कि, आरोपी संदीप जैन अपने मां—बाप को गोली मार दिया है, वह भी घटनास्थल पर गया था वहां पर पुलिस वाले उपस्थित थे, पुलिस वाले उसे बुलाये और नाम पूछे, तब उसने अपना नाम बताया था। पुलिस वाले एक कागज में दस्तखत लिये और वह आरोपी संदीप जैन के घर .के अंदर पुलिस वालों के साथ गया तो देखा कि, घर के अंदर बरामदे में बाथरूम के पास रावलमल जैन पडा हुआ था, उनकी पीठ में दो गोली लगने का निशान दिख रहा था। पुलिस वाले वहीं पर उसकी लिखा पढी किये थे, फिर आरोपी संदीप जैन की मां के कमरे में गये तो देखा कि, संदीप जैन की मां बिस्तर में चित पडी हुई थी, उसने देखा कि, उसके सिर में और हाथ में गोली

लगने के निशान थे और दीवाल में भी गोली लगने के निशान थे और बिस्तर में एक गोली पड़ी हुई थी उसके बाद, उपर संदीप जैन के कमरे में गये, उससे पुलिस वाले पूछताछ किये। **पूछताछ करने पर आरोपी संदीप जैन ने बताया कि, उसने रावलमल जैन को मारा है और बंदूक तथा गोली को बालकनी की जाली से नीचे फेंक दिया है, फिर रायपुर से आये हुए साहब लोग घटनास्थल देखे और चेक किये और कार्यवाही किये, दुर्ग के साहब लोग लिखा पढी किये। वह घटनास्थल पर सुबह 10 बजे से 03.30–4.00 बजे शाम तक था, प्रदर्श पी–48 नक्शा पंचनामा एवं प्रदर्श पी–49 के नोटिस के अ से अ भाग पर उसका हस्ताक्षर है।**

93– **अ.सा. 13 शेख कलीम** ने अपने न्यायालयीन साक्ष्य में आगे बताया है कि, पुलिस ने उसके सामने सूरजी देवी के कमरे से तीन गोली जप्ती पत्र प्रदर्श पी. 50 के अनुसार जप्त किया था, पुलिस ने उसके सामने जहॉ रावलमल की लाश पडी थी, वहॉ से दो गोली जप्ती पत्रक प्रदर्श पी. 51 के अनुसार जप्त किया था। **आरोपी संदीप जैन ने उसके सामने पुलिस वालों को बताया था कि, उसका अपने पिता से संपत्ति को लेकर विवाद होता रहता था आरोपी संदीप जैन ने यह भी बताया था कि, उसके आने जाने वाले दोस्तों को लेकर भी विवाद होते रहता था, इसी कारण आरोपी संदीप जैन के पिता ने उसे अपनी संपत्ति से बेदखल करने के लिए कहते**

थे, फिर उसने अपने पिताजी को मारने का प्लान बनाया, उसके बाद अपनी पत्नी को कहीं भेज दिया, नौकरों को भी छुट्टी में भेज दिया और दो चार आठ दिन बाद अपने पिता को मार दिया। उक्त मेमोरेण्डम प्रदर्श पी–52 है, रायपुर के अधिकारियों के जाने के बाद लगभग 3 से 4 बजे के बीच उसके सामने पुलिस वालों ने, संदीप ने अपनी बालकनी की जाली से जो बंदूक और गोली का खोखा, जिसमें शायद 6 गोली थी और बंदूक खाली थी, उसे घर के पीछे खडे टाटा मालवाहक के गाडी के केबिन जहॉ रिवाल्वर पडा था, उसे प्रदर्श पी. 53 के अनुसार जप्त किया था, उसे वे लोग उठाकर लाये थे।

94– **अ.सा. 13 शेख कलीम** ने अपने न्यायालयीन साक्ष्य में आगे बताया है कि, पुलिस ने उसके सामने आरोपी संदीप जैन के कमरे से एक शर्ट, एक सफेद रंग का दस्ताना, जिसे डॉक्टर लोग हाथ में पहने हुए रहते है, उस टाईप का प्रदर्श पी. 54 के अनुसार जप्त किया था। उसने घटना दिनांक 01.01.2018 को थाना प्रभारी, दुर्ग के साथ पूरे घटनास्थल का अंदर एवं बाहर से अवलोकन किया था। उसके बाद थाना प्रभारी ने उसका विवरण प्रपी–48 नक्शा पंचायतनामा में लिखा है। **मृतक रावलमल के घर में घुसने का सिर्फ एक मुख्य दरवाजा है, जिसे अंदर से बंद करने पर भीतर का ही सदस्य खोल सकता है। मकान के प्रथम तल पर जहॉ संदीप का**

कमरा है, उसकी बालकनी पूरी तरह से ग्रिल से बंद है, पीछे से आने जाने का रास्ता नहीं हैं। टाटा मैजिक संदीप के कमरे के ठीक नीचे खडा था, संदीप के घर के पीछे गैरेज लाईन हैं जहॉ गाडिया खडी रहती है।

95— **अ.सा. 13 शेख कलीम** ने स्वीकार किया है कि, रावलमल के घर के आजू—बाजू मकान बने हैं, कोई खाली जगह नहीं है। ग्रिल में एक छोटे जगह में ताला लगा है, जो जंग लगा हुआ है और ऐसा प्रतीत होता है कि, वर्षो से नहीं खोला गया है। **इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि, मकान के सामने एवं पीछे कहीं पर भी कोई क्षति नहीं हैं, जो किसी व्यक्ति के अंदर प्रवेश करने को इंगित करता हो।** गवाह से पूछे जाने पर कि उसने पूरे घटनास्थल का मुआयना करने के बाद नक्शा पंचायतनामा में हस्ताक्षर किया था, तो गवाह ने प्रपी—48 पर हस्ताक्षर करना स्वीकार किया है। इसी साक्षी ने आगे यह भी स्वीकार किया है कि, घटनास्थल के मुआयने के पश्चात् सूरजी बाई के कमरे से जप्ती की गई थी। पुलिस ने सूरजीबाई के कमरे से उसके शव के पास से एक मोबाईल जप्त किया था। बरामदे में जहॉ रावलमल की लाश पडी थी, उस स्थान से पुलिस ने गोली का खोखा जप्त किया था। **पुलिस ने उसके समक्ष अभियुक्त संदीप को अभिरक्षा में लेकर घटनास्थल पर पूछताछ किया था जिसमें संदीप ने बताया था कि, वह आलोकचंद त्रिलोकचंद्र**

ज्वेलर्स के सामने स्थित अपने मकान में माता–पिता के साथ रहता है। पुलिस ने उसके समक्ष अभियुक्त संदीप को अभिरक्षा में लेकर घटना स्थल पर पूछताछ किया था जिसमें संदीप ने बताया था कि, उसकी पत्नी और उसके बच्चे के साथ वह मकान के उपरी हिस्से में रहता है, माता पिता नीचे रहते हैं और वह अपने माता पिता का इकलौता पुत्र है।

96– **अ.सा. 13 शेख कलीम** ने अपने न्यायालयीन साक्ष्य में आगे बताया है कि, पुलिस ने उसके समक्ष अभियुक्त संदीप को अभिरक्षा में लेकर घटना स्थल पर पूछताछ किया था जिसमें संदीप ने बताया था कि, मकान के बाजू में ही साड़ी बेचने का व्यवसाय करता है और उसका भांजा सौरभ गोलछा व्यवसाय में उसकी मदद करता है जो ऋषभ कॉलोनी में रहता है। **आरोपी संदीप ने पुलिस को बताया था कि, रावलमल जैन पुरानी रूढी विचारधारा के व्यक्ति थे, वह स्वतंत्र खुले विचारों का व्यक्ति है। आरोपी संदीप ने बताया था कि, उपरोक्त बात को लेकर उसके एवं उसके पिता में हर काम में टकराव होता था तथा वे उसे अक्सर टोका करते थे जैसे पूजा के लिए शिवनाथ नदी से प्रतिदिन नौकर से पानी मंगवाते थे तथा घर के नल के पानी को ही उपयोग करने को कहने पर उसे डांट–डपट करते थे, जिसके कारण उसने व्यथित होकर अपने पिता को मारने की योजना बनाई। उसने इस कारण पहले से ही एक**

देशी पिस्टल और कारतूस अग्रसेन चौक दुर्ग निवासी भगत सिंह गुरूदत्ता से एक लाख पैतीस हजार रूपये में खरीद रखा था।

97— **अ.सा. 13 शेख कलीम** ने अपने न्यायालयीन साक्ष्य में आगे बताया है कि, **आरोपी ने योजना को अंजाम देने के लिए दिनांक 27.12.2017 को उसकी पत्नी और उसके बच्चे को मायके दल्लीराजहरा भेज दिया और नौकर रोहित देशमुख जो रात्रि में घर में रोज सोता था उसे रात्रि में घर आने से मना कर दिया था, उसने योजना अनुसार घटना दिनांक की प्रातः 05.45 बजे वह उपर से नीचे आकर मां के कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया उस समय उसके पिता कॉरीडोर से बाथरूम तरफ से वापस आ रहे थे और कॉरीडोर का दरवाजा बंद कर रहे थे उनकी पीठ उसकी तरफ थी तभी उसने अपने पिता को पीछे से पीठ में गोली मार दिया। गोली की आवाज सुनकर उसकी मां के चिल्लाने पर वह अपने उपर कमरे में भाग गया फिर उसके मोबाईल पर उसकी मां का फोन आने लगा लेकिन उसनें नहीं उठाया, उसके बाद नीचे उसकी मां के कमरे के पास पुनः वापस आया तो वह सौरभ को फोन करके बुला रही थी तब उसनें मां के कमरे के दरवाजे को खोला और उसके राज खुल जाने के डर से उन्हे भी गोली मारकर हत्या कर दिया। उसके बाद उसनें बाहर जाने वाले कॉरीडोर का दरवाजा और फिर बैठक दरवाजा खोल दिया तथा सबसे बाहर मेनगेट का ताला खोलकर**

चाबी उसी में छोड दिया ताकि लगे कि, कोई बाहर का आदमी आकर हत्या कर चला गया है। गोली मारते समय काले रंग के दास्ताने पहन रखे थे जो उसने उसके कमरे में बिस्तर में सिरहाने के नीचे रखे है।

98— **अ.सा. 13 शेख कलीम** ने अपने न्यायालयीन साक्ष्य में आगे बताया है कि, संदीप ने बताया था कि, घटना के समय पहना गया चेक आसमानी कलर का हाफ कुर्ता जिसमें खून के दाग लगे हैं, को बिस्तर के नीचे छिपाकर रखा है, जिस पिस्टल से उसने अपने माता पिता की हत्या की है उसे घर के पीछे उपर बालकनी से नीचे फेंक दिया जो वहीं पर खडी टाटा एस गाडी में गिरा, साथ में एक लोडेड मैग्जीन और दो झिल्ली में जिंदा कारतूस को भी नीचे गली में फेंक दिया जाना बताया। आरोपी संदीप ने बताया कि, मेनगेट का ताला चाबी गेट में ही खुले रखे हैं तथा फेंके गए स्थान और सामान को दिखाया। आरोपी के उक्त बयान देने के बाद मेमोरेण्डम प्रदर्श पी—52 के अ से अ भाग पर हस्ताक्षर किया था। उसी दिन 03.30 बजे दोपहर में घर के पीछे जाकर एक नग 7. 65 केलीवर का देशी पिस्टल और खाली मैग्जीन को टाटा एस के केबिन के उपर से जप्त किया था। आगे इस साक्षी ने कथन किया है कि, एक मैग्जीन लोडेड थी, जिसमें 6 गोली थी, उसे भी टाटा एस के डाले से जप्त किया गया था, कारतूस जो झिल्ली में

रखे थे, उसे भी जप्त किया था, इस संबंध में जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–53 है।

99– **अ.सा. 6 डॉ. टी.एल. चंद्रा, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी** का कथन है कि, वह 2 जुलाई 2009 से वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर मे पदस्थ है। दिनांक 01/01/2018 को वह थाना कोतवाली के अपराध क्रमांक 01/2018, धारा 302 भादवि का निरीक्षण करने के लिए रायपुर से प्रातः 11:30 बजें घटना स्थल गंजपारा, स्थित दुग्गड़ सदन अपनी टीम के सदस्य रवि चंदेल, डॉक्टर संदीप कुमार वैष्णव एवं डॉक्टर दिनेश कुमार साहू के साथ पहुंचा वह टीम का सबसे वरिष्ठ सदस्य था। घटनास्थल में अति. पुलिस अधीक्षक एवं थाना प्रभारी, दुर्ग उपस्थित मिले, थाना प्रभारी ने उसे घर के अंदर के घटना स्थल को दिखाया। घर के अदंर प्रवेश करने पर मृतक रावलमल जैन कॉरीडोर में गिरी हुई अवस्था में पाये गये तथा दाईं दिशा में स्थित शयन कक्ष में मृतिका श्रीमती सूरजीबाई को बिस्तर पर मृत अवस्था में पाया गया। घटनास्थल में प्रार्थी सौरभ गोलछा ने बताया कि, वह घटनास्थल पर उपस्थित था। घटना स्थल के निरीक्षण करने पर पाया कि, मृतक रावलमल जैन का निवास दुग्गड़ सदन का फोटोग्राफस, जिसे उसके द्वारा नंबर 01 से चिन्हित किया गया है, वह प्रदर्श पी 13 है, रेखाचित्र क्रमांक 1 में दर्शाये अनुसार

ड्राइंग रूम में स्थित शयन कक्ष में पहुंचें कक्ष में दरवाजे के सामने कोने में स्थित बेड पर मृतिका सूरजीबाई का शव रक्त रंजित अवस्था मे पड़ा था, जो प्रदर्श पी 13 के फोटो क्रमांक 05 एवं 06 है, जिसके अ से अ भाग पर उसका हस्ताक्षर है एवं सील लगी हुई है। मृतिका के दाहिने भाग में सिर के पास लगभग दस सेंटीमीटर की दूरी में बुलेट रक्त रंजित अवस्था में पाया गया, जो फोटोग्राफ क्रमांक 07 है, मृतिका के बाईं तरफ बायें हाथ के पास से लगभग 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 7.65 एम.एम. केलीबर के एफ.के. के दो फायर किए हुए कारतूस के खाली खोखे पाये गये, जो फोटोग्राफ क्रमांक 08 से 10 मे वर्णित है।

100— **अ.सा. 6 डॉ. टी.एल. चंद्रा, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी** का आगे कहना है कि, मृतिका के शरीर का अवलोकन करने पर दाहिने हाथ की कोहनी के नीचे एक गोली का प्रवेश पाया गया, जिसका आकार 0.8 सेमी. गुणित 1.0 सेमी., बायें सीने के पार्श्व भाग में गोली का एक प्रवेश छेद पाया गया, जिसका आकार 0.8 गुणित 0.9 सेमी., जिसे क्रमशः फोटोग्राफ क्रमांक 8 से 12 अंकित किया गया है, जो प्रदर्श पी 14 है। उपरोक्त सभी प्रवेश छेद के किनारे के प्राथमिक परीक्षण पर नाइट्राइट का रासायनिक परीक्षण धनात्मक पाया गया। मृतिका के सिर के बायें भाग में कान के उपर एक प्रवेश छेद एवं इसके संगत निर्गम छेद दाये कान के पास

पाये गये, इनका आकार क्रमशः 0.9 सेमी. गुणित 1.0 सेमी. एवं 1.2 सेमी गुणित 1.5 सेमी. पाया गया तथा पीठ के मध्य भाग मे एक गोली का प्रवेश छेद पाया गया जिसका आकार 0.9 सेमी गुणित 1.0 सेमी. पाये गये जिसे फोटोग्राफ क्रमांक 13 एवं 14 अंकित किया गया है।

101— आगे इस साक्षी का कहना है कि, इसके अतिरिक्त कक्ष में मृतक के बेड के समीप सोफा, कार्नर टेबल, टी टेबल, डबल बेड एवं टी. वी. भी पाया गया, कार्नर टेबल पर दवाईयां, रिमोट एवं अन्य सामान तथा टी. टेबल पर पानी की गुंडी, गिलास आदि रखे हुए थे, डबल बेड पर चादर एवं तकिया बिखरे हुए थे, जो फोटोग्राफ क्रमांक 15 से 18 है, जिसे प्रदर्श पी 15 अंकित किया गया। कक्ष के दरवाजे के पास एक 7.65 एम.एम केलीबर के.एफ. का फायर किया हुआ खाली खोखा पाया गया। तत्पश्चात् कक्ष से सटे आगे कॉरीडोर में स्थित मृतक रावलमल जैन का शव फर्श पर पेट के बल रक्त रंजित अवस्था में पड़े हुए अवस्था में पाया गया, जो फोटोग्राफ क्रमांक 19 से 24 है, जिसे प्रदर्श पी 16 अंकित किया गया।

102— **अ.सा. 6 डॉ. टी.एल. चंद्रा, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी** का आगे कहना है कि, मृतक के पहने हुए स्वेटर में पीछे मध्य भाग में गोली के आघात से निर्मित दो प्रवेश छेद उपस्थित थे,

जिनके आकार 0.8 सेमी गुणित 1.2 सेमी. एवं 1.2 सेमी गुणित 1.5 सेमी., तथा प्रवेश छेद के पास रक्त के धब्बे पाये गये, मृतक के कपड़े को हटाकर सूक्ष्म अवलोकन करने पर पीठ के उपरी एवं मध्य भाग में गोली के आघात के दो प्रवेश छेद निर्मित पाये गये, जिनका आकार क्रमशः 0.8 सेमी गुणित 1.1 सेमी. एवं 1.2 सेमी. गुणित 1.5 सेमी. के थे, जो क्रमशः फोटोग्राफस क्रमांक 25 से 30 है, जिसे प्रदर्श पी 17 अंकित किया गया। तत्पश्चात् शव को पलटकर देखने पर शरीर पर अन्य कोई चोट के निशान नहीं पाये गये। उपरोक्त सभी प्रवेश छेद एक किनारे पर प्राथमिक परीक्षण करने पर नाइट्राइट का रासायनिक परीक्षण धनात्मक पाया गया।

103— **अ.सा. 6 डॉ. टी.एल. चंद्रा, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी** का आगे कहना है कि, मृतक के बायें पैर के पास एवं पैर से लगभग 30 सेमी. की दूरी पर तथा दायी ओर दरवाजे के पास क्रमशः तीन 7.65 एम.एम. केलीबर के.एफ.के खाली खोखे पाये गये। इसके पश्चात् घर के पीछे तरफ अवलोकन करने पर दीवार के पास खड़ी टाटा एस. गाड़ी नंबर सी.जी.04—जे.ए.—8984 के ड्रायवर केबिनेट के उपर मैग्जीन युक्त 7.65 एम.एम केलीबर का देशी पिस्तौल पाया गया, जिसका मैग्जीन पूर्णतः खाली था, जिसे उसके द्वारा कॉकिग करके विवेचना अधिकारी को दिया गया। गाड़ी के ट्राली के पीछे भाग में 7.65 केलीबर एम.एम के 6 जिंदा कारतूस

युक्त एक मैग्जीन पाया गया, जो क्रमशः फोटोग्राफस क्रमांक 31 से 34 तक का फोटोग्राफ घर के अंदर का घटना स्थल का चित्रण है तथा फोटोग्राफ क्रमांक 35 एवं 36 घर के बाहर का चित्रण है, जिसे प्रदर्श पी 18 अंकित किया गया। देसी पिस्तौल एवं गाड़ी के उपर केबिनेट को ध्यान से अवलोकन किया गया, उक्त गाड़ी केबिनेट में उपस्थित डेंट तथा मैग्जीन के उपरी भाग आंशिक पिचकी हुई अवस्था मे पायी गयी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि, उक्त पिस्तौल एवं मैग्जीन को दुग्गड़ निवास के प्रथम तल की बालकनी से फेंका जाना प्रतीत होता है तत्पश्चात् गाड़ी के आगे सड़क के मध्य दुग्गड़ निवास के पीछे के दीवार से लगभग 5.8 मीटर एवं 4.3 मीटर की दूरी पर कारतूस से भरे हुए दो पॉलीथीन के पैकेट पाये गये, जिसके अंदर क्रमशः 12 एवं 14 जिंदा कारतूस तथा 2 कारतूस के खाली खोखे पाये गये, जो कि फोटोग्राफ क्रमांक 37 से 42 तक अंकित है, जो प्रदर्श पी 19 है। उसके मत में उपरोक्त से स्पष्ट है कि, मृतक रावलमल जैन के उपर पीछे से टैटुइंग रेंज से फायर किया जाना प्रतीत होता है, तत्पश्चात् मृतिका के उपर कमरे के दरवाजे के पास एक राउण्ड तथा कमरे के अंदर से फायर किया गया जो कि टैटुइंग रेंज से फायर किया जाना संभावित है।

104— **अ.सा. 6 डॉ. टी.एल. चंद्रा, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी** का आगे कहना है कि, घटना स्थल से जप्त किए गये

पिस्तौल, जिंदा कारतूस, फायर किया हुआ बुलेट, कारतूस के खाली खोके, फर्श एवं बेड पर लगे रक्त के धब्बे एवं अन्य भौतिक साक्ष्य को नियम अनुसार सीलबंद करने का सुझाव दिया गया एवं रक्त के धब्बे को सादे कॉटन में उठाकर नियमानुसार सीलबंद करने का सुझाव दिया गया, जप्त सामग्रियो को आवश्यक परीक्षण हेतु एफ.एस.एल., रायपुर भेजने का निर्देश दिया गया उसके द्वारा दी गयी रिपोर्ट प्रदर्श पी 20 है, जो कि 2 पन्ने में है, जिसके दूसरे पन्ने के नीचे अ से अ भाग पर उसका हस्ताक्षर है एवं प्रत्येक पृष्ठ पर उसके साथ गयी टीम के सदस्यो के हस्ताक्षर है, जिसकी प्रतिलिपि अधिकारियो को भेजी गयी है जो प्रदर्श पी 21 है।

105– आगे इस साक्षी ने कथन किया है कि, पुलिस अधीक्षक, दुर्ग के पत्र क्रमांक/पु.अ./दुर्ग/रीडर/35/2018 दिनांक 17.01.2018 के पत्र द्वारा अपराध क्रमांक 01/2018 धारा 302, 34 भारतीय दंड संहिता एवं धारा 25,27 आर्म्स एक्ट थाना दुर्ग, जिला दुर्ग, आरोपी संदीप जैन के प्रदर्शो का परीक्षण बाबत प्राप्त हुआ, जो 2 पन्नो में है, जिसे प्रदर्श पी 22 अंकित किया गया है। उपरोक्त पत्र क्रमांक के माध्यम से संबंधित अपराध के सीलबंद 9 पैकेट प्रधान आरक्षक क्रमांक 384, नागेन्द्र कुमार एवं आरक्षक महेश, थाना दुर्ग द्वारा उनके कार्यालय में दिनांक 18/01/2018 को प्राप्त हुआ जो क्रमशः A से I तक चिन्हांकित था, पैकेट मे पायी गयी

सील, नमुना सील के सदृश्य थी, उसके द्वारा प्रदर्श प्राप्ति का विवरण निम्नानुसार है–

ए. पैकेट A मे चार नग 7.65 एम.एम केलीबर के खाली खोके पाये गये, जिसे उसने प्रयोगशाला मे परीक्षण हेतु प्रदर्श ई सी 1 से ई सी 4 तक अंकित किया।

बी. पैकेट B में 7.65 एम.एम. केलीबर का देशी पिस्तौल पाया गया, जिसें प्रयोगशाला परीक्षण हेतु प्रदर्श A अंकित किया गया है।

सी. पैकेट C में 14 नग, 7.65 एम.एम. केलीबर के जिंदा कारतूस एवं दो नग 7.65 एम.एम केलीबर के खाली खोके पाये गये, जिसे क्रमशः प्रदर्श L R-1 से लगातार L R-14 तथा खाली खोके को प्रदर्श ई सी 5 एवं ई सी 6 अंकित किया गया।

डी. पैकेट D में 12 नग 7.65 एम.एम. केलीबर के जिंदा कारतूस पाया गया, जिसे प्रयोगशाला मे परीक्षण हेतु क्रमशः प्रदर्श L R 15 से लगातार L R 26 अंकित किया गया।

ई. पैकेट E में एक सिलवर कलर का मैग्जीन एवं 6 नग 7.65 कैलिबर के जिंदा कारतूस पाए गए, जिसे प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु प्रदर्श L R 27 से लगातार L R 32 अंकित किया गया है।

एफ.पैकेट F में दो नग बुलेट है, जिसे प्रयोगशाला परीक्षण हेतु क्रमशः EB 1 एवं EB 2 अंकित किया गया है।

जी. पैकेट G में एक बुलेट है, जिसे प्रयोगशाला परीक्षण हेतु EB 3 अंकित किया गया है।

एच. पैकेट H में दो काले रंग का दस्ताना (ग्लब्स) है, जिसे प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु प्रदर्श HR एवं HL अंकित किया गया है।

आई. पैकेट I में चार नग 7.65 कैलिबर के जिंदा कारतूस है, जिसे देशी पिस्तोल के टेस्ट फायर हेतु

भेजा गया है।

106– आगे इस साक्षी ने बताया है कि, उपरोक्त प्राप्त सभी प्रदर्शों के परीक्षण उपरांत उसका अभिमत परीक्षण रिपोर्ट प्रपी. 23 के अनुसार इस प्रकार है कि, प्रदर्श 'ए' एक 7.65 एम.एम. कैलिबर देशी पिस्तौल है, जो कि चालू हालत में है, जिससे पूर्व में फायर किया गया हैं, प्रदर्श 'एल आर 1' से लगातार 'एल आर 32' 7.65 गुणित 17 एम.एम. केलिबर के जिंदा कारतूस है, जो कि इंडियर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से निर्मित है जिसमें से 'एल आर 1', 'एल आर 12', 'एल आर 17', 'एल आर 24', 'एल आर 27' को प्रदर्श 'ए' के 7.65 एम.एम कैलिबर के देशी पिस्तौल से प्रयोगशाला में सफलतापूर्वक टेस्ट फायर किया गया है।

107– **अ.सा. 6 डॉ. टी.एल. चंद्रा, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी** का आगे कहना है कि, उसके अभिमत अनुसार प्रदर्श ई 7. 65 एम.एम कैलिबर के मैग्जीन चालू हालत में थे। प्रदर्श ई सी 1 से लगातार प्रदर्श 'ई सी–6' 7.65 गुणित 17 एम.एम. कैलिबर के फायर किए हुए खाली खोखे हैं, जो इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से निर्मित है जिसमें प्रदर्श ई सी–1 से लगातार ई सी–5 एवं '(टी सी एस ए) टेस्ट फॉयर कारतूस के खोखे पर उपस्थित फायरिंग पिन इंप्रेशन एवं ब्रीच फेस मार्क की विशिष्ट विशेषताओं को प्रयोगशाला में कम्परीजन माईक्रोस्कोप की सहायता से तुलनात्मक परीक्षण किया गया, जो

कि एक समान प्रकार के पाए गए हैं, अतः प्रदर्श ई–सी–1 से लगातार ई–सी–5 प्रदर्श ए के 7.65 एम.एम. देशी पिस्तौल से फायर किया गया है। उसके अभिमत अनुसार प्रदर्श ई–बी–1 से ई–बी–3 7.65 एम.एम. कैलिबर के फायर किए हुए बुलेट है जिसमें लैन एंड ग्रुप्स 6+6 राईट हैंड ट्वीस्ट निर्मित है, इनमें से प्रदर्श ई–बी–1, ई–बी–2 एवं ई–बी–3 तथा प्रदर्श ए के 7.65 एम.एम. कैलिबर के देशी पिस्तौल से फायर किए हुए टेस्ट फायर बुलेट (टी.बी.एस–ए) पर उपस्थित रायफलिंग मार्क के विशिष्ट विशेषताओं को प्रयोगशाला में कम्परीजन माईक्रोस्कोप की सहायता से तुलनात्मक परीक्षण किया गया, जो कि एक समान प्रकार के पाए गए, अतः प्रदर्श ई–बी–1, प्रदर्श ई–बी–2 एवं प्रदर्श ई–बी–3, प्रदर्श–ए के 7.65 एम.एम. देशी पिस्तौल से फायर किया गया है। उसके अभिमत अनुसार प्रदर्श एच–आर एवं एच–एन दस्ताना है, प्रदर्श एच–आर में गन शॉट रेसीड्यूस उपस्थित है।

108– आगे इस साक्षी ने बताया है कि, जांच पश्चात् प्रदर्श पी. 23 का परीक्षण प्रतिवेदन एवं उपरोक्त समस्त प्रदर्श पत्र क्रं.रा.न.वि.प्र./बीए/05/2018 रायपुर, दिनांक 22/03/2018 द्वारा एस.पी. दुर्ग को प्रेषित किया जाना तथा उक्त पत्र प्रदर्श पी 24 होना बताया है। उसने घटनास्थल का मुआयना दिनांक 01/01/2018 को किया है, जिसका सपूर्ण रेखाचित्र अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी. 20 के

साथ प्रस्तुत किया है, उसके द्वारा बनाया गया रेखाचित्र क्रमशः प्रदर्श पी. 25 एवं प्रदर्श पी. 26 है। प्रदर्श पी. 25 घर के अंदर का नक्शा है, जिसमें क्रमांक 1 एवं 2 शव पड़े होने का स्थान है, जिसे लाल स्याही से घेरा बनाकर दर्शाया गया है तथा प्रदर्श पी. 26 घर के बाहर का नक्शा है न्यायालय में संबंधित थाने से प्रकरण से संबंधित जप्तशुदा मुददेमाल प्रस्तुत किया गया जिसका परीक्षण साक्षी ने किया और उक्त सभी मुददेमाल खाकी रंग के कागज से लिपटा हुआ सीलबंद अवस्था में रस्सियों सें बंधा होना जिस पर बी ई नंबर पी. एस दुर्ग, एस.पी. दुर्ग एवं अपराध क्रमांक का उल्लेख है, जिसे न्यायालय के समक्ष खोला गया। न्यायालय में प्रस्तुत संपत्ति में सर्वप्रथम ए से चिन्हित पैकेट को जो सीलबंद अवस्था में है, खोला गया जो सील बी.ए. के सदृश्य है। खाकी रंग के कागज के अंदर अर्टिकल ए से चिंहित सफेद बेण्टेड कपड़े से लिपटा एक पैकेट निकला, जिस पर सफेद रंग की एक चिट जिसमें थाना, अपराध क्रमांक, धारा तथा जप्ती कॉटन के टुकड़े में मृतिका सूरजीदेवी के बिस्तर मे फैले खून के अंश लिखा गया है, उक्त पैकेट के अंदर दो कॉटन के टुकड़े मिले जिसमें से एक कॉटन के टुकड़े में काले/ भूरे रंग का दाग है, उक्त दोनो कॉटन के टुकड़े को वापस सफेद बेण्टेड कपड़े के अंदर डाला गया और उसे पुनः खाकी रंग के कागज मे लपेटकर न्यायालय के सील से सीलबंद किया गया।

109– आगे इस साक्षी अर्थात् **अ.सा. 6 डॉ. टी.एल. चंद्रा, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी** द्वारा 09 संपत्तियों का परीक्षण किया जाना बताया गया है। उक्त संपत्तियॉ खाखी रंग के कागज में सीलबंद होना तथा सबसे पहले ए से चिहिंत संपत्ति को खोला गया जिसमें सफेद कागज की चिट लगी है जिसमे सील भी लगी है, जिस पर थाना, अपराध क्रमांक, धारा, जप्ती, किससे जप्त किया गया है इसका उल्लेख है, थाना प्रभारी के हस्ताक्षर है। उक्त संपत्ति खुली हुई है जिसमें 4 नग, 7.65 एम.एम. केलीबर खाली खोके है जो फायर किए हुए है, खाली खोखों में ई सी 1 से ई सी 4 साक्षी द्वारा अंकित किया गया है, खाली खोखों को बी 1 से बी 4 अंकित किया गया।

110– न्यायालय में प्रस्तुत ए बी से चिंहित संपत्ति जो खाखी रंग के कागज मे लिपटी है और सीलबंद है, गौर से देखने पर कुछ अस्पष्ट दिखायी दे रहा है, जो पढ़ने में नहीं आ रहा है, मैग्नीफाई ग्लास की सहायता से देखने पर बी ए 1 दिखायी दे रहा है, उक्त पैकेट को खोला गया, जिसमें एक खाखी कलर के कागज में लिपटा आर्टिकल बी से चिहिंत सीलयुक्त, जिस पर थाना, अपराध क्रमांक, धारा, जप्ती, किससे जप्त किया गया है इसका उल्लेख है, थाना प्रभारी के हस्ताक्षर है, उक्त पैकेट साइड से खुला है, जिसके अंदर देशी पिस्तौल है, पिस्तौल पर यू.एस.ए. लिखा हुआ है, देशी पिस्तौल

को आर्टिकल बी 5 अंकित किया गया। न्यायालय में प्रस्तुत आर्टिकल सी से चिंहित संपत्ति जो खाखी रंग के कागज में लिपटी है और सीलबंद है, गौर से देखने पर कुछ अस्पष्ट दिखायी दे रहा है, जो पढ़ने में नही आ रहा है, मैग्नीफाई ग्लास की सहायता से देखने पर सील अस्पष्ट दिखायी दे रही है, उक्त पैकेट को खोला गया, जिसमें एक खाखी कलर के कागज मे लिपटा आर्टिकल सी से चिहिंत सीलयुक्त, जिस पर थाना, अपराध क्रमांक, धारा, जप्ती, किससे जप्त किया गया है इसका उल्लेख है थाना प्रभारी के हस्ताक्षर है, उक्त पैकेट के अंदर एल.आर. 1 से एल.आर. 14 जिसमें से एल.आर. 1 एवं एल.आर. 12 को फायर करने के बाद उनके खाली खोके को पैकेट के साथ रखा एवं उसमें ई सी. 5 एवं ई सी. 6 के खाली खोके भी रखे हुए है, जिसमे से टेस्ट फायर किया हुआ एक बुलेट उपस्थित है दूसरा बुलेट फायरिंग रेंज में मिटटी मे धंस जाने से उसका रिकवर नही किया जाता है, जिसे खाली खोको को आर्टिकल बी 6 से बी 7 एवं शेष आर्टिकल को बी 8 से एवं बी 22 तक अंकित किया गया ।

111— न्यायालय में प्रस्तुत आर्टिकल डी से चिंहित संपत्ति जो खाखी रंग के कागज मे लिपटी है और सीलबंद है, मैग्नीफाई ग्लास की सहायता से देखने पर बी 6 आर. एफ इस तरह के शब्द अस्पष्ट रूप से दिख रहे है, उक्त पैकेट को खोला गया,

जिसमें एक खाखी कलर के कागज मे लिपटा आर्टिकल डी से चिहिंत सीलयुक्त, जिस पर थाना, अपराध क्रमांक, धारा, जप्ती, किससे जप्त किया गया है इसका उल्लेख है थाना प्रभारी के हस्ताक्षर है, उक्त पैकेट साइड से खुला है जिसमे 10 नग जिंदा कारतूस एवं दो खोखे पाये गये, खाली खोखे मे एल.आर. 24 से एल. आर. 17 अंकित है तथा जिंदा कारतूस एल.आर. 15 से एल. आर 26 अंकित है, उक्त खोके जिंदा कारतुस का टेस्ट फायर का है, जिसे आर्टिकल में बी 23 से बी. 34 अंकित किया गया।

112— आगे इस साक्षी का कथन है कि, न्यायालय में प्रस्तुत आर्टिकल ई से चिन्हित संपत्ति जो खाखी रंग के कागज में लिपटी है और सीलबंद नहीं है, उक्त पैकेट को खोला गया, जिसमें एक खाखी कलर के कागज में लिपटा आर्टिकल ई से चिन्हित सीलयुक्त, जिस पर थाना, अपराध क्रमांक, धारा, जप्ती, किससे जप्त किया गया है, इसका उल्लेख है थाना प्रभारी के हस्ताक्षर हैं, उक्त पैकेट साइड से खुला है जिसमें एक मैग्जीन और 5 नग जिंदा कारतुस एवं एक नग खाली खोका एल.आर. 27 अंकित किया हुआ प्राप्त हुआ उक्त संपत्तियों को आर्टिकल बी 35 से आर्टिकल बी. 41 तक अंकित किया गया ।

113— आगे इस साक्षी का कथन है कि, न्यायालय में प्रस्तुत आर्टिकल एफ से चिंहित संपत्ति जो खाखी रंग के कागज में

लिपटी है और सीलबंद है, गौर से देखने पर कुछ अस्पष्ट दिखायी दे रहा है, जो पढ़ने में नही आ रहा है, मैग्नीफाई ग्लास की सहायता से देखने पर सील बी ए 1 के सदृश्य प्रतीत हो रही है जिसके किनारे पी और आर. अक्षर दिखायी दे रहा है, उक्त पैकेट को खोला गया, जिसमें एक खाखी कलर के कागज मे लिपटा एक आसमानी रंग का ढक्कन युक्त प्लास्टिक का डिब्बा जो आर्टिकल एफ से चिहिंत सीलयुक्त, जिस पर थाना, अपराध क्रमांक, धारा, जप्ती, किससे जप्त किया गया है, इसका उल्लेख है थाना प्रभारी के हस्ताक्षर है, उक्त डिब्बे को खोलने पर दो 7.65 एम.एम. केलीबर के फायर किए हुए बुलेट है, जिसे आर्टिकल बी 42 एवं आर्टिकल बी 43 अंकित किया गया।

114– आगे इस साक्षी का कथन है कि, न्यायालय में प्रस्तुत आर्टिकल जी से चिंहित संपत्ति जो खाखी रंग के कागज मे लिपटी है और सीलबंद है, गौर से देखने पर रस्सी के उपर कुछ अस्पष्ट अक्षर दिखायी दे रहे है, मैग्नीफाई ग्लास की सहायता से देखने पर सील अस्पष्ट है उक्त पैकेट को खोला गया, जिसमें एक खाखी कलर के कागज मे लिपटा एक पीलें रंग का ढक्कन युक्त प्लास्टिक का डिब्बा जो आर्टिकल जी से चिहिंत सीलयुक्त, जिस पर थाना, अपराध क्रमांक, धारा, जप्ती, किससे जप्त किया गया है इसका उल्लेख है थाना प्रभारी के हस्ताक्षर है, प्लास्टिक के डिब्बे को खोला

गया खोलने पर एक नग 7.65 एम.एम.केलीबर का फायर किया हुआ बुलेट है, जिसे आर्टिकल बी 44 अंकित किया गया ।

115— आगे इस साक्षी का कथन है कि, न्यायालय में प्रस्तुत आर्टिकल एच से चिंहित संपत्ति जो खाखी रंग के कागज में लिपटी है और सीलबंद है, गौर से देखने पर सील के उपर कुछ अस्पष्ट अक्षर दिखायी दे रहे है, मैग्नीफाई ग्लास की सहायता से देखने पर सील मे बी ए 1 दिखायी दे रहा है, उक्त पैकेट को खोला गया, जिसमें एक खाखी कलर के कागज मे लिपटा हुआ एक सफेद चिट लगा हुआ जिसे आर्टिकल एच से चिन्हिंत किया गया है चिट पर थाना, अपराध क्रमांक, धारा, जप्ती, किससे जप्त किया गया है इसका उल्लेख है थाना प्रभारी के हस्ताक्षर है, पैकेट साइड से खुला है जिसके अदंर सफेद पालीथीन मे रखा एक जोड़ी काले रंग का दस्ताना पाया गया, जिसे **आर्टिकल बी 45** से चिंहित किया गया ।

116— आगे इस साक्षी का कथन है कि, न्यायालय में प्रस्तुत आर्टिकल आई से चिंहित संपत्ति जो खाखी रंग के कागज मे लिपटी है और सीलबंद है, मैग्नीफाई ग्लास की सहायता से देखने पर सील मे आर.पी अक्षर दिखायी दे रहा है , उक्त पैकेट को खोला गया, जिसमें एक खाखी कलर के कागज मे लिपटा हुआ एक सफेद चिट लगा हुआ जिसे आर्टिकल आई से चिन्हित किया गया है, चिट पर थाना, अपराध क्रमांक, धारा, जप्ती, किससे जप्त किया गया

है इसका उल्लेख है थाना प्रभारी के हस्ताक्षर है, पैकेट साइड से खुला है पैकेट के अंदर टेस्ट फायर किया हुआ कारतुस के 3 खोके, दो नग बुलेट एव ंएक नग जिंदा कारतुस है, **जिसे आर्टिकल बी 46 से आर्टिकल बी 51 से चिंहित किया गया**। इसी साक्षी का कथन है कि, पुलिस अधीक्षक दुर्ग को प्रेषित किए गए घटना स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन जिसका पत्र क्रमांक रा.न्या. वि. प्र./बी.ए. /01/2018 रायपुर दिनांक 06/01/2018 का है।

117— **अ.सा. 1 पटवारी छगनलाल सिन्हा** का कथन है कि, उसे दिनांक 05.01.2018 को नायब तहसीलदार दुर्ग का आदेश प्राप्त होने पर वह दिनांक 22.01.2018 को उक्त आदेश के परिपालन में घटनास्थल पर जाकर गवाह सौरभ गोलछा निवासी ऋषभ नगर, दुर्ग से पूछताछ कर उनके बतलाये अनुसार घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रपी. 1 तैयार किया था, घटनास्थल ए एवं बी को लाल स्याही से चिन्हांकित किया था। गवाह सौरभ गोलछा ने बताया था कि, दिनांक 01.01.2018 को समय सुबह लगभग 6.10 बजे पर घ टनास्थल 'ए' पर रावलमल जैन पिता मांगी लाल जैन तथा 'बी' स्थान पर सूरजी बाई पति रावलमल जैन दोनों मृत अवस्था में पड़े थे एवं दोनों के शरीर से खून बह रहा था तथा प्रकरण के आरोपी संदीप जैन पिता रावलमल जैन उक्त आवासीय मकान के प्रथम तल पर निर्मित अपने कमरे में सोया हुआ था।

118– **अ.सा. 9 आरक्षक सुरेन्द्र साहू** का कथन है कि, वह जुलाई 2013 से वर्तमान तक क्राइम ब्रांच भिलाई में आरक्षक के पद पर पदस्थ है, थाना दुर्ग के प्रधान आरक्षक नागेन्द्र बंछोर के द्वारा थाने से लाकर सी.डी. पैकेट जो कि सीलबंद हालत मे है उसे दिया गया है, जिसे उसने न्यायालय के समक्ष पेश किया है। न्यायालय में प्रस्तुत सी.डी. पैकेट, जो कपड़े की थैली में सीलबंद हालत में है, उसे न्यायालय द्वारा खोला गया, पैकेट के उपर अपराध क्रमांक, थाना, धारा, का उल्लेख है, सीलबंद पैकेट खोलने पर उसके अंदर 10 नग सी.डी/डी.वी.डी कैसेट पाये गये, उक्त सी.डी. कैसेट को रिकार्ड में लिया गया। उसके द्वारा घटना स्थल के पास प्रीतिसुधा ज्वेलर्स की दुकान में बैठकर उनकी दुकान में लगे सी.सी. टी. वी. कैमरे की फुटेज को दिनांक 01/01/2018 की प्रातः 8 बजे के बाद जो दिनांक 31/12/2017 की रात्रि 12 से लेकर दिनांक 01/01/2018 की सुबह 07:30 बजे तक का था उसे देखा गया। उक्त सी.सी.टी.वी. फुटैज के कैमरे से रावलमल जैन के घर के सामने का हिस्सा दिखायी देता है, उसे दिनांक 01/01/2018 की सुबह लगभग 06:00 बजे एक मोटा हट्टा कट्टा व्यक्ति रावलमल जैन के घर के अदंर प्रवेश करता दिखायी दिया। प्रदर्श पी–34 का पंचनामा सीसीटीव्ही फुटेज देखने के बाद टी0आई0 दुर्ग द्वारा तैयार किया गया। **सीडी क्रमांक–7 को न्यायालय में प्रदर्शित किया गया,**

समय 06.02 मिनट 36 सेकेण्ड पर (गवाह के कथनानुसार मृतक रावलमल जैन के घर) एक कार आकर रूकी जिसमें से एक व्यक्ति उतरते दिखा, उक्त सीडी को आर्टिकल–54 अंकित किया गया ।

119– **अ.सा. 11 कुशल प्रसाद दुबे, गन डीलर** का कथन है कि, वह मॉ शारदा ट्रेडर्स आर्म्स एंड एमोनिशन का प्रोपाईटर है, वे लोग बंदूक और कारतूस का विक्रय करते है। उसकी दुकान वर्ष 2004 से अस्तित्व में है। दिनांक 11.01.2018 को थाना दुर्ग कोतवाली से उपनिरीक्षक आर.डी. मिश्रा उसकी दुकान में आया और जिला दण्डाधिकारी का आदेश कमांक 631/अनु.–नि. /10.01.2018, डी.एम. दुर्ग, छ0ग0 प्रस्तुत किया और चार पिस्टल का कारतूस 7.65 (32 बोर) को शासकीय कार्य के लिए मांग किया, जिसका उसने विक्रय रजिस्टर में सरल कमांक–499 में इन्द्राज किया तथा चार कारतूस प्रदान किया जिसकी कीमत 500/– रूपये थी, जिसे उसने नगद प्राप्त किया और रसीद काटकर दिया, जो प्रदर्श पी–39 है तथा प्रकरण में संलग्न उसकी फोटोप्रति प्रदर्श पी–39 सी है। रजिस्टर प्रदर्श पी–40 है, जिसके अ से अ भाग पर उपनिरीक्षक आर.डी. मिश्रा का हस्ताक्षर है।

120– **अ.सा. 10 हुसैन एम. जैदी,** नोडल आफिसर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का कथन है कि, मोबाइल नंबर 76975–62121 का सिम कार्ड संदीप मित्र पुत्र रावलमल जैन,

निवासी–109 गंजपारा, दुर्ग, वार्ड क्रमांक 36, के नाम से दिनांक 01/02/13 से जारी किया गया है। सबस्क्राइबर डिटेल प्रदर्श पी 35 है, जिसमें कंपनी का सील एवं तत्कालीन नोडल आफिसर का हस्ताक्षर है। इस सिम का सीडीआर दिनांक 01/12/2017 से 01/01/2018 तक का है, जो उनकी कंपनी द्वारा जारी की गयी है, जो प्रदर्श पी 36 है, जिसमें कंपनी की सील एवं तत्कालीन नोडल आफिसर के हस्ताक्षर है। उपरोक्त कॉल डिटेल के संबंध में धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र कंपनी द्वारा जारी किया गया है, जिसमें कंपनी का सील एवं तत्कालीन नोडल आफिसर का हस्ताक्षर है, जो प्रदर्श पी 37 है। दिनांक 31/12/2017 को रात्रि 23:43:38 समय पर उपरोक्त मोबाइल नंबर टावर आई डी 40478–43101–432121 मे उपस्थित था, जो कि गंजपारा दुर्ग के क्षे़त्र का है। दिनांक 01/01/2018 को प्रातः 06:43:40 समय पर भी उक्त नंबर इसी टावर पर दर्शित है। टावर आई.डी. डिटेल प्रदर्श पी 38 है, जिसके अ से अ भाग पर उसका हस्ताक्षर एवं कंपनी की सील लगी है। टावर आई डी डिटेल प्रदर्श पी 38 के अनुसार सिम के मालिक का लोकेशन दुर्ग शहर का ही है।

121– **अ.सा. 12 संजीव नेमा, नोडल आफिसर रिलायंस जियो** का कथन है कि, वह वर्ष 2015 से रिलायंस जियो, रायपुर में नोडल अधिकारी के पद पर पदस्थ है। उसे पुलिस

अधीक्षक, दुर्ग द्वारा पत्र कमांक–128/19, दिनांक 19.02.2019 का पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें मोबाईल नंबर 7000291510 का ग्राहक आवेदन पत्र एवं 01.01.2018 के दिन का सी.डी.आर. उपलब्ध कराने हेतु मांग किया गया था, जिसके तारतम्य में उसके द्वारा प्रदर्श पी–41 का पत्र जो पुलिस अधीक्षक दुर्ग को संबोधित है, दिया गया है जिसमें उपरोक्त मोबाईल नंबर का सी.डी.आर. एवं ग्राहक आवेदन पत्र एवं धारा 65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र के साथ प्रेषित किया गया था। दिनांक 07.03.19 को प्र.पी.–41 का पत्र एवं 65 बी का प्रमाण पत्र मोबाईल नंबर 70002–91510 के संबंध में साथ लाया, जो प्रदर्श पी–42 है, ग्राहक आवेदन पत्र प्रदर्श पी–43 है, प्रदर्श पी–44 आवेदक सौरभ गोलछा का एड्रेस प्रूफ है, प्रदर्श पी–45 एस.पी. का पत्र है, जो उसे संबोधित है। सी.डी.आर. मोबाईल नंबर 70002–91510 प्रपी–46 है, जो कि दिनांक 01.01.18 के दिन का है। प्रदर्श पी–47 मोबाईल नंबर 7000291510, दिनांक–01.01. 2018 के दिन का टावर लोकेशन है। प्रपी–46 एव 47 के अ से अ भाग पर उसका हस्ताक्षर है एवं कंपनी की सील लगी हुई है, प्रदर्श पी–41 से लेकर प्रदर्श पी–44 तक के दस्तावेजों में उसका हस्ताक्षर एवं कंपनी की सील लगी है। दिनांक–01.01.18 के सुबह 05:54:50 पर इनकमिंग काल है, जो मोबाईल नंबर 94064–19291 से आया है, जिसका टावर लोकेशन बसंत कटारिया पता तुषार निगम

ऋषभ हैरिटेज है एवं इसी दिनांक का दूसरा कॉल एक आउट गोंईग कॉल है जो मोबाईल नंबर 70002—91510 से मोबाईल नंबर 700049985 पर किया गया है जिसका टावर लोकेशन मि0 अनूप शर्मा गंजपारा, दुर्ग है ।

122— **अ.सा. 14 नरसिंह राम** का कथन है कि, वह कलेक्टर कार्यालय दुर्ग में माह मई 1987 से पदस्थ है तथा वर्तमान में लायसेंस शाखा में प्रभारी लिपिक के पद पर पदस्थ है। पुलिस अधीक्षक, दुर्ग के पत्र कमांक पु.अधी./दुर्ग/ रीडर/34/18 दुर्ग दिनांक 18/04/2018 एवं पु.अधी./दुर्ग/रीडर/34ए/2018 दिनांक 24/04/2018 के पत्र के आधार पर एवं थाने के प्रकरण के अंतिम प्रतिवेदन, प्रथम सूचना पत्र के अवलोकन के उपरांत अपराध कमांक 01/2018, अंतर्गत धारा 302/34 भा.दं.वि. एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट मे आरोपी संदीप जैन, आरोपी भगत सिंह गुरूदत्ता, आरोपी शैलेन्द्र सागर, के विरूद्ध धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट मे अभियोजन की स्वीकृति आयुध अधिनियम की धारा 39 के तहत जिला मजिस्ट्रेट के अनुमोदन के उपरांत अति. जिला दंडाधिकारी द्वारा अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गयी है जो प्रदर्श पी. 59 है। प्रदर्श पी 59 के अ से अ भाग पर अति. जिला दंडाधिकारी संजय अग्रवाल के हस्ताक्षर हैं। न्यायालय में साक्षी ने प्रकरण की नस्ती प्रस्तुत किया, जिसमें अपराध क. 01/2018, अंतर्गत धारा 302 भा.दं.सं. एवं 25, 27 आर्म्स

एक्ट, थाना दुर्ग के प्रकरण में पत्र क्र. 631/अनु.लि./2018, दिनांक 10/01/2018 द्वारा 7.65 कैलीबर के 04 नग कारतुस खरीदने की अनुमति जिला दंडाधिकारी द्वारा प्रदान की गई है, जो प्रपी. 84 है, जिसकी प्रतिलिपि प्रपी. 84—सी है।

123— प्रकरण के विवेचक **अ.सा. 15 निरीक्षक भावेश साव** का कथन है कि, वह थाना दुर्ग, कोतवाली में अगस्त 2016 से अप्रैल 2018 तक थाना प्रभारी, निरीक्षक के पद पर पदस्थ था। दिनांक 01/01/2018 के प्रातः 06.15 बजे प्रार्थी सौरभ गोलछा, निवासी ऋषभ नगर, दुर्ग की सूचना एवं रिपोर्ट पर उसके द्वारा मृतिका सूरजी बाई का प्रदर्श पी. 28 का मर्ग इंटीमेशन दर्ज किया गया। इसी दिनांक को 06.20 बजे सौरभ गोलछा ने रावलमल जैन की मृत्यु के संबंध में मर्ग सूचना प्रपी. 29 दर्ज कराया था। मर्ग सूचना के उपरांत दिनांक 01.01.2018 को प्रातः 06.25 बजे सौरभ गोलछा की रिपोर्ट पर प्रपी. 27 की प्रथम सूचना रिपोर्ट, मृतिका सूरजी बाई एवं मृतक रावलमल जैन के संबंध में धारा 302 भा.दं.सं. के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया था। अपराध पंजीबद्ध कर उसने प्रकरण की विवेचना शुरू की। उसके द्वारा घटना की जानकारी तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को एवं क्राईम ब्रांच तथा एफ.एस.एल., रायपुर को दी गई एवं कंट्रोल रूम को भी अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया। तत्पश्चात् मौके पर रावलमल जैन के निवास

स्थान गंजपारा दुर्ग में पहुंचकर धारा 175 दं.प्र.सं. का समन साक्षियों को जारी किया, नोटिस प्रपी. 30 एवं 31 है। उसके द्वारा प्रपी. 32 के अनुसार सूरजी बाई एवं प्रपी. 33 के अनुसार रावलमल जैन का शव पंचनामा तैयार किया गया। दोनों शव पंचनामा में सूरजी बाई को तीन गोली तथा रावलमल जैन को तीन गोली मारकर हत्या करना पाया गया। रावलमल जैन का शव गलियारे में बाथरूम के पास तथा सूरजी देवी का शव कमरे में पलंग पर चित्त हालत में पड़ा था, जिसमें रावलमल जैन के पीठ में गोली लगने के निशान थे एवं सूरजी बाई के बांये छाती में, दाहिने हाथ के कोहनी पास एवं सिर के पास गोली लगने के निशान थे। वह उक्त दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल दुर्ग रवाना किया।

124— **अ.सा. 15 निरीक्षक भावेश साव** का आगे कथन है कि, शव परीक्षा के लिए दिए गए आवेदन पत्र प्रपी 3 और प्रपी. 5 के ब से ब भाग पर उसके अधीनस्थ उपनिरीक्षक आर.डी.मिश्रा के हस्ताक्षर हैं। पोस्टमार्टम उपरांत दोनों शव का सुपुर्दनामा मृतक के भाई भीखमचंद जैन को दिया गया, जो प्रदर्श पी. 61 एवं 62 है। उसके द्वारा मौके पर प्रपी. 49 का नोटिस जारी कर गवाह शेख कलीम को तलब किया गया। उसके द्वारा घटनास्थल का नक्शा प्रपी. 63 तैयार किया गया है, जिसमें घटनास्थल का पूर्ण विवरण है। प्रपी. 64 रावलमल जैन के घर के पीछे का नजरी नक्शा है प्रपी. 64

के नक्शा के अनुसार घटनास्थल के पीछे एक वाहन का नक्शा बनाया गया है, जिसमें वाहन का डाला, वाहन की छत को नक्शे में दर्शाया गया है और दीवार से जो वाहन टाटा–एस खड़ी है, उसकी दूरी 52 ईंच दर्शायी गई है, साथ ही इसमें 5.8 मीटर की दीवार की दूरी से 'सी' दर्शाया गया है और एक अन्य 4.3 मीटर की दूरी पर पुनः 'सी' दर्शाया गया है, जिसमें 'सी' का अर्थ कारतूस से है एवं बनाये गये नक्शे में उसके द्वारा "मकान के पीछे गली, जहां से पिस्टल और कारतूस बरामद हुए", लेखबद्ध किया गया है। संकेत में 'एम' का अर्थ मैग्जीन, 'पी' का अर्थ पिस्तौल एवं 'सी' का अर्थ कारतूस दर्शाया गया है, साथ ही जहां टाटा–एस. की छत पर पिस्टल पड़ी थी, वहां से आरोपी के घर की रैलिंग की उंचाई 8.5 फीट लेखबद्ध है। उसके द्वारा मृतक के निवास स्थान का वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी कराई गई। मौके पर घटनास्थल निरीक्षण के दौरान मृतिका सूरजी देवी एवं रावलमल जैन के शव के आसपास चले हुए गोली के खाली खोखे, कॉटन, खून आलूदा कॉटन को गवाहों के समक्ष मुताबिक जप्ती पत्र तैयार किया गया।

125– **अ.सा. 15 निरीक्षक भावेश साव** का आगे कथन है कि, उसने घटनास्थल को सुरक्षित रखते हुए एफ.एस.एल. टीम, जो रायपुर से आ रही थी, उनके आने तक उसी तरह से सुरक्षित रहने दिया। एफ.एस.एल. टीम के पूरा घटनास्थल का मुआयना करने

एवं मकान के पीछे का हिस्सा जहां पर पिस्टल, कारतूस, मैग्जीन आदि पड़ी थी, उसको भी उसके द्वारा मुआयना करने एवं फोटोग्राफी, विडियोग्राफी कराने के बाद सुरक्षित एफ.एस.एल. टीम के आने तक रखा गया। उसके द्वारा मुताबिक जप्तीपत्र लिखा–पढी में जप्ती दर्शित किया गया है, किंतु एफ.एस.एल. टीम के आने के पश्चात् ही मौके पर जप्तशुदा सामग्री को सीलबंद किया गया।

126– आगे इस विवेचक साक्षी का कथन है कि, दिनांक 01.01.2018 को उसके द्वारा प्रदर्श पी. 50 के अनुसार गवाहों के समक्ष घटनास्थल मृतिका सूरजी बाई के शव के सिर के पास से पिस्टल के गोली का बुलेट खून लगा 01 नग, सूरजी देवी के बांए हाथ के कोहनी के पास से गोली का खाली खोखा, एक कॉटन के टुकड़े में लिया गया तथा मृतिका सूरजी देवी के सीने के पास बिस्तर से गोली का खाली खोखा, दोनों खाली खोखे के पेंदे में 7.65 के.एफ. लिखा है, मृतिका के बिस्तर जहां मृतिका मृत पड़ी थी, के पास मृतिका का सैमसंग कंपनी का एक मोबाईल, एक मेहरून कलर का चादर का टुकडा जिसमें खून का दाग लगा है, एक कॉटन के टुकड़े में बिस्तर में फैले खून के अंश, एक कॉटन के टुकड़े में बिस्तर के पास के सादी मिट्टी के अंश, मुताबिक जप्तीपत्र जप्त किया गया।

127— **अ.सा. 15 निरीक्षक भावेश साव** का आगे कथन है कि, प्रदर्श पी. 51 के अनुसार घटनास्थल जहां मृतक रावलमल जैन के लाश के पास से मुताबिक जप्तीपत्र जप्त किया गया, जिसमें घटनास्थल से दरवाजे के चौखट के पास गोली का एक खाली खोखा, मृतक के पैर के पास एक खोखा, दाहिने पैर के एक फीट पर एक खोखा, दरवाजे के चौखट से 5—6 ईंच दूर एक खाली खोखा, कुल गलियारे में चार नग खाली खोखा सभी खोखे के पेंदे में 7.65 के.एफ. लिखा है, एक कॉटन के टुकडे में मृतक रावलमल के शव के पास फैले खून के अंश, एक कॉटन के टुकडे में घटनास्थल के पास से सादी मिट्टी का अंश मुताबिक जप्ती पत्र जप्त किया गया है। उसके द्वारा विवेचना के दौरान डॉग स्कॉड को तलब कर घटनास्थल का निरीक्षण कराया गया था। **डॉग मास्टर के द्वारा अपने दिए गए सर्टिफिकेट में बताया गया कि, डॉग घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद मृतक के पुत्र संदीप जैन के कमरे में जाकर भौंका, जो सर्टिफिकेट प्रपी. 11 है ।**

128— **अ.सा. 15 निरीक्षक भावेश साव** का आगे कथन है कि, उसके द्वारा विवेचना के दौरान घटनास्थल पहुंचने के तुरंत बाद एवं गवाहों को तलब करने के पश्चात दिनांक 01.01.2018 के 07.30 बजे पूरे घटनास्थल का मुआयना कर नक्शा पंचनामा घटनास्थल तैयार किया था, जो प्रपी. 48 है। प्रदर्श पी. 48 में उसने

पाया था कि मृतक के घर में घुसने का सिर्फ एक मुख्यद्वार है, जो कि ताला से अंदर से बंद रहता है, जिसे घर के अंदर का कोई सदस्य ही खोल सकता है, पीछे, उपर ग्रील लगा है, जिसमें हाथ डालकर नीचे खड़े टाटा–एस में हत्या में प्रयुक्त पिस्टल को फेंका गया है तथा जमीन में पॉलीथीन झिल्ली में पैक कर फेंका गया है, जो कि स्पष्ट रूप से मृतक के घर जहां मृतक के पुत्र संदीप का कमरा है, उससे जुडा है मृतक के मकान का दांया हिस्सा लोकेश शर्मा का तथा बांये पर प्रहलाद रूंगटा का मकान है, जो कि पैक्ड है, पीछे, उपर ग्रिल में पैक्ड जंग लगा ताला है, जिसमें से कोई प्रवेश नहीं कर सकता, जिसको देखने से कभी खोला नहीं गया, दिख रहा है, कहीं भी आगे और पीछे के हिस्से किसी भी बाहरी व्यक्ति के घर के अंदर प्रवेश करने का कोई साक्ष्य नहीं है।

129– **अ.सा. 15 निरीक्षक भावेश साव** का आगे कथन है कि, घटनास्थल का पृथक से फोटोग्राफ्स उसके द्वारा तथा एफ.एस.एल. टीम के द्वारा भी लिया गया एवं पुष्टि की गई। विवेचना के दौरान परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी संदीप जैन से पूछताछ करने पर उसने अपने मेमोरेण्डम में गवाहों के समक्ष बताया कि ''वह स्वतंत्र तथा खुले विचारों का इंसान है एवं उसके पिता रावलमल जैन पुरानी रूढीवादी विचारधारा के व्यक्ति थे, वे अक्सर इसे हर काम पर टोका करते थे, जैसे पूजा के लिए शिवनाथ

नदी से प्रतिदिन नौकर से पानी मंगवाते थे, तथा उसके द्वारा घर के नल के पानी को ही उपयोग करने को कहने पर उसे डांट–डपट करते थे, उसके पिता का उसकी महिला मित्रो से मिलना नागवार गुजरता था एवं कई बार संपत्ति से बेदखल करने की धमकी देते थे, जिसके कारण उसने व्यथित होकर अपने पिता को मारने की योजना बनाई, इस कारण उसने एक देसी पिस्टल और कारतूस अग्रसेन चौक निवासी भगत सिंह गुरूदत्ता से 1,35,000/– रू. में खरीदा एवं 27.12.2017 को पत्नी और बच्चो को मायके दल्ली राजहरा भेज दिया और नौकर रोहित देशमुख जो रात्रि में घर में रोज सोने आता था, उसे 31.12.2017 की रात्रि घर आने से मना कर दिया, फिर योजनानुसार सुबह 05.45 बजे वह उपर से नीचे आकर मां के दरवाजे को बाहर से बंद किया, उस समय उसके पिता कॉरीडोर में बाथरूम से वापस आ रहे थे और कॉरीडोर का दरवाजा बंद कर रहे थे, उनकी पीठ उसकी तरफ थी, तभी उसने अपने पिता को पीछे से पीठ में गोली मार दिया, गोली की आवाज सुनकर उसकी मां के चिल्लाने पर वह अपने उपर कमरे में भाग गया, फिर उसके मोबाईल पर मां का फोन आने लगा, लेकिन उसने नहीं उठाया और नीचे मां के कमरे के पास पुनः वापस आया तो वह सौरभ को फोन लगाकर बुला रही थी, तब उसने मां के कमरे का

दरवाजा खोला और उसका राज खुल जाने के डर से मां को भी गोली मारकर हत्या कर दिया।

130— **अ.सा. 15 निरीक्षक भावेश साव** का आगे कथन है कि, उसके बाद उसने बाहर जाने वाले कॉरीडोर का दरवाजा और फिर बैठक का दरवाजा खोल दिया तथा सबसे बाहर मेनगेट का ताला खोलकर चाबी उसी में छोड़ दिया, ताकि लगे कि कोई बाहर का आदमी आकर हत्या कर चला गया है, उसने गोली मारते समय काले रंग के दस्ताने पहन रखे थे, जो उसके कमरे में बिस्तर के सिरहाने के नीचे रखे हैं तथा घटना के समय पहना गया चेक आसमानी कलर का हाफ कुर्ता जिसमें खून के दाग लगे हैं, को बिस्तर के नीचे छिपाकर रखा है एवं जिस पिस्टल से अपने माता—पिता की हत्या की है, उसे घर के पीछे उपर बाल्कनी से नीचे फेंक दिया, जो नीचे खड़ी टाटा—एस गाड़ी में गिरा है, साथ में एक लोडेड मैग्जीन और दो झिल्ली में जिंदा कारतूस को भी नीचें गली में फेंक दिया, मेनगेट का ताला—चाबी गेट में खुले रखे हैं तथा फेंके गए स्थान और सामान को दिखाया।

131— **अ.सा. 15 निरीक्षक भावेश साव** का आगे कथन है कि, इस संबंध में आरोपी का मेमोरेण्डम प्रपी. 52 है। विवेचना के दौरान आरोपी द्वारा मेमोरेण्डम प्रपी. 52 में बताए गए तथ्यों के खुलासा के आधार पर आरोपी के बतायेनुसार मकान के पीछे घटना

कारित करने के बाद फेंके गए 01 नग 7.65 कैलीबर का देसी पिस्टल सिल्वर कलर का खाली मैग्जीन सहित, वाहन टाटा–एस क्र. सी.जी. 04/जे.ए–8984 के केबिन के उपर से, एक झिल्ली में 14 नग कारतूस एवं 02 नग खाली खोखा, सभी में 7.65 के.एफ. लिखा हुआ, एक झिल्ली में 12 नग कारतूस, 7.65 कैलीबर का, एक सिल्वर कलर का मैग्जीन जिसमें 06 नग कारतूस हैं, वाहन टाटा–एस. क्र. सी.जी. 04/जे.ए–8984 के डाला के पीछे दरवाजे के पास जिसमें 7.65 लिखा है, समक्ष गवाहान जप्त किया गया, जप्तीपत्र प्रपी. 53 है। आरोपी संदीप जैन के मेमोरेण्डम के आधार पर प्रपी. 54 के अनुसार 02 नग काले रंग का उलन का दस्ताना, 02 नग नोज मास्क क्रीम रंग का, एक आसमानी रंग चेकदार गोल कॉलर का कुर्ता जिसके दाहिने तरफ जेब के पास खून के दाग लगे हैं, एक ओप्पो कंपनी का मोबाईल, एक नग ताला एवं चाबी जिसमें अंग्रेजी में ''shubh'' लिखा है, समक्ष गवाहान जप्त किया गया। इस साक्षी को न्यायालय में प्रस्तुत संपत्ति जो सीलबंद हालत में है, उसमें से आर्टिकल–बी–5 खोलकर दिखाए जाने पर यही पिस्टल तथा मैग्जीन जो खाली है टाटा वाहन सी.जी. 04/जे.ए. 8984 के केबिन के उपर से जप्त करना बताया। साक्षी को न्यायालय में प्रस्तुत संपत्ति आर्टिकल– बी 08 से बी–22 जो सीलबंद हालत में है, उसे खोलकर दिखाए जाने पर एक झिल्ली में 12 नग कारतूस एवं 04 नग खाली खोखा पाए

गए, साक्षी का कथन है कि टेस्ट फायर में दो कारतूस फायर किये गये जिसका दो खाली खोखा भी आर्टिकल बी–08 से बी–22 में रखा हुआ है । इनके अतिरिक्त साक्षी को न्यायालय में प्रस्तुत संपत्ति आर्टिकल बी–23 से 34 जो सीलबंद हालत में है, उसे खोलने पर उसके अंदर 10 जिंदा और 02 खाली खोखा पाए गए जो कुल 12 में से 02 बुलेट टेस्ट फायर किये गये थे, उक्त आर्टिकल की वस्तु को दिखाकर साक्षी से पूछने पर इन्हीं वस्तुओं को मौके से जप्त करना बताया। न्यायालय में प्रस्तुत संपत्ति आर्टिकल बी–35 से बी–41 जो सीलबंद हालत में है उसे खोलने पर उसके अंदर एक मैग्जीन और 05 नग जिंदा कारतूस एवं 01 नग खाली खोखा प्राप्त हुआ, उक्त संपत्तियों को दिखाकर पूछने पर साक्षी ने बताया कि यही मैग्जीन और जिंदा कारतूस को टाटा वाहन सी.जी. 04/जे.ए.8984 के केबिन के उपर से जप्त करना बताया। इसके अलावा न्यायालय में प्रस्तुत संपत्ति आर्टिकल–बी–45 जो सीलबंद हालत में है उसे खोलने पर उसके अंदर सफेल पॉलीथीन में रखा एक जोडी काले रंग का दस्ताना पाया गया साक्षी को दिखाकर पूछने पर यही दस्ताना को प्रदर्श पी–54 के अनुसार जप्त करना बताया।

132– **अ.सा. 15 निरीक्षक भावेश साव** का आगे कथन है कि, विवेचना के दौरान् आरक्षक 1291 मुन्ना यादव के द्वारा डॉक्टर द्वारा सीलबंद किये गये पैकेट जिसमें सीलबंद डिब्बी में पर्ची

में दो नग बुलेट लिखा है, एक सीलबंद पैकेट में मृतिका सूरजी देवी के घटना के समय पहने साडी एवं ब्लाउज खून लगा हुआ शासकीय अस्पताल दुर्ग से आरक्षक मुन्ना लाल के पेश करने पर जप्तीपत्र के मुताबिक जप्त किया गया था, जो प्रदर्श पी–65 होना तथा आरक्षक मुन्नालाल द्वारा शासकीय अस्पताल से लाये गये सीलबंद डिब्बी के उपर पर्ची में मृतक रावलमल जैन लिखा होना जिसमें पी.एम. के दौरान मृतक रावलमल जैन के शरीर से निकाली गई बुलेट थी, तथा एक सीलबंद पैकेट में मृतक रावलमल द्वारा घटना के समय पहने हुए कपडे जिसमें खून लगे हुए दाग लगे हैं, जिसमें शासकीय अस्पताल दुर्ग का पर्ची लगा है जिसे उसके द्वारा जप्तीपत्र प्रपी. 66 के अनुसार जप्त किया गया।

133– आगे इस विवेचक साक्षी का कथन है कि, विवेचना के दौरान दिनांक 24.01.2018 को फोटोग्राफर प्रभात वर्मा के पेश करने पर वजह सबूत में घटनास्थल मृतक रावलमल जैन दुर्ग के निवास स्थान दुगड़ निवास गंजपारा में खीचें गए अंदर, बाहर एवं मृतक एवं मृतिका के कुल 45 नग फोटोग्राफस पेश करने पर मुताबिक जप्ती पत्र प्रपी. 67 के अनुसार जप्त किया गया है। विवेचना के दौरान उसके द्वारा डॉ0 बी.एन.देवांगन जिला अस्पताल दुर्ग को आरोपी के द्वारा चलाई गई पिस्टल की क्यूरी बाबत प्रेषित किया था,जो **प्रदर्श पी–6ए** है। इसी तरह उसके द्वारा आरोपी के पेश

करने पर जप्तशुदा कुर्ता जिसमें खून के दाग लगे हैं, को मुलाहिजा हेतु जिला चिकित्सालय भेजा था, जो पत्र **प्रदर्श पी–7ए** है। उसके द्वारा डॉ0 बी0एन0देवांगन, जिला अस्पताल, दुर्ग को पोस्टमार्टम के दौरान रावलमल जैन के शरीर के पी0एम0 के पूर्व कराए गए एक्सरे में तीन गोलियॉ दिखाई दे रही है, किन्तु पी0एम0 के दौरान एक गोली मिली है एवं शेष दो गोली क्यों नहीं मिली है, इसके लिए राय मांगा गया था जो प्रदर्श पी–8ए है। उसके द्वारा घ टना दिनांक को डाग स्कवाड प्रभारी को पत्र लिखा गया था, जो प्रदर्श पी–68 है।

134– आगे इस विवेचक साक्षी का कथन है कि, उसके द्वारा विवेचना के दौरान् आरोपी संदीप जैन के मेमोरेण्डम के आधार पर कि उसने जिस कट्टे से सूरजी देवी एवं रावल मल जैन की हत्या किया है, उसे आरोपी भगत सिंह गुरूदत्ता से खरीदना बताने पर, आरोपी भगत सिंह गुरूदत्ता को हिरासत में लिया गया। दिनांक 03.01.18 को 09.15 बजे आरोपी भगत सिंह गुरूदत्ता से पूछताछ करने पर उसने बताया कि – **"संदीप जैन निवासी गंजपारा दुर्ग जो उसका बचपन का दोस्त था जो आज से पांच छैः माह पूर्व मेरे पास आया था और मुझसे एक लाख पैंतीस हजार रूपये में एक पिस्टल सिल्वर 7.65 कैलीबर का एवं 38 रांउड भी दिया था"।** आरोपी भगत सिंह गुरूदत्ता का मेमोरेण्डम प्रदर्श पी–56 होना बताया

है। इसी दिनांक 03.01.18 के 10.35 बजे उसके द्वारा आरोपी शैलेन्द्र सागर का मेमोरेण्डम प्रपी. 57 लिया गया था जिसमें आरोपी शैलेन्द्र सागर ने बताया था कि **"उससे भगत सिंह ने एक पिस्टल संदीप जैन को देने के लिए मांगी थी जो कि, वह सागर तरफ काम करने गया था तो दो तीन साल पहले एक व्यक्ति से 38 कारतूस और 01 पिस्टल उस समय 40—50 हजार रूपये में खरीदी थी, जिससे खरीदा था उससे खास पहचान नही थी आज के दिन वह कहॉ रहता है, नहीं जानता जिस पिस्टल से संदीप जैन ने हत्या की है, वह वही पिस्टल है, बताया था"।** उसके द्वारा दिनांक 03.01.18 को गवाहों के समक्ष आरोपी भगत सिंह गुरूदत्ता के द्वारा पिस्टल पहचान पंचनामा प्रपी. 58 तैयार किया गया था, जिसने जप्तशुदा पिस्टल को ही बेचना बताया था। विवेचना के दौरान उसने दिनांक— 01.01.2018 के 20.15 बजे आरोपी संदीप जैन को गिरफतार कर गिरफतारी पंचनामा प्रपी. 69 बनाया था। उसके द्वारा आरोपी भगत सिंह गुरूदत्ता एवं शैलेन्द्र सागर को दिनांक 03.01.2018 को गिरफतार कर गिरफतारी पंचनामा क्रमशः प्रपी. 70 एवं 71 बनाया था।

135— **अ.सा. 15 निरीक्षक भावेश साव** का आगे कथन है कि, उसने आरोपी संदीप जैन, भगत सिंह गुरूदत्ता एवं शैलेन्द्र सागर के परिजनों को उनकी गिरफतारी की सूचना क्रमशः प्रदर्श पी—72, प्रदर्श पी—73 एवं प्रदर्श पी—74 के अनुसार दी थी।

उसके द्वारा तहसीलदार, तहसील दुर्ग को घटनास्थल पटवारी नक्शा के लिए पत्र जारी किया गया था जो प्रदर्श पी–75 है उसके द्वारा पुलिस अधीक्षक जिला दुर्ग को इस प्रकरण में साक्ष्य की दृष्टिकोण से चलाई गई कारतूसों के बैलेस्टिक परीक्षण के लिए मिलान हेतु 04 नग कारतूस खरीदने हेतु अनुमति बाबत पत्र लिखा जाना तथा जिला दंडाधिकारी द्वारा दिनांक 10.01.2018 को 04 कारतूस खरीदने की अनुमति प्रदान किया किया जाना जिसके आधार पर उसने मॉ शारदा ट्रेडर्स, आर्म्स एवं ऐमोनिसन डीलर से दिनांक 11.01.2018 को 500/– रूपये में 04 कारतूस 7.65 बोर का पिस्टल कारतूस खरीदना बताया है तथा डीलर द्वारा दिया गया बिल प्रदर्श पी–39 सी होना जिसमें उसके द्वारा पेड बाई मी लिखकर हस्ताक्षर करना इसके बाद उसने पुलिस अधीक्षक, दुर्ग को दिनांक 12.01.2018 को उक्त बिल के अनुसार खरीदे गए कारतूस की कीमत के आहरण के लिए पत्र लिखा, जो प्रदर्श पी–77 है। दिनांक 01.01.18 को उसने वरिष्ठ वैज्ञानिक एफएसएल, रायपुर को प्रदर्श पी–03 का पत्र लिखकर घटनास्थल निरीक्षण के लिए आवेदन दिया था।

136– आगे इस विवेचना साक्षी का कथन है कि, पुलिस अधीक्षक दुर्ग कार्यालय द्वारा प्रदर्श पी–78, प्रदर्श पी–79 एवं प्रदर्श पी–80 का पत्र नोडल आफिसर जियो, आईडिया एवं रिलायंस को लिखा था, जिसके परिपालन में नोडल आफिसरों द्वारा सीडीआर

और 65 बी का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था। पुलिस अधीक्षक, दुर्ग द्वारा प्रदर्श पी–60 सी का पत्र जिला दंडाधिकारी दुर्ग को आरोपी संदीप जैन, आरोपी भगत सिंह गुरूदत्ता एवं आरोपी शैलेन्द्र सागर के विरूद्ध आर्म्स एक्ट में अभियोजन अनुमति बाबत पत्र लिखा गया था एवं पत्र के साथ प्रकरण की डायरी एवं दस्तावेज भेजे गए थे जिसके आधार पर अभियोजन अनुमति जिला दंडाधिकारी द्वारा दिया गया था। उसके द्वारा विवेचना के दौरान् जप्तशुदा संपत्तियों को रासायनिक परीक्षण हेतु पुलिस अधीक्षक दुर्ग के माध्यम से एफएसएल रायपुर भेजा गया था जो प्रदर्श पी–81 है। उक्त संपत्तियों की जांच पश्चात् एफएसएल रायपुर से परीक्षण प्रतिवेदन प्रपी. 82 प्राप्त होना बताया है।

137— अब प्रकरण में आरोपी संदीप जैन की ओर से ली गई प्रतिरक्षा पर विचार किया जा रहा है। आरोपी संदीप जैन की ओर से यह प्रतिरक्षा ली गई है कि, जैसा कि अभियोजन व्दारा यह प्रकरण बनाया गया है कि, आरोपी संदीप जैन व्दारा अपने माता–पिता की पिस्टल के वार से मृत्यु कारित कर हत्या की गई है, किंतु इसके विपरीत प्रकरण के साक्षी अ.सा.8 सौरभ गोलछा ने अपने कथन में बताया है कि, जब उसकी नानी व्दारा उसे फोन कर बुलाया तथा वह अपने नाना मृतक रावलमल जैन के घर आया तो देखा आरोपी संदीप जैन के कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था।

उक्त आधार पर बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क किया गया है कि, चूंकि आरोपी संदीप जैन के कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था इसलिये अवश्य ही किसी बाहर के व्यक्ति व्दारा आकर घटना कारित की गई है।

138— आरोपी संदीप जैन की ओर से ली गई उक्त प्रतिरक्षा के संबंध में प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य पर विचार करें तो इस संबंध में **प्रकरण के महत्वपूर्ण साक्षी अ.सा.8 सौरभ गोलछा** ने अपने परीक्षण में यह स्पष्ट रूप से बताया है कि, 01 जनवरी 2018 को सुबह करीब 6 बजे उसकी नानी सूरजी बाई का उसके मोबाईल में फोन आया कि, नाना जी गिर गये हैं जल्दी आ जाओ तो अपनी कार से वह गंजपारा उनके घर गया था तब अंदर जाकर उसने देखा उसके नाना जी कॉरीडार में गिरे थे तथा नानी बिस्तर पर लहुलुहान स्थिति में थी। उसके बाद वह अपने मामा आरोपी संदीप जैन के कमरे में गया। इस साक्षी ने कंडिका 11 में यह स्पष्ट रूप से बताया है कि, घटना दिनांक को चौकीदार उसके नाना के घर नहीं आया था, घर में अंदर प्रवेश करने का एकमात्र दरवाजा है जो आलोकचंद त्रिलोकचंद ज्वेलर्स के सामने गंजपारा में हैं। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 15 में यह स्वीकार किया है कि, जब वह अपने नाना रावलमल जैन के घर गया तब बाहर का दरवाजा खुला

हुआ था और बाहरी कोई व्यक्ति नहीं था। यह भी स्वीकार किया है कि, घर के सभी सामान सुरक्षित अवस्था में थे।

139– आरोपी संदीप जैन की ओर से ली गई उक्त प्रतिरक्षा के संबंध में यदि प्रकरण में परीक्षित साक्षी **फोटोग्राफर अ.सा. 2 प्रभात कुमार वर्मा** के साक्ष्य का अवलोकन करें तो इस साक्षी ने घटना स्थल के फोटोग्राफ डिजिटल कैमरा से लिया जाना जिसमें आर्टिकल ए–1, ए–5, ए–6 एवं ए–7 को घटना स्थल मकान के पीछे का होना बताया है एवं ए–2, ए–3, ए–4, ए–8 एवं ए–9 को मकान के सामने भाग का होना बताया है। मकान के फोटोग्राफ से स्पष्ट है कि, मकान के अंदर प्रवेश करने का एक ही दरवाजा है जो कि, घटना की सुबह **अ.सा.8 सौरभ गोलछा** को खुला मिला था। प्रकरण में प्रस्तुत फोटोग्राफ के अवलोकन से यह दर्शित हो रहा है कि, मकान में कोई तोड़फोड़ के निशान नहीं है, फोटोग्राफ एवं साक्षियों के कथनानुसार मकान चारों तरफ से सुरक्षित है अर्थात् धरातल के तल पर कोई खिड़की नहीं है एवं प्रथम तल की बालकनी पूर्णत ग्रिल से बंद है इससे यह स्पष्टतः सिद्ध हो रहा है कि, बाहर का कोई व्यक्ति घटना के समय घर के अंदर नहीं आया है। प्रकरण में आरोपी संदीप जैन की ओर से ऐसी कोई पुष्टिकारक साक्ष्य पेश नहीं की गई है जिसके आधार पर यह निर्धारित किया जा सके कि, आरोपी संदीप जैन के कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था तथा ध

ाटना किसी अन्य बाहरी व्यक्ति के व्दारा कारित की गई होगी। **इस प्रकार प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य से आरोपी संदीप जैन की ओर से ली गई यह प्रतिरक्षा कि, घटना के समय आरोपी संदीप जैन के कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था तथा घटना किसी बाहर के व्यक्ति व्दारा कारित की गई होगी, के तर्क को उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में स्वीकार नहीं किया जा सकता।**

140— आरोपी संदीप जैन के अधिवक्ता व्दारा यह तर्क किया गया है कि, अभियोजन व्दारा प्रकरण में आरोपी संदीप जैन और उसके पिता रावलमल जैन के मध्य अर्थात् पिता पुत्र के मध्य विवाद होने से आरोपी संदीप व्दारा अपने माता पिता की हत्या किये जाने की झूठी कहानी निर्मित की गई है जबकि पिता पुत्र के मध्य सद्भाविक संबंध थे।

141— आरोपी संदीप जैन की ओर से लिये गये उक्त तर्क के संबंध में प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य पर विचार करें तो आरोपी संदीप जैन से पूछताछ करने पर उसने अपने मेमोरेण्डम में गवाहों के समक्ष बताया कि **''वह स्वतंत्र तथा खुले विचारों का इंसान है एवं उसके पिता रावलमल जैन पुरानी रूढीवादी विचारधारा के व्यक्ति थे, वे अक्सर इसे हर काम पर टोका करते थे, जैसे पूजा के लिए शिवनाथ नदी से प्रतिदिन नौकर से पानी मंगवाते थे, तथा उसके द्वारा घर के नल के पानी को ही उपयोग करने को कहने पर**

उसे डांट–डपट करते थे। आरोपी के पिता को उसकी महिला मित्रों से मिलना नागवार गुजरता था एवं उसे संपत्ति से बेदखल करने की धमकी देते थे।

142– इस संबंध में **अ.सा. 5 राजू सोनवानी** ने अपने न्यायालयीन साक्ष्य में बताया है कि, **वह आरोपी संदीप जैन के घर में ड्रायवर की नौकरी करता है।** इस साक्षी नें बताया है कि, रावलमल जैन गुस्से के तेज व्यक्ति थे उनसे सब डरते थे, आरोपी संदीप बहुत कम बात करता था, जो भी बात करता था अपनी माँ सूरजीबाई के माध्यम से करता था। इस साक्षी की साक्ष्य से भी स्पष्ट हो रहा है कि, आरोपी संदीप जैन और उसके पिता अर्थात् मृतक रावलमल जैन के मध्य संबंध सामान्य नहीं थे। **इस प्रकार प्रकरण में उपरोक्त विवेचित साक्ष्य से यह प्रमाणित हो रहा है कि, आरोपी संदीप जैन एवं उसके पिता अर्थात् मृतक रावलमल जैन के मध्य संबंध सामान्य नहीं थे। बचाव पक्ष व्दारा मात्र सरसरी तौर पर लिखित तर्क में अभियोजन पक्ष व्दारा मात्र झूठी साक्ष्य गढ़ने की बात कह दी गई है किंतु उसके समर्थन में कोई पुष्टिकारक साक्ष्य पेश नहीं किया गया है।**

143– आरोपी संदीप जैन की ओर से लिया गया यह बचाव कि, मृतक रावलमल जैन ने अपने जीवन काल में आरोपी संदीप जैन को नगपुरा मंदिर का मैनेजिंग ट्रस्टी एवं आरोग्यम

अस्पताल का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए थे। मृतक रावलमल जैन के मंदिर का कार्य और उनके ईलाज से संबंधित कार्य आरोपी संदीप जैन ही करता था। आगे यह वर्णित किया गया है कि, पुलिस वाले ने रावलमल जैन के ऑफिस में काले रंग के बैग में रखे दो–दो हजार के 37 बंडल उठाया था जिसकी पुष्टि बचाव साक्षी संतोष जैन के कथनों से एवं दैनिक समाचार पत्र प्र.डी.–8 से भी होती है। चूंकि रावलमल जैन, सूरजीबाई के मृत्यु के पश्चात् उक्त रकम को क्लेम करने वाला एक मात्र संदीप जैन ही था, अतः उक्त रकम को हड़पने के आशय से और संदीप क्लेम ना कर सके इस आशय से पुलिस ने संदीप को झूठी कहानी का निर्माण कर जेल भेज दिया। इस प्रकार आरोपी संदीप पर झूठा दोषारोपण करने का पुलिस के पास पर्याप्त हेतुक था तथा इस तथ्य को अभियोजन द्वारा साक्षी सौरभ गोलछा, साक्षी संतोष जैन एवं प्रिंट मिडिया में छपी खबर से लाख प्रयास के बाद भी खण्डित नहीं किया जा सका है।

144– आरोपी संदीप जैन की ओर से ली गई उक्त प्रतिरक्षा के संबंध में यदि प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य पर विचार करें तो साक्षी **शेख कलीम (अ.सा.13)** के साक्ष्य की कंडिका–38 में उसने स्वीकार किया है कि, रावलमल जैन के घर में ही उनकी आफिस है परन्तु उसे जानकारी नहीं है कि, रावलमल जैन के आफिस से क्या–क्या चीजें बरामद हुई थी। यह साक्षी प्रकरण का महत्वपूर्ण

साक्षी जिसने प्रकरण में हुई जप्ती कार्यवाही का समर्थन किया है, किंतु रावलमल जैन के आफिस से राशि जप्त किये जाने के बिन्दु पर अपनी अनभिज्ञता जाहिर कर रहा है। आरोपी संदीप जैन की ओर से इस आशय की कोई पुष्टिकारक साक्ष्य प्रकरण में पेश नहीं की गई है जिसके आधार पर यह मान्य किया जा सके कि, प्रकरण में विवेचना के दौरान मृतक रावलमल जैन के ऑफिस से विवेचना अधिकारी व्दारा 74 लाख रूपये की बरामदगी की गई तथा उक्त संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया। आरोपी व्दारा प्रिन्ट मिडिया में छपी खबर को आधार बनाकर यह प्रतिरक्षा को साबित किये जाने का प्रयास किया जा रहा है जो कि समर्थित साक्ष्य के अभाव में स्वीकार योग्य नहीं होना प्रकट हो रही है। यदि तर्क के लिये प्रिन्ट मीडिया में छपी खबर को तवज्जो भी दी जावे तो प्रिन्ट मीडिया में ही यह खबर भी छपी थी कि, आरोपी संदीप जैन व्दारा अपने माता–पिता की हत्या कारित की गई है। जहां तक आरोपी संदीप जैन को उसके पिता अर्थात् मृतक रावलमल जैन व्दारा नगपुरा मंदिर का मैनेजिंग ट्रस्टी एवं आरोग्यम अस्पताल का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए जाने एवं मंदिर का कार्य और मृतक के ईलाज से संबंधित कार्य आरोपी संदीप जैन से ही कराये जाने का प्रश्न है, तो यह सर्वविदित है कि, आरोपी संदीप जैन, मृतक रावलमल जैन का पुत्र था इसी कारण सामाजिक एवं नैतिक दायित्वों के निर्वहन/परिपूर्ति

के अनुक्रम में स्वाभाविकतः पुत्र होने के कारण एवं इस हेतु उनके पास और कोई विकल्प उपलब्ध न होने से मृतक व्दारा आरोपी संदीप जैन को यह जिम्मेदारी न चाहते हुये भी दी गई हो, किंतु इससे आरोपी संदीप जैन व्दारा जो कृत्य किया गया है उस पर परदा नहीं डाला जा सकता या यह कह सकते हैं कि, इससे प्रकरण की किन्हीं परिस्थितियों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ना प्रतीत नहीं होता तथा इससे प्रतिरक्षा पक्ष को अभियुक्त की निर्दोषिता के बाबत् कोई लाभ प्राप्त नहीं होता।

145— अभियुक्त संदीप जैन की ओर से लिये गये उपरोक्त बचाव के संबंध में अब यदि प्रकरण में एकमात्र परीक्षित बचाव साक्षी की साक्ष्य का अवलोकन करें तो **साक्षी संतोष जैन (ब. सा.1)** जो कि, आरोपी संदीप जैन की पत्नि है, ने अपने परीक्षण में बताया है कि, आरोपी संदीप जैन उसका पति है, मृतकगण रावलमल जैन और सूरजी देवी उसके कमशः ससुर एवं सास थे। इस साक्षी ने कथन की है कि, गंजपारा दुर्ग में वह अपने विवाह के बाद से अपने सास, ससुर एवं पति के साथ रहती है। विवाह के पश्चात् एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम संयम जैन है, वे सभी लोग एक साथ गंजपारा, दुर्ग में स्थित मकान में निवास करते हैं। उनका परिवार शांत और प्रतिष्ठित परिवार है, उनके घर में आपस में कोई लड़ाई—झगड़ा एवं विवाद नहीं रहा है। आगे इस साक्षी ने बताई है

कि, दिनांक 26 दिसम्बर 2017 को सुबह लगभग 10:30 बजे वह अपने पुत्र संयम को लेकर शीतकालीन अवकाश में अपने मायके दल्ली राजहरा गई थी। उसके पति एवं वाहन चालक राजू उनके साथ गये थे। उसके पति एवं वाहन चालक उसके मायके में तीन–चार घण्टे रूककर वापस आ गये थे, वह और उसका पुत्र संयम उसके मायके में ही रूके थे। इस साक्षी ने आगे कथन की है कि, 01 जनवरी 2018 को सुबह 06, 06:30 बजे उसके पिता के फोन पर किसी ने फोन किया कि, उसके सास, ससुर को किसी ने गोली मारकर हत्या कर दिया है तब उसके माता–पिता एवं पुत्र संयम तत्काल दल्ली राजहरा से दुर्ग के लिये कार से रवाना होकर सुबह करीब 8 बजे दुर्ग उसके ससुराल पहुंचे थे। उसके ससुराल के सामने काफी भीड़ थी। जब वह अंदर गई तो उसके सास के कमरे के सामने कॉरीडोर में पुलिस वालों ने उसे रोक दिया, आगे नहीं बढ़ने दिया, वहां से उसने देखी कि उसके ससुर कॉरीडोर में सामने जमीन पर गिरे थे एवं कमरे में उसकी सास बिस्तर पर खून से लथपथ पड़ी थीं।

146– इस बचाव साक्षी ने आगे कथन किया है कि, पुलिस वाले उसके ससुर के ऑफिस से काले बैग में नोट डालकर ले गये थे, नोट 2000/–रूपये के थे तथा 37 बंडल थे। दूसरे दिन दैनिक समाचार पत्र में उसने पढ़ा था कि, पुलिस वाले उसके ससुर

के ऑफिस से 74,00,000/—रूपये बरामद किये थे। दिनांक 01.01.2018 को पुलिस व्दारा नोटों को बैग में ले जाने के बाद उसके सास, ससुर के मृत देह को पोस्टमार्टम के लिये गये थे। उसके सास—ससुर का अन्तिम संस्कार उसके पुत्र संयम ने किया था, पुलिस वालों ने संदीप जैन को अन्तिम संस्कार नहीं करने दिया था। उसके ससुराल घर में मुख्य प्रवेश व्दार सामने से एक ही है एवं पीछे रेलिंग में दो जाली के गेट लगे हैं जिसमें एक गेट खुला रहता है एवं एक गेट बंद रहता है और छत से भी उसके घर में प्रवेश का रास्ता है।

147— अभियोजन पक्ष की ओर से नोटों के संबंध में पूछे गये प्रश्न के संबंध में इस साक्षी ने प्रति परीक्षण की कंडिका 17 में यह स्वीकार किया है कि, पुलिस वाले उसके सामने नोटों को नहीं गिने थे, साक्षी से विशिष्ट रूप से यह पूछे जाने पर कि, नोट कहां रखे गये थे, इसने बताया है कि, नोट कहां रखे गये थे उसे नहीं मालूम, लेकिन पुलिस वालों ने उसके सामने नोटों का बण्डल गिना था। आगे यह स्वीकार किया है कि, वह यह बताने में असमर्थ है कि, जिन नोटों को जप्त किया गया वे ऑफिस में किस जगह पर रखे गये थे, उसने यह नहीं देखा कि, पुलिस वाले किस जगह से नोट उठाये थे। **इस साक्षी ने प्रति परीक्षण की कंडिका 19 में यह स्वीकार की है कि, उसने पुलिस वालों के व्दारा नोट ले जाने के**

संबंध में न्यायालय में पुलिस अधिकारियों अथवा कहीं भी इसके संबंध में शिकायत नहीं की। इस साक्षी ने प्रति परीक्षण की कंडिका 20 में यह स्वीकार की है कि, पुलिस वालों ने जो पैसा जप्त किया था वह अपराध से संबंधित पैसा नहीं था। प्रति परीक्षण की कंडिका 22 में यह स्वीकार की है कि, आरोपी संदीप जैन अपने पिता रावलमल जैन एवं माता सूरजी बाई की मृत्यु के बाद उनकी सभी चल अचल सम्पत्तियों का अकेला वारिस है। आगे कंडिका 23 में यह भी स्वीकार किया है कि, रावलमल जैन एवं सूरजी बाई के जीवित रहने तक आरोपी संदीप जैन सम्पत्ति का अधिकारी नहीं हो सकता था।

148— इस साक्षी ने **प्रतिपरीक्षण की कंडिका 26 में यह स्वीकार की है कि, उसके ससुराल घर में एकमात्र मुख्य दरवाजा है जिससे वे लोग आना—जाना करते हैं।** इस साक्षी ने प्रति परीक्षण की कंडिका 33 में यह स्वीकार की है कि, उसके ससुर रावलमल दुर्ग छ.ग. जैन समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और दुर्ग शहर और पूरे छत्तीसगढ़ में सभी वर्गों में उनकी प्रतिष्ठा थी। इस साक्षी ने प्रति परीक्षण की कंडिका 34 में यह स्वीकार की है कि, **प्रदर्श डी.08 के समाचार पत्र में अ से अ भाग में यह लेख है कि ''घटना के समय घर में रावलमल जैन और उसकी पत्नि के अलावा पुत्र संदीप ही मौजूद था। संदीप ने अपनी पत्नि एवं पुत्र को मायके**

दल्ली राजहरा भेज दिया था। पुलिस पूछताछ में आरोपी संदीप जैन ने गोली की आवाज नहीं सुनने की जानकारी दी वहीं चौहत्तर लाख रूपये चोरी होने की जानकारी देकर पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया। विरोधाभासी बयान के चलते सन्देह की सुई संदीप पर जाकर अटक गई, पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपने माता–पिता की हत्या करना स्वीकार कर लिया, उसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आगे यह भी स्वीकार की है कि, उक्त समाचार पत्र को उसने पुलिस वालों व्दारा रकम ले जाने के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत की है। प्रति परीक्षण की कंडिका 37 में इस तथ्य से इंकार की है कि, उसने पुलिस को चौहत्तर लाख रूपये ले जाने का झूठा आरोप लगाया है।

149– इस बचाव साक्षी के सम्पूर्ण साक्ष्य के सूक्ष्म अवलोकन से यह दर्शित हो रहा है कि, प्रतिरक्षा पक्ष व्दारा इस बचाव साक्षी के माध्यम से यह तथ्य लाने का प्रयास किया गया है कि, पुलिस वाले उसके ससुर रावलमल जैन के ऑफिस से 74,00,000/–रूपये बरामद किये थे तथा इस साक्षी के ससुराल घर में मुख्य प्रवेश व्दार एक ही है एवं पीछे रेंलिंग में दो जाली के गेट लगे है जिसमें एक गेट खुला रहता है एवं एक गेट बंद रहता है और उपर छत से भी उसके घर में प्रवेश का रास्ता है। प्रतिरक्षा पक्ष व्दारा बचाव साक्षी के माध्यम से लाई गई साक्ष्य के संबंध में पूर्व में

विस्तृत विवेचन किया जा चुका है तथा उक्त विवेचन के अनुक्रम में यह पाया गया है कि, **घटना स्थल में एक ही प्रवेश व्दार से प्रवेश किया जा सकता है अन्य किन्हीं भी माध्यमों से प्रवेश नहीं किया जा सकता। जहां तक पुलिस वालों व्दारा 74,00,000/—रूपये इस बचाव साक्षी के ससुर अर्थात् रावलमल जैन के ऑफिस से बरामद किये जाने का प्रश्न है तो इस संबंध में प्रकरण में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, मात्र समाचार पत्र में छपी खबर के आधार पर इस साक्ष्य के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता क्योंकि इस साक्षी व्दारा ही उक्त तथाकथित बरामद नोटों के संबंध में अपने प्रति परीक्षण में नोट कहां रखे थे, इसकी जानकारी नहीं होना, पुलिस वाले नोट किस जगह से उठाये थे इस संबंध में भी कोई जानकारी नहीं होना, पुलिस वालों के व्दारा नोट ले जाने के संबंध में न्यायालय में पुलिस अधिकारियों अथवा कहीं भी इसके संबंध में कोई शिकायत नहीं किया जाना स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में इस बचाव साक्षी के साक्ष्य से आरोपी संदीप जैन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता बल्कि इस साक्षी व्दारा प्रति परीक्षण में की गई स्वीकारोक्ति जो कि उसके व्दारा प्रति परीक्षण की कंडिका 21, 22 एवं 23 में की गई है जिसमें उसके मृत ससुर रावलमल जैन के पैसों का एकमात्र उत्तराधिकारी आरोपी संदीप जैन को होना, आरोपी संदीप जैन के पिता एवं माता की मृत्यु के बाद उनकी सभी चल अचल सम्पत्तियों का अकेला वारिस**

होना एवं आरोपी के माता–पिता के जीवित रहने तक संपत्ति का अधिकारी आरोपी नहीं हो सकना बताया गया है, से यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि, आरोपी के माता–पिता की मृत्यु के पश्चात् सबसे अधिक साम्पत्तिक लाभ यदि किसी को हुआ है या होगा तो वह आरोपी संदीप जैन ही है क्योंकि उसके पिता रावलमल जैन व्दारा उसे उसकी हरकतों के कारण सम्पत्ति से बेदखल किये जाने की धमकी दी जाती थी, ऐसी स्थिति में बचाव पक्ष की ओर से परीक्षित उक्त साक्षी की स्वीकारोक्ति से एक प्रकार से अपराध के हेतुक (मोटिव) की पुष्टि होती है क्योंकि आरोपी संदीप जैन को यह आशंका थी कि, उसके पिता उसे सम्पूर्ण सम्पत्ति से बेदखल कर सकते हैं।

150– आरोपी संदीप जैन की ओर से उसके अधिवक्ता व्दारा यह प्रतिरक्षा ली गई है कि, परिस्थितिजन्य साक्ष्य के इस मामले में परिस्थितियों की श्रृंखला को जोड़ने में अभियोजन पूर्णतः असफल रहा है। मेमोरेंडम और जप्ती कार्यवाही को अभियोजन पक्ष प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है। प्रकरण में अभियोजन अधिकारी द्वारा कूटरचित दस्तावेजों का निर्माण किया गया है तथा हथियार को बदल दिया गया है, साथ ही मालखाने की कोई पर्ची/रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों को साक्षी ना बनाकर पुलिस ने अपने पॉकेट विटनेस को इस प्रकरण में

साक्षी बनाया है, अभियोजन, अभियुक्त संदीप जैन के विरूद्ध अपना प्रकरण संदेह से परे प्रमाणित कर पाने में पूर्णतः विफल रहा है।

151— आरोपी संदीप जैन की ओर से ली गई उक्त प्रतिरक्षाओं के संबंध में यदि विचार करें तो, न्याय शास्त्र का यह सिद्धांत है कि, व्यक्ति झूठ बोल सकता है लेकिन परिस्थितियां कभी झूठ नहीं बोलती। यह भी सर्वविदित है कि, सबसे पहले जो बोला जाता है या आचरण में लाया जाता है उसे ही सत्य मान्य किया जाता है क्योंकि अधिकांशतः बाद में किन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिये सत्य विरत होकर असत्य कथन करता है। उक्त न्याय शास्त्र के सिद्धांत के आलोक में यदि विचार करें तो प्रकरण के महत्वपूर्ण **साक्षी अ.सा.08 सौरभ गोलछा** ने अपने मुख्य परीक्षण एवं धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत लिये कथन में यह बताया है कि, उसकी नानी सूरजी बाई ने उसे फोन किया था तब वह नाना मृतक रावलमल जैन के घर आया तो देखा उसके नाना जी कॉरीडोर में गिरे पड़े हैं तथा नानी बिस्तर में लहुलुहान पड़ी है, दोनों के शरीर में गोली लगी थी तथा खून निकल रहा था। आरोपी संदीप जैन अपने कमरे में था तब इस साक्षी ने जाकर आरोपी संदीप जैन को उठाया। प्रकरण में आई साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि, मृतकगण के घर आने—जाने का एक ही रास्ता है तथा उसके माता—पिता को गोली लगी होने पर भी उसके व्दारा कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गई है,

न ही आरोपी संदीप जैन के व्दारा प्रकरण में कोई मर्ग सूचना या प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कराया गया है, न ही पुलिस या किसी रिश्तेदार को फोन कर घटना की सूचना दी गई है। यदि सामान्य रूप से विचार किया जावे कि, किसी व्यक्ति के माता–पिता की हत्या हो जाये तो उससे यही अपेक्षा होगी कि, वह तत्काल पुलिस को इस संबंध में सूचना देगा, आसपास के लोगों से मदद की गुहार करेगा या अपने संबंधियों को फोन करेगा, किंतु ऐसी कोई मदद् आरोपी व्दारा ली गई हो यह प्रकरण में उपलब्ध अभिसाक्ष्य से प्रकट नहीं हो रहा है यहां तक जिस घर में वह अपने माता–पिता के साथ था, उसी घर में उसके माता पिता की पिस्टल से गोली मारकर उनकी हत्या कर दी जाती है इसकी उसे कोई जानकारी नहीं होना यह तथ्य उसे उक्त अपराध में संलिप्त होने की ओर इंगित करता है, बल्कि प्रकरण में यह साक्ष्य आई है कि, जब अ.सा.08 सौरभ गोलछा को उसकी नानी सूरजी देवी व्दारा मोबाईल फोन के जरिये बुलाया गया तथा वह आया तो आरोपी संदीप जैन अपने घर में कमरे में था तथा अ.सा.08 सौरभ गोलछा व्दारा न्यायालय में दी गई साक्ष्य से ऐसा प्रकट हो रहा है कि, आरोपी संदीप जैन उसके घर में उसके माता–पिता की हत्या हो गई थी इस बात से अनभिज्ञ था क्योकि साक्षी अ.सा.08 सौरभ गोलछा ने अपने कथन में बताया है कि, उसने आरोपी संदीप जैन को घटना के बारे में

जानकारी दिया था। ऐसी स्थिति में यह सहज ही उपधारित किया जा सकता है कि, आरोपी संदीप जैन का यह व्यवहार पूर्णतः असामान्य व्यवहार था क्योंकि वह जिस घर में अपने माता–पिता के साथ वह घटना दिनांक को था, उसी घर में उसके माता–पिता की पिस्टल के माध्यम से हत्या कर दी गई हो और वह इस घटना से अनभिज्ञ हो यह पूर्णतः अविश्वसनीय प्रतीत हो रहा है तथा उसका यह आचरण उसकी अपराध में सहभागिता की ओर संकेत कर रहा है।

152– प्रकरण में आई साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि, घ ाटना के समय आरोपी संदीप जैन एवं उसके माता–पिता अर्थात् मृतक गण रावलमल जैन एवं सूरजी बाई कुल तीन सदस्य ही घर में थे, इनके अलावा और कोई घर में नहीं था। उक्त संबंध में यदि साक्षियों की साक्ष्य का अवलोकन करें तो **अ.सा. 5 राजू सोनवानी** ने अपने न्यायालयीन साक्ष्य में बताया है कि, वह आरोपी संदीप जैन के घर में ड्रायवर की नौकरी करता है। वह रावलमल जैन के यहॉ पहले स्विफ्ट डिजायर चलाता था और अभी आई 10 गाड़ी चलाता है। **वह दिनांक 26/12/2017 को संदीप की पत्नी संतोष जैन, संदीप जैन एवं उसके पुत्र संयम को लेकर दल्ली राजहरा छोडने गया था और दल्ली राजहरा में संतोष जैन एवं संयम को छोड़कर वह और संदीप जैन शाम को 5:30 से 6.00 के बीच वापस आ गये थे।**

153— **अ.सा. 7 रोहित कुमार देशमुख** ने अपने न्यायालयीन साक्ष्य में बताया है कि, वह पिछले 30 वर्षो से रावलमल जैन के घर पर कार्य कर रहा है, वह उनके घर में स्थित आफिस में भृत्य का कार्य करता है। रावलमल जैन के घर में उनकी पत्नी सूरजी बाई, पुत्र संदीप जैन, उसकी पत्नी संतोष जैन और पुत्र संयम निवास करते थे। वह उनके घर में चौकीदारी का कार्य रात में करता था। दिनांक 30/12/2017 को वह रावलमल जैन के घर कार्य किया और शाम को उसे आरोपी संदीप ने कहा कि **"तुम 31/12/2017 की रात में सोने मत आना" तब वह दिनांक 31/12/2017 को रावलमल जैन के घर नहीं आया। दिनांक 30/12/2017 को जब वह छुटटी लेकर गया, तब रावलमल जैन के घर, आरोपी संदीप, रावलमल जैन एवं उनकी पत्नी सूरजीबाई केवल तीन लोग थे। आरोपी संदीप जैन का यह आचरण साक्ष्य अधिनियम की धारा 07 एवं 08 के तहत् असंगत है।**

154— हालांकि अ.सा.8 सौरभ गोलछा ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 19 में यह स्वीकार किया है कि, जब वह संदीप के कमरे में गया तो बाहर से दरवाजा खटखटाया था, उसे लगा कि संदीप सोई हुई स्थिति में है, तब उसने संदीप को बताया कि, नीचे नाना—नानी को गोली लग गई है। उसने देखा कि संदीप के कमरे के दरवाजे की कुन्डी बाहर से लगी है तब उसने कुन्डी खोला था।

आगे इस साक्षी ने यह भी कहा है कि, उस दरवाजे के खोले बिना न तो कोई अंदर आ सकता है और न ही कोई बाहर निकल सकता है, उसने उक्त बातें पुलिस को बताया था किंतु उसे पुलिस वालों ने कहा था कि, इसे बताने का कोई मतलब नहीं है। आगे प्रतिपरीक्षण की कंडिका 20 में यह साक्ष्य दिया है कि, **घटना स्थल घर के पीछे गली है, उस गली से सीढ़ी आदि के माध्यम से कोई व्यक्ति चढ़कर दीवार के उपर लगी जाली में पहुंच सकता है जिसमें जाली का ही गेट लगा है जो घटना दिनांक तक खुला रहता था और वहां से कोई भी आदमी घर के भीतर हॉल में प्रवेश कर सकता है। उसने उक्त बातें पुलिस को बता दिया था, किंतु पुलिस ने कोई मुआयना नहीं किया। इस साक्षी व्दारा प्रति परीक्षण में दी गई उक्त साक्ष्य, उसके व्दारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट व उसके पुलिस व्दारा धारा 161 दंड प्रकिया संहिता अंर्तगत दर्ज किये गये पुलिस कथन से पूर्णतः मेल नहीं खाती। यदि इस साक्षी व्दारा दर्ज कराई गई मर्ग सूचना प्रदर्श पी.28 एवं 29 तथा प्रथम सूचना पत्र प्रदर्श पी. 27 एवं इसके धारा 161 दंड प्रकिया संहिता अंतर्गत लिये गये पुंलिस कथन का अवलोकन करें तो इनमें इस साक्षी के व्दारा संदीप के कमरे के दरवाजे की कुन्डी बाहर से लगे होने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इस साक्षी ने अपने धारा 161 दंड प्रकिया संहिता अंतर्गत लिये गये कथन में यह अभिलिखित कराया है कि, आरोपी**

संदीप जैन के कमरे का दरवाजा लुढ़का हुआ था, उसे धक्का देकर वह अंदर गया था। इस साक्षी का पुलिस कथन घटना दिनांक 01.01.2018 को ही दर्ज किया गया था इसलिये स्वाभाविक रूप से विश्वसनीय प्रकट हो रहा है। न्यायालय में इस साक्षी का साक्ष्य लगभग 10 महीनों के पश्चात् हुआ है जिसमें उसके व्दारा आरोपी संदीप जैन के कमरे की कुंडी बाहर से लगी होने का कथन किया गया है। यदि इस साक्षी की साक्ष्य को उक्त विशिष्ट बिन्दु के संबंध में सत्यता की कसौटी पर कसा जावे तो प्रकरण में उपलब्ध अन्य साक्ष्य के प्रकाश में इसकी साक्ष्य उक्त विशिष्ट बिन्दु के संबंध में पूर्णतः अविश्वसनीय प्रकट हो रही है तथा यह संभाव्य होना प्रकट हो रहा है कि, मृतकगण की मृत्यु के पश्चात् आरोपी ही सम्पूर्ण सम्पत्ति का एकमात्र स्वामी होगा ऐसी स्थिति में बचाव पक्ष से प्रभावित होकर उसके व्दारा यह सोची–विचारी साक्ष्य न्यायालय में दी गई हो। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय व्दारा प्रतिपादित न्याय दृष्टान्त **भगवान दास वि. राज्य (एन.सी.टी.) दिल्ली 09 मई 2011, आपराधिक अपील कं.1117/2011, स्पेशल लीव पिटीशन (आपराधिक) कं.1208/2011** अवलोकनीय है जिसकी कंडिका–08 की उपकंडिका 05 में निम्नानुसार मार्गदर्शक सिद्धांत प्रतिपादित किये गये हैं :–

8. The circumstances which connect the accused to the crime are : ---------------------

v) The mother of the accused, Smt. Dhillo Devi stated before the police that her son (the accused) had told her that he had killed Seema. No doubt a statement to the police is ordinarily not admissible in evidence in view of Section 162(1) Cr.PC, but as mentioned in the proviso to Section 162(1) Cr.PC it can be used to contradict the testimony of a witness. Smt. Dhillo Devi also appeared as a witness before the trial court, and in her cross examination, she was confronted with her statement to the police to whom she had stated that her son (the accused) had told her that he had killed Seema. On being so confronted with her statement to the police she denied that she had made such statement.We are of the opinion that the statement of Smt. Dhillo Devi to the police can be taken into consideration in view of the proviso to Section 162(1) Cr.PC, and her subsequent denial in court is not believable **because she obviously had afterthoughts and wanted to save her son (the accused) from punishment.** In fact in her statement to the police she had stated that the dead body of Seema was removed from the bed and placed on the floor. When she was confronted with this statement in the court she

denied that she had made such statement before the police.

We are of the opinion that her statement to the police can be taken into consideration in view of the proviso of Section 162(1) Cr.PC.

No doubt Smt. Dhillo Devi was declared hostile by the prosecution as she resiled from her earlier statement to the police. However, as observed in State vs. Ram Prasad Mishra & Anr. :

"The evidence of a hostile witness would not be totally rejected if spoken in favour of the prosecution or the accused, but can be subjected to close scrutiny and the portion of the evidence which is consistent with the case of the prosecution or defence may be accepted."

Similarly in Sheikh Zakir vs. State of Bihar AIR 1983 SC 911 this Court held :

"It is not quite strange that some witnesses do turn hostile but that by itself would not prevent a court from finding an accused guilty if there is otherwise acceptable evidence in support of the conviction."

In Himanshu alias Chintu vs. State (NCT of Delhi), (2011) 2 SCC 36 this Court held that the

dependable part of the evidence of a hostile witness can be relied on.

Thus it is the duty of the Court to separate the grain from the chaff, and the maxim "falsus in uno falsus in omnibus" has no application in India vide Nisar Alli vs. The State of Uttar Pradesh AIR **1957** SC **366.** In the present case we are of the opinion that Smt. Dhillo Devi denied her earlier statement from the police because she wanted to save her son. Hence we accept her statement to the police and reject her statement in court.

The defence has not shown that the police had any enmity with the accused, or had some other reason to falsely implicate him.

155— प्रकरण में बचाव पक्ष की ओर से घटना के दौरान आरोपी संदीप जैन के कमरे का दरवाजा बाहर से किसी ने बंद किया हो या दरवाजा बंद रहा हो इसके समर्थन में ऐसी कोई विशिष्ट साक्ष्य पेश नहीं की गई है जिससे प्रतिरक्षा पक्ष व्दारा लिये गये इस बचाव को स्वीकार किया जा सके। इसके अलावा तार्किक रूप से भी यदि विचार किया जावे तो अ.सा.08 सौरभ गोलछा का यह न्यायालयीन साक्ष्य कि, आरोपी संदीप जैन के कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था, अस्वाभाविक प्रकट हो रहा है क्योंकि एक परिवार में कोई व्यक्ति अपने माता–पिता के साथ है तथा बकौल कोई बाहरी व्यक्ति उसके घर में घुसकर उसके माता–पिता की

पिस्टल से गोली मारकर हत्या कर दे और पुत्र को जीवित छोड़ दे इस बात की उसे जानकारी ही न हो, पूर्णतः अस्वाभाविक एवं अविश्वसनीय प्रकट हो रहा है। ऐसी स्थिति में बचाव पक्ष व्दारा लिया गया यह बचाव कि, घटना स्थल पर अन्य किसी व्यक्ति की उपस्थिति भी संभव हो सकती है, उपरोक्त विवेचित समग्र साक्ष्य के प्रकाश में मान्य किये जाने योग्य नहीं है।

156— प्रकरण में आई साक्ष्य अनुसार दिनांक 31.12.2017 से 01.01.2018 की सुबह 06:02:36 में घटना स्थल पर आरोपी संदीप उसके मृतक पिता रावलमल एवं आरोपी संदीप की माता मृतिका सूरजी देवी घटना स्थल पर एक साथ निवासरत थे, इस साक्ष्य का न तो प्रति परीक्षण में खण्डन किया गया है और न ही चुनौती दी गई है न ही इस संबंध में कोई अतिरिक्त साक्ष्य पेश की गई है। दिनांक 01.01.2018 को 06:02:36 बजे सूरजी देवी के फोन करने पर अ.सा.08 सौरभ गोलछा घटना स्थल पर गंजपारा स्थित रावलमल के घर पहुंचा तो यह पाया कि, सूरजी देवी एवं रावलमल की हत्या हो गई है एवं आरोपी संदीप जैन अपने कमरे में स्वस्थ एवं जीवित पाया गया है। यदि घटना स्थल पर मृतकगण रावलमल जैन, सूरजी देवी एवं आरोपी संदीप जैन के अलावा अन्य कोई बाहरी व्यक्ति भी था, यह यह तर्क के लिये मान भी ले किंतु प्रकरण में आई साक्ष्य अनुसार अ.सा.08 सौरभ गोलछा के प्रति परीक्षण की कंडिका

20 में इस साक्षी को सुझाव दिया गया है कि, घटना स्थल के पीछे गली है उस गली से सीढ़ी या रस्सी के माध्यम से कोई व्यक्ति चढ़कर दीवार के उपर लगी जाली में पहुंच सकता है जिसमें जाली का ही गेट लगा है जो घटना दिनांक तक खुला रहता था और वहां से कोई आदमी घर के भीतर हॉल में प्रवेश कर सकता है और हॉल से नीचे घटना स्थल पर पहुंच सकता है। इस संबंध में आरोपी संदीप जैन की ओर से लिया गया बचाव विरोधाभासी स्वरूप का है क्योंकि अ.सा.08 सौरभ गोलछा के प्रति परीक्षण की कंडिका 20 में गली से सीढ़ी से चढ़कर जाली के व्दारा प्रवेश कर सकने के संबंध में पूछा गया है जबकि विवेचक से इस बिन्दु पर कोई सुझाव नहीं लिया गया है बल्कि नया बचाव लिया गया है कि, मृतक रावलमल जैन के घर के छत से लगे हुये पड़ोसी के छत से प्रवेश किया जा सकता है क्या? **इस तरह आरोपी संदीप जैन के व्दारा लिया गया बचाव संभावनाओं पर है जबकि प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य से यह सिद्ध हुआ है कि, एक सुरक्षित मकान जहां तीन व्यक्ति घटना के समय उपस्थित थे जिसमें से दो की मृत्यु हो जाती है तथा एक व्यक्ति जीवित मिलता है तो जीवित मिलने वाले व्यक्ति के संबंध में धारा 106 साक्ष्य अधिनियम के अनुसार उसका यह दायित्व है कि, वह स्पष्ट करें कि, उसके साथ के दो व्यक्तियों की मृत्यु कैसे हो गई। यह आपराधिक विधि का सर्वमान्य सिद्धान्त है कि, धारा 106**

भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार कोई तथ्य आरोपी के विशेष जानकारी में है तो सबूत का भार उस आरोपी पर है।

157— भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 08 के तहत अपराध हेतु तैयारी और पूर्व का या पश्चात् का आचरण युक्तियुक्त रुप से सुसंगत है। उक्त धारा के अनुक्रम में यदि इस प्रकरण के संबंध में विशिष्ट रूप से विचार करें तो आरोपी संदीप जैन का अपराध के पूर्व का आचरण जैसे हत्या कारित करने के पूर्व इसने अपने परिचित भगत सिंह गुरूदत्ता से देशी पिस्टल और कारतूस खरीदा, दिनांक 27.12.2017 को इसने अपनी पत्नि संतोष जैन और पुत्र संयम जैन को स्वयं वाहन चालक के साथ जाकर दल्ली राजहरा छोड़कर आया, घर में सोने आने वाले चौकीदार रोहित देशमुख को दिनांक 31.12.2017 को रात्रि में सोने आने से मना किया तथा सारी रात जागकर हत्या का अवसर तलाश किया तथा दिनांक 31.12.2017 को हत्या करने के लिये दिन निश्चित किया क्योंकि इस दिन रात्रि के 12 बजे से अगले दिन की सुबह तक नये साल के उत्साह में खूब आतिशबाजी करते हैं जिससे फायरिंग करने पर कोई व्यक्ति एवं आस पड़ोस के लोग का ध्यान आकर्षित न हो। यदि आरोपी के हत्या कारित करने के पश्चात् का आचरण का उल्लेख किया जावे तो आरोपी संदीप व्दारा अपराध की सूचना थाना में नहीं दिया जाना, स्वयं होकर प्रथम सूचना प्रतिवेदन या मर्ग कायम नहीं कराया जाना,

आरोपी संदीप जैन के कमरे में मोबाईल था, यदि यह अपराधी नहीं होता तो रावलमल एवं सूरजी देवी को तीन–तीन गोली मारने पर तत्काल थाने में फोन करता जबकि थाना घटना स्थल से लगभग एक किलोमीटर की दूरी पर है। आरोपी संदीप जैन व्दारा मृतक गण की मृत्यु की सूचना किसी रिश्तेदार को नहीं दिया जाना, आरोपी संदीप जैन ने अपने भांजे सौरभ गोलछा को भी फोन नहीं किया तथा घटना की जानकारी नहीं दिया, देशी पिस्टल जिससे हत्या कारित किया उन सभी कारतूसों को अपने कमरे के पीछे लगे हुये ग्रील से नीचें फेंक दिया, घर के सामने के दरवाजे को खोल दिया जिससे लगे कि, बाहर के व्यक्ति ने हत्या कारित किया है, आरोपी संदीप जैन ने घटना के समय, घटना के पश्चात् आसपास आवाज नहीं दिया, एक पूर्णरुप से सुसंगत साक्ष्य है, जिसे अभियोजन ने प्रमाणित किया है।

158– इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि, घटना दिनांक को आरोपी संदीप जैन अपने माता–पिता के साथ घर में था तथा उसके माता–पिता की हत्या हो जाती है तब ऐसी स्थिति में **आरोपी संदीप जैन पर यह नैतिक दायित्व था कि, वह इस तथ्य को प्रकाशित करें कि, आखिर उसके माता–पिता की मृत्यु कैसे हुई, किंतु आरोपी संदीप जैन के व्दारा इस संबंध में अपना कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।**

159— इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय का न्यायदृष्टांत **"सुरेश एवं एक अन्य वि0 स्टेट ऑफ हरियाणा" 2015 कि. लॉ जर्नल पेज क. 661** का पैरा 08 अवलोकनीय है जो इस प्रकार है :—

Apart from the above, this is a case where Section 106 of the Evidence Act is clearly attracted which requires the accused to explain the facts in their exclusive knowledge. No doubt, the burden of proof is on the prosecution and Section 106 is not meant to relieve it of that duty but the said provision is attracted when it is impossible or it is proportionately difficult for the prosecution to establish facts which are strictly within the knowledge of the accused. **Recovery of dead bodies from covered gutters and personal belongings of the deceased from other places disclosed by the accused stood fully established. It casts a duty on the accused as to how they alone had the information leading to recoveries which was admissible under Section 27 of the Evidence Act. Failure of the accused to give an explanation or giving of false explanation is an additional circumstance against the accused as held in number of judgments, including** State of Rajasthan vs. Jaggu Ram **[AIR 2008 SC 982].(Underline is mine)**

160— **यहां साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 का उल्लेख किया जाना उचित प्रतीत हो रहा है जिसमें यह अभिनिर्धारित है कि :— ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार— जबकि कोई तथ्य विशेषतः किसी व्यक्ति के ज्ञान में है, तब, उस तथ्य को साबित करने का भार उस पर है।** जब घर में सिर्फ आरोपी एवं उसके माता—पिता है तब हत्या किसने किया, यह बताने का दायित्व आरोपी का है क्योकि यह मान्य तथ्य है कि, घर का दरवाजा स्वाभाविक रूप से अंदर से बंद रहता है, दरवाजा किसने खोला, उसके दस्ताना में बारूद का कण कैसे आया। इन सभी तथ्यों का स्पष्टीकरण सिर्फ आरोपी दे सकता है, इस बिन्दु पर आरोपी ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। इसके अलावा इस बिन्दु के संबंध में **अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत न्यायदृष्टांत Supreme Court of India. Trimukh Maroti Kirkan vs State of Maharashtra (उपरोक्त)** अवलोकनीय है।

161— इस संबंध में प्रकरण के विवेचक **अ.सा. 15 निरीक्षक भावेश साव** के अनुसार उसके द्वारा विवेचना के दौरान डॉग स्कॉड को तलब कर घटनास्थल का निरीक्षण कराया गया था। डॉग मास्टर के द्वारा अपने दिए गए सर्टिफिकेट में बताया गया कि, डॉग घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद मृतक रावलमल जैन के पुत्र संदीप जैन के कमरे में जाकर भौंका, इस संबंध में सर्टिफिकेट प्रपी.

11 है। नक्शा पंचनामा प्रदर्श पी. 48 में उसने पाया था कि, मृतक के घर में घुसने का सिर्फ एक मुख्यद्वार है, जो कि ताला से अंदर से बंद रहता है, जिसे घर के अंदर का कोई सदस्य ही खोल सकता है, पीछे, उपर ग्रील लगा है, जिसमें हाथ डालकर नीचे खड़े टाटा–एस में हत्या में प्रयुक्त पिस्टल को फेंका गया है तथा जमीन में पॉलीथीन झिल्ली में पैक कर फेंका गया है, जो कि स्पष्ट रूप से मृतक के घर जहां मृतक के पुत्र संदीप का कमरा है, उससे जुडा है मृतक के मकान का दांया हिस्सा लोकेश शर्मा का तथा बांये पर प्रहलाद रूंगटा का मकान है, जो कि पैक्ड है, पीछे, उपर ग्रिल में पैक्ड जंग लगा ताला है, जिसमें से कोई प्रवेश नहीं कर सकता, जिसको देखने से कभी खोला नहीं गया दिख रहा है, कहीं भी आगे और पीछे के हिस्से किसी भी बाहरी व्यक्ति के घर के अंदर प्रवेश करने का कोई साक्ष्य नहीं है। आगे इस विवेचक साक्षी ने यह भी कथन किया है कि, घटनास्थल का पृथक से फोटोग्राफ्स उसके द्वारा तथा एफ.एस.एल. टीम के द्वारा भी लिया गया एवं पुष्टि की गई है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि, घटना दिनांक को आरोपी संदीप जैन अपने माता–पिता के साथ था तथा उसके साथ रहते हुये ही उसके माता–पिता की पिस्टल से गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, इस संबंध में उसके व्दारा साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अनुकम में उससे जो अपेक्षायें थीं उसकी

पूर्ति उपरोक्त विवेचित तथ्यों के प्रकाश में उसके व्दारा नहीं किया जाना प्रतीत हो रहा है। **धारा 106 साक्ष्य अधिनियम के अनुसार उसका यह दायित्व है कि, वह स्पष्ट करें कि, उसके साथ के दो व्यक्तियों की मृत्यु कैसे हो गई। यह आपराधिक विधि का सर्वमान्य सिद्धान्त है कि, धारा 106 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार कोई तथ्य आरोपी के विशेष जानकारी में है तो सबूत का भार उस आरोपी पर है, ऐसी स्थिति में इस प्रकरण के संबंध में विचार करें तो आरोपी संदीप जैन के माता–पिता की हत्या के सबूत का भार आरोपी संदीप जैन पर था जिसकी परिपूर्ति उसके व्दारा नहीं की गई है। इस संबंध में माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का न्याय दृष्टान्त भुवनेश्वर साहू वि. छ.ग. राज्य आपराधिक अपील क्रं.–79/2015, निर्णय तिथि 12.05.2022 का पैरा 21 एवं 22 अवलोकनीय है, जो इस प्रकार है :–**

21. The Apex Court in the matter of **Kalu alias** Laxminarayan vs State of Madhya Pradesh **has held as under :-**

> 14. In Tulshiram Sahadu Suryawanshi and Ors. vs. State of Maharashtra, (2012) 10 SCC 373, this Court observed :
>
> "23. It is settled law that presumption of fact is a rule in law of evidence that a fact otherwise doubtful may be inferred from certain other proved facts. When inferring the

existence of a fact from other set of proved facts, the court exercises a process of reasoning and reaches a logical conclusion as the most probable position. The above position is strengthened in view of Section 114 of the Evidence Act, 1872. It empowers the court to presume the existence of any fact which it thinks likely to have happened. In that process, the courts shall have regard to the common course of natural events, human conduct, etc. in addition to the facts of the case. In these circumstances, the principles embodied in Section 106 of the Evidence Act can also be utilised. We make it clear that this section is not intended to relieve the prosecution of its burden to prove the guilt of the accused beyond reasonable doubt, but it would apply to cases where the prosecution has succeeded in proving facts from which a reasonable inference can be drawn regarding the existence of certain other facts, unless the accused by virtue of his special knowledge regarding such facts, failed to offer any explanation which might drive the court to draw a different inference. It is useful to quote the following observation in State of W.B. v. Mir Mohammad Omar.

"38. Vivian Bose, J., had observed that Section 106 of the Evidence Act is designed to meet certain exceptional cases in

which it would be impossible for the prosecution to 4 (2019) 10 SCC 211 establish certain facts which are particularly within the knowledge of the accused. In Shambhu Nath Mehra v. State of Ajmer the learned Judge has stated the legal principle thus:

'11. This lays down the general rule that in a criminal case the burden of proof is on the prosecution and Section 106 is certainly not intended to relieve it of that duty. On the contrary, it is designed to meet certain exceptional cases in which it would be impossible, or at any rate disproportionately difficult, for the prosecution to establish facts which are "especially" within the knowledge of the accused and which he could prove without difficulty or inconvenience.

The word "especially" stresses that. It means facts that are preeminently or exceptionally within his knowledge."

15. **In Trimukh Maroti Kirkan vs. State of Maharashtra**, 2006 (10) SCC 681, this Court was considering a similar case of homicidal death in the confines of the house. The following observations are considered relevant in the facts of the present case:

"14. If an offence takes place inside the privacy of a house and in such circumstances where the assailants have all the opportunity to plan and commit

the offence at the time and in circumstances of their choice, it will be extremely difficult for the prosecution to lead evidence to establish the guilt of the accused if the strict principle of circumstantial evidence, as noticed above, is insisted upon by the courts. A judge does not preside over a criminal trial merely to see that no innocent man is punished. A judge also presides to see that a guilty man does not escape. Both are public duties. (See Stirland v. Director of Public Prosecutions -- quoted with approval by Arijit Pasayat, J. in State of Punjab v. Karnail Singh). The law does not enjoin a duty on the prosecution to lead evidence of such character which is almost impossible to be led or at any rate extremely difficult to be led. The duty on the prosecution is to lead such evidence which it is capable of leading, having regard to the facts and circumstances of the case. Here it is necessary to keep in mind Section 106 of the Evidence Act which says that when any fact is especially within the knowledge of any person, the burden of proving that fact is upon him. Illustration (b) appended to this section throws some light on the content and scope of this provision and it reads:

"(b) A is charged with travelling on a railway without ticket. The burden of proving that he had a ticket is on him."

15. Where an offence like murder is committed in secrecy inside a house, the initial burden to establish the case would undoubtedly be upon the prosecution, but the nature and amount of evidence to be led by it to establish the charge cannot be of the same degree as is required in other cases of circumstantial evidence. The burden would be of a comparatively lighter character. In view of Section 106 of the Evidence Act there will be a corresponding burden on the inmates of the house to give a cogent explanation as to how the crime was committed. The inmates of the house cannot get away by simply keeping quiet and offering no explanation on the supposed premise that the burden to establish its case lies entirely upon the prosecution and there is no duty at all on an accused to offer any explanation. ------

22. Where an accused is alleged to have committed the murder of his wife and the prosecution succeeds in leading evidence to show that shortly before the commission of crime they were seen together or the offence takes place in the dwelling home where the husband also normally resided, it has been consistently held that if the accused does not offer

> any explanation how the wife received injuries or offers an explanation which is found to be false, it is a strong circumstance which indicates that he is responsible for commission of the crime."

16. In view of our conclusion that the prosecution has clearly established a prima facie case, the precedents cited on behalf of the appellant are not considered relevant in the facts of the present case. Once the prosecution established a prima facie case, the appellant was obliged to furnish some explanation under Section 313, Cr.P.C. with regard to the circumstances under which the deceased met an unnatural death inside the house. His failure to offer any explanation whatsoever therefore leaves no doubt for the conclusion of his being the assailant of the deceased.

22. In light of the above legal position flowing from the judgments of the Supreme Court, it is clear that in the present case, the prosecution has proved that the deceased died by an unnatural death in the room occupied by her and the appellant. The cause of unnatural death was known to appellant. There is no evidence that anybody else had entered into the room or could have entered the room. The appellant falsely informed his family members and his neighbors and Police that death was taken place due to snake bite. It is also proved by the prosecution that the conduct of the appellant is very suspicious. He bought a snake before the incident and 2 postmortem puncture wounds were

also found in the body of the deceased, but no explanation has been offered by the appellant in this regard that how these two puncture wounds were present in the body of the deceased when she did not die of snake bite. The appellant has given false explanation that the deceased died due to snake bite, whereas it is proved by the prosecution that with all preparation, murder was committed by the appellant. The appellant has also not proved this fact that how in postmortem, two puncture wounds were present in the body of the deceased when snake did not bite her. Thus, the prosecution has clearly established a case against the appellant and once the prosecution establishes a prima facie case, the appellant was obliged to furnish some explanation under Section 313 of CrPC with regard to circumstances under which the deceased met an unnatural death inside the house. So we find that the finding of the learned Trial Court is based on proper appreciation of oral and documentary evidence available on record and law as well and justified in convicting the appellant herein. We do not find any merit in this appeal.

162— अब यदि प्रकरण में मेमोरेंडम और उसके आधार पर की गई जप्ती कार्यवाही पर विचार करें तो इस संबंध में विवेचक **अ.सा. 15 निरीक्षक भावेश साव** के अनुसार विवेचना के दौरान परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपी संदीप जैन से पूछताछ करने पर उसने अपने मेमोरेण्डम में गवाहों के समक्ष बताया कि ''वह स्वतंत्र तथा खुले विचारों का इंसान है एवं उसके पिता रावलमल

जैन पुरानी रूढीवादी विचारधारा के व्यक्ति थे, वे अक्सर इसे हर काम पर टोका करते थे, जैसे पूजा के लिए शिवनाथ नदी से प्रतिदिन नौकर से पानी मंगवाते थे, तथा उसके द्वारा घर के नल के पानी को ही उपयोग करने को कहने पर उसे डांट–डपट करते थे, उसके पिता का उसकी महिला मित्रो से मिलना नागवार गुजरता था एवं कई बार संपत्ति से बेदखल करने की धमकी देते थे, जिसके कारण उसने व्यथित होकर अपने पिता को मारने की योजना बनाई, इस कारण उसने एक देसी पिस्टल और कारतूस अग्रसेन चौक निवासी भगत सिंह गुरूदत्ता से 1,35,000/–रू. में खरीदा एवं दिनांक 27.12.2017 को पत्नी और बच्चो को मायके दल्ली राजहरा भेज दिया और नौकर रोहित देशमुख जो रात्रि में घर में रोज सोने आता था, उसे 31.12.2017 की रात्रि घर आने से मना कर दिया, फिर योजनानुसार सुबह 05.45 बजे वह उपर से नीचे आकर मां के दरवाजे को बाहर से बंद किया, उस समय उसके पिता कॉरीडोर में बाथरूम से वापस आ रहे थे और कॉरीडोर का दरवाजा बंद कर रहे थे, उनकी पीठ उसकी तरफ थी, तभी उसने अपने पिता को पीछे से पीठ में गोली मार दिया, गोली की आवाज सुनकर उसकी मां के चिल्लाने पर वह अपने उपर कमरे में भाग गया, फिर उसके मोबाईल पर मां का फोन आने लगा, लेकिन उसने नहीं उठाया और नीचे मां के कमरे के पास पुनः वापस आया तो वह सौरभ को फोन लगाकर

बुला रही थी, तब उसने मां के कमरे का दरवाजा खोला और उसका राज खुल जाने के डर से मां को भी गोली मारकर हत्या कर दिया। उसके बाद उसने बाहर जाने वाले कॉरीडोर का दरवाजा और फिर बैठक का दरवाजा खोल दिया तथा सबसे बाहर मेनगेट का ताला खोलकर चाबी उसी में छोड़ दिया, ताकि लगे कि कोई बाहर का आदमी आकर हत्या कर चला गया है, उसने गोली मारते समय काले रंग के दस्ताने पहन रखे थे, जो उसके कमरे में बिस्तर के सिरहाने के नीचे रखे हैं तथा घटना के समय पहना गया चेक आसमानी कलर का हाफ कुर्ता जिसमें खून के दाग लगे हैं, को बिस्तर के नीचे छिपाकर रखा है एवं जिस पिस्टल से अपने माता–पिता की हत्या की है, उसे घर के पीछे उपर बालकनी से नीचे फेंक दिया, जो नीचे खड़ी टाटा–एस गाड़ी में गिरा है, साथ में एक लोडेड मैग्जीन और दो झिल्ली में जिंदा कारतूस को भी नीचें गली में फेंक दिया, मेनगेट का ताला–चाबी गेट में खुले रखे हैं तथा फेंके गए स्थान और सामान को दिखाया।

163– **अ.सा. 15 निरीक्षक भावेश साव** ने कथन किया है कि, इस संबंध में आरोपी संदीप जैन का मेमोरेण्डम प्रपी. 52 है। विवेचना के दौरान आरोपी द्वारा मेमोरेण्डम प्रपी. 52 में बताए गए तथ्यों के खुलासा के आधार पर आरोपी के बताये अनुसार मकान के पीछे घटना कारित करने के बाद फेंके गए 01 नग 7.65 कैलीबर का

देसी पिस्टल सिल्वर कलर का खाली मैग्जीन सहित, वाहन टाटा–एस क्र. सी.जी. 04/जे.ए–8984 के केबिन के उपर से, एक झिल्ली में 14 नग कारतूस एवं 02 नग खाली खोखा, सभी में 7.65 के.एफ. लिखा हुआ, एक झिल्ली में 12 नग कारतूस, 7.65 कैलीबर का, एक सिल्वर कलर का मैग्जीन जिसमें 06 नग कारतूस हैं, वाहन टाटा–एस. क्र. सी.जी. 04/जे.ए–8984 के डाला के पीछे दरवाजे के पास जिसमें 7.65 लिखा है, समक्ष गवाहान जप्त किया गया, जप्तीपत्र प्रपी. 53 है। आरोपी संदीप जैन के मेमोरेण्डम के आधार पर प्रपी. 54 के अनुसार 02 नग काले रंग का उलन का दस्ताना, 02 नग नोज मास्क क्रीम रंग का, एक आसमानी रंग चेकदार गोल कॉलर का कुर्ता जिसके दाहिने तरफ जेब के पास खून के दाग लगे हैं, एक ओप्पो कंपनी का मोबाईल, एक नग ताला एवं चाबी जिसमें अंग्रेजी में ''shubh'' लिखा है, समक्ष गवाहान जप्त किया गया। इस साक्षी को न्यायालय में प्रस्तुत संपत्ति जो सीलबंद हालत में है, उसमें से आर्टिकल–बी–5 खोलकर दिखाए जाने पर यही पिस्टल तथा मैग्जीन जो खाली है टाटा वाहन सी.जी. 04/जे.ए. 8984 के केबिन के उपर से जप्त करना बताया। साक्षी को न्यायालय में प्रस्तुत संपत्ति आर्टिकल– बी 08 से बी–22 जो सीलबंद हालत में है, उसे खोलकर दिखाए जाने पर एक झिल्ली में 12 नग कारतूस एवं 04 नग खाली खोखा पाए गए, साक्षी का कथन है कि टेस्ट फायर में दो कारतूस

फायर किये गये जिसका दो खाली खोखा भी आर्टिकल बी–08 से बी–22 में रखा हुआ है । इनके अतिरिक्त साक्षी को न्यायालय में प्रस्तुत संपत्ति आर्टिकल बी–23 से 34 जो सीलबंद हालत में है, उसे खोलने पर उसके अंदर 10 जिंदा और 02 खाली खोखा पाए गए जो कुल 12 में से 02 बुलेट टेस्ट फायर किये गये थे, उक्त आर्टिकल की वस्तु को दिखाकर साक्षी से पूछने पर इन्हीं वस्तुओं को मौके से जप्त करना बताया। न्यायालय में प्रस्तुत संपत्ति आर्टिकल बी–35 से बी–41 जो सीलबंद हालत में है उसे खोलने पर उसके अंदर एक मैग्जीन और 05 नग जिंदा कारतूस एवं 01 नग खाली खोखा प्राप्त हुआ, उक्त संपत्तियों को दिखाकर पूछने पर साक्षी ने बताया कि यही मैग्जीन और जिंदा कारतूस को टाटा वाहन सी.जी. 04/जे.ए.8984 के केबिन के उपर से जप्त करना बताया। इसके अलावा न्यायालय में प्रस्तुत संपत्ति आर्टिकल–बी–45 जो सीलबंद हालत में है उसे खोलने पर उसके अंदर सफेल पॉलीथीन में रखा एक जोडी काले रंग का दस्ताना पाया गया साक्षी को दिखाकर पूछने पर यही दस्ताना को प्रदर्श पी–54 के अनुसार जप्त करना बताया।

164– **अ.सा. 15 निरीक्षक भावेश साव** का आगे कथन है कि, विवेचना के दौरान् आरक्षक 1291 मुन्ना यादव के द्वारा डॉक्टर द्वारा सीलबंद किये गये पैकेट जिसमें सीलबंद डिब्बी में पर्ची

में दो नग बुलेट लिखा है, एक सीलबंद पैकेट में मृतिका सूरजी देवी के घटना के समय पहने साडी एवं ब्लाउज खून लगा हुआ शासकीय अस्पताल दुर्ग से आरक्षक मुन्ना लाल के पेश करने पर जप्तीपत्र के मुताबिक जप्त किया गया था, जो प्रदर्श पी–65 होना तथा आरक्षक मुन्नालाल द्वारा शासकीय अस्पताल से लाये गये सीलबंद डिब्बी के उपर पर्ची में मृतक रावलमल जैन लिखा होना जिसमें पी.एम. के दौरान मृतक रावलमल जैन के शरीर से निकाली गई बुलेट थी, तथा एक सीलबंद पैकेट में मृतक रावलमल द्वारा घटना के समय पहने हुए कपडे जिसमें खून लगे हुए दाग लगे हैं, जिसमें शासकीय अस्पताल दुर्ग का पर्ची लगा है जिसे उसके द्वारा जप्तीपत्र प्रपी. 66 के अनुसार जप्त किया गया। विवेचना के दौरान दिनांक 24.01.2018 को फोटोग्राफर प्रभात वर्मा के पेश करने पर वजह सबूत में घटनास्थल मृतक रावलमल जैन दुर्ग के निवास स्थान दुगड़ निवास गंजपारा में खीचें गए अंदर, बाहर एवं मृतक एवं मृतिका के कुल 45 नग फोटोग्राफस पेश करने पर मुताबिक जप्ती पत्र प्रपी. 67 के अनुसार जप्त किया गया है।

165— आगे इस विवेचक साक्षी का कथन है कि, उसके द्वारा विवेचना के दौरान् आरोपी संदीप जैन के मेमोरेण्डम के आधार पर कि उसने जिस कट्टे से सूरजी देवी एवं रावल मल जैन की हत्या किया है, उसे आरोपी भगत सिंह गुरूदत्ता से खरीदना

बताने पर, आरोपी भगत सिंह गुरूदत्ता को हिरासत में लिया गया। दिनांक 03.01.2018 को 09.15 बजे **आरोपी भगत सिंह गुरूदत्ता** से पूछताछ करने पर उसने बताया कि – **"संदीप जैन निवासी गंजपारा दुर्ग जो उसका बचपन का दोस्त था जो पांच छः माह पूर्व उसके पास आया था और उससे एक लाख पैंतीस हजार रूपये में एक पिस्टल सिल्वर 7.65 कैलीबर का एवं 38 रांउड भी दिया था"।** आरोपी भगत सिंह गुरूदत्ता का मेमोरेण्डम प्रदर्श पी–56 होना बताया है। इसी दिनांक 03.01.2018 के 10.35 बजे उसके द्वारा आरोपी शैलेन्द्र सागर का मेमोरेण्डम प्रपी. 57 लिया गया था जिसमें **आरोपी शैलेन्द्र सागर** ने बताया था कि **"उससे भगत सिंह ने एक पिस्टल संदीप जैन को देने के लिए मांगी थी जो कि, वह सागर तरफ काम करने गया था तो दो तीन साल पहले एक व्यक्ति से 38 कारतूस और 01 पिस्टल उस समय 40–50 हजार रूपये में खरीदी थी, जिससे खरीदा था उससे खास पहचान नही थी आज के दिन वह कहॉ रहता है, नहीं जानता जिस पिस्टल से संदीप जैन ने हत्या की है, वह वही पिस्टल है, बताया था"।** उसके द्वारा दिनांक 03.01.2018 को गवाहों के समक्ष आरोपी भगत सिंह गुरूदत्ता के द्वारा पिस्टल पहचान पंचनामा प्रपी. 58 तैयार किया गया था, जिसने जप्तशुदा पिस्टल को ही बेचना बताया था।

166— मेमोरेंडम और जप्ती कार्यवाही के स्वतंत्र साक्षी **अ.सा. 13 शेख कलीम** ने अपने न्यायालयीन साक्ष्य में बताया है कि, **पूछताछ करने पर आरोपी संदीप जैन ने बताया कि, उसने रावलमल जैन को मारा है और बंदूक तथा गोली को बालकनी की जाली से नीचे फेंक दिया है, फिर रायपुर से आये हुए साहब लोग घटनास्थल देखे और चेक किये और कार्यवाही किये, दुर्ग के साहब लोग लिखा पढी किये। वह घटनास्थल पर सुबह 10 बजे से 03.30—4.00 बजे शाम तक था, प्रदर्श पी—48 नक्शा पंचनामा एवं प्रदर्श पी—49 के नोटिस के अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है।**

167— **अ.सा. 13 शेख कलीम** ने अपने न्यायालयीन साक्ष्य में आगे बताया है कि, पुलिस ने उसके सामने सूरजी देवी के कमरे से तीन गोली, जप्ती पत्र प्रदर्श पी. 50 के अनुसार जप्त किया था, पुलिस ने उसके सामने जहॉ रावलमल की लाश पडी थी, वहॉ से दो गोली जप्ती पत्रक प्रदर्श पी. 51 के अनुसार जप्त किया था। **आरोपी संदीप जैन ने उसके सामने पुलिस वालों को बताया था कि, उसका अपने पिता से संपत्ति को लेकर विवाद होता रहता था आरोपी संदीप जैन ने यह भी बताया था कि, उसके आने जाने वाले दोस्तों को लेकर भी विवाद होते रहता था, इसी कारण आरोपी संदीप जैन के पिता ने उसे अपनी संपत्ति से बेदखल करने के लिए कहते थे, फिर उसने अपने पिताजी को मारने का प्लान बनाया, उसके बाद**

अपनी पत्नी को कहीं भेज दिया, नौकरों को भी छुट्टी में भेज दिया और दो चार आठ दिन बाद अपने पिता को मार दिया। उक्त मेमोरेण्डम प्रदर्श पी–52 है, रायपुर के अधिकारियों के जाने के बाद लगभग 3 से 4 बजे के बीच उसके सामने पुलिस वालों ने, संदीप ने अपनी बालकनी की जाली से जो बंदूक और गोली का खोखा, जिसमें शायद 6 गोली थी और बंदूक खाली थी, उसे घर के पीछे खडे टाटा मालवाहक के गाडी के केबिन जहॉ रिवाल्वर पडा था, उसे प्रदर्श पी. 53 के अनुसार जप्त किया था, उसे वे लोग उठाकर लाये थे।

168– **अ.सा. 13 शेख कलीम** ने अपने न्यायालयीन साक्ष्य में आगे बताया है कि, पुलिस ने उसके सामने आरोपी संदीप जैन के कमरे से एक शर्ट, एक सफेद रंग का दस्ताना, जिसे डॉक्टर लोग हाथ में पहने हुए रहते है, उस टाईप का प्रदर्श पी. 54 के अनुसार जप्त किया था। **आरोपी संदीप ने पुलिस को बताया था कि, रावलमल जैन पुरानी रूढी विचारधारा के व्यक्ति थे, वह स्वतंत्र खुले विचारों का व्यक्ति है। आरोपी संदीप ने बताया था कि, उपरोक्त बात को लेकर उसके एवं उसके पिता में हर काम में टकराव होता था तथा वे उसे अक्सर टोका करते थे जैसे पूजा के लिए शिवनाथ नदी से प्रतिदिन नौकर से पानी मंगवाते थे तथा घर के नल के पानी को ही उपयोग करने को कहने पर उसे डांट–डपट करते थे, जिसके**

कारण उसने व्यथित होकर अपने पिता को मारने की योजना बनाई। उसने इस कारण पहले से ही एक देशी पिस्टल और कारतूस अग्रसेन चौक, दुर्ग निवासी भगत सिंह गुरूदत्ता से एक लाख पैतीस हजार रूपये में खरीद रखा था।

169— **अ.सा. 13 शेख कलीम** ने अपने न्यायालयीन साक्ष्य में आगे बताया है कि, **आरोपी ने योजना को अंजाम देने के लिए दिनांक 27.12.2017 को उसकी पत्नी और उसके बच्चे को मायके दल्लीराजहरा भेज दिया और नौकर रोहित देशमुख जो रात्रि में घर में रोज सोता था उसे रात्रि में घर आने से मना कर दिया था, उसने योजना अनुसार घटना दिनांक की प्रातः 05.45 बजे वह उपर से नीचे आकर मां के कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया उस समय उसके पिता कॉरीडोर से बाथरूम तरफ से वापस आ रहे थे और कॉरीडोर का दरवाजा बंद कर रहे थे उनकी पीठ उसकी तरफ थी तभी उसने अपने पिता को पीछे से पीठ में गोली मार दिया। गोली की आवाज सुनकर उसकी मां के चिल्लाने पर वह अपने उपर कमरे में भाग गया फिर उसके मोबाईल पर उसकी मां का फोन आने लगा लेकिन उसनें नहीं उठाया, उसके बाद नीचे उसकी मां के कमरे के पास पुनः वापस आया तो वह सौरभ को फोन करके बुला रही थी तब उसनें मां के कमरे के दरवाजे को खोला और उसके राज खुल जाने के डर से उन्हे भी गोली मारकर हत्या कर दिया। उसके बाद**

उसनें बाहर जाने वाले कॉरीडोर का दरवाजा और फिर बैठक दरवाजा खोल दिया तथा सबसे बाहर मेनगेट का ताला खोलकर चाबी उसी में छोड दिया ताकि लगे कि, कोई बाहर का आदमी आकर हत्या कर चला गया है। गोली मारते समय काले रंग के दास्ताने पहन रखे थे जो उसने उसके कमरे में बिस्तर में सिरहाने के नीचे रखे है।

170— **अ.सा. 13 शेख कलीम** ने अपने न्यायालयीन साक्ष्य में आगे बताया है कि, संदीप ने बताया था कि, घटना के समय पहना गया चेक आसमानी कलर का हाफ कुर्ता जिसमें खून के दाग लगे हैं, को बिस्तर के नीचे छिपाकर रखा है, जिस पिस्टल से उसने अपने माता पिता की हत्या की है उसे घर के पीछे उपर बालकनी से नीचे फेंक दिया जो वहीं पर खडी टाटा एस गाडी में गिरा, साथ में एक लोडेड मैग्जीन और दो झिल्ली में जिंदा कारतूस को भी नीचे गली में फेंक दिया जाना बताया। आरोपी संदीप ने बताया कि, मेनगेट का ताला चाबी गेट में ही खुले रखे हैं तथा फेंके गए स्थान और सामान को दिखाया। आरोपी के उक्त बयान देने के बाद मेमोरेण्डम प्रदर्श पी—52 के अ से अ भाग पर हस्ताक्षर किया था। उसी दिन 03.30 बजे दोपहर में घर के पीछे जाकर एक नग 7.65 केलीवर का देशी पिस्टल और खाली मैग्जीन को टाटा एस के केबिन के उपर से जप्त किया था। आगे इस साक्षी ने कथन किया

है कि, एक मैग्जीन लोडेड थी, जिसमें 6 गोली थी, उसे भी टाटा एस के डाले से जप्त किया गया था, कारतूस जो झिल्ली में रखे थे, उसे भी जप्त किया था, इस संबंध में जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–53 है।

171– न्याय दृष्टान्त **अनुज कुमार गुप्ता उर्फ सेठी गुप्ता बनाम बिहार राज्य, ए.आई.आर. 2013 सुप्रीम कोर्ट 3013** में धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के तहत जहां मृतक का शव रखा गया है, इस तथ्य को मेमोरेण्डम बयान में प्रकट किया गया, यह तथ्य साक्ष्य में ग्राह्य होना पाया है।

172– न्याय दृष्टान्त **धरम देव यादव बनाम उत्तरप्रदेश राज्य, 2014 किमिनल लॉ जर्नल, 2371** में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय व्दारा साक्ष्य अधिनियम की धारा 45–डी एन ए टेस्ट के साक्ष्यिक मूल्य की विवेचन की गई है। मृतक का कंकाल अभियुक्त के घर से बरामद हुआ। डॉक्टर व्दारा नरकंकाल का परीक्षण करने पर और बॉयोलाजिकल सेम्पल से रक्त नमूने का मिलान करने पर अभियुक्त के घर से बरामद शव मृतक का पाया गया था। ऐसी स्थिति में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण साक्ष्य मानते हुए और तथ्यों का प्रकटीकरण अभियुक्त के माध्यम से होने के आधार पर धारा 27 साक्ष्य अधिनियम को आधार मानते हुए दोषसिध्दि की है।

173— **भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27** का साक्ष्य में क्या महत्व है एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत की गई स्वीकृति का कौन—कौन सा अंश तथ्य के रूप में ग्राह्य होता है। इस संबंध में इस प्रकरण के तथ्यों से अनुरूप तथ्य और परिस्थितियों वाले न्यायदृष्टांत का अवलम्ब लेते हुए आरोपी संदीप जैन के अधिवक्ता व्दारा मेमोरेंडम के संबंध में किये किये गये तर्कों का समाधान किया जा रहा है।

174— भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के संबंध में न्यायदृष्टांत **मोहम्मद इनायतुल्ला वि. महाराष्ट्र राज्य (1976)1 एस.सी.सी.828** में भी मागदर्शक सिद्धांत प्रतिपादित किये गये हैं, जो इस प्रकार है :—

> **"11. Although the interpretation and scope of Section 27 has been the subject of several authoritative pronouncements, its application to concrete cases is not always free from difficulty. It will therefore be worthwhile at the outset, to have a short and swift glance at the section and be reminded of its requirements. The section says:**
>
> **'27. How much of information received from accused may be proved.—Provided that, when any fact is deposed to as discovered in consequence of information received**

from a person accused of any offence, in the custody of a police officer, so much of such information, whether it amounts to a confession or not, as relates distinctly to the fact thereby discovered, may be proved.'

12. The expression 'provided that' together with the phrase 'whether it amounts to a confession or not' show that the section is in the nature of an exception to the preceding provisions particularly Sections 25 and 26. It is not necessary in this case to consider if this section qualifies, to (2015) 1 SCC 253 AIR 1947 PC 67 (1976) 1 SCC 828 ; (1976) 1 SCR 715 any extent, Section 24, also. It will be seen that the first condition necessary for bringing this section into operation is the discovery of a fact, albeit a relevant fact, in consequence of the information received from a person accused of an offence. The second is that the discovery of such fact must be deposed to. The third is that at the time of the receipt of the information the accused must be in police custody. The last but the most important condition is that only 'so much of the information' as relates distinctly to the fact thereby discovered is admissible. The rest of the information has to be excluded. The word 'distinctly' means 'directly', 'indubitably', 'strictly',

'unmistakably'. The word has been advisedly used to limit and define the scope of the provable information. The phrase 'distinctly relates to the fact thereby discovered' is the linchpin of the provision. This phrase refers to that part of the information supplied by the accused which is the direct and immediate cause of the discovery. The reason behind this partial lifting of the ban against confessions and statements made to the police, is that if a fact is actually discovered in consequence of information given by the accused, it affords some guarantee of truth of that part, and that part only, of the information which was the clear, immediate and proximate cause of the discovery. No such guarantee or assurance attaches to the rest of the statement which may be indirectly or remotely related to the fact discovered.

13. At one time it was held that the expression 'fact discovered' in the section is restricted to a physical or material fact which can be perceived by the senses, and that it does not include a mental fact (see Sukhan v. Emperor25;

Ganu Chandra Kashid v. Emperor26). Now it is fairly settled that the expression 'fact discovered' includes not only the physical object produced, but also

the place from which it is produced and the knowledge of the accused as to this (see Pulukuri Kotayya v. King Emperor27; Udai Bhan v. State of U.P.28)." (emphasis in original)

175– भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के संबंध में न्यायदृष्टांत **महाराष्ट्र राज्य वि. दामू (2000) 6 एस.सी.सी. 269** में लगभग दो वर्ष पहले हुई हत्या के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने पैरा 26 से 29 में निम्नानुसार अवलोकित किया है :–

"26. .... It is now well settled that recovery of an object is not discovery of a fact as envisaged in <u>[Section 27 of the Evidence Act,1872].</u> The decision of the Privy Council in Pulukuri Kotayya v. King Emperor32 is the most quoted authority for supporting the interpretation that the 'fact discovered' envisaged in the section embraces the place from which the object was produced, the knowledge of the accused as to it, but the information given must relate distinctly to that effect."

The similar principle has been laid down in <u>State of Maharashtra v. Suresh, State of Punjab v. Gurnam Kaur, Aftab Ahmad Anasari v. State of Uttaranchal, Bhagwan Dass v. State (NCT of Delhi), Manu Sharma v. State (NCT of Delhi) and Rumi Bora Dutta v. State of Assam</u>.

27. In the case at hand, as is perceptible, the recovery had taken place

when the appellant was accused of an offence, he was in custody of a police officer, the recovery had taken place in consequence of information furnished by him and the panch witnesses have supported the seizure and nothing has been brought on record to discredit their testimony.

28. Additionally, another aspect can also be taken note of. The fact that the appellant had led the police officer to find out the spot where the crime was committed, and the tap where he washed the clothes eloquently speak of his conduct as the same is admissible in evidence to establish his conduct. In this context we may refer with profit to the authority in Prakash (2000) 6 SCC 269 Supra @ (2000) 1 SCC 471, (2009) 11 SCC 225, (2010) 2 SCC 583, (2011) 6 SCC 396, (2010) 6 SCC 1,(2013) 7 SCC 417 Chand v. State (Delhi Admn.) wherein the Court after referring to the decision in H.P. Admn. v. Om Prakash held thus: (Prakash Chand case, SCC p.95, para 8) "8. ... There is a clear distinction between the conduct of a person against whom an offence is alleged, which is admissible under Section 8 of the Evidence Act, if such conduct is influenced by any fact in issue or relevant fact and the statement made to a police officer in the course of an

investigation which is hit by Section 162 of the Criminal Procedure Code. What is excluded by Section 162 of the Criminal Procedure Code is the statement made to a police officer in the course of investigation and not the evidence relating to the conduct of an accused person (not amounting to a statement) when confronted or questioned by a police officer during the course of an investigation. For example, the evidence of the circumstance, simpliciter, that an accused person led a police officer and pointed out the place where stolen articles or weapons which might have been used in the commission of the offence were found hidden, would be admissible as conduct, under Section 8 of the Evidence Act, irrespective of whether any statement by the accused contemporaneously with or antecedent to such conduct falls within the purview of Section 27 of the Evidence Act."

29. In A.N. Venkatesh v. State of Karnataka41 it has been ruled that: (SCC p.721, para9) "9. By virtue of Section 8 of the Evidence Act, the conduct of the accused person is relevant, if such conduct influences or is influenced by any fact in issue or relevant fact. The evidence of the circumstance, simpliciter, that the accused pointed out to the police officer, the place where the dead body of

the kidnapped boy was found and on their pointing out the body was exhumed, would be admissible as conduct under Section 8 irrespective of the fact whether the statement made by the accused contemporaneously with or antecedent to such conduct falls within the purview of Section 27 or not as held by this Court in Prakash Chand v. State (Delhi Admn.). Even if we hold that the disclosure statement made by the appellantsaccused (Exts. P15 and P16) is not admissible under Section 27 of the Evidence Act, still it is relevant under Section 8. The evidence of the investigating officer and PWs 1, 2, 7 and PW 4 the spot mahazar witness that the accused had taken them to the spot and pointed out the place where the dead body was buried, is an admissible piece of evidence under Section 8 as (1979) 3 SCC 90, (1972) 1 SCC 249, (2005) 7 SCC 714 the conduct of the accused. Presence of A1 and A2 at a place where ransom demand was to be fulfilled and their action of fleeing on spotting the police party is a relevant circumstance and are admissible under Section 8 of the Evidence Act."

176– जहां तक साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 से संबंधित विधि का प्रश्न है तो इस संबंध में माननीय उच्चतम

न्यायालय का न्यायदृष्टांत **किमिनल अपील कं. 1617/2011 "असर मोहम्मद वि. उत्तर प्रदेश राज्य, निर्णय दिनांक 24 अक्टूबर 2018 का पैरा–13** अवलोकनीय है, जो इस प्रकार है :–

> **13. It is a settled legal position that the facts need not be self probatory and the word "fact" as contemplated in Section 27 of the Evidence Act is not limited to "actual physical material object". The discovery of fact arises by reason of the fact that the information given by the accused exhibited the knowledge or the mental awareness of the informant as to its existence at a particular place. It includes a discovery of an object, the place from which it is produced and the knowledge of the accused as to its existence.**

177– इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय का न्यायदृष्टांत **अमित सिंह भीष्म सिंह ठाकुर वि0 महाराष्ट्र राज्य 2007 ए.आई.आर. एस. सी. 676 अवलोकनीय** है, जिसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 की विभिन्न आवश्यकताओं को निम्नानुसार सारांशित किया गया है :–

(1) The fact of which evidence is sought to be given must be relevant to the issue. It must be borne in mind that the provision has nothing to do with question of relevancy. The relevancy of the fact discovered must be

established according to the prescriptions relating to relevancy of other evidence connecting it with the crime in order to make the fact discovered admissible.

(2) The fact must have been discovered.

(3) The discovery must have been in consequence of some information received from the accused and not by accused's own act.

(4) The persons giving the information must be accused of any offence.

(5) He must be in the custody of a police officer.

(6) The discovery of a fact in consequence of information received from an accused in custody must be deposed to.

(7) Thereupon only that portion of the information which relates distinctly or strictly to the fact discovered can be proved. The rest is inadmissible.

178– इसी प्रकार भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 में उल्लेखित ''**Information"** का क्या तात्पर्य है, इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय का न्यायदृष्टांत ''**उदयभान वि0 उत्तरप्रदेश राज्य**'', **ए.आई.आर. 1962 (एस सी) 1116** में निम्नानुसार अवलोकित किया है :–

This Court, in **Lachman Singh v. The State** (3) held that if a person in the custody of the police

takes the police to a particular spot and at his instance some blood-stained earth is recovered and he also points out the trunk of one of the dead bodies the case is covered by the language of s. 27 and the evidence of discoveries is admissible. In a later case Ramkishan Mithanlal Sharma v. The State of Bombay (4), it was observed that according to the section if a fact is actually discovered in consequence of information given some guarantee is afforded thereby that the information was true and it can safely be allowed to be given in evidence. Kottaya's case (5) was approved. Bhagwati, J., observed:

> "On a bare reading of the terms of section it appears that what is allowed to be proved is the information of such part thereof as relates distinctly to the fact thereby discovered."

179– भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 में उल्लेखित **"अभिरक्षा"** का क्या तात्पर्य है, इस संबंध में **"धरमदेव यादव बनाम स्टेट ऑफ यू.पी." 2014 कि. लॉ जर्नल पेज क. 2371** का पैरा 20 अवलोकनीय है, जो इस प्रकार है :–

The expression "custody" which appears in Section 27 did not mean formal custody, which

includes any kind of surveillance, restriction or restraint by the police. Even if the accused was not formally arrested at the time when the accused gave the information, the accused was, for all practical purposes, in the custody of the police. This Court in State of Andhra Pradesh v. Gangula Satya Murthy (1997) 1 SCC 272 held that if the accused is within the ken of surveillance of the police during which his movements are restricted, then it can be regarded as custodial surveillance. Consequently, so much of information given by the accused in "custody", in consequence of which a fact is discovered, is admissible in evidence, whether such information amounts to a confession or not. Reference may also be made to the Judgment of this Court in A.N. Venkatesh v. State of Karnataka (2005) 7 SCC 714. In Sandeep v. State of

Uttar Pradesh (2012) 6 SCC 107, this Court held that it is quite common that based on admissible portion of the statement of the accused, whenever and wherever recoveries are made, the same are admissible in evidence and it is for the accused in those situations to explain to the satisfaction of the Court as to nature of recoveries and as to how they came into the possession or for planting the same at the place from where they were recovered. Reference can also be made to the Judgment of this Court in State of Maharashtra v. Suresh (2000) 1 SCC 471, in support of the principle. Assuming that the recovery of skeleton was not in terms of Section 27 of the Evidence Act, on the premise that the accused was not in the custody of the police by the time he made the statement, the statement so made by him would

be admissible as "conduct" under Section 8 of the Evidence Act. In the instant case, there is absolutely no explanation by the accused as to how the skeleton of Diana was concealed in his house, especially when the statement made by him to PW14 is admissible in evidence.

180— भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के संबंध में न्यायदृष्टांत **वसंता संपत दुपारे वि. महाराष्ट्र राज्य (2015)1 एस. सी.सी.253** की कंडिका 23 से 29 में मागदर्शक सिद्धांत प्रतिपादित किये गये हैं, जो इस प्रकार है :—

> **"23. While accepting or rejecting the factors of discovery, certain principles are to be kept in mind. The Privy Council in Pulukuri Kotayya v. King Emperor23 has held thus: (IA p. 77) "... it is fallacious to treat the 'fact discovered' within the section as equivalent to the object produced; the fact discovered embraces the place from which the object is produced and the knowledge of the accused as to this, and the information given must relate distinctly to this fact. Information as to past user, or the past history, of the object produced is not related**

to its discovery in the setting in which it is discovered. Information supplied by a person in custody that 'I will produce a knife concealed in the roof of my house' does not lead to the discovery of a knife; knives were discovered many years ago. It leads to the discovery of the fact that a knife is concealed in the house of the informant to his knowledge, and if the knife is proved to have been used in the commission of the offence, the fact discovered is very relevant. But if to the statement the words be added 'with which I stabbed A', these words are inadmissible since they do not relate to the discovery of the knife in the house of the informant."

181— इसी प्रकार भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के संबंध में न्यायदृष्टांत **आफताब अहमद अंसारी वि. उत्तरांचल राज्य (2010)2 एस.सी.सी.583** में आरोपी द्वारा कपड़ों को छुपाया गया था, तब माननीय उच्चतम न्यायालय ने पैरा 25 में निम्नानुसार अवलोकित किया है :—

...... the part of the disclosure statement, namely, that the appellant was ready to show the place where he had concealed the clothes of the deceased is clearly admissible under Section 27 of the Evidence Act because the same relates distinctly to the discovery of

the clothes of the deceased from that very place. The contention that even if it is assumed for the sake of argument that the clothes of the deceased were recovered from the house of the sister of the appellant pursuant to the voluntary disclosure statement made by the appellant, the prosecution has failed to prove that the clothes so recovered belonged to the deceased and therefore, the recovery of the clothes should not be treated as an incriminating circumstance, is devoid of merits."

182— भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 में उल्लेखित **"अभिरक्षा"** के तात्पर्य को विवेचित करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्यायदृष्टांत ''**चंद्रप्रकाश वि0 स्टेट ऑफ राजस्थान**'' **2014 कि. लॉ जर्नल 2884 के पैरा 57** में निम्नानुसार अवलोकित किया है :—

As the material brought on record would show, the accused was in the custody of the investigating agency and the fact whether he was formally arrested or not will not vitiate the factum of leading to discovery. However, it may be stated that the accused was also arrested on that day. We have dealt with the issue that formal arrest is not necessary as Mr. Jain has seriously contended that the arrest was done after the recovery. As we have clarified the position

in law, the same would not make any difference.

183– भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 **''Confirmation of subsequent fact''** पर आधारित है। यदि **subsequent fact**, जिसका तात्पर्य है, किसी तथ्य की खोज होना, नहीं है, तो आरोपी ने जो सूचना दिया है, उसका साक्ष्यिक मूल्य ही समाप्त हो जाता है। **भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27** यह प्रावधान करती है कि, यदि आरोपी किसी पुलिस की अभिरक्षा में है ओर वह पुलिस को कुछ सूचना देता है और सूचना के परिणामस्वरूप कोई तथ्य बरामद होता है, तो उस सूचना का उतना भाग, जो तथ्य की बरामदगी से संबंधित है, प्रमाणित किया जा सकता है भले ही वह स्वीकृति की श्रेणी में हो या न हो।

184– इस धारा से यह स्पष्ट होता है कि, पुलिस के समक्ष किये गये मेमारेंडम के वे तथ्य जो पुलिस की जानकारी में नहीं है, सबसे पहले आरोपी के बताने पर पुलिस को उक्त तथ्य पता चले तब उक्त तथ्य का समर्थनकारी साक्ष्य प्राप्त होने पर वह साक्ष्य में ग्राह्य हो जायेगा। इस परिप्रेक्ष्य में इस मेमोरेंडम कथन से पुलिस को आरोपी संदीप जैन व्दारा पता चला कि, आरोपी संदीप जैन अपने वाहन चालक राजू सोनवानी के साथ अपनी पत्नि संतोष जैन और पुत्र संयम को दल्ली राजहरा पहुंचाकर आया जिसका समर्थन अ.सा.

05 राजू सोनवानी ने अपने कथन में किया है। इसी तरह अ.सा.7 रोहित देशमुख ने भी कथन किया है कि, दिनांक 31.12.2017 को रात्रि में सोने आने के लिये आरोपी संदीप जैन ने मना किया था, इस तथ्य का समर्थन भी रोहित देशमुख ने अपने न्यायालयीन साक्ष्य में किया है इसलिये मेमोरेंडम कथन का यह तथ्य साक्ष्य में ग्राह्य है कि, रावलमल एवं सूरजी बाई की हत्या के योजना के अनुक्रम में आरोपी संदीप जैन ने अपनी पत्नि और बच्चों को दल्ली राजहरा पहुंचा दिया था एवं रोहित देशमुख को रात में सोने आने के लिये मना कर दिया था।

185— अभियुक्त संदीप जैन के विव्दान अधिवक्ता ने इस तर्क पर विशेष बल दिया है कि, **शेख कलीम ब.सा.13 सभी मेमोरेण्डम बयान का साक्षी है और उसके व्दारा न्यायालय में दी गई साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है इसलिये ऐसी साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिये।** ऐसा कोई नियम नहीं है कि, एक व्यक्ति मेमोरेण्डम बयान और सभी जब्तियों का साक्षी नहीं हो सकता। मेमोरेण्डम के बयान, स्थान और समय के तथ्यों पर भी विचार किया गया और ऐसी कोई तात्विक विसंगति प्रकट नहीं होती, जिससे कि मेमोरेण्डम और जब्ती के तथ्य पर अविश्वास किया जावे। प्रकरण में उपरोक्त वर्णित न्याय दृष्टान्तों एवं विवेचित तथ्यों के आलोक में यह स्पष्ट है कि, मेमोरेंडम व्दारा भौतिक वस्तु की बरामदगी एवं किसी

नये तथ्य के खुलासा जो सिर्फ आरोपी के जानकारी में हो उसे मेमोरेंडम में बताने पर पुलिस उस तथ्य के समर्थन में साक्ष्य प्राप्त कर लेती है तो मेमोरेंडम का उक्त खुलासा साक्ष्य में ग्राह्य हो जाता है। आरोपी संदीप जैन ने अपने मेमोरेंडम में खुलासा किया है कि, भगत सिंह गुरूदत्ता से उसने देशी पिस्तौल खरीदा, जिसके आधार पर प्रकरण में भगत सिंह गुरूदत्ता को आरोपी बनाया गया।

186— प्रकरण में यदि आरोपी संदीप जैन के मेमोरेंडम प्रदर्श पी.52 के संबंध में विचार करें तो उसने बताया है कि, अपराध की योजना को अंजाम देने के लिये उसने अपनी पत्नि और बच्चों को दल्ली राजहरा भिजवा दिया तथा नौकर रोहित देशमुख जो रोज उसके घर सोने के लिये आता था, उसे घटना वाले दिन सोने आने के लिये मना कर दिया और उसके बाद योजनानुसार अपने माता—पिता की हत्या कर दिया। आरोपी संदीप व्दारा किये गये इस तथ्य का खुलासा विवेचक को पहली बार हुआ और इस तथ्य के खुलासे के समर्थन में अ.सा.05 राजू सोनवानी और अ.सा.07 रोहित देशमुख का कथन अंकित किया जिसमें राजू सोनवानी, आरोपी संदीप जैन के साथ संतोष जैन और संयम जैन को दल्ली राजहरा पहुंचाकर उसी दिन शाम तक आना अपने कथन में बताया है, जिसे बचाव पक्ष व्दारा प्रति परीक्षण में खंडित नहीं किया जा सका है और न ही चुनौती दिया गया है। इसी तरह अ.सा.07 रोहित देशमुख ने

भी अपने कथन में इस बात की पुष्टि की है कि, दिनांक 30.12.2017 को आरोपी संदीप ने उसे दिनांक 31.12.2017 की रात्रि में सोने आने से मना किया था, मेमोरेंडम में किया गया यह खुलासा आरोपी संदीप जैन के विरूद्ध साक्ष्य में ग्राह्य है क्योंकि यदि यह तथ्य आरोपी नहीं बताता तो विवेचक को इन तथ्यों का पता ही नहीं चलता, आरोपी व्दारा मेमोरेंडम कथन में खुलासा किये जाने के कारण ही विवेचक व्दारा साक्षीगण राजू सोनवानी एवं रोहित देशमुख का कथन लेखबद्ध किया गया जिनका अभियोजन व्दारा न्यायालय में साक्ष्य कराये जाने पर इन साक्षियों व्दारा उपरोक्त तथ्यों का पूर्णतः समर्थन किया गया है, इस तरह स्पष्ट है कि, आरोपी संदीप जैन ने अपने पिता रावलमल जैन और माता सूरजी बाई की हत्या की योजना के तहत् ही पत्नि संतोष जैन और पुत्र संयम जैन को दल्ली राजहरा पहुंचा कर आया एवं रोहित देशमुख को दिनांक 31.12.2017 को रात्रि में घ ार सोने आने के लिये मना किया था। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस को विश्वसनीय साक्षी माना है। मेमोरेंडम जप्ती के साक्षी जो कि, किसी अन्य प्रकरण में साक्षी रहा हो तो उसके साक्ष्य को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मान्य किया है। इस संबंध में **पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय** का न्याय दृष्टांत **Om pal Singh vs The State of U.T. Chandigarh Crl. Appeal**

No. 212-DB of 2005(O&M), Date of Decision: July 03, 2012 अवलोकनीय है।

187— इस प्रकरण में आई साक्ष्य के अनुसार हत्या के अपराध में उपयोग की गई पिस्तौल आर्टिकल बी.05 जिससे रावलमल जैन एवं सूरजी देवी की हत्या कारित की गई, वह घटना स्थल के मकान के पीछे संदीप के कमरे के नीचे खुले रास्ते से पुलिस ने जप्त किया है। **प्रदर्श पी.52 के मेमोरेंडम में आरोपी संदीप जैन ने यह खुलासा किया है कि, पिस्तौल और कारतूस को किस तरह पीछे फेंका जिसमें उसने बताया है कि, जिस पिस्तौल से उसने अपने माता—पिता की हत्या किया उसे घर के पीछे उपर बालकनी से नीचे फेंक दिया है जो वहीं पर खड़े टाटा एस. गाड़ी में गिरा, साथ में एक लोडेड मैगजीन और दो झिल्ली में जिंदा कारतूस को नीचे गली में फेंक दिया, इस तथ्य में से अपराध में प्रयुक्त पिस्तौल बी.05 जिस तरह पीछे गली में वाहन टाटा एस. गाड़ी में मिली उसका खुलासा हो जाता है जो आरोपी के विरूद्ध समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में ग्राह्य है।**

188— अब यदि प्रकरण में आई अन्य साक्ष्य पर विचार करें तो मृतक रावलमल जैन के शव के पास से चार खाली खोखा जिसमें पेंदे पर 7.65 के.एफ. लिखा है और घटना स्थल से मृतक रावलमल जैन के शव के पास फैले हुये खून के अंश को एक कॉटन

के टुकड़े में जप्ती किया गया है। एक कॉटन के टुकड़े में घटना स्थल की सादी मिट्टी भी जप्त की गई है एवं सूरजी देवी के कमरे जो कि रावलमल के शव के ठीक पास ही स्थित है उस कमरे में सूरजी देवी के शव जो बिस्तर में था, सूरजी देवी के सिर के पास से एक पिस्टल का बुलेट खून लगा एवं सूरजी देवी के बांये हाथ के कोहनी के पास से एक गोली का खाली खोखा एक कॉटन के टुकड़े में सूरजी देवी के सीने के पास से बिस्तर में गोली का खाली खोखा दोनों खाली खोखे के पेंदे में 7.65 के.एफ. लिखा है, एक कॉटन के टुकड़े में बिस्तर से खून के अंश एवं बिस्तर के पास से सादी मिट्टी का अंश एवं मेहरून कलर का चादर का टुकड़ा जिसमें खून के दाग लगे थे एवं बिना खून लगे चादर का टुकड़ा एवं सैमसंग कंपनी का मोबाईल जप्त किया गया, जिसका परीक्षण कर डॉ. चन्द्रा बैलस्टिक विशेषज्ञ ने बी.05 के पिस्तौल से फायर किया जाना बताया है, इसी तरह सूरजी देवी के शव के सिर के पास पाये गये बुलेट को भी बी. 05 के पिस्तौल से फायर किया जाना बताया गया है।

189– घटना स्थल गंजपारा स्थित रावलमल जैन के मकान में दिनांक 05.01.2018 को **अ.सा.01 पटवारी छगन लाल सिन्हा** ने घटना स्थल पर जाकर अ.सा.08 सौरभ गोलछा के बताये अनुसार नजरी नक्शा तैयार किया था और बताया था कि, घटना स्थल प्रदर्श पी.01 के स्थान पर रावलमल एवं बी. स्थान पर सूरजी

देवी दोनों मृत अवस्था में पड़े थे एवं दोनों के सिर से खून बह रहा था तथा प्रकरण के आरोपी संदीप जैन उक्त मकान के प्रथम तल पर निर्मित कमरे में सोया हुआ था। **इस साक्षी ने कथन की कंडिका 08 में बचाव पक्ष के सुझाव कि, मकान घनी बस्ती में है और घटना स्थल पर धमाका होने पर आसपास के लोगों को सुनाई देगा, के संबंध में सकारात्मक उत्तर दिया है। इससे यह प्रमाणित होता है कि, यदि घटना स्थल में गोली चलाई जाये तो आरोपी अपने कमरे में गोली की आवाज सुन सकता है, जो पूर्णतः आरोपी संदीप जैन की दोषिता की ओर संकेत करता है।**

190— अ.सा.02 प्रभात कुमार वर्मा पुलिस फोटोग्राफर ने कथन किया है कि, घटना स्थल का फोटो केनन 60 डी डिजिटल कैमरा से लिया गया है। इस साक्षी के बयान के समय एवं अ.सा.06 डॉ. टी.एल. चन्द्रा के बयान के समय बचाव पक्ष व्दारा फोटोग्राफ को आर्टिकल मार्क करने में आपत्ति किया गया है और आधार यह लिया गया है कि, डिजिटल कैमरा का न तो डी.बी. या चिप्स, मैमोरी कार्ड एवं 65—बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, इसकी ग्राह्यता के संबंध में निर्णय के दौरान विचार किया जाना उल्लेखित है इसलिये इस आपत्ति का निराकरण किया जा रहा है। **साक्षी ने अपने कथन की कंडिका 25 में बताया है कि, मैमोरी कार्ड इतना मंहगा होता है कि, उसे हर प्रकरण में जप्त नहीं**

किया जा सकता इससे यह प्रमाणित है कि, डिजिटल कैमरा मे मैमोरी कार्ड की जप्ती फोटोग्राफर नहीं कराते हैं और व्यावहारिक रूप से भी फोटोग्राफर अपने कैमरा, मैमोरी कार्ड को जप्ती कराता रहेगा तो हर प्रकरण के लिये उसे नया कैमरा खरीदना पड़ेगा, डिजिटल कैमरा काफी मंहगा होता है जिसकी जप्ती किया जाना संभव नहीं है तथा पुंलिस व्दारा साक्षी का कैमरा जप्त किया जाना उचित भी नहीं है। तदानुसार आपत्ति का निराकरण किया गया।

191— अ.सा. 6 डॉ. टी.एल. चंद्रा, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के अनुसार उसने घटना स्थल के निरीक्षण करने पर पाया कि, मृतक रावलमल जैन का निवास दुग्गड़ सदन का फोटोग्राफस, जिसे उसके द्वारा नंबर 01 से चिन्हित किया गया है, वह प्रदर्श पी 13 है, रेखाचित्र क्रमांक 1 में दर्शाये अनुसार ड्राइंग रूम में स्थित शयन कक्ष में पहुंचें कक्ष में दरवाजे के सामने कोने में स्थित बेड पर मृतिका सूरजीबाई का शव रक्त रंजित अवस्था मे पड़ा था, जो प्रदर्श पी 13 के फोटो क्रमांक 05 एवं 06 है, जिसके अ से अ भाग पर उसका हस्ताक्षर है एवं सील लगी हुई है। मृतिका के दाहिने भाग में सिर के पास लगभग दस सेंटीमीटर की दूरी में बुलेट रक्त रंजित अवस्था में पाया गया, जो फोटोग्राफ क्रमांक 07 है, मृतिका के बाईं तरफ बायें हाथ के पास से लगभग 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 7.65

एम.एम. केलीबर के. एफ.के. के दो फायर किए हुए कारतूस के खाली खोखे पाये गये, जो फोटोग्राफ क्रमांक 08 से 10 मे वर्णित है। मृतिका के शरीर का अवलोकन करने पर दाहिने हाथ की कोहनी के नीचे एक गोली का प्रवेश पाया गया, जिसका आकार 0.8 सेमी. गुणित 1.0 सेमी., बायें सीने के पार्श्व भाग में गोली का एक प्रवेश छेद पाया गया, जिसका आकार 0.8 गुणित 0.9 सेमी., जिसे क्रमशः फोटोग्राफ क्रमांक 8 से 12 अंकित किया गया है, जो प्रदर्श पी 14 है। उपरोक्त सभी प्रवेश छेद के किनारे के प्राथमिक परीक्षण पर नाइट्राइट का रासायनिक परीक्षण धनात्मक पाया गया। मृतिका के सिर के बायें भाग में कान के उपर एक प्रवेश छेद एवं इसके संगत निर्गम छेद दाये कान के पास पाये गये, इनका आकार क्रमशः 0.9 सेमी. गुणित 1.0 सेमी. एवं 1.2 सेमी गुणित 1.5 सेमी. पाया गया तथा पीठ के मध्य भाग मे एक गोली का प्रवेश छेद पाया गया जिसका आकार 0.9 सेमी गुणित 1.0 सेमी. पाये गये जिसे फोटोग्राफ क्रमांक 13 एवं 14 अंकित किया गया है। फोटोग्राफ क्रमांक 15 से 18 है, जिसे प्रदर्श पी 15 अंकित किया गया। कक्ष के दरवाजे के पास एक 7.65 एम.एम केलीबर के.एफ. का फायर किया हुआ खाली खोखा पाया गया। तत्पश्चात् कक्ष से सटे आगे कॉरीडोर में स्थित मृतक रावलमल जैन का शव फर्श पर पेट के बल रक्त रंजित अवस्था में

पड़े हुए अवस्था में पाया गया, जो फोटोग्राफ क्रमांक 19 से 24 है, जिसे प्रदर्श पी 16 अंकित किया गया।

192— अ.सा. 6 डॉ. टी.एल. चंद्रा, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के अनुसार मृतक के बायें पैर के पास एवं पैर से लगभग 30 सेमी. की दूरी पर तथा दायी ओर दरवाजे के पास क्रमशः तीन 7.65 एम.एम. केलीबर के.एफ. के खाली खोखे पाये गये। इसके पश्चात् घर के पीछे तरफ अवलोकन करने पर दीवार के पास खड़ी टाटा एस. गाड़ी नंबर सी.जी.04—जे.ए.—8984 के ड्रायवर केबिनेट के उपर मैग्जीन युक्त 7.65 एम.एम केलीबर का देशी पिस्तौल पाया गया, जिसका मैग्जीन पूर्णतः खाली था, जिसे उसके द्वारा कॉकिग करके विवेचना अधिकारी को दिया गया। गाड़ी के ट्राली के पीछे भाग में 7.65 केलीबर एम.एम के 6 जिंदा कारतूस युक्त एक मैग्जीन पाया गया, जो क्रमशः फोटोग्राफस क्रमांक 31 से 34 तक का फोटोग्राफ घर के अंदर का घटना स्थल का चित्रण है तथा फोटोग्राफ क्रमांक 35 एवं 36 घर के बाहर का चित्रण है, जिसे प्रदर्श पी 18 अंकित किया गया। देसी पिस्तौल एवं गाड़ी के उपर केबिनेट को ध्यान से अवलोकन किया गया, उक्त गाड़ी केबिनेट में उपस्थित डेंट तथा मैग्जीन के उपरी भाग आंशिक पिचकी हुई अवस्था मे पायी गयी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि, उक्त पिस्तौल एवं मैग्जीन को दुग्गड़ निवास के प्रथम तल की बालकनी से फेंका जाना प्रतीत

होता है तत्पश्चात् गाड़ी के आगे सड़क के मध्य दुग्गड़ निवास के पीछे के दीवार से लगभग 5.8 मीटर एवं 4.3 मीटर की दूरी पर कारतूस से भरे हुए दो पॉलीथीन के पैकेट पाये गये, जिसके अंदर क्रमशः 12 एवं 14 जिंदा कारतूस तथा 2 कारतूस के खाली खोखे पाये गये, जो कि फोटोग्राफ क्रमांक 37 से 42 तक अंकित है, जो प्रदर्श पी 19 है। उसके मत में उपरोक्त से स्पष्ट है कि, मृतक रावलमल जैन के उपर पीछे से टैटुइंग रेंज से फायर किया जाना प्रतीत होता है, तत्पश्चात् मृतिका के उपर कमरे के दरवाजे के पास एक राउण्ड तथा कमरे के अंदर से फायर किया गया जो कि टैटुइंग रेंज से फायर किया जाना संभावित है।

193— अ.सा. 6 डॉ. टी.एल. चंद्रा, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के अनुसार सभी प्रदर्शों के परीक्षण उपरांत उसका अभिमत परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी. 23 के अनुसार इस प्रकार है कि, प्रदर्श 'ए' एक 7.65 एम.एम. कैलिबर देशी पिस्तौल है, जो कि चालू हालत में है, जिससे पूर्व में फायर किया गया हैं, प्रदर्श 'एल आर 1' से लगातार 'एल आर 32' 7.65 गुणित 17 एम.एम. केलिबर के जिंदा कारतूस है, जो कि इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से निर्मित है जिसमें से 'एल आर 1', 'एल आर 12', 'एल आर 17', 'एल आर 24', 'एल आर 27' को प्रदर्श 'ए' के 7.65 एम.एम कैलिबर के देशी पिस्तौल से प्रयोगशाला में सफलतापूर्वक टेस्ट फायर किया गया है। उसके

अभिमत अनुसार प्रदर्श ई 7.65 एम.एम कैलिबर के मैग्जीन चालू हालत में थे। प्रदर्श ई सी 1 से लगातार प्रदर्श 'ई सी–6' 7.65 गुणित 17 एम.एम. कैलिबर के फायर किए हुए खाली खोखे हैं, जो इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से निर्मित है जिसमें प्रदर्श ई सी–1 से लगातार ई सी–5 एवं '(टी सी एस ए) टेस्ट फॉयर कारतूस के खोखे पर उपस्थित फायरिंग पिन इंप्रेशन एवं ब्रीच फेस मार्क की विशिष्ट विशेषताओं को प्रयोगशाला में कम्परीजन माईक्रोस्कोप की सहायता से तुलनात्मक परीक्षण किया गया, जो कि एक समान प्रकार के पाए गए हैं, अतः प्रदर्श ई–सी–1 से लगातार ई–सी–5 प्रदर्श ए के 7.65 एम.एम. देशी पिस्तौल से फायर किया गया है। उसके अभिमत अनुसार प्रदर्श ई–बी–1 से ई–बी–3 7.65 एम.एम. कैलिबर के फायर किए हुए बुलेट है जिसमें लैन एंड ग्रुप्स 6+6 राईट हैंड ट्वीस्ट निर्मित है, इनमें से प्रदर्श ई–बी–1, ई–बी–2 एवं ई–बी–3 तथा प्रदर्श ए के 7.65 एम.एम. कैलिबर के देशी पिस्तौल से फायर किए हुए टेस्ट फायर बुलेट (टी.बी.एस–ए) पर उपस्थित रायफलिंग मार्क के विशिष्ट विशेषताओं को प्रयोगशाला में कम्परीजन माईक्रोस्कोप की सहायता से तुलनात्मक परीक्षण किया गया, जो कि एक समान प्रकार के पाए गए, अतः प्रदर्श ई–बी–1, प्रदर्श ई–बी–2 एवं प्रदर्श ई–बी–3, प्रदर्श–ए के 7.65 एम.एम. देशी पिस्तौल से फायर किया गया है। उसके अभिमत अनुसार

प्रदर्श एच–आर एवं एच–एन दस्ताना है, प्रदर्श एच–आर में गन शॉट रेसीड्यूस उपस्थित है।

194– इस प्रकार उपरोक्त वर्णित साक्ष्य से यह निष्कर्ष निकलता है कि, पिस्तौल आर्टिकल बी.05 से मृतिका सूरजी बाई की हत्या कारित की गई जो कि उसके पोस्टमार्टम के दौरान निकाले गये बुलेट आर्टिकल बी–42 एवं बी–43 को बैलेस्टिक एक्सपर्ट अ.सा. 6 डॉ. टी.एल. चंद्रा, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी व्दारा परीक्षण करने पर बी–05 से बी–42 एवं बी–43 का बुलेट को फायर किया जाना प्रमाणित किया है, इसी प्रकार आर्टिकल बी–05 से बी–43 से बी–44 के बुलेट को फायर किया गया जिससे रावलमल की हत्या कारित की गई। यह बी–44 का बुलेट रावलमल के पोस्टमार्टम के दौरान डॉ. बी.एन. देवांगन व्दारा निकाला गया है। इस तथ्य का समर्थन की आर्टिकल बी–42, 43 एवं 44 मृतिका सूरजी बाई एवं मृतक रावलमल के शरीर से निकाला गया है जिसका समर्थन आरोपी संदीप जैन के अधिवक्ता व्दारा इस साक्षी को कंडिका 54 में सुझाव दिये जाने पर कि, प्रदर्श पी.22 के मेमो के अनुसार आर्टिकल बी–42, 43 एवं 44 जिसे उसने ई–बी.1, ई–बी.2 एवं ई.बी–3 चिन्हित किया है, उक्त बुलेट मृतिका सूरजी देवी एवं मृतक रावलमल जैन के शरीर से निकाली गई बुलेट है। इस साक्षी ने घ टना के समय आरोपी संदीप जैन व्दारा हाथ में पहने गये काले रंग

के दस्ताना, इस न्यायालय के आर्टिकल बी–45 अंकित किया गया है उसमें गन शॉट रेसीडयूस पाई गई है जो बुलेट को फायर करने पर हाथ में हाथ में पहने हुये दस्ताने पर पाया जाता है।

195– अब यदि प्रकरण में सी.डी.आर. एवं टॉवर लोकेशन के संबंध में उपलब्ध साक्ष्य पर विचार करें तो प्रकरण के **विवेचक अ.सा.15 भावेश साव** ने कथन किया है कि, पुलिस अधीक्षक दुर्ग कार्यालय द्वारा प्रदर्श पी–78, प्रदर्श पी–79 एवं प्रदर्श पी–80 का पत्र नोडल आफिसर जियो, आईडिया एवं रिलायंस को लिखा था, जिसके परिपालन में नोडल आफिसरों द्वारा सीडीआर और 65 बी का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था। प्रकरण में परीक्षित साक्षी अ.सा.10 हुसैन एम. जैदी, नोडल ऑफिसर व्दारा इस आशय की साक्ष्य दी है कि, आरोपी संदीप जैन का नंबर आईडिया कंपनी का है, जिसका सिम नंबर 76975–62121 है जिसका सी.डी.आर. प्रदर्श पी.36 है, जिसमें कंपनी की सील एवं तत्कालीन नोडल अधिकारी के हस्ताक्षर है एवं धारा 65–बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र जारी किया गया है जो प्रदर्श पी.37 है। प्रकरण में इस आशय की साक्ष्य उपलब्ध है कि, दिनांक 31 दिसम्बर, 2017 को रात्रि 23:43:38 बजे आरोपी संदीप जैन के मोबाईल सिम नंबर 76975–62121 का टॉवर आई.डी. 40078–43101–432121 में उपस्थित था, जो कि गंजपारा दुर्ग क्षेत्र का है और दिनांक 01.01.2018 को प्रातः 06:43:40 बजे भी

उक्त नंबर इसी टॉवर लोकेशन में था। **इस साक्षी के सम्पूर्ण प्रति परीक्षण का अवलोकन किये जाने से यह दर्शित हो रहा है कि, इस साक्षी व्दारा मुख्य परीक्षण में दी गई साक्ष्य प्रति परीक्षण में भी अखंडित रही है। इस साक्षी व्दारा प्रति परीक्षण की कंडिका 08 में आरोपी संदीप जैन की ओर से पूछे जाने पर यह स्वीकार किया गया है कि, कंपनी व्दारा लगाये गये गंजपारा स्थित टॉवर के रेडियस लोकेशन में मोबाईल नंबर 76975–62121 उपस्थित था।**

196– इस प्रकार प्रकरण में उपलब्ध उपरोक्त साक्ष्य से यह प्रमाणित हो जाता है कि, **आरोपी संदीप जैन का मोबाईल नंबर 76975–62121 गंजपारा टॉवर लोकेशन में दिनांक 31.12.2017 को रात्रि 23:43:38 बजे से दिनांक 01.01.2018 को प्रातः 06:43:40 बजे तक घटना स्थल गंजपारा स्थित रावलमल जैन के मकान में था।** प्रकरण में यह भी अविवादित है कि, घटना दिनांक को आरोपी संदीप जैन का मोबाईल उसके पास ही था क्योंकि इस बिन्दु के संबंध में बचाव पक्ष ने न तो इस साक्ष्य को खंडित किया है न ही इस संबंध में बचाव पक्ष की ओर से कोई प्रतिकूल साक्ष्य पेश किया गया है। प्रकरण में यह भी अविवादित है कि, दिनांक 01.01.2018 को सुबह 05:54:50 बजे इनकमिंग कॉल मोबाईल नंबर 94064–19291 जो कि मृतिका सूरजी बाई का है इससे अ.सा.08 सौरभ गोलछा के मोबाईल नंबर 70002–91510 में फोन आया है।

अ.सा.08 सौरभ गोलछा के मोबाईल नंबर 70002–91510 का टॉवर लोकेशन दिनांक 01.01.2018 को 05:54:50 बजे बसंत कटारिया, पता तुषार निगम ऋषभ हैरिटेज है एवं सौरभ गोलछा के इस मोबाईल का टॉवर लोकेशन 06:02:36 बजे के बाद गंजपारा का है।

197– इस संबंध में प्रकरण में परीक्षित साक्षी **अ.सा. 12 संजीव नेमा, नोडल आफिसर रिलायंस जियो** का कथन अवलोकनीय है, इस साक्षी के अनुसार उसें मोबाईल नंबर 70002–91510 का ग्राहक आवेदन पत्र एवं 01.01.2018 के दिन का सी.डी.आर. उपलब्ध कराने हेतु मांग किया गया था, जिसके तारतम्य में उसके द्वारा प्रदर्श पी–41 का पत्र जो पुलिस अधीक्षक दुर्ग को संबोधित है, दिया गया है जिसमें उपरोक्त मोबाईल नंबर का सीडीआर एवं ग्राहक आवेदन पत्र एवं धारा 65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र के साथ प्रेषित किया गया था। सी.डी.आर. मोबाईल नंबर 7000291510 प्रपी–46 है, जो कि दिनांक 01.01.18 के दिन का है। प्रदर्श पी–47 मोबाईल नंबर 7000291510, दिनांक–01. 01.2018 के दिन का टावर लोकेशन है। दिनांक–01.01.2018 के सुबह 05:54:50 पर इनकमिंग काल है, जो मोबाईल नंबर 94064–19291 से आया है, जिसका टावर लोकेशन बसंत कटारिया पता तुषार निगम ऋषभ हैरिटेज है एवं इसी दिनांक का दूसरा कॉल एक आउट गोंईग कॉल है जो मोबाईल नंबर 7000291510 से

मोबाईल नंबर 700049985 पर किया गया है जिसका टावर लोकेशन अनूप शर्मा गंजपारा, दुर्ग है। इस तरह प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य से यह प्रमाणित हो जाता है कि, मृतिका सूरजी देवी ने सौरभ गोलछा को 05:54:50 बजे मृतक रावलमल जैन के गिरने की आवाज सुनने पर सौरभ गोलछा को फोन किया जिस पर से अ.सा.08 सौरभ गोलछा 06:02:36 बजे घटना स्थल पहुंच गया जहां सूरजी देवी मृत अवस्था में मिली। उपरोक्त तथ्य को साक्षी सौरभ गोलछा के कथन की कंडिका 52 के माध्यम से समर्थित किया गया है एवं विवेचक अ.सा.15 भावेश साव निरीक्षक के प्रति परीक्षण की कंडिका 136 से भी होता है जिसमें बचाव पक्ष व्दारा पूछे जाने पर इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि, अभियोजन की कहानी के अनुसार सूरजी बाई की मृत्यु का समय साक्षी सौरभ को, सूरजी बाई व्दारा फोन करने के बाद एवं सौरभ के घटना स्थल पर पहुंचने के बीच की है। इस प्रकार स्पष्ट है कि, सूरजी बाई व्दारा सौरभ गोलछा को फोन करने के बाद सूरजी देवी की हत्या आरोपी संदीप जैन व्दारा की गई है। उक्त संबंध में आरोपी संदीप जैन के मेमोरेंडम प्रदर्श पी.52 में उसने स्वयं होकर यह खुलासा किया है कि, **उसकी मां, सौरभ को फोन करके बुला रही थी तब उसने मां के कमरे का दरवाजा खोला और राज खुल जाने के डर से उसे भी गोली मारकर हत्या कर दिया। मेमोरेंडम के इस तथ्य के खुलासे का समर्थन साक्षी सौरभ गोलछा**

के कथन एवं साक्षी सौरभ गोलछा के मोबाईल नंबर 70002—91510 जिसका सी.डी.आर. प्रदर्श पी.46 है, से होता है।

198— प्रकरण में उपरोक्त विवेचन से यह प्रमाणित है कि, दिनांक 31.12.2017 से 01.01.2018 की सुबह 06:02:36 में घटना स्थल पर आरोपी संदीप उसके मृतक पिता रावलमल एवं आरोपी संदीप की माता मृतिका सूरजी देवी घटना स्थल पर एक साथ निवासरत थे, इसका समर्थन इस बिन्दु के संबंध में पूर्व में विवेचित विस्तृत उपरोक्त साक्ष्य से होता है। प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य कि, घटना स्थल पर दिनांक 31.12.2017 की रात्रि से लेकर 01.01.2018 की सुबह तक आरोपी संदीप जैन घटना स्थल में था, इस साक्ष्य का न तो प्रति परीक्षण में खण्डन किया गया है और न ही चुनौती दी गई है, न ही कोई अतिरिक्त साक्ष्य पेश की गई है, ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित पाया जाता है कि, घटना दिनांक को घटना स्थल पर मृतक गण रावलमल जैन, सूरजी बाई एवं आरोपी संदीप जैन ही निवासरत थे तथा दिनांक 01.01.2018 को 06:02:36 बजे सूरजी देवी के फोन करने पर अ.सा.08 सौरभ गोलछा घटना स्थल पर गंजपारा स्थित रावलमल के घर पहुंचा तो यह पाया कि, सूरजी देवी एवं रावलमल की हत्या हो गई है एवं आरोपी संदीप जैन अपने कमरे में स्वस्थ एवं जीवित पाया गया है।

199— प्रकरण में यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि, किसी बाहरी व्यक्ति को रावलमल जैन एवं सूरजी देवी की हत्या करने का कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि प्रकरण के महत्वपूर्ण साक्षी अ.सा.08 सौरभ गोलछा ने प्रति परीक्षण की कंडिका 15 में बचाव पक्ष व्दारा पूछे जाने पर यह सकारात्मक उत्तर दिया है कि, घर में रखा सभी सामान सुरक्षित अवस्था में था। इसी तरह विवेचक भावेश साव के प्रति परीक्षण की कंडिका 112 में बचाव पक्ष ने यह सुझाव दिया है कि, अन्वेषण के दौरान मृतक गण के सभी सामान सुरक्षित अवस्था में थे, बचाव पक्ष की ओर से प्रकरण के विवेचक को यह भी सुझाव दिया गया है कि, आरोपी संदीप जैन ही मृतकगण की संपत्ति का एकमात्र दावेदार है। आरोपी संदीप जैन की ओर से उसके अधिवक्ता ने प्रकरण के विवेचक को प्रति परीक्षण की कंडिका 55 में यह सुझाव दिया है कि, मृतक रावलमल जैन की छवि पूरे भारत वर्ष में थी और रावलमल जैन की अंत्येष्टि में छ.ग. शासन के तत्कालीन मुख्यमंत्री शामिल हुये थे, **इससे स्पष्ट है कि, मृतक रावलमल जैन एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, उनकी अच्छी छवि पूरे भारत वर्ष में थी अर्थात् इस साक्ष्य से यह स्पष्ट प्रकट हो रहा है कि, रावलमल जैन की हत्या करने का उद्देश्य किसी बाहरी व्यक्ति के पास नहीं है साथ ही यह भी प्रमाणित है कि, रावलमल जैन की हत्या करने वाला व्यक्ति यदि कोई बाहरी व्यक्ति होता तो घटना स्थल पर हत्या**

में प्रयोग किये गये पिस्टल एवं कारतूस को घटना स्थल पर छोड़कर नहीं जाता, अपराधी हमेशा घटना में प्रयोग किये गये हथियार को दूर ले जाकर नष्ट करता या छिपा देता है, घटना स्थल पर नहीं छोड़ता। प्रकरण में दर्ज आरोपी के मेमोरेंडम प्रदर्श पी.52 से स्पष्ट है कि, आरोपी संदीप ने घर के पीछे ग्रिल में लगी बालकनी से घटना में प्रयुक्त किये गये पिस्टल एवं कारतूस को फेंक दिया था। इसके अलावा प्रकरण में यह साक्ष्य भी आई है कि, मृतकगण रावलमल जैन एवं श्रीमती सूरजी बाई का अन्तिम संस्कार उनके नाती संयम जैन व्दारा किया गया है जबकि आरोपी संदीप जैन उनकी इकलौती संतान है। इस संबंध में आरोपी संदीप जैन की पत्नि अर्थात ब.सा.01 श्रीमती संतोष जैन ने अपने न्यायालयीन साक्ष्य में कथन किया है कि, पुलिस वालों ने उसके पति को उसके सास–ससुर का अन्तिम संस्कार नहीं करने दिये। हालांकि सम्पूर्ण अभिलेख के अवलोकन से इस तथ्य की वास्तविकता कुछ और ही सामने आई है वह यह है कि, चूंकि आरोपी संदीप जैन व्दारा जघन्य रूप से अपने माता–पिता की हत्या का अपराध कारित किया गया था इसलिये समाज के व्यक्तियों व्दारा आरोपी को मृतकगण के अन्तिम संस्कार हेतु रोका गया, इससे भी आरोपी संदीप जैन की अपराध में संलिप्तता दर्शित होती है।

200— **यदि प्रकरण में हत्या के हेतुक (motive) के संबंध में विचार करें तो** आरोपी संदीप जैन से उसके पिता अर्थात् मृतक रावलमल जैन, आरोपी संदीप के आचरण के कारण हमेशा नाराज रहते थे और उसे सम्पत्ति से बेदखल किये जाने की धमकी भी दिये थे, मृतक रावलमल जैन अपने पुत्र अर्थात् आरोपी संदीप जैन की महिला मित्रों के कारण भी उससे नाराज रहते थे तथा आरोपी संदीप का यह आचरण उन्हें नागवार गुजरता था साथ ही मृतक रावलमल और सूरजी देवी की हत्या हो जाने से आरोपी संदीप जैन, रावलमल की समस्त संपत्ति का स्वामित्व प्राप्त कर लिया।

201— इस तरह आरोपी संदीप जैन के पास उसके पिता रावलमल जैन की हत्या किये जाने का पर्याप्त कारण अर्थात् मोटिव था। प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य से यह दर्शित हो रहा है कि, आरोपी संदीप जैन के पिता अर्थात् रावलमल जैन व्दारा आरोपी को उसके आचरण एवं उसके कृत्यों तथा उसकी महिला मित्रों के कारण उससे नाराजगी थी तथा मृतक व्दारा आरोपी को अपनी सम्पत्ति से बेदखल किये जाने की धमकी भी दी गई थी, इसी कारण से आरोपी संदीप जैन व्दारा योजना के तहत् अपने पिता रावलमल जैन की हत्या किया एवं उसकी माता सूरजी देवी को उक्त बात की जानकारी होने पर वह अन्य किसी को घटना के संबंध में न बता

सके इस उद्देश्य से उसके व्दारा अपनी माता की भी हत्या किये जाने का अपराध कारित किया गया है जो प्रंकरण में प्रस्तुत उपरोक्त साक्ष्य से भलीभांति सिद्ध भी हुआ है। इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य से आरोपी संदीप जैन व्दारा मृतक गण को मारे जाने का हेतुक (मोटिव) साफ तौर पर दर्शित हो रहा है जो कि प्रकरण में उपरोक्त विवेचित विस्तृत विवेचन के प्रकाश में विश्वसनीय होना प्रकट हो रहा है। न्याय दृष्टान्त **बक्शीश सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, ए.आई.आर. 2013 सुप्रीम कोर्ट 3403** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय व्दारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि, **साक्षियों के बयानों में यदि तथ्यों को बढ़ा—चढ़ाकर बताया गया है या विरोधाभास आया है तो मात्र इसी आधार पर अभियोजन के प्रकरण को अस्वीकार नहीं किया जा सकता और छोटी—मोटी विसंगतियों को आधार नहीं बनाया जा सकता।**

202— प्रकरण में आरोपी संदीप जैन की ओर से उसके विद्धान अधिवक्ता व्दारा प्रकरण के न्यायिक निराकरण के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णित न्याय दृष्टान्त **<u>सरद विरदीचंद सारडा वि. महाराष्ट्र राज्य (उपरोक्त)</u>** के प्रकरण में बनाए गए सिद्धांतों की पूर्ति किया जाना अति आवश्यक होना व्यक्त किया गया है। यदि इस प्रकरण के संबंध में विचार करें तो अभियोजन पक्ष व्दारा उक्त न्याय

दृष्टान्त में निष्कर्षित सम्पूर्ण परिस्थितियों की श्रृंखला की कड़ी को कमानुसार एक सूत्र में पिरोते हुये प्रकरण में उपलब्ध ठोस एवं समाधानपरक साक्ष्य के माध्यम से समस्त युक्तियुक्त सन्देहों से परे प्रमाणित किया गया है, ऐसी स्थिति में इस न्याय दृष्टान्त का लाभ इस बिन्दु के संबंध में प्रतिरक्षा पक्ष को प्रदान नहीं किया जा सकता।

203— आरोपी संदीप जैन की ओर से उसके अधिवक्ता व्दारा व्यक्त किया गया है कि, निराधार अभिकथनों के आधार पर ऐसे संगीन अपराध में किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। उनकी ओर से अपने तर्क के समर्थन में न्याय दृष्टान्त **2003(2) C.G.L.J. - Page – 104 RAJKUMAR Vs. STATE OF M.P.(NOW C.G.)** पेश किया गया है। प्रकरण में उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित हुआ है कि, साक्षियों व्दारा निराधार कथनों को साक्ष्य में अभिलिखित नहीं कराया गया है बल्कि उनके व्दारा आरोपीगण के विरूद्ध आरोपित अपराध को प्रमाणित किये जाने हेतु सटीक न्यायालयीन साक्ष्य अभिलिखित कराई गई है जो प्रकरण में की गई विवेचना कार्यवाही से पूर्णतः समर्थित है, ऐसी स्थिति में इस न्याय दृष्टान्त का लाभ आरोपी संदीप जैन को प्रदत्त नहीं किया जा सकता।

204— आरोपी संदीप जैन की ओर से व्यक्त किया गया है कि, शंका कितनी भी बलवान क्यों न हो, निश्चयात्मक साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकती। उन्होंने अपने तर्क के समर्थन में न्याय दृष्टान्त **KARANLAL Vs. STATE OF MP (उपरोक्त)** पेश किया है, किंतु उक्त न्याय दृष्टान्त के अनुकम में यदि विशिष्ट रूप से इस प्रकरण के तथ्यों पर विचार करें तो अभियोजन व्दारा प्रस्तुत सारगर्भित साक्ष्य के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि, प्रकरण में आरोपी संदीप जैन के विरूद्ध अभियोजन व्दारा शंका के आधार पर प्रकरण को प्रमाणित किया गया है बल्कि प्रस्तुत साक्ष्य से यह सिद्ध एवं प्रमाणित हुआ है कि, अभियोजन पक्ष व्दारा आरोपी संदीप जैन के विरूद्ध ठोस साक्ष्य का प्रस्तुतीकरण अभिलेख के माध्यम से किया गया है जो पूर्णतः विश्वसनीय होना पाया गया है, ऐसी स्थिति में आरोपी संदीप जैन की ओर से प्रस्तुत इस न्याय दृष्टान्त का लाभ तथ्यों की भिन्नता के कारण उसे प्रदान नहीं किया जा सकता।

205— आरोपी संदीप जैन की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता व्दारा व्यक्त किया गया है कि, अन्वेषण अधिकारी द्वारा पिस्टल बदलकर साक्ष्य गढ़ा गया है, उनके व्दारा अपने तर्क के समर्थन में न्याय दृष्टान्त **DATAR SINGH Vs. THE STATE OF PUNJAB (उपरोक्त)** पेश किया गया है, यदि इस प्रकरण के संबंध

में विचार करें तो अन्वेषण अधिकारी तथा समर्थन में प्रस्तुत अन्य साक्ष्य के आधार पर अभियोजन व्दारा समस्त युक्तियुक्त सन्देहों से परे यह प्रमाणित किया गया है कि, आरोपी संदीप जैन व्दारा घटना में जिस पिस्टल का प्रयोग किया गया था वही पिस्टल को विवेचना अधिकारी व्दारा जप्त किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त बिन्दु के संबंध में प्रकरण में प्रस्तुत ठोस साक्ष्य के अनुक्रम में तथ्यों की भिन्नता के कारण आरोपी संदीप जैन को प्रस्तुत न्याय दृष्टान्त का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता।

206— आरोपी संदीप जैन की ओर से उसके अधिवक्ता व्दारा व्यक्त किया गया है कि, प्रकरण में चिकित्सकीय साक्ष्य संग्रहण के अनुक्रम में हुई अनियमित्ता के आधार पर आरोपी की दोषसिद्धि को अपास्त किया गया है। इस संबंध में उनके व्दारा न्याय दृष्टान्त **ISHWAR SINGH Vs. SATE OF M.P. (उपरोक्त)** पेश किया गया है, यदि इस न्याय दृष्टान्त में विवेचित उक्त परिस्थिति का मिलान इस प्रकरण की परिस्थितियों से किया जावे तो वर्तमान प्रकरण की परिस्थिति सर्वथा अलग होना प्रकट हो रही है। वर्तमान प्रकरण में नियमानुसार प्रकिया का पालन करते हुये चिकित्सकीय साक्ष्य का संग्रहण किया गया है ऐसी स्थिति में तथ्यों

की भिन्नता को दृष्टि्गत रखते हुये इस न्याय दृष्टान्त का लाभ भी आरोपी सन्दीप जैन को प्रदान नहीं किया जा सकता।

207— आरोपी संदीप जैन की ओर से उसके अधिवक्ता व्दारा यह व्यक्त किया गया है कि, साक्षी के बयान को प्रकरण में प्रस्तुत ना करना एवं उन्हें छिपाया जाना अभियोजन की कहानी एवं विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है एवं संदिग्ध बनाता है। इस संबंध में उनके व्दारा न्याय दृष्टान्त **GANPAT LAL & ORS. Vs. THE STATE OF M.P. (उपरोक्त)** पेश किया गया है। यदि वर्तमान प्रकरण की परिस्थितियों में विचार करें तो उपरोक्त न्याय दृष्टान्त में विवेचित तथ्य एवं परिस्थितियां वर्तमान प्रकरण के तथ्यों से पूर्णतः भिन्न होना प्रकट हो रही है क्योंकि वर्तमान प्रकरण में साक्षियों के बयान को प्रकरण में प्रस्तुत नहीं करने जैसी कोई स्थिति नहीं है, ऐसी स्थिति में आरोपी संदीप जैन को प्रस्तुत न्याय दृष्टान्त का लाभ तथ्यों की भिन्नता के कारण प्रदान नहीं किया जा सकता।

208— आरोपी संदीप जैन की ओर से उसके अधिवक्ता व्दारा यह व्यक्त किया गया है कि, अभियुक्त द्वारा निरपराध प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं किन्तु अभियोजन को संदेह से परे अपराध स्थापित करना होता है, अपने उक्त तर्क के समर्थन में उनके व्दारा न्याय दृष्टान्त **BHANGADIYA Vs. STATE OF MP (उपरोक्त)** पेश किया गया है, उक्त न्याय दृष्टान्त में निष्कर्षित न्यायमत के

अनुक्रम में यदि इस प्रकरण की परिस्थितियों के संबंध में विचार करें तो इस प्रकरण में अभियोजन व्दारा समस्त युक्तियुक्त सन्देहों से परे अपना मामला प्रमाणित किया है, ऐसी स्थिति में प्रस्तुत न्याय दृष्टान्त का लाभ आरोपी सन्दीप जैन को प्रदान नहीं किया जा सकता।

209— आरोपी संदीप जैन की ओर से उसके अधिवक्ता व्दारा यह व्यक्त किया गया है कि, भारतीय दण्ड संहिता—1860 की धारा—302 के प्रकरण में अभियुक्त के कपड़ों के रासायनिक परीक्षण या सीरम विज्ञानी के रिपोर्ट के अभाव में तथा खुले स्थान से लोहे के रॉड की जब्ती के आधार पर किसी अभियुक्त को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, उनके व्दारा अपने उक्त तर्क के समर्थन में न्याय दृष्टान्त **LALOO YADAV & ANR. Vs. STATE OF C.G (उपरोक्त)** पेश किया गया है। चूंकि वर्तमान प्रकरण की परिस्थितियां इस न्याय दृष्टान्त में विवेचित प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों से सर्वथा भिन्न होना प्रकट हो रही है ऐसी स्थिति में प्रस्तुत न्याय दृष्टांत का लाभ आरोपी सन्दीप जैन को प्रदान नहीं किया जा सकता।

210— आरोपी संदीप जैन की ओर से उसके अधिवक्ता व्दारा तर्क किया गया है कि, अभियुक्त के मेमोरेण्डम के पूर्व ही उन वस्तुओं की फोटोग्राफी, उन्हें हटाया जाना, वैज्ञानिक अधिकारियों द्वारा उनका परीक्षण कर लिया जाना इस तथ्य का

शाश्वत प्रमाण है कि, उक्त वस्तुओं की जप्ती अभियुक्त की निशानदेही (मेमोरेण्डम) के आधार पर नहीं हुई है। अतः ऐसे मेमोरेण्डम को साक्ष्य की श्रृंखला के रूप में नहीं जोड़ा जा सकता, अभियुक्त की ओर से अपने उक्त तर्क के समर्थन में न्याय दृष्टान्त **ISHWAR SINGH Vs. STATE OF M.P. (उपरोक्त)** पेश किया गया है, यदि प्रस्तुत न्याय दृष्टान्त के प्रकरण के संदर्भ यदि इस वर्तमान प्रकरण की परिस्थितियों पर विचार किया जावे तो वर्तमान प्रकरण में मेमोरेंडम और जप्ती कार्यवाही को विश्वसनीय साक्ष्य के माध्यम से अभियोजन पक्ष व्दारा प्रमाणित किया गया है ऐसी स्थिति में वर्तमान प्रकरण में यह नहीं कहा जा सकता कि, वस्तुओं की जप्ती अभियुक्त संदीप जैन की निशानदेही के आधार पर नहीं हुई है अर्थात् अभियोजन पक्ष ने मेमोरेंडम और जप्ती कार्यवाही को सम्पुष्ट साक्ष्य के माध्यम से न्यायालय में सिद्ध किया है, ऐसी स्थिति में प्रस्तुत न्याय दृष्टान्त का लाभ आरोपी संदीप जैन प्राप्त नहीं कर सकता।

211— आरोपी संदीप जैन की ओर से उसके अधिवक्ता व्दारा अन्तिम तर्क के दौरान यह व्यक्त किया गया है कि, अपीलार्थीगण के विरूद्ध प्रयोग किए जाने हेतु ईप्सित परिस्थितियाँ अत्यधिक कमजोर तथा दोषसिद्धि को कायम रखने के लिए वैध रूप से ग्राह्य साक्ष्य के तुल्य नहीं होना इसलिए विचारण

न्यायालय ने मृतक की हत्या करने हेतु अपीलार्थीगण को दोषसिद्धि करने के द्वारा विधि की त्रुटि किया तब दोषसिद्धि एवं दण्डादेश अपास्त की गई और अपीलार्थीगण दोषमुक्त किये गये, उन्होंने अपने तर्क के समर्थन में न्याय दृष्टान्त **SIYARAM & ORS Vs. STATE OF C.G (उपरोक्त)** पेश किया है। उक्त न्याय दृष्टान्त में विवेचित तथ्यों के अनुक्रम में यदि वर्तमान प्रकरण की परिस्थितियों पर विचार करें तो प्रकरण में आरोपी संदीप जैन सहित अन्य आरोपीगण के विरूद्ध उनके अपराध में संलिप्त होने के समर्थन में अत्यन्त ही ठोस/मजबूत एवं सम्पुष्टिकारक साक्ष्य पेश की गई है जिस पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण नहीं पाया गया है, ऐसी स्थिति में प्रस्तुत न्याय दृष्टान्त के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा वर्तमान प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में भिन्नता पाये जाने से प्रस्तुत न्याय दृष्टान्त का लाभ प्रतिरक्षा पक्ष को प्रदान नहीं किया जा सकता।

212— आरोपी संदीप जैन की ओर से उसके अधिवक्ता व्दारा यह व्यक्त किया गया है कि, जब परिस्थितिजन्य साक्ष्य की परिस्थितियों की श्रृंखला लुप्त हो और सम्पूर्ण मानवीय अधिसंभाव्यता में यह सिद्ध हो जाये कि, अपराध कारित किया गया था और अभियुक्त के दोष की परिकल्पना को छोड़कर अन्य किसी भी परिकल्पना के बारे में स्पष्टीकरण के अयोग्य हो तो दोषसिद्धि का

समर्थन नहीं किया जा सकता है, उनके व्दारा अपने तर्क के समर्थन में न्याय दृष्टान्त **KARTIKRAM DEVANGAN Vs. STATE OF C.G. एवं GAUKARAN & ANOTHER Vs. STATE OF C.G (उपरोक्त)** पेश किया गया है। उक्त न्याय दृष्टान्त में विवेचित तथ्यों के प्रकाश में यदि इस प्रकरण की परिस्थितियों पर विचार करें तो अभियोजन पक्ष व्दारा परिस्थितिजन्य साक्ष्य की परिस्थितियों की श्रृंखला को क्रमबद्ध रूप से ठोस साक्ष्य के माध्यम से न्यायालय में सिद्ध व प्रमाणित किया गया है तथा उपरोक्त विवेचन अनुसार सम्पूर्ण परिस्थितियां सिर्फ और सिर्फ आरोपी संदीप जैन व्दारा ही अपराध कारित किया गया है इस ओर इंगित की है, ऐसी स्थिति में प्रस्तुत न्याय दृष्टान्तों का लाभ आरोपी संदीप जैन को प्रदान नहीं किया जा सकता।

213– बचाव पक्ष की ओर से अभियुक्तगण के अधिवक्ता व्दारा यह तर्क किया गया है कि, प्रकरण में आरोपीगण के विरूद्ध आयुध अधिनियम की धारा में विचारण के संबंध में विधि के सम्यक अनुक्रमानुसार अनुमति प्राप्त नहीं की गई है, उनके व्दारा यह भी तर्क किया गया है कि, जिस अधिकारी के व्दारा अभियोजन की स्वीकृति दी गई है उसका न्यायालय में परीक्षण कराकर संबंधित दस्तावेज को प्रमाणित नहीं कराया गया है। बचाव पक्ष के अधिवक्तागण का उक्त तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है हालांकि

इस संबंध में पूर्व में भी विवेचन किया जा चुका है जिसके अनुसार पुलिस अधीक्षक, दुर्ग द्वारा प्रदर्श पी–60 सी का पत्र जिला दंडाधिकारी, दुर्ग को आरोपी संदीप जैन, आरोपी भगत सिंह गुरूदत्ता एवं आरोपी शैलेन्द्र सागर के विरूद्ध आर्म्स एक्ट में अभियोजन अनुमति बाबत पत्र लिखा गया था एवं पत्र के साथ प्रकरण की डायरी एवं दस्तावेज भेजे गए थे, जिसके आधार पर अभियोजन अनुमति जिला दंडाधिकारी द्वारा दिया गया था। इस संबंध में प्रकरण में परीक्षित साक्षी **अ.सा. 14 नरसिंह राम** का कथन अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है जिसने बताया है कि, वह कलेक्टर कार्यालय दुर्ग में माह मई 1987 से पदस्थ है तथा वर्तमान में लायसेंस शाखा में प्रभारी लिपिक के पद पर पदस्थ है। पुलिस अधीक्षक, दुर्ग के पत्र क्रमांक पु.अधी./दुर्ग/ रीडर/34/18 दुर्ग दिनांक 18/04/2018 एवं पु. अधी./दुर्ग/रीडर/34ए/2018 दिनांक 24/04/2018 के पत्र के आधार पर एवं थाने के प्रकरण के अंतिम प्रतिवेदन, प्रथम सूचना पत्र के अवलोकन के उपरांत अपराध क्रमांक 01/2018, अंतर्गत धारा 302/34 भा.दं.वि. एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट मे आरोपी संदीप जैन, आरोपी भगत सिंह गुरूदत्ता, आरोपी शैलेन्द्र सागर, के विरूद्ध धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट मे अभियोजन की स्वीकृति आयुध अधिनियम की धारा 39 के तहत जिला मजिस्ट्रेट के अनुमोदन के उपरांत अति. जिला दंडाधिकारी द्वारा अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गयी है जो

प्रदर्श पी. 59 है। इस संबंध में माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय व्दारा प्रतिपादित न्याय दृष्टान्त **विजय बहादुर उर्फ बहादुर वि. म.प्र. राज्य 2002(4)एम.पी.एच.टी. 167 का पैरा–05 एवं 07 अवलोकनीय है जिसमें यह अवधारित किया गया है कि :–**

5. Learned Counsel for the applicant has raised the solitary question before this Court about grant of sanction to prosecute the applicant as per requirement under Section 39 **of the Arms Act, was not valid. The sanction Ex. P-4 was not accorded by the District Magistrate but the Additional Magistrate has granted the sanction who was not duly empowered in this behalf. In support, learned Counsel relied on the judgment passed by the Gwalior Bench of this Court in the case of Bhupendra** Singh v. State of M.P**. [2001 (1) MPJR 294]. This judgment has been affirmed by the Supreme Court in the case of** State of M.P. v. Bhupendra Singh **[2000(1) M.P.H.T. 505 = 2001(1) MPJR 296]. The judgment rendered by this Court as well as affirmed by the Supreme Court in Bhupendra Singh's case (supra) has no**

relevancy in legal and factual position with the present case. In the case of Bhupendra Singh (supra) the question of grant of sanction was under Section 7 of the Explosive Substances Act, 1908 (for brevity 'the Explosive Act'), in which the Central Government is empowered to grant consent for the prosecution. The Central Government has delegated it to the District Magistrate. Therefore, the view has been taken that the State Government is not competent to further delegate this power to the Additional District Magistrate.

7. It would be relevant to mention here that learned Lower Appellate Court in Paragraph 10 of its judgment while dealing with this question, has failed to consider Arms Rules mentioned hereinabove and has taken recourse to Section 20 of the Code defining Executive Magistrate whereas this Provision is not applicable in absence of the specific notification empowering the Additional Magistrate to use the power of the District Magistrate under the Arms Act. There is no such notification brought to the notice to this Court issued by the State Government authorizing the

Additional Magistrate to use power under Section 39 of the Arms Act to grant sanction for prosecution.This Court is of the opinion that the sanction granted by the Additional Magistrate, in the present case Ex. P-4 is a valid sanction as per the Provision under Section 39 of the Arms Act read with Rule 2 (f) (ii) of the Arms Rules. Therefore, there is no substance in the submission of the Counsel for the applicant challenging the sanction to prosecute the applicant granted by the Additional Magistrate, Indore.

214— इस प्रकार उपरोक्त विवेचित तथ्यों के प्रकाश में यह स्पष्ट है कि, प्रकरण में आरोपीगण के विरूद्ध आयुध अधिनियम की धारा में विचारण के संबंध में विधि के सम्यक अनुक्रमानुसार अनुमति प्राप्त की गई है।

215— प्रकरण के **विवेचक अ.सा.15 भावेश साव** के प्रति परीक्षण के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता व्दारा उनसे आयुध अधिनियम के प्रकरणों में जिस विवेचना साक्षी व्दारा प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया गया हो, जप्ती एवं आरोपी की गिरफ्तारी संबंधी कार्यवाहियां की हो उसे प्रकरण में अन्य विवेचना नहीं किया जाना चाहिये, का सुझाव दिया गया है, जिस पर राज्य की ओर से

उपस्थित विशेष लोक अभियोजक श्री सुरेश प्रसाद शर्मा व्दारा आपत्ति की गई है, जिसका निर्णय के दौरान विचार किया जाना उल्लेखित है इसलिये इस आपत्ति का निराकरण किया जा रहा है। बचाव पक्ष की ओर से अपने उक्त बचाव के संबंध में अन्तिम तर्क के दौरान कोई ठोस एवं समाधानप्रद तथ्यों को न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया है। दूसरी ओर राज्य की ओर से उपस्थित विशेष लोक अभियोजक व्दारा यह व्यक्त किया गया है कि, ऐसी कोई विधि नहीं है कि, जिस विवेचक साक्षी व्दारा आयुध अधिनियम से संबंधित प्रकरणों में प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया गया हो, जप्ती एवं आरोपी की गिरफ्तारी संबंधी कार्यवाहियां की हो वह अग्रिम विवेचना नहीं कर सकता। चूंकि बचाव पक्ष की ओर से अपने तर्क के समर्थन में कोई ठोस एवं समाधानप्रद तथ्यों का प्रस्तुतिकरण नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में बचाव पक्ष का यह तर्क कि, जिस विवेचक साक्षी व्दारा आयुध अधिनियम से संबंधित प्रकरणों में प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया गया हो, जप्ती एवं आरोपी की गिरफ्तारी संबंधी कार्यवाहियां की हो वह अग्रिम विवेचना नहीं कर सकता, मान्य किये जाने योग्य नहीं है, तदानुसार आपत्ति का निराकरण किया गया।

216– आरोपी संदीप जैन की ओर से उसके अधिवक्ता व्दारा विवेचना के दौरान विवेचक व्दारा की गई कार्यवाही में कई गलतियां किया जाना उल्लेखित करते हुये उनका लाभ प्रतिरक्षा पक्ष

को दिये जाने का तर्क किया है, किंतु वर्तमान प्रकरण में विवेचक व्दारा की गई कार्यवाही के समग्र अवलोकन से ऐसी स्थिति कदापि दर्शित नहीं हो रही है कि, विवेचक व्दारा विवेचना के दौरान ऐसी कोई गलती की गई हो जिसका लाभ बचाव पक्ष प्राप्त कर सके। इस सबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय व्दारा प्रतिपादित न्याय दृष्टान्त **गज्जू वि. उत्तराखंड राज्य, आपराधिक अपील क्रं.1856/2009, निर्णय दिनांक 13 सितम्बर 2012 अवलोकनीय है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त न्याय दृष्टान्त में अवधारित बिन्दुओं के प्रकाश में यह स्पष्ट दर्शित हो रहा है कि, प्रकरण में विवेचना के दौरान विवेचक व्दारा की गई त्रुटियों का लाभ प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुक्रम में आरोपी पक्ष को नहीं दिया जा सकता।**

217– आरोपीगण की एक अन्य प्रतिरक्षा यह भी है कि, इस प्रकरण के विवेचक अ.सा.15 भावेश साव ने ही संपूर्ण विवेचना की है। अतः ऐसी स्थिति में विवेचक ने मिथ्या साक्ष्य गढ़कर आरोपीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया है और उसके द्वारा की गई विवेचना माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांतों के अनुसार विधिक रूप से मान्य नहीं है, लेकिन आरोपीगण की उक्त प्रतिरक्षा माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायदृष्टांत ''**वरिन्दर कुमार वि0 स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश**'' **निर्णय**

दिनांक 11/02/2019 क्रिमिनल अपील नं. 2450.2451 of 2010 के पैरा 15 के अनुसार स्वीकार योग्य नहीं है, जो इस प्रकार है :—

> **15. Societal interest therefore mandates that the law laid down in Mohan Lal (supra) cannot be allowed to become a spring board by an accused for being catapulted to acquittal, irrespective of all other considerations pursuant to an investigation and prosecution when the law in that regard was nebulous. Criminal jurisprudence mandates balancing the rights of the accused and the prosecution. If the facts in Mohan Lal (supra) were telling with regard to the prosecution, the facts in the present case are equally telling with regard to the accused. There is a history of previous convictions of the appellant also. We cannot be oblivious of the fact that while the law stood nebulous, charge sheets have been submitted, trials in progress or concluded, and appeals pending all of which will necessarily be impacted.**

218— इस प्रकार स्पष्ट है कि, एक ही विवेचक व्दारा प्रकरण की सम्पूर्ण विवेचना कार्यवाही की जा सकती है और

उसके द्वारा की गई विवेचना तभी दूषित होगी, जब आरोपीगण यह दर्शित करें कि, उसके द्वारा की गई विवेचना से उनके साथ पक्षपात हुआ है या विवेचक ने पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर विवेचना की है, जबकि ऐसा कोई तर्क आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही अभियोजन ने जो साक्ष्य प्रस्तुत किया है, उससे यह दर्शित होता है कि, आरोपीगण के साथ पक्षपात हुआ है। अतः ऐसी स्थिति में आरोपीगण के विद्धान अधिवक्तागण का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि, विवेचक ने मिथ्या साक्ष्य गढ़कर आरोपीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया है।

219— आरोपीगण के विद्वान अधिवक्तागण ने संदेह से परे मामला प्रमाणित नहीं होने का तर्क पुरजोर रूप से प्रस्तुत किया है, लेकिन युक्तियुक्त शंका और शंका से परे शब्द को माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्यायदृष्टांत ''**अशोक देबरमा उर्फ अचाक देब. रमा वि0 स्टेट ऑफ त्रिपुरा'' 2014 कि. लॉ जर्नल 1830** में विस्तार से विवेचित किया है :—

> **27.** An accused has a profound right not to be convicted of an offence which is not established by the evidential standard of proof "beyond reasonable doubt". This Court in <u>Krishnan and another v. State</u>

represented by Inspector of Police (2003) 7 SCC 56, held that the doubts would be called reasonable if they are free from a zest for abstract speculation. Law cannot afford any favourite other than truth and to constitute reasonable doubt, it must be free from an overemotional response. Doubts must be actual and substantial doubts as to the guilt of the accused persons arising from the evidence, or from the lack of it, as opposed to mere vague apprehensions. A reasonable doubt is not an imaginary, trivial or a merely possible doubt, but a fair doubt based upon reason and common sense. It must grow out of the evidence in the case. In Ramakant Rai v. Madan Rai and others (2002)12 SCC 395, the above principle has been reiterated.

220— इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय ने **न्यायदृष्टांत "Inder Singh & Anr vs. The State (Delhi Admn.)" (1978) 4 एससीसी 372 में** यह अभिमत दिया है कि :—

"Proof beyond reasonable doubt is a guideline, not a fetish and guilty men cannot get away

with it because truth suffers some informity, when projected through human process."

अतः स्पष्ट है कि, इस प्रकरण में आरोपीगण के संबधं में ऐसी कोई भी शंका नहीं है, जिसका लाभ उन्हें दिया जावे, बल्कि अभियोजन पक्ष व्दारा आरोपीगण के विरूद्ध ठोस एवं समाधानप्रद साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, जिस पर किसी प्रकार की शंका नहीं की जा सकती, बल्कि अभियोजन पक्ष व्दारा जो साक्ष्य पेश की गई है वह समस्त युक्तियुक्त सन्देहों से परे हैं, जिस पर शंका नहीं की जा सकती।

221— प्रकरण में पूर्व विवेचन से यह स्पष्ट हुआ है कि, रावलमल जैन का कारीडोर पर गोली लगने से मृत मिलना एवं मृतिका सूरजी बाई का अपने कमरे में गोली लगने से बिस्तर पर मृत मिलना एवं चोंट से खून बहना यह प्रमाणित करता है कि, चोंट तत्काल कारित की गई थी। घटना दिनांक को सुबह समय 05.54 मिनट 50 सेकंड में सूरजी बाई का फोन सौरभ गोलछा को आना और यह कहना कि, नाना गिर गये है जल्दी आओं, यह प्रमाणित करता है कि, 05.54 मिनट 50 सेकंड के तुरंत पहले रावलमल की हत्या कारित की गई थी एवं 06.02 मिनट 36 सेकंड के पूर्व सूरजी बाई की हत्या कारित किया है। प्रकरण में उपलब्ध कॉल डिटेल भी अभियोजन व्दारा प्रमाणित की गई, जो कि अचुनौतित रही है। घटना

स्थल घर में दिनांक 31.12.2017 के शाम से एवं दिनांक 31.12.2017 के रात्रि तक एवं 01.01.2018 के सुबह सौरभ गोलछा के आने तक आरोपी संदीप जैन घटना स्थल पर अकेला मौजूद था। जिसकी पुष्टि आरोपी संदीप जैन के मोबाईल के सीडीआर से होती है जिससे यह सहज रूप से सिद्ध हो जाता है कि, आरोपी ने अपने माता–पिता सूरजी बाई एवं रावलमल की हत्या कारित किया है।

222– साक्ष्य अधिनियम धारा 106 – विशेषतः – ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार– जबकि कोई तथ्य विशेषतः किसी व्यक्ति के ज्ञान में है, तब, उस तथ्य को साबित करने का भार उस पर है। जब घर में सिर्फ आरोपी एवं उसके माता–पिता है तब हत्या किसने किया, यह बताने का दायित्व आरोपी का है क्योकि यह मान्य तथ्य है कि, घर का दरवाजा स्वाभाविक रूप से अंदर से बंद रहता है, दरवाजा किसने खोला, उसके दस्ताना में बारूद का कण कैसे आया। इन सभी तथ्यों का स्पष्टीकरण सिर्फ आरोपी दे सकता है, इस बिन्दु पर आरोपी ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। **इस प्रकरण में आरोपी का आचरण एक अभ्यस्त अपराधी की तरह है क्योकि इसने 294 द.प्र.सं. के तहत् अभियोजन द्वारा पेश आवेदन पत्र पर वर्णित समस्त तथ्यों को इंकार किया है, जिसमें घटना स्थल का नक्शा जहॉ आरोपी निवास करता है माता–पिता का शव पंचनामा एवं सीन ऑफ क्राईम में पाई गई वस्तुयें सम्मिलित हैं।**

मृतकगण की हत्या किये जाने का हेतुक सिर्फ आरोपी संदीप जैन के पास है अन्य किसी के पास नहीं है क्योकि रावलमल एवं सूरजी बाई के हत्या हो जाने से समस्त संपत्ति का मालिक आरोपी संदीप जैन हो गया है जो कि, रावलमल एवं सूरजी बाई के रहते संभव नहीं था एवं रावलमल ने संदीप के आचरणों को देखते हुये संपत्ति से बेदखल करने की धमकी दिया था, जिसके कारण आरोपी रावलमल की हत्या किया एवं सूरजी बाई ने इसके संबंध में अपने नाती सौरभ गोलछा को फोन किया, जिसके कारण आरोपी ने अपने विरूद्ध साक्ष्य आ जायेगा समझकर अपने मॉ की हत्या कारित कर दिया, पूरे प्रकरण में किसी बाहरी व्यक्ति का अपराध कारित करने का उद्धेश्य नहीं है। प्रकरण में आई उपरोक्त ठोस एवं समाधानप्रद साक्ष्य के आलोक में आरोपी संदीप जैन की ओर से प्रस्तुत अन्य प्रतिरक्षा को निष्कर्षित किया जाना उचित प्रतीत नहीं हो रहा है क्योंकि उक्त प्रतिरक्षा के संबंध में उपरोक्त विस्तृत विवेचन में उनका समाधान किया जा चुका है।

223– प्रकरण में उपरोक्त वर्णित सम्पूर्ण साक्ष्य से अभियोजन व्दारा सम्पूर्ण युक्तियुक्त सन्देहों से परे यह प्रमाणित किया गया है कि, **घटना दिनांक को हुई मृतक गण रावलमल जैन एवं श्रीमती सूरजी बाई की मृत्यु आपराधिक मानव वध स्वरूप की थी। आरोपी संदीप जैन गंजपारा आलोकचंद त्रिलोकचंद ज्वेलर्स**

के सामने अपने माता–पिता के साथ अपनी पत्नि और लड़के के साथ मकान के उपर में रहता था, उसके माता–पिता नीचे रहते थे। आरोपी संदीप जैन अपने माता–पिता की इकलौती संतान है तथा अपने घर के बाजू में ही स्थित स्वयं की दुकान में साड़ी विक्रय का व्यवसाय करता था। उसके साथ उसका भांजा सौरभ गोलछा भी व्यवसाय में उसकी मद्द करता था। आरोपी संदीप जैन के पिता स्व. रावलमल जैन पुरानी रूढ़ीवादी विचारधारा के व्यक्ति थे तथा वह स्वतंत्र तथा खुले विचारों का इंसान होने से उसके पिता का उससे अक्सर हर काम में टकराव होता था। मृतक रावलमल जैन उसे अक्सर टोका करते थे कि, जैसे पूजा के लिये शिवनाथ नदी से प्रतिदिन नौकर से पानी मंगवाते थे तथा घर के नल के पानी को ही उपयोग करने को कहने पर उसे डॉट–डपट करते थे। आरोपी संदीप जैन के पिता को आरोपी संदीप जैन का उसकी महिला मित्रों से मेलजोल काफी नागवार गुजरता था। कई बार मृतक रावलमल जैन अपने पुत्र अर्थात् आरोपी संदीप जैन को संपत्ति से बेदखल करने की धमकी देते थे जिसके कारण व्यथित होकर अभियुक्त संदीप जैन ने पिता को मारने की योजना बनाया। आरोपी ने इन्हीं कारणों से पहले से ही एक देशी पिस्टल एवं कारतूस भगत सिंग गुरूदत्ता, निवासी अग्रसेन चौक, दुर्ग से 1,35,000/–रू में खरीद कर रखा था। आरोपी संदीप जैन ने योजना को अंजाम देने के लिये

दिनांक 27.12.2020 को पत्नि और बच्चे को मायके दल्ली राजहरा भेज दिया और नौकर रोहित देशमुख जो रात्रि में घर में रोज सोता था उसे आगामी रात्रि में घर आने से मना कर दिया। आरोपी संदीप जैन ने उसके बाद योजनानुसार घटना दिनांक को प्रातः लगभग 05.45 बजे अपने रूम से उपर से नीचे आकर अपनी माँ के कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। उस समय उसके पिता कारीडोर में बाथरूम तरफ से वापस आ रहे थे और कारीडोर का दरवाजा बंद कर रहे थे, तभी उसने अपने पिता को पीछे से पीठ में गोली मार दिया। आरोपी संदीप जैन ने गोली की आवाज सुनकर उसकी माँ के चिल्लाने पर वह अपने उपर कमरे में भाग गया फिर उसके मोबाईल पर उसकी माँ का फोन आने लगा लेकिन उसने फोन रिसीव नहीं किया और नीचे माँ के कमरे के पास पुनः वापस आया तो उसकी मां, सौरभ को फोन करके बुला रही थी तब उसने अपनी माँ के कमरे का दरवाजा खोला और उसका राज खुल जाने के डर से उन्हे भी गोली मारकर हत्या कर दिया। आरोपी संदीप जैन ने उसके बाद बाहर जाने वाले कारीडोर का दरवाजा और बैठक का दरवाजा खोल दिया तथा सबसे बाहर मेन गेट का ताला खोलकर चाबी उसी में छोड़ दिया ताकि लगे कि कोई बाहर का आदमी आकर हत्या कर चला गया है। आरोपी संदीप जैन ने गोली मारते समय काले रंग के दस्ताने पहन रखे थे जो उसके कमरे के

बिस्तर में सिराहने के नीचे रखे मिले थे तथा घटना के समय पहना चेक आसमानी कलर का हॉप कुर्ता जिसमें खून के दाग लगे थे, को बिस्तर के नीचे छिपाकर रखा, जिसे जप्त किया गया है। आरोपी संदीप जैन ने जिस पिस्टल से अपने माता–पिता की हत्या की उसे घर के पीछे उपर बालकनी के नीचे फेंक दिया। जो वही पर खड़ी टाटा एस गाड़ी में गिरा तथा साथ में एक लोडेड मैग्जीन और 02 झिल्ली में जिंदा कारतूस को भी नीचे गली में फेक दिया।

224– इस प्रकार उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन से यह स्पष्ट है कि, अभियोजन ने ठोस/सुसंगत साक्ष्य/निश्चयात्मक साक्ष्य के माध्यम से आरोपी संदीप जैन के व्दारा ही कथित अपराध को कारित करना पूर्ण रूप से सिद्ध किया है, **अभियोजन पक्ष व्दारा समस्त युक्तियुक्त सन्देहों से परे यह भी प्रमाणित किया गया है कि, साक्ष्य की कड़ियां एक–दूसरे से ऐसी जुड़ी हुई है जिससे कि, आरोपी संदीप जैन के अलावा अन्य किसी व्यक्ति व्दारा कथित अपराध को कारित किया जाना माना ही नहीं जा सकता, जिसमें उसके व्दारा आरोपीगण भगत सिंह गुरूदत्ता एवं शैलेन्द्र सागर से अपराध में प्रयुक्त पिस्टल प्राप्त किया गया है।**

225– उपरोक्त सम्पूर्ण अभिलेखगत साक्ष्य से अभियोजन पक्ष ने आरोपी संदीप जैन के विरूद्ध यह प्रमाणित किया है कि, उसने दिनांक 01/01/2018 के प्रातः 04:30 बजे से 05:54

बजे के मध्य गंजपारा स्थित रावलमल जैन के मकान में रावलमल जैन एवं सूरजीबाई को साशय व ज्ञानपूर्वक पिस्टल 7.65 कैलीबर से गोली मारकर उनकी मृत्यु कारित कर हत्या का अपराध कारित किया, आरोपी संदीप जैन ने उक्त अपराध कारित किये जाने में बिना किसी अनुज्ञप्ति या आज्ञापत्र के आयुध अधिनियम की धारा 3 के उल्लंघन में पिस्टल 7.65 कैलीबर को अपने आधिपत्य में रखकर आयुध अधिनियम की धारा 7 के उल्लंघन में उक्त पिस्टल का प्रयोग अपने अवैध उद्देश्यों के लिए करके दण्डनीय अपराध कारित किया। इस प्रकार अभियोजन पक्ष ने आरोपी संदीप जैन के विरूद्ध **भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 302 (दो बार), आयुध अधिनियम की धारा 25 (1–ख) (क) एवं 27 (2)** के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोपों को समस्त युक्तियुक्त सन्देहों से परे प्रमाणित किया है।

226– इसी प्रकार अभियोजन पक्ष व्दारा **आरोपी भगत सिंह गुरूदत्ता** के विरूद्ध उसके व्दारा दिनांक 03.01.2018 के 5–6 माह पूर्व या उसके लगभग बिना किसी अनुज्ञप्ति या आज्ञापत्र के आयुध अधिनियम की धारा 3 के उल्लंघन में एक पिस्टल 7.65 कैलीबर अपने आधिपत्य में रखने तथा उसे अन्य आरोपी संदीप जैन को अवैध उद्देश्यों के लिए उपलब्ध कराकर दण्डनीय अपराध कारित किया जो **आयुध अधिनियम की धारा 25(1–ख)(क)** के अंतर्गत दंडनीय है। इसी प्रकार अभियोजन पक्ष, **आरोपी शैलेन्द्र**

सागर के विरूद्ध समस्त युक्तियुक्त सन्देहों से परे यह आरोप प्रमाणित करने में सफल रहा है कि, उसने दिनांक 03.01.2018 के 5–6 माह पूर्व या उसके लगभग बिना किसी अनुज्ञप्ति या आज्ञापत्र के आयुध अधिनियम की धारा 3 के उल्लंघन में एक पिस्टल 7.65 कैलीबर अपने आधिपत्य में रखा, जिसे अन्य आरोपी भगत सिंह गुरूदत्ता को अवैध उद्देश्यों के लिए उपलब्ध कराकर दण्डनीय अपराध कारित किया जो **आयुध अधिनियम की धारा 25 (1–ख) (क)** के अंतर्गत दंडनीय है।

227– फलतः आरोपी **संदीप जैन** को **भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 302 (दो बार), आयुध अधिनियम की धारा 25 (1–ख)(क) एवं 27(2)** के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोपों में तथा **आरोपीगण भगत सिंह गुरूदत्ता एवं आरोपी शैलेन्द्र सागर** को **आयुध अधिनियम की धारा 25(1–ख)(क)** के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप में दोषी पाते हुये दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

228– दण्ड के प्रश्न पर आरोपीगण, उनके विद्वान अधिवक्तागण एवं राज्य की ओर से उपस्थित विशेष लोक अभियोजक को सुने जाने के लिये निर्णय लेखन अल्पकाल के लिये स्थगित किया जाता है।

SHAILESH KUMAR TIWARI
Digitally signed by SHAILESH KUMAR TIWARI
Date: 2023.01.23 16:38:47 +0530

दुर्ग,
दिनांक 23 जनवरी, 2023

(शैलेश कुमार तिवारी)
अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग
(छत्तीसगढ़)

दण्डादेश....दिनांक 23 जनवरी, 2023

"The Room on the Roof"(1956) से अपनी लेखन यात्रा प्रारंभ करने वाले प्रसिद्ध लेखक Ruskin Bond ने अपनी पुस्तक "Words from my window"(2019) में Christina Rossetti's की निम्न कविता उद्रित किया है जो इंसानी संवेदनाओं की अद्भुत अभिव्यक्ति है :–

"HURT NO LIVING THING;
LADYBIRD, NOR BUTTERFLY,
NOR MOTH WITH DUSTY WING,
NOR CRICKET CHIRPING CHEERILY,
NOR GRASSHOPPER SO LIGHT OF LEAP,
NOR DANCING GNAT, NOR BEETLE FAT,
NOR HARMLESS WORMS THAT CREEP."

जबकि प्रस्तुत प्रकरण में एक पुत्र व्दारा बेबस माता–पिता की हत्या के मामले में विचारण चला है इसलिये दंड के प्रश्न पर उभय पक्ष का तर्क एवं गम्भीर मनन समीचीन है।

229– दण्ड के प्रश्न पर आरोपीगण, उनके विद्वान अधिवक्तागण एवं राज्य की ओर से उपस्थित विशेष लोक अभियोजक को सुना गया। आरोपी संदीप जैन ने व्यक्त किया है कि, वह अपने परिवार का पालन पोषण करने वाला अकेला सदस्य है, यदि उसे कठोर दंड दिया गया तो उसके परिवार को परेशानियों का सामना

करना पड़ेगा, ऐसी स्थिति में उसकी ओर से व्यक्त किया गया है कि, उसे न्यूनतम दंड से दंडित किया जावे। आरोपी के विद्वान अधिवक्ता ने यह व्यक्त किया है कि, आरोपी संदीप जैन का यह अपराध विरल से विरलतम अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, अतः उन्होंने व्यक्त किया है कि, आरोपी संदीप जैन को भा.दं.सं. की धारा 302 में उल्लेखित न्यूनतम दण्ड से दण्डित किया जावे।

230— अभियुक्तगण भगत सिंह गुरूदत्ता एवं शैलेन्द्र सागर व्दारा एवं उनके विद्वान अधिवक्तागण व्दारा भी व्यक्त किया गया है कि, अभियुक्तगण कमजोर आर्थिक परिस्थिति वाले व्यक्ति हैं, इसलिए अभियुक्तगण के प्रति सजा के संबंध में उदारता बरती जावे और अर्थदण्ड के संबंध में भी उदारता बरती जावे।

231— राज्य की ओर से विव्दान विशेष लोक अभियोजक ने यह निवेदन किया कि, अभियुक्त संदीप जैन का कृत्य अत्यन्त ही गंभीर प्रकृति का है, जो कि विरल से विरलतम अपराध की श्रेणी का है क्योंकि उसके व्दारा निर्दयता का परिचय देते हुये अपने माता—पिता की हत्या किये जाने का अपराध कारित किया गया है, इसलिए अभियुक्त संदीप जैन को मृत्यु—दण्ड से दंडित किया जावे जो कि, समाज के लिये एक उदाहरण हो। विशेष लोक अभियोजक व्दारा अन्य आरोपीगण भगत सिंह गुरूदत्ता एवं शैलेन्द्र

सिंह को भी कड़ी से कड़ी सजा दिये जाने का निवेदन किया गया है।

232– उभयपक्ष के तर्क पर विचार किया गया ।

233– मृत्यु के कठोर दण्ड, कठोर आपराधिकता के गंभीरतम मामलों में दिया जाना चाहिये। मृत्यु दण्ड का विकल्प चयन करने के पूर्व ''अपराधी'' की परिस्थितियों को भी ''अपराध'' की परिस्थितियों के साथ विचार किये जाने की अपेक्षा है। आजीवन कारावास नियम है और मृत्युदण्ड एक अपवाद। मृत्युदण्ड तभी अधिरोपित किया जाना चाहिये, जब आजीवन कारावास अपराध की सुसंगत परिस्थितियों को देखते हुए पूर्ण रूप से अपर्याप्त प्रतीत हो। गुरूत्तर कारी {एग्रीव्हेंटिंग} और शमनकारी {मिटिग्रेटिंग} परिस्थितियॉ का तुलना पत्र तैयार किया जाना चाहिए और ऐसा करने में परिशमनकारी परिस्थितियों को पूर्ण महत्व दिया जाना चाहिए और विकल्प का प्रयोग करने के पूर्व गुरूत्तर तथा परिशमनकारी परिस्थितियों के मध्य एक उचित संतुलन स्थापित किया जाना चाहिए। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 354 के तहत भी यदि मृत्यु–दण्ड दिया जाता है तो विशेष कारण दर्शित करने का प्रावधान है। विरल से विरलतम मामले को निर्धारित करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय व्दारा कुछ कसौटियां निर्धारित की गई हैं, और क्या यह प्रकरण उक्त श्रेणी का है, उसकी कसौटी को देखा जाना

चाहिए। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय का न्यायदृष्टांत **''रोनल जेम्स बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र'' (1998) 3 एससीसी 625, ''अलाउद्दीन मियान बनाम स्टेट ऑफ बिहार'' (1989) 3 एससीसी 5, ''नरेश गिरि वि0 स्टेट ऑफ एम.पी.'' (2001) 9 एससीसी 615** अवलोकनीय है।

234– इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्यायदृष्टांत **''हरेश मोहन दास राजपूत वि0 स्टेट ऑफ महाराष्ट'' (2011) 12 एससीसी 56** में ''**विरल से विरलतम मामला**'' कब होता है, इस संबंध में पैरा 12 में विवेचित किया है :–

> **"Rarest of the rare case" comes when a convict would be a menace and threat to the harmonious and peaceful co-existence of the society. The crime may be heinous or brutal but may not be in the category of "rarest of the rare case". There must be no reason to believe that the accused cannot be reformed or rehabilitated and that he is likely to continue criminal acts of violence as would constitute a continuing threat to the society. The accused may be a menace to the society and would continue to be so, threatening its peaceful and harmonious co-existence. The manner in which**

the crime is committed must be such that it may result in intense and extreme indignation of the community and shock the collective conscience of the society. Where an accused does not act on any spur-of-the-moment provocation and indulges himself in a deliberately planned crime and meticulously executes it, the death sentence may be the most appropriate punishment for such a ghastly crime. The death sentence may be warranted where the victims are innocent children and helpless women. Thus, in case the crime is committed in a most cruel and inhuman manner which is an extremely brutal, grotesque, diabolical, revolting and dastardly manner, where his act affects the entire moral fiber of the society, e.g. crime committed for power or political ambition or indulge in organized criminal activities, death sentence should be awarded.

235— मृत्युदण्ड के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय का न्यायदृष्टांत **क्रिमिनल अपील क्रमांक 143/2007 "ओएमए उर्फ ओमप्रकाश एवं एक अन्य बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडू" निर्णय**

दिनांक 11/12/2012 अवलोकनीय है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने **"गुरूबख्श सिंह सिब्बा बनाम स्टेट ऑफ पंजाब"** (1980) **2 एससीसी 565** को संदर्भित करते हुए पैरा 5 व 6 में निम्नानुसार अवलोकित किया है :–

5. The majority referred to the decision in Gurbaksh Singh Sibbia v. State of Punjab and stated that the observations made therein aptly applied to the desirability and feasibility of laying down standards in the area of sentencing discretion. In the case of Gurbaksh Singh (supra), the Constitution Bench had observed thus:-

"Judges have to decide cases as they come before them, mindful of the need to keep passions and prejudices out of their decisions."

6. After stating broad guidelines relating to the mitigating circumstances, the majority ultimately ruled thus:-

"Judges should never be bloodthirsty. Hanging of murderers has never been too good for them. Facts and Figures, albeit incomplete,

furnished by the Union of India, show that in the past, courts have inflicted the extreme penalty with extreme infrequency — a fact which attests to the caution and compassion which they have always brought to bear on the exercise of their sentencing discretion in so grave a matter. It is, therefore, imperative to voice the concern that courts, aided by the broad illustrative guide-lines indicated by us, will discharge the onerous function with evermore scrupulous care and humane concern, directed along the highroad of legislative policy outlined in Section 354(3) viz. that for persons convicted of murder, life imprisonment is the rule and death sentence an exception. A real and abiding concern for the dignity of human life postulates resistance to taking a life through law's instrumentality. That ought not to be done save in the rarest of rare cases when the alternative option is unquestionably foreclosed."

236– यदि पिता पुत्र के संबंधों के बारे में विचार किया जायें तो हमारे पौराणिक ग्रंथों में निम्नानुसार उल्लेखित किया गया है :–

'आत्मा वै जायते पुत्र'

अर्थात् एक पिता के विचारों का सूक्ष्म वितान होता है पुत्र। यह सामान्य नियम है। एक पुत्र आदर्श के रूप में श्रीराम, ध्रुव और प्रह्लाद आ सकते हैं कि स्वत्त्व वंचित होने के बाद भी अपने पिता के प्रति सम्मान का केवल सैद्धांतिक ही नहीं व्यवहारिक स्थिति बनी रही। निश्चित ही जब एक मां अपनी अपेक्षाओं को लेकर आग्रही हुईं कश्यप और विश्वस्रवा जैसे उद्दात चरित्र को भी अपने पुत्रों के कारण अपवादित होना पड़ा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वैवाहिक आदर्शों के अभाव में जहां श्रीकृष्ण की संततियां अपने पिता की अवज्ञा कर जीवन विनष्ट हुईं तो वैवाहिक आदर्शों का सम्मान करने के फलस्वरूप लव–कुश ने एक बार भी अपनी माता की लोक उपेक्षा के विरुद्ध श्रीराम को कठघरे में खड़ा नहीं किए कि सीता का पालन जन्य शिक्षा से अनुप्राणित थे। संबंधों को सार्वकालिक व्याख्या कदापि संभव नहीं है कि संबंध सृजन एवं संपोषण संबंधों के भीतर संभावनाओं का निर्माण करता है। परंतु इन सारे उदाहरणों से इतना स्पष्ट है कि एक संतान अपने माता–पिता के विचार का विस्तार होता है।

पौराणिक ग्रन्थ देवीभागवत में लिखा गया है :–

धिक तं सुतं यः पितुरीप्सितार्थ,
क्षमोअपि सन्न प्रतिपादयेद यः।
जातेन किं तेन सुतेन कामं,
पितुर्न चिन्तां हि सतुद्धरेद यः।।

अर्थात, उस पुत्र को धिक्कार है, जो समर्थ होते हुए भी पिता के मनोरथ को पूर्ण करने में उद्यत नहीं होता। जो पिता की चिन्ता को दूर नहीं कर सकता, उस पुत्र के जन्म से क्या प्रयोजन है?

मनुस्मृति में महर्षि मनु पिता की असीम महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं :–

उपाध्यान्दशाचार्य आचार्याणां शतं
पिता।
सहस्त्रं तु पितृन माता
गौरवेणातिरिच्यते।।

अर्थात, दस उपाध्यायों से बढ़कर 'आचार्य', सौ आचार्यों से बढ़कर 'पिता' और एक हजार पिताओं से बढ़कर 'माता' गौरव में अधिक है, यानी बड़ी है।

पदमपुराण में माता–पिता की महत्ता बड़े ही सुनहरे अक्षरों में इस प्रकार अंकित है :–

सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमयः
पिता।
मातरं पितरं तस्मात सर्वयत्रेन
पुतयेत।।
प्रदक्षिणीकृता तेन सप्त द्वीपा
वसुंधरा।
जानुनी च करौ यस्य पित्रोः
प्रणमतः शिरः।
निपतन्ति पृथ्वियां च सोअक्षयं
लभते दिवम।।

अर्थात, माता सभी तीर्थों और पिता सभी देवताओं का स्वरूप है। इसलिए सब तरह से माता–पिता का आदर सत्कार करना

चाहिए। जो माता–पिता की प्रदक्षिणा करता है, उसके द्वारा सात द्वीपों से युक्त पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है। माता–पिता को प्रणाम करते समय जिसके हाथ घुटने और मस्तिष्क पृथ्वी पर टिकते हैं, वह अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होता है।

<u>हरिवंश पुराण के विष्णुपर्व में पिता की महत्ता का बखान करते हुए कहा गया है</u> :–

दारूणे च पिता पुत्र नैव दारूणतां व्रजेत।
पुत्रार्थ पदःकष्टाः पितरः प्रान्पुवन्ति हि।।

अर्थात, पुत्र क्रूर स्वभाव का हो जाए तो भी पिता उसके प्रति निष्ठुर नहीं हो सकता, क्योंकि पुत्रों के लिए पिताओं को कितनी ही कष्टदायिनी विपत्तियाँ झेलनी पड़ती हैं।इससे बड़ी विडम्बना का विषय और क्या हो सकता है कि एक 'पिता' अपने पुत्र के मुख से सिर्फ प्रेम व आदर के दो शब्द की उम्मीद करता है, लेकिन उसे पुत्र से उपेक्षित, तिरस्कृत और अभद्र आचरण के अलावा कुछ नहीं मिलता है। निःसन्देह, यह हमारी आधुनिक शिक्षा आधुनिक जीवन पद्धति के अवमूल्यन का ही दुष्परिणाम है।वैदिक संस्कृति कहती है कि पुत्र का कर्तव्य है कि माता–पिता की आज्ञा का पालन करे। जो पुत्र माता–पिता एवं आचार्य का अनादर करता है, उसकी सब क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं, क्योंकि माता–पिता के ऋण से मुक्त होना असम्भव है। इसीलिए, माता–पिता तथा आचार्य की

सेवा–सुश्रुषा ही श्रेष्ठ तप है। लेकिन, विडम्बना का विषय है कि आधुनिक युवा वर्ग अपने पथ से विचलित होकर अपनी प्राचीन भारतीय वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति को निरन्तर भुलाता चला जा रहा है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आज घर–घर में पिता–पुत्रों के बीच आपसी कटुता, वैमनस्ता और झगड़ा देखने को मिलता है। भौतिकवाद आधुनिक युवावर्ग के सिर चढ़कर बोल रहा है। उसके लिए संस्कृति और संस्कारों से बढ़कर सिर्फ निजी स्वार्थपूर्ति और पैसा ही रह गया है।

पुत्र (महाभारत संदर्भ)

"पुत्र स्पर्शवतां वरः।"

स्पर्श करने योग्य वस्तुओं में पुत्र का स्पर्श सब से अच्छा है।

"प्रतिकूलः पितुर्यश्च न स पुत्रः सतां मतः।"

जो पिता के अनुकूल नहीं है सज्जन उस पुत्र को अच्छा नहीं मानते।

"स पुत्रः पुत्रवद् यश्च वर्तते पितृमातृषु।"

माता पिता के साथ पुत्रवत् व्यवहार करने वाला ही वास्तव में पुत्र है।

"इत्यर्थमिष्यतेऽपत्यं तारयष्यिति मामिति।"

संतान की इच्छा इसीलिये की जाती है कि यह मुझे संकट से तार देगी।

"मृते भर्तरि पुत्रश्च वाच्यो मातुररक्षिता।"

पिता के मरने पर पुत्र यदि माँ की रक्षा नहीं करता तो वह निन्दनीय है।

"न हि पुत्रेण हैडिम्बे पिता न्याय्यः
प्रबाधितुम।"

घटोत्कच! पुत्र पिता को पीड़ित करे, यह न्यायोचित नहीं।

"पुत्रार्थो विहितो ह्मेष वार्धिके
परिपालनम।"

वृद्धावस्था में पालन करना ही पुत्र होने का फल है।

"निदेशवर्ती च पितुः पुत्रो भवति
धर्मतः"

धर्म के अनुसार पुत्र पिता की आज्ञा के अधीन होता है।

"सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमयः पिता ।
मातरं पितरं तस्मात सर्वयत्नेन पूजयेत् ।।"

माता सर्वतीर्थमयी है और पिता सम्पूर्ण देवताओं का स्वरूप है। इसलिये सब प्रकार से माता–पिता का पूजन करना चाहिये।

237– वर्तमान प्रकरण के संबंध में यदि विचार करें तो प्रश्नाधीन प्रकरण का आरोपी संदीप जैन अपने मृत माता–पिता की इकलौती संतान है तथा अपने घर के बाजू में ही स्थित स्वयं की दुकान में साड़ी विक्रय का व्यवसाय करता था, उसके साथ उसका भांजा सौरभ गोलछा भी व्यवसाय में उसकी मद्द करता था। आरोपी संदीप जैन के पिता स्व. रावलमल जैन पुरानी रूढ़ीवादी विचारधारा के व्यक्ति थे तथा वह स्वतंत्र तथा खुले विचारों का इंसान होने से उसके पिता का उससे अक्सर हर काम में टकराव होता था। मृतक

रावलमल जैन उसे अक्सर टोका करते थे जैसे पूजा के लिये शिवनाथ नदी से प्रतिदिन नौकर से पानी मंगवाते थे तथा घर के नल के पानी को ही उपयोग करने को कहने पर उसे डॉट–डपट करते थे। आरोपी संदीप जैन के पिता को आरोपी संदीप जैन का उसकी महिला मित्रों से मेलजोल पसंद नहीं था। कई बार मृतक रावलमल जैन अपने पुत्र अर्थात् आरोपी संदीप जैन को संपत्ति से बेदखल करने की धमकी देते थे जिसके कारण ही आरोपी ने व्यथित होकर पिता को मारने की योजना बनाया। आरोपी संदीप जैन ने एक देशी पिस्टल एवं कारतूस भगत सिंग गुरूदत्ता से खरीद कर रखा था। आरोपी संदीप जैन ने योजना को अंजाम देने के लिये दिनांक 27.12.2020 को पत्नि और बच्चे को मायके दल्ली राजहरा भेज दिया और नौकर रोहित देशमुख जो रात्रि में घर में रोज सोता था उसे आगामी रात्रि में घर आने से मना कर दिया। उसके बाद योजनानुसार घटना दिनांक को प्रातः अपने रूम से उपर से नीचे आकर अपनी मॉ के कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। उस समय उसके पिता कारीडोर में बाथरूम तरफ से वापस आ रहे थे और कारीडोर का दरवाजा बंद कर रहे थे, तभी उसने अपने पिता को पीछे से पीठ में गोली मार दिया। गोली की आवाज सुनकर उसकी मॉ के चिल्लाने पर आरोपी संदीप जैन, अपने कमरे में उपर भाग गया फिर उसके मोबाईल पर उसकी मॉ का फोन आने लगा

लेकिन उसने फोन रिसीव नहीं किया और नीचे मॉ के कमरे के पास पुनः वापस आया तो उसकी मां, सौरभ को फोन करके बुला रही थी तब उसने अपनी मॉ के कमरे का दरवाजा खोला और उसका राज खुल जाने के डर से उन्हे भी गोली मारकर हत्या कर दिया।

238— मेरे समक्ष विचाराधीन प्रकरण में एक पुत्र जो कि आरोपी संदीप जैन है, ने अपने माता—पिता अर्थात् मृतक गण रावलमल जैन एवं सूरजी देवी की हत्या की है अर्थात् आरोपी संदीप जैन ने अपने जन्मदाता माता—पिता को गोली मारकर उनकी मृत्यु कारित कर हत्या का अपराध किया है जो कि अत्यन्त ही गंभीरतम, विरल से विरलतम एवं अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए कूरतम रुप से किया गया है। चूंकि आरोपी संदीप जैन का यह कृत्य सामान्य हत्या के अपराधों से सर्वथा भिन्न प्रकृति का अपराध है यदि ऐसे अपराधों में आरोपी को कठोरतम दंड से दंडित नहीं किया जायेगा तो समाज का ताना—बाना प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा। सामाजिक ताना—बाना नियमानुसार एक सूत्र में पिरोया हुआ रहे इस हेतु न्यायालयों का भी दायित्व है तथा ऐसे प्रकरणों में न्यायालयों से भी सामाजिक अपेक्षा होती है कि, इस प्रकार की निर्दयतापूर्ण मानसिकता वाले आरोपी को उदाहरणस्वरूप कठोर से कठोर दंड से दंडित किया जावे। फलस्वरुप उपरोक्त न्याय दृष्टान्तों के आलोक में यह प्रकरण भी विरल से विरलतम मामले की श्रेणी में आता है और

उपरोक्त उल्लिखित न्याय दृष्टान्तों के आलोक में मेरे समक्ष विचाराधीन प्रकरण की परिस्थितियों में समरुपता है। आरोपी व्दारा कारित अपराध एक पूर्व नियोजित एवं सम्पूर्ण मानव समाज का रोंगटे खड़ा कर देने वाला है। इस अमानुषिक, बर्बरतापूर्वक की गई हत्याएं अत्यधिक पाशविक, विकृत, पैशाचिक, वीभत्स या कायरतापूर्ण है, जो आरोपी को उसके पिता व्दारा सम्पत्ति से बेदखल न कर दे इस हेतुक के अधीन की गई है, जो उसकी सहज दुष्टता तथा नीचता का साक्ष्य देता है और इससे समुदाय की सामूहिक चेतना को आघात पहूँचता है। मृतकों ने न तो आरोपी के प्रति कोई अत्याचार किया था और न ही उसें किसी प्रकार की शारीरिक अथवा आर्थिक क्षति पहूँचाई थी। ऐसी कोई परिस्थिति प्रकट नहीं हुई है, जिससे यह उपदर्शित हो कि, आरोपी को कोई पश्चाताप हो। ऐसी कोई परिशमनकारी परिस्थिति नहीं पाई जाती, जिससे आरोपी को मृत्युदण्ड का दण्डादेश न दिया जावे **बल्कि ऐसे अपराधों को गंभीरतापूर्वक और कठोरता से हतोत्साहित किया जाना उचित होगा, जिससे कि समाज में ऐसे अपराध और ऐसे अपराधी पनप ही न सके या ऐसे अपराध करने की हिम्मत कोई भी व्यक्ति न कर सकें।**

239— प्रकरण में जो गुरूत्तरकारी परिस्थितियॉ {एग्रीव्हेंटिंग सरकमस्टासेंस} पाई गई हैं, वे निम्नानुसार हैं :—

1/:— परिवार के प्रमुख सदस्य माता और पिता की हत्या कर दी गई है।

2/:— मृतिका जो आरोपी की मां थी उसने रक्षा के लिये जिस बेटे पर विश्वास कर उसे फोन किया उसी बेटे ने अपनी मां को साक्ष्य नष्ट करने की नीयत से निर्ममतापूर्व गोलियों से भून दिया।

3/:— उनके पास प्रतिरक्षा का भी कोई अवसर नहीं था। इस घटना ने ईश्वर तुल्य माता—पिता एवं संतान के पवित्र और वैस्वासिक रिश्तों को कलंकित किया है।

4/:— मृतकगण घटना के संबंध में अबोध एवं असहाय थे।

5/ :— ऐसी स्थिति भी नहीं है कि, मृतकों में से किसी ने आरोपी पर कोई हमला कर उसे कोई शारीरिक उपहति पहुंचाया हो, अथवा आरोपी, मृतकों के किसी अत्याचार का शिकार रहा हो।

240— प्रकरण में जो परिशमनकारी परिस्थितियॉ {मिटिगेटिंग सरकमस्टासेंस} है, उन पर विचार किया जा रहा है, जो निम्नानुसार है :—

1/— सिद्धदोषी पूर्व में कभी दोषसिद्ध ठहराये गये हों, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है ।

2/— सिद्धदोषी का कम आयु का होना ।

3/— तर्क के दौरान यह कहा गया है कि, कोरोना काल में आरोपी जमानत पर स्वतंत्र था तब

उसने जमानत की सुविधा का कोई दुरूपयोग नहीं किया था।

किंतु न्यायालय के मत में उक्त दर्शित परिस्थितियों को इसे परिशमनकारी परिस्थिति की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।

241— माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **{सूशील मुरमू वि. बिहार राज्य} 2003 ए.आई.आर. एस.सी.डब्ल्यू. 6782** में **सम्प्रकाशित न्यायिक निर्णय के प्रकरण के निर्णय की कंडिका—16** में **{बचन सिंह वि. पंजाब राज्य} ए.आई.आर. 1980 सुप्रीम कोर्ट 898** के प्रकरण में प्रतिपादित सिद्धांतों का अवलम्ब लेते हुए अभिनिश्चय लिया गया है कि, प्रत्येक ऐसे प्रकरण में जहॉ मृत्यु दण्ड देने का प्रश्न उत्पन्न होता है, वहां निम्नलिखित मार्गदर्शन जो **''बचन सिंह वि. पंजाब राज्य''** वाले मामले {पूर्वोक्त} में लिये गये हैं, का प्रयोग किया जाना चाहिए : —

{ए} मृत्यु के कठोर दण्ड, कठोर आपराधिकता {एक्सट्रीम कल्पेबिलिटी} के गंभीरतम मामलों में दी जानी चाहिए ।

{बी} मृत्यु दण्ड का विकल्प चयन करने के पूर्व ''अपराधी'' की परिस्थितियों को भी ''अपराध'' की परिस्थितियों के साथ विचार किये जाने की अपेक्षा है ।

{सी} आजीवन कारावास नियम है और मृत्युदण्ड एक अपवाद। मृत्युदण्ड तभी अधिरोपित की जानी चाहिये, जब आजीवन कारावास अपराध की सुसंगत परिस्थितियों को देखते हुए पूर्ण रूप से अपर्याप्त प्रतीत हो ।

{डी} गुरूत्तर कारी {एग्रीव्हेंटिंग} और शमनकारी {मिटिग्रेटिंग} परिस्थितियॉ का तुलना पत्र तैयार किया जाना चाहिए और ऐसा करने में परिशमनकारी परिस्थितियों को पूर्ण महत्व दिया जाना चाहिए और विकल्प का प्रयोग करने के पूर्व गुरूत्तर तथा परिशमनकारी परिस्थितियों के मध्य एक उचित संतुलन स्थापित किया जाना चाहिए।

242– माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **{सूशील मुरमू वि. बिहार राज्य} {पूर्वोक्त}** वाले मामले में आगे कंडिका–17 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि, विरल से विरलतम मामलों में जब समुदाय की सामूहिक चेतना {कलेक्टिंग कांशस} को इतना अधिक आघात पहॅचता है कि, वह न्यायिक शक्ति केन्द्र को धारण करने वाले से मृत्यु दण्ड को प्रतिधारित करने के अन्यथा या वांछनीयता के संबंध में उसकी व्यक्तिगत राय का विचार किये बिना मृत्यु दण्ड प्रदान करने की प्रत्याशा करेगा तो मृत्यु दण्ड दिया जा सकता है। समुदाय निम्नलिखित परिस्थितियों में ऐसी भावना रख सकता है :–

/1 :– जब हत्या अत्यधिक पाशविक {ब्रूटल}, विकृत {ग्रोटैस्क} पैशाचिक {डायबोलिक}, बिभत्स {रिभोल्टींग} या कायरतापूर्ण {डैस्टर्डली} ढंग से कारित की जाती है, जिससे समुदाय में गंभीर एवं अत्यधिक रोष उत्पन्न हो ।

/2 :– जब हत्या उस हेतुक के लिए कारित की जाती है, जो पूर्ण सहज दुष्टता तथा नीचता का साक्ष्य देता है । उदाहरण के लिए––धन या पारितोषिक के लिये भाड़े पर लिये गये हत्यारों द्वारा हत्या, या व्यक्ति के लाभ के लिए निष्ठूर हत्या, जिसके मुकाबले में हत्यारा अधिशासी स्थिति या विश्वास की स्थिति में है या हत्या मातृभूमि से विश्वासघात के अनुक्रम में की जाती है ।

/3 :– जब अनुसूचित जाति या अल्पसंख्यक इत्यादि के सदस्य की हत्या व्यक्तिगत् कारणों से नहीं, बल्कि उन परिस्थिति में कारित की जाती है, जो सामाजिक रोष उत्पन्न करे या वधू जलाने या दहेज–हत्या के मामले में या जब हत्या एक बार पुनः दहेज ऐंठने के लिए पुनः विवाह करने के क्रम में या प्रेम के कारण एक अन्य महिला के साथ विवाह करने के लिए कारित की जाती है ।

/4 :– जब अपराध अनुपाततः अत्यधिक है, उदाहरणार्थ–परिवार के सभी या लगभग सभी सदस्यों की या विशिष्ट व्यक्ति, समुदाय या

बस्ती के व्यक्तियों की काफी संख्या में हत्याएं कारित की जाती हैं ।

/5 :– जब हत्या का भुक्तभोगी निर्दोष शिशु या असहाय महिला या वृद्ध अथवा अशक्त व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति है, जिसके मुकाबले में हत्यारा अधिशासित करने की स्थिति में है या ऐसा लोक व्यक्ति है जिससे सामान्यतः पसन्द किया जाता है और जिसका समुदाय द्वारा सम्मान किया जाता है।

243– उपर्युक्त कंडिका–239 में उल्लेखित गुरूत्तर परिस्थितियों तथा कंडिका–240 में वर्णित शमनकारी परिस्थितियों का तुलनात्मक तालिका में वर्णित उपर्युक्त परिस्थितियों को {बचन सिंह वि. पंजाब राज्य} {पूर्वोक्त} वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये मार्गदर्शक सिद्धान्तों की कसौटी पर रख कर विचार करने के उपरान्त यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि, यह प्रकरण एक ''विरल से विरलतम'' {रियरेस्ट ऑफ रेयर केसेज} है।

244– इस प्रकरण में सिद्धदोषी आरोपी संदीप जैन को मृत्युदण्ड के दण्ड से दण्डित किया जाना ही एकमात्र् उचित एवं पर्याप्त दण्ड होगा, इस दण्ड का चयन करने के लिए दंड प्रक्रिया

संहिता, 1973 की धारा–354 के अधीन निम्नलिखित विशेष कारण हैं जो इस प्रकार है :–

1. अपराध एक पूर्व नियोजित एवं समाज व परिवार के सदस्यों का रोंगटे खड़ा कर देने वाला है।

2. इस घटना से समाज व आम जनता के मध्य रिश्तों के प्रति एक अविश्वास व भय का वातावरण निर्मित हुआ है।

3. असहाय एवं प्रतिरक्षा करने में असमर्थ वृद्ध माता–पिता की हत्या की गई है।

4. भुक्तभोगियों व्दारा घटना का कोई प्रतिरोध नहीं किया जा सका है।

5. सम्पूर्ण घटना में किसी भी मृतक का कोई दोष नहीं था।

6. इस अमानुषिक बर्बरतापूर्ण की गई हत्यायें अत्यधिक पाशविक, विकृत, पैशाचिक, विभत्स व कायरतापूर्ण है जो सम्पत्ति प्राप्ति के हेतुक भी की गई है, जो आरोपी सन्दीप जैन की सहज दुष्टता तथा नीचता का साक्ष्य देता है और इससे समुदाय की सामूहिक चेतना को आघात पहुंचता है।

7. मृतकों ने आरोपी के प्रति न तो कोई अत्याचार किया है और न ही उसे किसी प्रकार की शारीरिक अथवा आर्थिक क्षति पहुंचाया है।

8. ऐसी भी कोई परिस्थिति प्रकट नहीं हुई है जिससे यह उपदर्शित हो कि, आरोपी को कोई पश्चाताप हो।

9. ऐसी कोई परिशमनकारी परिस्थिति नहीं पाई जाती जिससे आरोपी को मृत्युदंड का दंडादेश न दिया जावे।

245— **न्याय दृष्टान्त {रामदेव चौहान उर्फ राजनाथ वि. असम राज्य} 2001 क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर 397 {सूप्रीम कोर्ट}** में सम्प्रकाशित न्यायिक निर्णय की कंडिका—01 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा युवा अपराधी को मृत्यु दण्ड देने के संबंध में जो अभिनिश्चय दिया गया है, उसका उल्लेख किया गया है। **{2000:7:एस.सी.सी. 455} में** लिये गये अभिनिश्चय के अनुसार ....

"जहां प्रकरण अपवादित प्रकरण की श्रेणी में आता है, वहां अभियुक्त को विधि द्वारा निर्धारित उच्चतम दण्ड दिया जाना आवश्यक है। अपीलार्थी का घटना के समय युवा होने का आधार प्रकरण में जिस निर्दयतापूर्वक, निर्मम एवं

कायरतापूर्ण ढंग से हत्या की गई है, उसके लिए कम दण्ड दिया जाना एक परिशमनकारी परिस्थिति नहीं होगा।"

246— मेरे समक्ष विचाराधीन प्रकरण में जिन मृतकगण रावलमल जैन एवं सूरजी देवी जो कि आरोपी संदीप जैन के माता–पिता थे, की हत्या की गई है वह क्रूरतम श्रेणी का अपराध है। ऐसे अपराध को समाज में किसी भी प्रकार से मान्य नहीं किया जाना चाहिए और ऐसे अपराध के करने वालों को हतोत्साहित किया जाना चाहिए और ऐसे अपराध को करने वाले के प्रति दण्ड अत्यन्त कठोर होना चाहिए, जिससे कि भविष्य में ऐसे अपराधों को रोका जा सके। माननीय सर्वोच्च न्यायालय व्दारा **सुन्दर उर्फ सुन्दराराजन बनाम राज्य–व्दारा इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, 2013 ए.आई.आर. एस.सी. डब्ल्यू 1058** के मामले में एक 07 वर्षीय बच्चे को धन मुक्ति के लिए व्यपहरण कर उसकी हत्या कारित किए जाने के प्रकरण को विरल से विरलतम मान्य किया गया है और मृत्यु–दण्ड की पुष्टि की गई है। इसी तरह के एक अन्य प्रकरण **अपील (क्रिमिनल) 947/2003 सुशील मुरमु बनाम झारखंड राज्य** में, जिसमें काली की मूर्ति के समक्ष एक 09 वर्षीय बच्चे की बलि दी गई थी, और जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित था, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसे भी विरल से विरलतम मामले की श्रेणी में रखा है और मृत्यु–दण्ड की पुष्टि की है।

247— उपरोक्त विवेचित न्याय दृष्टान्तों एवं उनमें विवेचित तथ्यों के आलोक में एवं इस प्रकरण में उपलब्ध परिस्थितियों के अनुक्रम में विचार करें तो अभियुक्त संदीप जैन का यह कृत्य बर्बरता की उत्तुंग सीमा को दर्शाता है, क्योंकि उसके व्दारा अपने जन्मदाता माता—पिता की हत्या का अपराध कारित किया गया है, अतः इसे अपवादों में अपवादात्मक श्रेणी का अपराध मानते हुए अभियुक्त **संदीप जैन आ. स्व. रावलमल जैन, आयु लगभग—42 वर्ष, साकिन—गंजपारा आलोकचंद त्रिलोकचंद ज्वेलर्स के सामने, दुर्ग, थाना—दुर्ग, जिला—दुर्ग (छ.ग.) को अपने पिता रावलमल जैन की हत्या कारित किये जाने से धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत मृत्यु—दण्ड एवं 1,000/—रुपये (अक्षरी एक हजार रुपये) के अर्थदण्ड, अर्थदंड अदा न करने पर सुसंगत स्थिति में 06 माह (अक्षरी छः माह) के अतिरिक्त सश्रम कारावास, माता सूरजी देवी की हत्या कारित किये जाने से धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत मृत्यु—दण्ड एवं 1,000/—रुपये (अक्षरी एक हजार रुपये) के अर्थदण्ड, अर्थदंड अदा न करने पर सुसंगत स्थिति में 06 माह (अक्षरी छः माह) के अतिरिक्त सश्रम कारावास से दंडित किया जाता है। आरोपी संदीप जैन को आयुध अधिनियम की धारा 25 (1—ख) (क) के अंतर्गत 05 वर्ष (अक्षरी पांच वर्ष) के सश्रम कारावास एवं 1,000/—रुपये (अक्षरी एक हजार रुपये) के अर्थदण्ड, अर्थदंड अदा**

न करने पर सुसंगत स्थिति में 06 माह (अक्षरी छः माह) के अतिरिक्त सश्रम कारावास तथा आयुध अधिनियम की धारा 27 (2) के अंतर्गत 10 वर्ष (अक्षरी दस वर्ष) के सश्रम कारावास एवं 1,000/—रुपये (अक्षरी एक हजार रुपये) के अर्थदण्ड, अर्थदंड अदा न करने पर सुसंगत स्थिति में 06 माह (अक्षरी छः माह) के अतिरिक्त सश्रम कारावास के दण्ड से दंडित किया जाता है।

248— चूंकि जीवन एक ही है तथा मृत्यु—दण्ड संख्या में ज्यादा होने पर भी एक साथ निष्पादित होंगे, तथा ऐसे मृत्यु—दण्ड के समग्रतः एक साथ निष्पादित होने की दशा में अन्य अधिरोपित सश्रम कारावास के दण्ड भी उक्त समग्रतः निष्पादित मृत्यु—दण्ड में विधि अनुसार स्वयंमेव समाहित होंगे। चूंकि मृत्यु—दण्ड के निष्पादन उपरान्त अन्य दण्डादिष्ट धाराओं में अधिरोपित कारावास के दण्ड को स्वाभाविक रुप से भुगताया जाना संभव नहीं हो सकेगा, इसलिए समग्र रुप से **अभियुक्त संदीप जैन आ. स्व. रावलमल जैन, आयु लगभग—42 वर्ष, साकिन—गंजपारा आलोकचंद त्रिलोकचंद ज्वेलर्स के सामने, दुर्ग, थाना—दुर्ग, जिला—दुर्ग (छ.ग.)** को **मृत्यु—दण्ड** से दंडित किया गया है, तद्नुसार आदेशित किया जाता है कि, **अभियुक्त संदीप जैन आ. स्व. रावलमल जैन** को **गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाया जावे, जब तक कि उसका प्राणान्त न हो जाए।**

249— आरोपी भगत सिंह गुरूदत्ता को आयुध अधिनियम की धारा 25 (1—ख) (क) के अंतर्गत 05 वर्ष (अक्षरी पांच वर्ष) के सश्रम कारावास एवं 1,000/— रुपये (अक्षरी एक हजार रुपये) के अर्थदण्ड, अर्थदंड अदा न करने पर 06 माह (अक्षरी छः माह) के अतिरिक्त सश्रम कारावास के दण्ड से दंडित किया जाता है।

250— इसी प्रकार आरोपी शैलेन्द्र सागर को आयुध अधिनियम की धारा 25 (1—ख) (क) के अंतर्गत 05 वर्ष (अक्षरी पांच वर्ष) के सश्रम कारावास एवं 1,000/—रुपये (अक्षरी एक हजार रुपये) के अर्थदण्ड, अर्थदंड अदा न करने पर 06 माह (अक्षरी छः माह) के अतिरिक्त सश्रम कारावास के दण्ड से दंडित किया जाता है।

251— अभियुक्त संदीप जैन को इस तथ्य से अवगत कराया गया कि, वह दोषसिध्दि और दण्डादेश के संबंध में माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के समक्ष विहित अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत कर सकता हैं और यदि चाहें तो विधिक सहायता के अंतर्गत और जेल से भी अपील प्रस्तुत कर सकता है। आरोपीगण भगत सिंह गुरूदत्ता एवं शैलेन्द्र सागर भी विहित अवधि में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।

252— अभियुक्तगण के व्दारा अभिरक्षा में बितायी गई अवधि के संबंध में धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रमाण—पत्र संलग्न किया जावे।

253— प्रकरण को धारा 366 उपधारा 01 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत तत्काल व्यवस्थित कर प्रकरण की समग्र कार्यवाहियां माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर की ओर व्दारा रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर (छ.ग.) के, आवश्यक अग्र कार्यवाही हेतु, जैसा कि दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 28 में उल्लिखित है, सादर प्रस्तुत की जावे तथा दण्डादेश की पुष्टि हेतु निवेदन के साथ माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर (छ.ग.) के समक्ष रखा जावे।

254— अभियुक्त संदीप जैन को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 366(2) के तहत जेल अभिरक्षा में सुपुर्द किया जावे। आरोपी भगत सिंह गुरूदत्ता एवं आरोपी शैलेन्द्र सागर के बंधपत्र निरस्त किये गये, उन्हें सजा भुगताये जाने हेतु सजा वारंट तैयार कर केन्द्रीय कारागार, दुर्ग भेजा जावे।

255— निर्णय की सत्य प्रतिलिपि अभियुक्तों को निःशुल्क प्रदान की जावे। निर्णय की एक—एक सत्य प्रतिलिपि जिला दण्डाधिकारी, दुर्ग तथा विशेष लोक अभियोजक, दुर्ग को भी प्रदान की जावे, तथा निर्णय की एक सत्य प्रतिलिपि जेल अधीक्षक, केन्द्रीय

कारागार, दुर्ग (छ.ग.) को अभियुक्तों के हित रक्षा में प्रयोग हेतु प्रेषित किया जावे।

256–(1). प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति जो कि इस प्रकार है :–

(1) 1. एक काटन के टुकड़े में मृतिका सूरजी देवी के सिर के पास से पिस्टल के गोली का बुलेट खून लगा है, एक काटन में मृतिका सूरजी देवी के दांये हाथ के कोहनी के पास से एक गोली का खाली खोखा एक काटन के टुकडे में मृतिका सूरजी देवी के सीने के पास विस्तर से गोली का खाली खोखा दोनों खाली खोखा के पेन्दे में 7.65 KF लिखा है।

2. एक काटन के टुकड़े में विस्तर में फेले खून के अंश।

3. एक काटन के टुकड़े में विस्तर के पास के सादी मिट्टी के अंश।

4. एक मेहरून कलर का चादर का टुकड़ा जिसमें खून के दाग लगे है, मृतिका सूरजीदेवी के शव के पास का।

5. एक मेहरून कलर का चादर का सादा टुकड़ा मृतिका सूरजी देवी के शव के पास का।

6. सफेद कलर का सैमसंग कंपनी का मोबाईल जिसके सामने ड्यूक्स सैमसंग तथा पीछे सैमसंग अंग्रेजी में लिखा है, मृतिका के शव के पास से जप्त किया गया है।

(2) 1. घटनास्थल से दरवाजे के चौखट के पास गोली का एक खाली खोखा मृतक के पैर पास एक खोखा, दाहिने पैर के एक फीट पर एक खोखा, दरवाजे के चौखट से 5, 6 इंच दूर एक खोखा (कुल 4 नग गोली के खाली खोखा सभी खोखा के पेन्दे में 7.65 KF लिखा है।

2. एक काटन के टुकड़ा में मृतक रावलमल जैन के शव के पास फैले खून के अंश।

3. एक काटन के टुकड़ा में घटनास्थल के पास मृतक रावलमल के शव के पास का सादी मिट्टी का अंश।

(3) 1. एक नग 7.65 कैलिबर का देशी पिस्टल सिल्वर कलर का खाली मैगजीन सहित वाहन टाटा एस क्रमांक सी.जी.04/जेए/8984 के केबिन के उपर से।

2. एक झिल्ली में 14 नग कारतूस एवं दो नग खाली खोखा, सभी कारतूस एवं खाली खोखा में 7.65 KF पेन्दे में लिखा है।

3. एक झिल्ली में 12 नग कारतूस पेन्दे में 7.65 KF लिखा है।

4. एक सिल्वर कलर का मैगजीन जिसमें 6 नग कारतूस है वाहन टाटा एस.क्रमांक सी.जी. 04/जेए/8984 के डाला के पीछे दरवाजे के पास से मैगजीन में भरे कारतूस के पीछे 7.65 KF लिखा है।

(4) 1. एक प्लास्टिक के शीलबंद डिब्बी में जिसके उपर पर्ची में दो नग बुलेट लिखा है।

2. एक सीलबंद पैकेट में मृतिका सूरजी देवी के घटना के समय पहने साडी एवं ब्लाउज जिसके पैकेट के उपर मृतिका सूरजी देवी का नाम लिखा है।

(5) 1. एक सीलबंद प्लास्टिक की डिब्बी में जिसमें शासकीय अस्पताल, दुर्ग का पर्ची लगा है. मृतक रावलमल लिखा है, एक बुलेट लिखा है।

2. एक सीलबंद पैकेट में मृतक रावलमल के घटना के समय पहने कपड़े जिसमें खून के दाग लगे है,

जिसमें खून के दाग लगे हे जिसमें शासकीय अस्पताल दुर्ग का पर्ची लगा है.

(6) 1. दो नग काला रंगा का उलन का दस्ताना।

2. दो नग नाज मास्क ग्रीन रंग का जिसमें सफेद का पट्टी लगा है कान में बांधने हेतु इलास्टिक लगा हुआ है।

3. एक आसमानी रंग छोटे चेकदार गोल कालर का कुर्ती हाफ बांह का जिसके बांये तरफ एक जेब है, कुर्ता में सफेद कलर का बटन लगा है, जिसके दाहिने तरफ सीना के पास पेट के पास तथा दाहिने जेब में खून के दाग लगे है।

4. एक ओप्पो कंपनी का मोबाईल जिसमें सामने सफेद कलर पीछे क्रीम कलर पीछे अप्पो मॉडल सी. पी.एच.1609 लिखा है, जिसके कव्हर में आरोपी संदीप जैन का फोटो बना है, स्वर माला लिखा है जिसमें 70008–31319 जियो कंपनी का सीम लगा है।

5. एक नग ताला एवं एक नग चाबी जिसमें अंग्रेंजी में शुभ ताला एवं चाबी में लिखा है चाबी में सिल्वर कलर का लॉकेट है लॉकेट में अंग्रेंजी में PRABHAT SHANKAR

AGRAWAL MSNFNO CONTRACTOR POIH NEHRU NAGAR BHILAI लिखा है।

(7) आरोपी द्वारा भंवरलाल जी बोहरा को स्वयं की हस्तलिपि से लिखा गया पत्र जिसका मजमून अशुभ कर्म उदय के जबरदस्त ....गोद लेकर अच्छा जीवन दे दे। संतोष को भी नया जीवन दे दो। उसी पत्र में आदरणीय पापा हीरालाल जी को भी संबोधित करते हुए लिखा गया है. जिसका मजमून कृपया आप भी उपरोक्त कार्य में सहमति करते हुए जल्द से जल्द कार्यवाही करवा दे।

(8) थाना दुर्ग के अप.क्र. 1/2018 धारा 302, 34 भा.दं.वि. एवं 25, 27 आयुध अधिनियम के घटना स्थल मृतक रावलमल जैन का मकान दुगड़ निवास गंजपारा दुर्ग में घटना के बाद मृतक रावलमल जैन मृतिका सूरजी देवी एवं घटनास्थल के खीचें गये 45 नग फोटोग्राफ को फोटोग्राफर प्रभात वर्मा के पेश करने जप्त किया गया है तथा एक सीलबंद पैकेट में 02 नग काले रंग का उलन का दस्ताना जिसमें बारूद की गंध है, को भी जप्त किया गया है।

(9) प्रकरण में घटना स्थल मृतक रावलमल जैन के पैर के पास 7.65 एम.एम. के कुल चार नग चले गोली के चार खोखे, एक सीलबंद पैकेट में एक देशी पिस्टल 7.65

कैलिबर सिल्वर कलर की खाली मैगजीन सहित, एक सीलबंद झिल्ली में 14 नग 7.65 एम.एम. जिन्दा कारतूस एवं दो नग खाली खोखा, एक झिल्ली में 12 नग 7.65 एम.एम. जिंदा कारतूस, एक सिल्वर कलर के मैगजीन में भरे 06 नग 7.65 एम.एम. जिन्दा कारतूस, एक प्लास्टिक की सीलबंद डिब्बी में सूरजी देवी के शरीर से निकाले गये दो नग बुलेट, एक प्लास्टिक की सीलबंद डिब्बी में मृतक रावलमल जैन के शरीर से निकाला गया एक नग बुलेट, 04 नग 7.65 के जिंदा कारतूस जप्त किये गये हैं। इनके अलावा सी.सी.टी. व्ही.फुटेज की रिकार्डिंग 10 डी.व्ही.डी. में, जप्त किया गया है।

256. (2)— प्रकरण में उपरोक्त कंडिका में वर्णित जप्तशुदा सम्पत्तियॉ एक सीलबंद पैकेट में एक देशी पिस्टल 7.65 कैलिबर सिल्वर कलर की खाली मैगजीन सहित, जिन्दा कारतूस, मृतकगण के शरीर से निकाले गये बुलेट एवं गोली के खाली खोखे एवं आयुध से संबंधित अन्य सम्पूर्ण संपत्तियां उचित निराकरण हेतु जिला दंडाधिकारी, दुर्ग, जिला—दुर्ग (छ.ग.) को भेजी जावे। प्रकरण में जप्त मोबाईल स्वामित्व संबंधी दस्तावेजों को पेश किये जाने पर उसके स्वामी को प्रदाय किया जावे, उपरोक्त कंडिका में वर्णित शेष सम्पत्तियां मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जावे।

यह आदेश अपील अवधि पश्चात् लागू होगा, अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पूर्ण सपंत्तियों का निराकरण किया जावे।

मेरे निर्देश पर टंकित।

SHAILESH KUMAR TIWARI
Digitally signed by SHAILESH KUMAR TIWARI
Date: 2023.01.23 16:39:24 +0530

दुर्ग, दिनांक 23 जनवरी, 2023.

(शैलेश कुमार तिवारी)
अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग
जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़)

न्यायालय : अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)
सत्र प्रकरण क्रमांक 56/2018.
धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अभिरक्षा अवधि का प्रमाण–पत्र

मैं, शैलेश कुमार तिवारी, अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग, जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़), **माननीय उच्च न्यायालय के मेमो क्रमांक 4742, दिनांक 22–05–75** के पालन में इस न्यायालय के **सत्र प्रकरण क्रमांक 56/2018, राज्य विरुध्द संदीप जैन एवं अन्य, भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 302 (दो बार), आयुध अधिनियम की धारा 25(1–ख)(क) एवं 27(2)** के अपराध के आरोपों में दोषसिध्द एवं दंडादिष्ट किए गए अभियुक्त **संदीप जैन आ. स्व. रावलमल जैन, आयु लगभग–42 वर्ष, साकिन–गंजपारा आलोकचंद त्रिलोकचंद ज्वेलर्स के सामने, दुर्ग, थाना–दुर्ग, जिला–दुर्ग (छ.ग.)** का निम्न प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करता हूं :–

1.	**अभियुक्त का नाम :**	**संदीप जैन**
2.	**गिरफ्तारी दिनांक**	**दिनांक 01.01.2018**
3.	**पुलिस अभिरक्षा की अवधि**	**दिनांक 01.01.2018 से 03. 01.2018 तक.**
4.	**न्यायिक अभिरक्षा की अवधि**	**03.01.2018 से 30.05. 2020 एवं 26.08.2020 से आज निर्णय दिनांक 23.01.2023 तक.**
5.	**निरोध में व्यतीत कुल अवधि जिसका समायोजन किया जाना है।**	**(01.) 01.01.2018 से 30.05.2020 एवं (02.) 26.08.2020 से आज निर्णय दिनांक 23.01.2023 तक.** **1.02 वर्ष 04 माह 27 दिन–878 दिन.** **2. 02 वर्ष 04 माह 28 दिन–880 दिन.** **कुल दिन–1758 दिन.**

नोटः उक्त अवधि का समायोजन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 433(ए) के निर्बन्धनों के अनुसार होगा ।

SHAILESH KUMAR TIWARI
Digitally signed by SHAILESH KUMAR TIWARI
Date: 2023.01.23 16:39:42 +0530

दुर्ग, दिनांक 23 जनवरी, 2023.

(शैलेश कुमार तिवारी)
अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग
जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़)

न्यायालय : अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)
सत्र प्रकरण क्रमांक 56/2018.
धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अभिरक्षा अवधि का प्रमाण–पत्र

मैं, शैलेश कुमार तिवारी, अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग, जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़), **माननीय उच्च न्यायालय के मेमो क्रमांक 4742, दिनांक 22–5–75** के पालन में इस न्यायालय के **सत्र प्रकरण क्रमांक 56/2018, राज्य विरुध्द संदीप जैन एवं अन्य, भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 302 (दो बार), आयुध अधिनियम की धारा 25(1–ख)(क) एवं 27(2)** के मामले में **आयुध अधिनियम की धारा 25 (1–ख) (क) के** अपराध के आरोप में दोषसिध्द एवं दंडादिष्ट किए गए अभियुक्त **भगत सिंह गुरूदत्ता आ. सतनाम सिंग गुरूदत्ता, आयु लगभग–47 वर्ष, साकिन–काली बाड़ी के पास, थाना–मोहन नगर, दुर्ग, जिला–दुर्ग (छ.ग.)** का निम्न प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करता हूं :–

1.	अभियुक्त का नाम :	भगत सिंह गुरूदत्ता
2.	गिरफ्तारी दिनांक	दिनांक 03.01.2018
3.	पुलिस अभिरक्षा की अवधि	निरंक
4.	न्यायिक अभिरक्षा की अवधि	03.01.2018 से 30.05.2018 तक.
5.	निरोध में व्यतीत कुल अवधि जिसका समायोजन किया जाना है।	03.01.2018 से 30.05.2018 तक. 04 माह 27 दिन. कुल दिन–147 दिन

नोटः उक्त अवधि का समायोजन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 433(ए) के निर्बन्धनों के अनुसार होगा ।

SHAILESH KUMAR TIWARI
Digitally signed by SHAILESH KUMAR TIWARI
Date: 2023.01.23 16:39:59 +0530

दुर्ग, दिनांक 23 जनवरी, 2023.

(शैलेश कुमार तिवारी)
अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग
जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़)

न्यायालय : अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)
सत्र प्रकरण क्रमांक 56/2018.
धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अभिरक्षा अवधि का प्रमाण—पत्र

मैं, शैलेश कुमार तिवारी, अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग, जिला—दुर्ग (छत्तीसगढ़), **माननीय उच्च न्यायालय के मेमो क्रमांक 4742, दिनांक 22—5—75** के पालन में इस न्यायालय के **सत्र प्रकरण क्रमांक 56/2018, राज्य विरुध्द संदीप जैन एवं अन्य, भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 302 (दो बार), आयुध अधिनियम की धारा 25(1—ख)(क) एवं 27(2)** के मामले में **आयुध अधिनियम की धारा 25(1—ख)(क) के** अपराध के आरोप में दोषसिध्द एवं दंडादिष्ट किए गए अभियुक्त **शैलेन्द्र सागर पिता अवतार सिंग, आयु लगभग—47 वर्ष, साकिन—गुरूनानक नगर, थाना—मोहन नगर, दुर्ग, जिला—दुर्ग (छ.ग.)** का निम्न प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करता हूं :—

1.	**अभियुक्त का नाम :**	**शैलेन्द्र सागर**
2.	**गिरफ्तारी दिनांक**	**दिनांक 03.01.2018**
3.	**पुलिस अभिरक्षा की अवधि**	**निरंक**
4.	**न्यायिक अभिरक्षा की अवधि**	**03.01.2018 से 30.05.2018 तक.**
5.	**निरोध में व्यतीत कुल अवधि जिसका समायोजन किया जाना है।**	**03.01.2018 से 30.05.2018 तक. 04 माह 27 दिन. कुल दिन—147 दिन**

नोटः उक्त अवधि का समायोजन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 433(ए) के निर्बन्धनों के अनुसार होगा ।

SHAILESH KUMAR TIWARI
Digitally signed by SHAILESH KUMAR TIWARI
Date: 2023.01.23 16:40:23 +0530

दुर्ग, दिनांक 23 जनवरी, 2023.

(शैलेश कुमार तिवारी)
अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग
जिला—दुर्ग (छत्तीसगढ़)

मैं पुष्टि करता हूँ कि, इस पी.डी.एफ. फाईल की अंर्तवस्तु अक्षरशः वैसी ही है जो मूल निर्णय पत्र में टंकित की गई है।

स्टेनोग्राफर का नाम– एन.एस. बिसेन